अष्टम माला, 22 August 1986

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

Sixth—Session

(आठवीं लोक सभा)

Acc. No. 57
Date 3/8/87

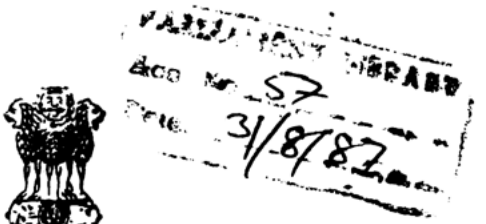

(

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

ए० जे० प्रिंटर्स, 5 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1—12
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	12—16
राज्य सभा से संदेश	16—17
विधेयकों पर अनुमति	17—19
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति अठारहवां प्रतिवेदन	19
डूनघाटी में प्रदूषण नियंत्रण के बारे में वक्तव्य	19—22
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	22—46
आंध्र प्रदेश, केरल तथा देश के अन्य भागों में अभूतपूर्व बाढ़ और तूफान से उत्पन्न गंभीर स्थिति	22
डा० चिन्ता मोहन	22
श्री योगेन्द्र मकवाना	24
श्री हरीश रावत	29
प्रो० पी० जे० कुरियन	31
श्री मुल्लापल्लीरामचन्द्रन	34
श्री सुरेश कुरुप	35
लोक पाल विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	46
नियम 377 के अधीन मामले	47
(एक) पेंशनरों को पेंशन, भविष्य निधि आदि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने और ऐसे भुगतानों में विलंब के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता श्री मोहन लाल झिकराम	47
(दो) उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता श्री हरीश रावत	47
(तीन) उड़ीसा में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता श्री सोमनाथ रथ	48
(चार) रेल टिकटों के रद्द करने के प्रभार-संबंधी नवीनतम नियमों को वापस लेने की आवश्यकता श्री एस० जी० घोलप	48
(पांच) असम और देश के अन्य भागों में चाय बागानों में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं के लिए "समान कार्य के लिए समान मजूरी" सुनिश्चित करने की आवश्यकता डा० फूलरेणु गुहा	48

विषय	पृष्ठ
(छह) बम्बई जैसे महानगरों में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता श्री शरद दिघे	49
(सात) उड़ीसा में बूजराजनगर स्थित ओरिएन्ट पेपर मिल्स में क्लोरिन गैस का रिसाव रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	49
(आठ) चाय बोर्ड के मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय को कोयम्बतूर से हटाकर कुन्नूर ले जाने के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता श्री पी० कुलनदईवेलु	50
(नौ) चालू योजना की अवधि के दौरान कैनिंग टाउन और कलकत्ता के बीच एस० टी० डी० सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता श्री सनत कुमार मंडल	50
(दस) दिल्ली में उन किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता जिनकी भूमि सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई है श्री भरत सिंह	50
(ग्यारह) उड़ीसा के कोरापुट जिले में भुखमरी से पीड़ित आदिवासियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न दिये जाने की आवश्यकता श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	51
(बारह) राजस्थान के कोटा, बूंदी, केशोराय पाटन और अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री शांति धारीवाल	51
(तेरह) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में भसराघाट में सुवर्ण रेखा पर प्रस्तावित बांध के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता श्री नारायण चौबे	52
(चौदह) अलवर जिले में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार को धनराशि देने की आवश्यकता श्री राम सिंह यादव	52
(पन्द्रह) देश में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम लागू करने की आवश्यकता श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	53
(सोलह) देश में विशेष रुप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, भूमिगत जल का प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्री जगदीश अवस्थी	53
(सत्रह) मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने की आवश्यकता डा० प्रभात कुमार मिश्र	54
(अट्ठारह) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता श्री सैफुद्दीन चौधरी	54

विषय	पृष्ठ
(उन्नीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख और लेह जिलों में बादलों के फटने और भीषण वर्षा के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजने तथा तत्काल उपचारी उपाय करने की आवश्यकता श्री पी० नामग्याल	55
(बीस) विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों और ग्रामीण बैंकों को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर और अन्य जिलों में अपनी शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने की आवश्यकता प्रो० नारायण चन्द पराशर	56
(इक्कीस) महाराष्ट्र के गोसीखुर्द-चन्द्रपुर, गरचीरोली और भंडारा विदर्भ क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार	56
चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी के बारे में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	57—96
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	57
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	61
श्री सोमनाथ चटर्जी	62
श्री एस० जयपाल रेड्डी	65
श्री महेन्द्र सिंह	77
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	82
श्रीमती गीता मुखर्जी	85
श्री अर्जुन सिंह	86
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	88
स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	96—135
श्री मारग्रेट अल्वा	96
डा० टी० कल्पना देवी	100
डा० फूलरेणु गुहा	102
श्री अमल दत्त	104
डा० गौरीशंकर राजहंस	106
श्री शरत देव	107
श्री शांताराम नायक	109
श्री भद्रेश्वर तांती	111
श्री मूलचन्द डागा	111
श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी	113
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	114
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	116

विषय	पृष्ठ
(छह) बम्बई जैसे महानगरों में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता श्री शरद दिघे	49
(सात) उड़ीसा में बूजराजनगर स्थित ओरिएन्ट पेपर मिल्स में क्लोरिन गैस का रिसाव रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	49
(आठ) चाय बोर्ड के मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय को कोयम्बतूर से हटाकर कुन्नूर ले जाने के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता श्री पी० कुलनदईवेलु	50
(नौ) चालू योजना की अवधि के दौरान कैनिंग टाउन और कलकत्ता के बीच एस० टी० डी० सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता श्री सनत कुमार मंडल	50
(दस) दिल्ली में उन किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता जिनकी भूमि सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई है श्री भरत सिंह	50
(ग्यारह) उड़ीसा के कोरापुट जिले में भुखमरी से पीड़ित आदिवासियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न दिये जाने की आवश्यकता श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	51
(बारह) राजस्थान के कोटा, बूंदी, केशोराय पाटन और अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री शांति धारीवाल	51
(तेरह) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में भसराघाट में सुवर्ण रेखा पर प्रस्तावित बांध के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता श्री नारायण चौबे	52
(चौदह) अलवर जिले में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार को धनराशि देने की आवश्यकता श्री राम सिंह यादव	52
(पन्द्रह) देश में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम लागू करने की आवश्यकता श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	53
(सोलह) देश में विशेष रुप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, भूमिगत जल का प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्री जगदीश अवस्थी	53
(सत्रह) मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने की आवश्यकता डा० प्रभात कुमार मिश्र	54
(अट्ठारह) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता श्री सैफुद्दीन चौधरी	54

विषय	पृष्ठ
(उन्नीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख और लेह जिलों में बादलों के फटने और भीषण वर्षा के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजने तथा तत्काल उपचारी उपाय करने की आवश्यकता श्री पी० नामग्याल	55
(बीस) विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों और ग्रामीण बैंकों को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर और अन्य जिलों में अपनी शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने की आवश्यकता प्रो० नारायण चन्द पराशर	56
(इक्कीस) महाराष्ट्र के गोसीखुर्द-चन्द्रपुर, गरचीरोली और भंडारा विदर्भ क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार	56
चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी के बारे में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	57—96
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	57
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	61
श्री सोमनाथ चटर्जी	62
श्री एस० जयपाल रेड्डी	65
श्री महेन्द्र सिंह	77
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	82
श्रीमती गीता मुखर्जी	85
श्री अर्जुन सिंह	86
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	88
स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	96—135
श्री मारग्रेट अल्वा	96
डा० टी० कल्पना देवी	100
डा० फूलरेणु गुहा	102
श्री अमल दत्त	104
डा० गौरीशंकर राजहंस	106
श्री शरत देव	107
श्री शांताराम नायक	109
श्री भद्रेश्वर तांती	111
श्री मूलचन्द डागा	111
श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी	113
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	114
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	116

विषय	पृष्ठ
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	118
श्री काली प्रसाद पांडेय	119
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	120
खंड 2 से 24 तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	
दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक	135
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	135
श्रीमती गीता मुखर्जी	137
श्री मनोरंजन भक्त	141
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	143
कुमारी ममता बनर्जी	146
श्री पी० जे० कुरियन	149
श्री अब्दुल रशीद काबुली	151
चौधरी सुन्दर सिंह	157
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	159
श्री राम प्यारे पनिका	162
श्री सी० जंगा रेड्डी	162
श्री वीर सेन	163
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	165
श्री एम० एल० झिकराम	166
श्री एस० बी० सिदनाल	167
श्री मूल चन्द डागा	168
श्री शमिन्दर सिंह	168
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	168
खंड 2 से 12 तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	175
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	178
विधेयक—पुरःस्थापित	
बाल अपराध न्याय विधेयक	180
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	181—186
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एन० डेनिस	181
श्री ए० के० पांजा	183
खंड 2 से 4 तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ए० के० पांजा	185

लोक सभा

शुक्रवार, 22 अगस्त, 1986/31 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री मलाईचमी थैवर के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है जो 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और तमिलनाडु के परियाकुलम निर्वाचनक्षेत्र से चुनकर आये थे।

वह एक कृषक थे और उन्होंने सहकारिता आन्दोलन के प्रसार के लिए कार्य किया। वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने समाज के दुर्बल वर्ग के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। वह अनेक सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं से विभिन्न रूप में सम्बद्ध रहे।

श्री थैवर का निधन 9 अगस्त, 1986 को 69 वर्ष की आयु में उधामापलायम में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर खेद व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है।

सदस्य शोक व्यक्त करने के लिए एक क्षण के लिए मौन खड़े हों।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं जिस पर पूरा सदन सरकारी पक्ष के लोग तथा विपक्ष सभी सहमत होंगे :

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहमत हैं आप मेरे पास आये।

प्रो० मधु० दण्डवते : मुझे एक निवेदन करने दिया जाये :

14 नवम्बर 1962 को इस सदन ने चीन के संबंध में एक संकल्प पारित किया था और मैं केवल यही कहूंगा जो मैं प्रस्तावित करूंगा··· (व्यवधान) मेरा विचार है कि वह इसका उत्तर देने के लिए तैयार है । में केवल सुझाव दूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते : यह सदन स्पष्ट शब्दों में (चीनी···निंदा करता है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० मधु० दण्डवते : यह कुछ गंभीर मामला है जिस पर सहमति है । मैंने ट्रीजरी बैन्च के लोगों से भी बोला है ।

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिये । मैं सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करता हूं जिस पर सदन एकमत है । मैं उसी पर जा रहा हूं और यदि सदन सहमति प्रकट करता है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं ।

प्रो० मधु० दण्डवते : उसके लिए, मैं केवल तीन निवेदन सामने रख रहा हूं । मुझे सुने और आप व्यवस्था दें । मैं केवल यही कह रहा हूं कि हम घुसपैठ की निंदा करते हैं और हम चीन के उस प्रचार अभियान के प्रति खेद व्यक्त करते हैं कि हमने आक्रमण किया है···

अध्यक्ष महोदय : यह नियम बाह्य होगा ।

प्रो० मधु० दण्डवते : तीसरे, हम विधिवत् प्रस्ताव करते है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

प्रो० मधु० दण्डवंते : 1962 में तय किया गया था कि यह सदन आशा तथा विश्वास के साथ, भारतीय जमीन से आक्रान्ताओं को निकालने के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गये दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये ।

प्रो० मधु० दण्डवते : इसे पंडित नेहरू ने प्रस्तावित किया था और इस सदन ने एकमत से स्वीकार किया था । प्रो० रंगा भी सदन में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं । अनुमति नहीं है ।

प्रो० मधु० दण्डवते : मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं । आप प्रारुप को बदल सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठक करें और तत्पश्चात सब लोग मेरे पास आवें ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : महोदय, तब से बहुत कुछ घटित हुआ है । इसलिए, यद्यपि हम उस पूर्व संकल्प से सहमति प्रकट करते हैं, हमें उस पर विचार करना होगा, जो घटित हो चुका है; इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो भी उचित समझौते हम दोनों देशों के बीच करने में समर्थ हो ।

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : आपने इस विषय के बारे में मुझे बताया है । मैंने अभी अभी विदेश मंत्री को बता दिया है । वह कुछ समय बाद आयेंगे । हम बाहर बैठकर इस बारे में फैसला करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप फैसला कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरा केवल यही अनुरोध है.....

अध्यक्ष महोदय : यह अब ठीक है। यह विषय समाप्त हो गया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनकी अनुरोधपूर्ण बात का उत्तर देना चाहता हूं। मेरा, आपके माध्यम से केवल यह अनुरोध है कि आज अन्तिम दिन है। यदि इस पर बहस करनी है तो यह आज ही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है।

श्री एच० के० एल० भगत : शीघ्र ही हम अध्यक्ष के कक्ष में बैठेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और कोई फैसला लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसे अध्यादेश के माध्यम से न करें। बस। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी कुर्सी ग्रहण कर लें।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, पिछले दिन मैंने 193 के अन्तर्गत श्रीलंका पर चर्चा कराने पर जोर नहीं दिया था क्योंकि विदेशमंत्री ने वादा किया था कि सत्र के अन्तिम दिन इस पर विचार किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम श्रीलंका पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए। अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। मंत्री महोदय कम से कम इस वक्तव्य के साथ आवे कि सरकार ने श्रीलंका पर क्या रुख अपना रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को आपकी भावनाओं को बता दूंगा। कृपया आप बैठ जाये।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। हम सावधानी बरतेंगे, तभी हम इसे करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने दिल्ली के न्यायाधीशों के संबंध में एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं इसे नहीं कर सकता। यह व्यवस्था के बाहर है। अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अनुमति नहीं दी जाती है। पूरी तरह से अनुमति नहीं दी जाती है।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या सत्र को आगे और बढ़ाया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा होगा, तो यह आपकी सहमति से होगा। मैं नहीं जानता। मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे कहने का मतलब है कि सदन स्थगित होने जा रहा है। अतः मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि अंतर सत्रावधि में कोई अध्यादेश नहीं जारी किया जाएगा... (**व्यवधान**) सत्र को बढ़ाने का क्या तुक है, जब अचानक ही विधेयक को न लाने का फैसला किया

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया है ? हमें आशंका है कि वह अध्यादेश जारी करने वाली शक्ति का प्रयोग करेगी····· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। एक राजा से ज्यादा राजभक्त मत बनिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। मंत्री जी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह हमें बताइये कि सत्र को बढ़ाने के बाद भी उन्होंने इसे क्यों स्थगित किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन केवल इस उद्देश्य के लिए बढ़ाया गया था···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सरकारी पक्ष के लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं !

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : जैसा कि सदस्यों ने कहा है, सरकार का भी विचार है कि यह राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी लिए हमने शुरू से ही इस पर राष्ट्रीय सहमति के लिए गंभीर प्रयत्न किए हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है।

सरदार बूटा सिंह : दोनों सदनों के सभी विपक्षी दलों के नेता इस प्रक्रिया में शामिल थे। यह इस अवस्था तक पहुंच गया है तथा पहली बार इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 249 का सहारा लेना पड़ा है।···

प्रो० मधु दण्डवते : अनुच्छेद 258 भी। इसे मत भूलिए।

सरदार बूटा सिंह : पहली बार हम संविधान के इस उपबन्ध का सहारा लेने जा रहे हैं इसलिए हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा। अनुच्छेद 249 के अन्तरगत संकल्प को राज्य सभा में पारित करते समय कांग्रेस पक्ष के सदस्यों तथा अन्य सदस्यों ने भी एक राय व्यक्त की—विपक्षी दलों के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया—कि हम इस बात पर पर्याप्त ध्यान दें कि उन राज्यों को भी शामिल किया जाएगा जो प्रभावित हुए हैं, उनके मुख्यमंत्रियों तथा नेताओं से परामर्श किया जायेगा और हम जल्दबाजी में नहीं होंगे। यद्यपि हमें संसद ने शक्तियां प्रदान की हैं लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें विपक्षी नेताओं तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल करना चाहिए। प्रक्रिया जारी है और हमें आशा थी कि इस सत्र के अंत तक हम इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह संभव नहीं है···

प्रो० मधु दण्डवते : बहुत अच्छा।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, हम इस बात के लिए हर प्रकार की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे पूरा राष्ट्र है, इस सत्र में यह सभव नहीं होगा; अगले सत्र में हम विधेयक लायेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार के हाथ नहीं बंध जायेंगे···(व्यवधान) वह गंभीर होगी। यह एक गंभीर मामला है। यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार अपने कर्तव्य से नहीं चूकेगी। लेकिन हम इससे बचने की कोशिश करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमें किसी प्रकार के अध्यादेश का सहारा न लेना पड़े। परन्तु यदि राष्ट्रीय कर्तव्य हमें ऐसा करने को बाध्य करते हैं तब मैं सोचता हूं कि इस सदन की शुभ कामनाएं हमारे साथ हैं कि सरकार को अपना कर्तव्य पालन करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार हम सुनिश्चित करेंगे—यदि हमें वैधानिक रूप से दावा करने की अनुमति दी जाये कि जहां तक संसदीय प्रजातंत्र का संबंध है हम पूर्ण सहयोग

से कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता जी ने हमेशा विपक्ष को, इस सदन के सभी वर्गों को, इस सदन के बाहर भी, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया है और सभी राजनीतिक दलों का समावेश सुनिश्चित करके तथा अत्याधिक सहमति, व्यापक राष्ट्रीय सहमति सुनिश्चित करके एक नया युग लाने की कोशिश की है। यदि आप इस सरकार का प्रदर्शन देखें तो इससे स्पष्ट होगा कि हम राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर यथा संभव व्यापक सहमति तैयार करने की कोशिश करते रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक भी व्यापक सहमति लायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री बूटा सिंह जी, एक स्पष्टीकरण। प्रधान मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि इसे शरद कालीन सत्र से पहले नहीं लाया जाएगा। ऐसा हमने अखबार में पढ़ा है। इसका मतलब अध्यादेश नहीं जारी होंगे। उलझाकर इसे कहने की अपेक्षा साफ कहा जाए कि कोई अध्यादेश नहीं जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अपने ऊपर क्यों लेते हैं? क्या यह आपका कर्तव्य है या मेरा? मैं इससे स्वयं निपट सकता हूं।

सरदार बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य की अभी-2 कही गई इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि प्रधान मंत्री ने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे स्पष्ट होने दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : इस समय मैं गृहमंत्री के रूप में इस सदन का आशीर्वाद चाहता हूं यदि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व मुझ पर आता है तो मैं इसे पूरा करूंगा और कोई कमी नहीं छोड़ूंगा

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जम्मू व कश्मीर के सम्बन्ध में विवाद रहे हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जम्मू व कश्मीर भारत का अंग हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। यह बहुत स्पष्ट बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता है। आप कोई काम नहीं करने दोगे।

[अनुवाद]

आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं मैं स्थिति को संभाल सकता हूं। आप मुझे संभालने नहीं देते।

श्री राजकुमार राय (बोसी) : हम आपको सहयोग दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बिलकुल सहयोग नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप इसे संभालिए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख): जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। आप अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी की गई है।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा था। मैं इसे दोबारा करना नहीं चाहता। आप बहुत धृष्ट हैं। अपनी सीट पर बैठ जाइये.

श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या मुझे एक स्पष्टीकरण मांगने तक का हक नहीं है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? यदि आप उचित व्यवहार नहीं करते तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। बैठ जाइये। मैं आपको कुछ करने के लिए कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें केवल यह बता सकते हैं कि यदि कोई विधेयक ही नहीं है तो स्पष्टीकरण के लिए कुछ भी नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, यदि आप नहीं बैठते तो मुझे आपको कुछ करने के लिए कहना पड़ेगा। अपनी सीट पर बैठ जाइये। आप बहुत धृष्ट बन गये हैं। मैं आपको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या आप एक आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप सदन से चले जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने गलत समझा है। यदि कोई विधेयक नहीं है तो स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में दंगा फसाद कर रहे हैं, यह बता दीजिए.

[अनुवाद]

आपका क्या काम है। मैं स्वयं कर रहा हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह अधिसूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है सदन से बाहर चले जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस प्रकार व्यवहार करते हैं तो मैं इस सदन को कैसे चला सकता हूं ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह अनुच्छेद 370 का एक प्रश्न है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी क्या आप उन्हें मना सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उसे अनुमति नहीं दे रहा हूं । जब तक वे अपनी सीट पर नहीं बैठ जाते मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने अपनी सीट ग्रहण कर ली है मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं इससे समस्या का समाधान हो जायेगा । वह विधेयक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं । वह वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है यह उसके अनुकूल है । जब विधेयक ही स्थगित होने जा रहा है वह कह सकते हैं कि अधिसूचना बिलकुल लागू नहीं होगी ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं अधिसूचना के बारे में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : उन्हें यह कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इससे अधिक क्या कह सकते हैं ? इससे अधिक कुछ नहीं । मैं स्पष्ट कह रहा हूं और उन्होंने भी स्पष्ट कहा है ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जम्मू व कश्मीर के लोगों को स्पष्ट कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट करने के लिए क्या है ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह संविधान का उल्लंघन करता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस भद्र पुरुष की बात और अधिक नहीं सुनना चाहता ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : राज्यपाल ने इस अनुच्छेद की समय अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है...।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप इस अधिसूचना को पढ़ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक देश है और इस सदन द्वारा पारित नियम पूरे देश पर लागू होता है, यह देश के इस भाग या उस भाग पर नहीं अपितु पूरे देश पर लागू होता है । यह सदन जो भी निर्णय लेता है उसे लागू किया जाएगा । इस सदन द्वारा पारित हुए बिना कुछ भी लागू नहीं होता । यह बहुत सरल है ।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह मेरी अनुमति के बिना कहा है उसका एक भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जायेगा। और अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे आशा है कि इस सदन की इस देश के हितों की रक्षा करने की क्षमता व साहस है। और यह आवश्यक समझकर जो कुछ करता है मेरा उसमें पूर्ण विश्वास है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कृपया करके एक मिनट के लिए धैर्य रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदैव धैर्य रखता हूं। परन्तु इस माननीय सदस्य को धैर्य रखने के कहिए क्योंकि वह कभी सुनते ही नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिस बात पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वह यह है कि यदि अनुच्छेद 249 के अनुसार कोई विधान जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया जाता है तो यह···

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप क्यों नहीं सुनते ?···क्या इससे किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 का उल्लंघन होता है। सरकार की क्या राय है, उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। हम नहीं जानते कि क्या स्थिति होने जा रही है। मान लीजिए वे एक अध्यादेश जारी करते हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा। कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : विधि मंत्री को यह कहने दीजिए। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लापरवाही से कुछ नहीं किया जा रहा है। वह बहुत जिद्दी हैं और कुछ नहीं सुनते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : गृह मंत्री को यह कहने दीजिए कि इससे उल्लंघन नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह बिलकुल स्पष्ट हैं और मैं भी स्पष्ट हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि उसने ठीक कहा है तो वे विचार करना और एक आम राय जानना चाहते हैं और अभी विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं—उसे बाद में प्रस्तुत किया जायेगा···(**व्यवधान**) व्यवस्था के प्रश्न का निणय अध्यक्ष महोदय को करना है, बहुमत व्यवस्था के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता ···(**व्यवधान**)

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : तब मैं यह कहूंगा कि जब कोई भी विषय ही नहीं है तो व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है···

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या एक सदस्य स्पष्टीकरण भी नहीं मांग सकता ? जब विधेयक को ही लम्बित रखा जा रहा है तो इसके जम्मू व कश्मीर पर लागू होने की बात ही नहीं है और अनुच्छेद 370 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मजाकिया बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? मैं इसका निर्णय कर सकता हूं । क्या आप मेरा मार्ग दर्शन करेंगे । मुझे आपके मार्ग दर्शन व सहायता की आवश्यकता नहीं है । मैं इसका निर्णय ले सकता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह क्या प्रथा है ? बहुमत द्वारा व्यवस्था के प्रश्न को कभी भी हतोत्साहित नहीं किया गया है । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नामंजूर कर दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यह बात कह रहा हूं जब विधेयक ही लम्बित पड़ा है तो इसके जम्मू व कश्मीर पर लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता । वह इसे स्पष्ट क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : नामंजूर । श्री जंगा रेड्डी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप इस सदन में किसी प्रक्रिया से सम्बन्धित विवाद की अनुमति नहीं देते । यह एक संवैधानिक मामला है । आप हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं करता ।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक संवैधानिक मामला है । वे मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि उन्हें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनम कोंडा) : पिछड़े आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों का जो रिजर्वेशन बढ़ा दिया है, उस पर चर्चा के लिए आप 377 एलाऊ कीजिए । वहां पर पूरे स्कूल और कालेज बन्द हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

[अनुवाद]

यह सब ठीक है ।

श्री आशुतोष लाहा (डमडम) : एक बंगाली समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि नाडिया जिले में राजनैतिक दल साम्प्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं । यह फोटोस्टेट कापी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दीजिए । इस प्रकार नहीं ।

श्री आशुतोष लाहा : यह एक गम्भीर मामला है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें यह बिल्कुल स्पष्ट करने दीजिए कि हम इस आदेश के जम्मू-कश्मीर पर लागू होने के विरुद्ध नहीं हैं । हम चाहते हैं कि यह जम्मू व कश्मीर पर भी लागू हो ।

अध्यक्ष महोदय : जहां भी यह सदन चाहेगा वहीं पर यह लागू होगा ।

प्रो० मधु दंडवते : हमारा तर्क यह है कि वर्तमान में यह लागू नहीं है । विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री विनेश गोस्वामी : जिस बात पर हम स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं वह यह है कि क्या संवैधानिक नियम के किसी प्रावधान विशेष को जम्मू व कश्मीर पर लागू करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है अथवा राज्य विधान मंडल में ।

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक को प्रस्तुत किया जायेगा तब हम इस पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : महोदय, मुझे थोड़ी सी हैरानी है···

अध्यक्ष महोदय : मैं भी हैरान हूं ।

सरदार बूटा सिंह : मुझे इस बात पर हैरानी है कि मधु दण्डवते जी बिना किसी बात के एक मसला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं···(**व्यवधान**) अब आप क्यों नहीं सुनते, आप चिल्ला रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह इसलिए है क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे । मेरे व्यवस्था के प्रश्न को बहुमत ने हतोत्साहित कर दिया है ।

सरदार बूटा सिंह : पहले तो मैं यह कहने में सक्षम नहीं हूं कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न था या नहीं क्योंकि महोदय आप एक उचित ढंग से सदन का संचालन कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नामंजूर कर दिया है ।

सरदार बूटा सिंह : मेरी राय में शायद ही व्यवस्था का कोई प्रश्न हो···(**व्यवधान**)···मेरी अपनी राय है और मुझे अपनी राय अवश्य ही व्यक्त करनी चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे किसी बात का उत्तर दे रहे हैं । अब आप उनकी बात सुनिए··· चिल्लाइए मत ।

सरदार बूटा सिंह : नियमों के ज्ञान व इस सदन के कार्य-संचालन पर किसी एक सदस्य विशेष का एकाधिकार नहीं है । प्रत्येक सदस्य···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : एक माननीय सदस्य सैकड़ों बार व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है । संविधान सभा में श्री एच० वी० कामथ ने 150 बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । क्या आप इससे सहमत हैं ? वह कहते हैं कि आप हर समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते । श्री एच० वी० कामथ ने संविधान सभा में व्यवस्था का प्रश्न 150 बार उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : नियम कहता है ।

"उस समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ।"

अब सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है ।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : ऐसा कह कर माननीय विपक्षी सदस्य कल्पित विषय पर गरमी दिखा रहे हैं । अगर मुझे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें सुनिए ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय···

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह अधिसूचना काल्पनिक है ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस अधिसूचना के बारे में क्या स्थिति है ?

सरदार बूटासिंह : यह इस सदन की कार्यवाही कैसे बन गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, आप कृपया जारी रहिए ।

सरदार बूटासिंह : इस सदन से मेरा नम्र निवेदन है कि दुर्भाग्यवश कुछ दल प्रत्येक मुद्दे को समस्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं चाहे वह राष्ट्रीय महत्व का हो या क्षेत्रीय महत्व का हो ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इसके बारे में आपको निर्णय करना है, उन्हें नहीं । मंत्री अध्यक्ष के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय नहीं है । यह उनका विचार है । आप कुछ कह सकते हैं और वह कुछ कह सकते हैं । यह विनिर्णय नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह आपके अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं ।

सरदार बूटासिंह : महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि संवैधानिक प्रावधान का एक विशेष उद्देश्य के लिए पहली बार आह्वान किया जा रहा है और वह भी राष्ट्रीय हित में । महोदय, सरकार संविधान के अधीन बहुत सावधानी से कार्यवाही कर रही है । जो कुछ संविधान में दिया गया है उसका अनुसरण किया जा रहा है और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हम संविधान से बाहर नहीं जायेंगे । भारत की प्रत्येक इन्च भूमि राष्ट्र का हिस्सा है महोदय,···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कृपया हमारी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । यह विषय सदन के समक्ष नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो कुछ उन्होंने कहा है हम उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका स्पष्टीकरण कर दिया है । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे चिल्ला रहे हैं । हमें आज्ञा नहीं दी जा रही है···

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों चिल्ला रहे हैं । **(व्यवधान)**

सरदार बूटासिंह : महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि···

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया एक मिनट के लिए हमारी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सुनने की बात क्या है ? उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है । इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : मुझे पूरा करने दीजिए । अध्यक्ष ने मुझे आज्ञा दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत स्पष्ट है और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ संविधान के अधीन होगा और कुछ भी संविधान से परे नहीं होगा। यह बिल्कुल सीधी सी बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने एक निर्णय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय का कोई प्रश्न नहीं है। केवल मैं विनिर्णय दे सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे विचार से उन्होंने कहा है कि संविधान के किसी अनुच्छेद का जिसमें अनुच्छेद 370 भी शामिल है, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और मैं इससे संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब यह ठीक है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

सरदार बूटासिंह : महोदय, मैं केवल एक शब्द और कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संवैधानिक मुद्दा यह है कि जब वहां कोई चुनी हुई लोकप्रिय सरकार नहीं है क्या राज्यपाल की राज्य सरकार से बराबरी की जा सकती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो संविधान कहता है वही हो रहा है और कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कुछ अनोखी बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको कुछ कहने की आज्ञा नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह चाहता हूं कि संविधान का अनुसरण किया जाए और किसी भी कीमत पर देश की एकता को सुरक्षित रखा जाए।

सरदार बूटासिंह : इस विषय पर मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने अभी तक जो कुछ भी किया है वह भारत के संविधान के अनुसार है। कुछ भी असंवैधानिक नहीं है।

11.29 म०पू०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन अधिसूचना

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 459(अ) की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 5 अगस्त, 1986 को भारत के

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें एकमात्र हथकरघा द्वारा उत्पादन के लिए अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के आरक्षण का आदेश दिया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3104/86]

(2) पटसन विनिर्मित विकास परिषद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् 9 महीनों की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3105/86]

डाक और तार विभाग की दूरसंचार शाखा का वर्ष 1984-85 का लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से डाक और तार विभाग की दूरसंचार शाखा के वर्ष 1984-85 के लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र (प्रोद्भवन के आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3106/86]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 24 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3107/86]

दिल्ली विक्रय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1986

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत, दिल्ली विक्रय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 अगस्त, 1986 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(46)/84 वित्त (जी) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-3108/80]

———

[अनुवाद]

श्री संफुद्दनी चौधरी (कटवा) : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दे सकते हैं।

श्री संफुद्दीन चौधरी : आज अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : हम फिर मिलेंगे।

श्री संफुद्दीन चौधरी : यह एक अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचना दीजिए। मैं पता लगाऊंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : कृपया मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री संफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने के०के०तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था। मंत्री से उत्तर नहीं आया है। आपने 9 जुलाई को अपना विनिर्णय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं···अगर आप नहीं सुनते, तो मैं क्या कर सकता हूं···आप इसे मुझे दे दीजिये और मैं सुनूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : आज सत्र का अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिए और मैं सुनूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : उन्होंने आपके विनिर्णय का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी बात नहीं सुनी है। अगर आप कहते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं फिर आपकी बात सुनूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : संतुष्टी का कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें अपने हस्ताक्षर के साथ उत्तर देना है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दीजिए।

श्री संफुद्दीन चौधरी : आपने अपना विनिर्णय दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। आप मुझे फिर से लिखित में दीजिए कि ऐसा हुआ है, और मैं कार्यवाही करूंगा। अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं ?···मैं इसे अभी नहीं प्राप्त करा सकता हूं···

व्यवधान

मैंने इसे उचित तरीके से करना है। आपको मुझे लिखकर देना होगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : यह आपके निर्णय का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस सम्बन्ध में मुझे लिखना पड़ेगा कि यह अनौचित्य हुआ है। यह नियम बाह्य है और यह नहीं चाहिए, तब मैं कार्यवाही करूंगा, आप इसे मुझे दीजिए और मैं आपको अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : आपका निर्णय भी है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप में दें। मैं तब देखूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं लिख दूंगा । किन्तु कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि मंत्री जी ने आपके निर्णय का उल्लंघन किया है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अनावश्यक रूप से गुस्सा दिला रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : समस्या यह है कि आपकी नजर में आने की अपेक्षा हमें आपको बोल कर बताना पड़ता है और हम सबका गला सूख रहा है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है । आप समय के हिसाब से नहीं चल रहे । मैं सब कुछ सुनता हूं । मैंने उन सज्जन को अनुमति नहीं दी थी और उन्होंने खलबली मचा दी ? मैं क्या कर सकता हूं ? वे सुनते ही नहीं । क्या सदन में माननीय सदस्यों का ऐसा व्यवहार होना चाहिए ?

प्रो० मधु दंडवते : जब व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया जाता है, आपके द्वारा निर्णय दिए जाने की अपेक्षा वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आपको सबका ध्यान रखना चाहिए । यह केवल कुछ सदस्यों का एकाधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में दुख: है । जब सब कुछ नियंत्रण में है और हम भली प्रकार चर्चा की अनुमति देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है ? इसका कोई कारण नहीं है । मैं कभी ऐसी बात के लिए मना नहीं करता जो नियमों के अनुसार हो अथवा जो देश अथवा राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) महोदय···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती । आपको सूचना देनी होगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने आपको एक पत्र लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पत्रों पर चर्चा करने का यह समय नहीं है ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : असम सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के उल्लंघन में केन्द्रीय मंत्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध चिंता का विषय हैं और मैंने एक नोटिस भी दिया है । गृह मंत्री जी से वक्तव्य देने का अनुरोध किया जाए··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : बता देंगे ।

··· (**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री बी. एन. रेड्डी (निरयाल गुडा) : मैं नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य देना चाहता हूं । मुझे अनुमति दी जाए ·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इन सज्जन को देखिए । वे अत्यन्त वृद्ध तथा बुद्धिमान सदस्य हैं । वे क्या कर रहे हैं ? मजे की बात तो यह है कि हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है । यदि सब बातों के लिए अनुमति दे दी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात किसी के निर्वाचन क्षेत्र की होती है । आप क्या कर सकते हैं । यदि सभी कानून को अपने हाथ में लेना चाहें और पढ़ने लगें तो क्या होगा ?

वे किस दल के हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे मेरे दल के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र [—जारी]

[अनुवाद]

कर्नाटक डेयरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्नाटक डेयरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक डेयरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3109/86]

(3) राजस्थान डेयरी विकास निगम लिमिटेड जयपुर के वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष समाप्त होने के पश्चात् 9 महीनों की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 3110/86]

11.33 म०पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं:—

(एक) 'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 12 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा कुमारी सरोज खापरडे के राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्त हो जाने के कारण लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में रिक्त हुए स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति से सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य को नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उपर्युक्त समिति में कार्य करने के लिए सदन के सदस्यों में से एक सदस्य उस ढंग से निर्वाचित करने के लिए, जैसा कि सभापति महोदय निर्देश दें, कार्यवाही करे।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के सदस्य श्री जोगेश देसाई को उक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित किया गया है।"

(दो) "राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 21 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 20 अगस्त 1986 को हुई उसकी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक, 1986 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

11.34 म०पू०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं संसद के दोनों सदनों द्वारा चालू-सत्र में पारित तथा अनुमति प्राप्त तीन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक, 1986

(2) अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1986

(3) वाणिज्यक पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1986

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं आपकी अनुमति से·····

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे ? अब, सोमनाथ जी, आप इस मामले का फैसला करें। आप वकील हैं। आप प्रचारक हैं। क्या आप उन्हें मेरी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आपका गुस्सा दूर हो गया है। अब आप पहले जैसे हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे इतना कुछ इसलिए कहना पड़ा क्योंकि श्री कावुली जिद कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें अन्तिम दिन अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं कि आप पिछले दिनों कहां रहे जब सदन में इतनी शांति थी और

(व्यवधान)

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुड़ा) मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। तो फिर और क्या कहा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे···

देखिए। इन सज्जन का व्यवहार देखिए। फिर आप कहते हैं कि मैं गुस्सा करता हूं। इन्हें देखिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और यहां कि स्थिति को देखते हुए उनकी नाराजगी जायज है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ऐसा विचार है सदन में सभी व्यक्ति अच्छे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सही है ! (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : महोदय, आपको अक्सर गुस्सा आता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं महोदय, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है। उन्होंने ही शुरू किया। हर चीज की एक हद होती है। जब सीमा नहीं रहती तो जबर्दस्त प्रतिक्रिया होती है। आप अनावश्यक ही कहते हैं, संविधान से बाहर कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इन दोनों ब्लाक्स में माननीय अध्यक्ष महोदय केवल तीन व्यक्तियों को आप अपनी दोस्ती से प्रभावित कर सके हैं, तो हम पर भी उपकार होगा। एक तो सबसे ज्यादा यहां जो कुछ सारी बातें हो रही हैं— सोमनाथ दादा, नारायण जी चौबे और सैफुद्दीन चौधरी – ये तीन मेम्बर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अत्यंत शांतिप्रिय हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्या आप मेरे व्यवहार से असंतुष्ट हैं ?

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : दूसरा मेरा निवेदन है···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आज माननीय सदस्य सैफुद्दीन चौधरी जी ने लॉबी में पचास मैम्बरों के बीच

मुझसे वायदा किया था कि आज ये सारा दिन चुप रहेंगे और हाउस में आकर वायदा तोड़ दिया।···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : लॉबी में वायदा किया था, हाउस में नहीं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना होगा—

"वह वायदा ही क्या, जो वफा हो गया"

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, मेरा, तो आग्रह यही निवेदन है, आज आप विदा देने हैं। काबुली जी ने जो कुछ कह दिया हो, माननीय अध्यक्ष जी आप थोड़ा हंस करके कह दीजिए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, केंद्रीय कक्ष में दिए गए आश्वासन को बाह्य मामला माना जाना चाहिए। इसे सदन में नहीं लाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने अभी-अभी यही किया है। श्री सुल्तानपुरी।

11.38 म०पू०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : मैं, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) खादी और ग्रामोद्योग निगम आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति के अठाननवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.39 म०पू०

दून घाटी में प्रदूषण नियंत्रण के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : दून घाटी परिस्थितिकीय रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है, 40 कि०मी० विस्तृत देहरादून-मसूरी क्षेत्र में, जहां पिछले 25-30 वर्षों के दौरान, मुख्यतया अवैज्ञानिक और बेतरतीब ढंग से चूने के पत्थर

की खुदाई करने और चूना पत्थर पर आधारित औद्योगिक इकाइयों के केन्द्रीकरण के कारण दून घाटी में तेजी से पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हुआ है। खदान कार्यों से पहाड़ियों के ढाल वृक्षहीन हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक भूमि कटाव, भूस्खलन, नदी-पाटों का रुकाव, बारहमासी झरनों और जल प्रवाहों का सूखना, सूक्ष्म जलवायु इत्यादि में परिवर्तन की अधिक घटनाएं हुई हैं।

कम से कम पर्यावरणीय क्षति के साथ दून घाटी के क्रमिक आधार पर विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों सहित दूनघाटी बोर्ड का गठन अगस्त, 1981 में किया गया था। बोर्ड की अब तक पांच बैठकें हुई हैं और बोर्ड ने विशेषतया निम्न-लिखित सिफारिश है कि :

(क) दून घाटी को प्रदूषण रहित और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए;

(ख) केवल प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों जैसे चश्में, इलेक्ट्रानिकी, घड़ी निर्माण, वैज्ञानिक और चिकित्सा उपकरणों इत्यादि को एकत्र करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।

(ग) अवैज्ञानिक खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगाना और परित्यक्त खानों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाना चाहिए;

(घ) क्षेत्रीय मास्टर विकास प्लान तैयार करना चाहिए ताकि विकास प्रयासों को पर्यावरणीय सुरक्षा के अनुरूप बनाया जा सके; और

(ङ) दून घाटी के क्रमिक विकास हेतु एक समयबद्ध पुनर्जनन स्कीम तैयार करनी चाहिए।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि दून घाटी तथा देश में पारिस्थितिकीय रूप से अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में सरकार का मूल उद्देश्य क्रमिक विकास को सुनिश्चित करना है। माननीय उच्चतम न्यालय के आदेशों पर मार्च 1985 में इस हेतु, चूने के पत्थर की बेतरतीब और अवैज्ञानिक खुदाई को नियंत्रित कर दिया गया है और केवल 6 खदानों को, जिनमें पर्याप्त वैज्ञानिक ढंग से कार्य हो रहा था, उन्हें ही कार्य करने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से 936 खदान श्रमिक बेरोजगार हो गये थे जिनमें से अधिकतर बिहार/राजस्थान के प्रवासी थे। इन श्रमिकों को होने वाली संभावित कठिनाइयों को महसूस करते हुए उन्हें अन्य निर्माण कार्यों में वैकल्पिक रोजगार देने के लिए साथ-साथ व्यवस्था की गई थी और इस प्रयोजन हेतु जिला प्रशासन को 25.0 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई थी। यद्यपि 442 श्रमिकों ने ही इन रोजगारों में रहना उपयुक्त समझा और अन्य या तो अपने-अपने राज्यों में चले गए या अन्य कार्यों में लग गए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि इस क्षेत्र का चूने का पत्थर उच्च स्तर का है अतः इसका प्रयोग वहीं किया जाये जहां अत्यन्तावश्यक हो, इसे भवन निर्माण सामग्री या सीमेंट उत्पादन के रूप में प्रयोग करके बेकार नहीं करना चाहिए। इसलिए देहरादून में कार्यरत 215 चूने के भट्टों को रसायन ग्रेड के चूने के पत्थर की सप्लाई नहीं की जानी चाहिए।

देहरादून में और इसके आसपास अपरिष्कृत चूने के भट्टे का झुण्ड, देहरादून की असुरक्षित जनसंख्या, जिसमें भारी संख्या में स्कूली बच्चे और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए गंभीर वायु प्रदूषण का स्रोत हैं। प्रदूषक उद्योगों, विशेषकर सीमेंट उद्योगो के केन्द्रीकरण से दून घाटी में प्रदूषण समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू किए गए अनुबद्ध प्रमाणों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए कुछ औद्योगिक इकाइयों ने अपना काम चालू दिया है। अन्य इकाइयों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किए बिना ही तथा इसकी पूर्ण जानकारी रखते हुए भी कि लाल और सन्तरी श्रेणी में आने वाले उद्योगों को घाटी में स्थापित न किए जाने की सिफारिश की जाती है, काम चालू कर दिया है। हालांकि, यह आग्रह करते हुए कि प्रदूषक उद्योगों को घाटी में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए दून घाटी बोर्ड इस पर भी बल दे रहा है कि गैर-प्रदूषक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हर प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास न रुके परन्तु इसका पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ सामंजस्य होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि दून घाटी बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने में अधिक प्रगति नहीं हुई है, विभिन्न स्तरों पर यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में ला दिया गया है और हमें पता चला है कि राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषक उद्योगों के नियंत्रण के बारे में कुछ कार्यवाही की है। राज्य प्राधिकारियों से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

इसी बीच में, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच में सुव्यवस्थित सामंजस्य की आवश्यकता से हम पूर्णतया सचेत है। हम अपनी भूमिका में एक ओर उस स्थान की पारिस्थितिकीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं; दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि श्रमिकों को भी हानि न उठानी पड़े। हमारी सारी कार्यवाहियां इन दो सिद्धान्तों पर आधारित होंगी और अवश्य होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, इसको आप 193 में कन्वर्ट कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : टाइम कहां से लाऊं ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमको भी इसमें बात करने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम चाहते हैं कि हमको भी इसमें भाग लेने का और दो-तीन सवेदचन करने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास समय नहीं है। मैं भगवान नहीं हूं। मैं समय पैदा नहीं है। कर सकता। आप अधिवेशन का समय एक सप्ताह और बढ़वा दीजिए। यह मेरी शक्ति में नहीं है।

[हिन्दी]

यह मेरी ताकत से बाहर है।

11.45½ म० पू०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा देश के अन्य भागों में अभूतपूर्व बाढ़ और तूफान से उत्पन्न गंभीर स्थिति

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा देश के अन्य भागों में अभूतपूर्व बाढ़ और तूफान से उत्पन्न गंभीर स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : हाल की बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति हम सबके लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। कुछ राज्य भिन्न-भिन्न मात्रा में इससे प्रभावित हुए हैं—जिसके कारण जन-जीवन, सम्पत्ति और फसलों को भारी क्षति पहुंची है। इससे प्रभावित राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और केरल के कुछ भाग इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह समझा जाता है कि 13 जिलों के 2685 गांव इससे प्रभावित हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 126 लोगों की जानें गई। प्रभावित गांवों में से 614 गांव अलग-थलग पड़ गए हैं। 19.27 लाख एकड़ सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 884 बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई संरचनाएं और लगभग 1.40 लाख मकानों को क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। 112 स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं और 14 पुलों के ध्वस्त हो जाने की सूचना मिली है। 17 अगस्त, 1986 को गोदावरी नदी में पानी कम होना शुरू हुआ और 20 अगस्त 1986 को सभी जगह यह खतरे के स्तर से नीचे बह रही थी, हालांकि विस्तृत क्षेत्र अभी भी पानी में डूबा हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में विपदा की पहली सूचना मिलते ही सचिव, योजना आयोग, सचिव, कृषि विभाग, सचिव, जल-संसाधन मंत्रालय, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने आन्ध्र प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया ताकि क्षति का तथा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों का सही जायजा लिया जा सके। विपदा की गम्भीरता को देखते हुए प्रधान मन्त्री ने स्वयं 18 अगस्त, 1986 को आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और राज्य के अधिकारियों के साथ की गई चर्चा के आधार पर प्रधान मन्त्री ने राज्य सरकार को स्थिति का सामना करने के लिए तत्काल केन्द्रीय सहायता देने की घोषणा की। निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है—

1. साधनोपाय अग्रिम राशि के रूप में 30.00 करोड़ रुपए शीघ्र ही निर्मुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

2. 50,000 मीटरी टन चावल की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त कर दी गई है।

3. 10,000 किलोलीटर अतिरिक्त मिट्टी का तेल, जिसमें से 5,000 किलोलीटर चालू माह के दौरान और शेष सितम्बर में, निर्मुक्त करने के आदेश दे दिए गए हैं।

4. 5,000 मीटरी टन खाद्य पामोलीन तेल के निर्मुक्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।

5. राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर अल्पावधि धान के बीजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राज्य प्रभावित इलाकों में धान के पौधों की रोपाई पुनः कर सके।

बाढ़ के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सही और समय पर दी गई पूर्व सूचना और चेतावनी से आन्ध्र प्रदेश के प्राधिकारियों को आने वाली विपदा के बारे में लोगों को सतर्क करने में मदद मिली। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रभावित लोगों की विपत्ति को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना बचाव और राहत कार्यों में राज्य सरकार के तंत्र की सहायता में जुटी हुई हैं। लगभग 8.20 लाख आबादी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और 4.34 लाख खाने के पैकेट वायुयान द्वारा गिराये गए हैं। 15 हैलीकाप्टर, 357 नौकाएं/जलयान, 514 चिकित्सा दल और 307 पशु चिकित्सा दल इस कार्य में जुटे हैं।

केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि मुख्य नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने के कारण पाम्बा, मनीमाला और अचनकोविल नदियों के किनारे-किनारे आकस्मिक और व्यापक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। इसके परिणाम स्वरूप, ऐलिप्पी, पथनमथित्ता, एरनाकुलम और कोट्टायम जिलों में विस्तृत इलाके बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना मिली है, जिससे कृषि फसलों, मकानों, समुद्री तटबंधों स्कूल और अन्य सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा है मैं दुख के साथ सदन को सूचित कर रहा हूं कि 41 व्यक्तियों ने अपनी जानें गवाईं। केरल सरकार ने बड़ी संख्या में राहत शिविर, आपात चिकित्सा केन्द्र, मुफ्त राशन की दुकानों का आयोजन किया है और इस स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 38 जिलों में 7255 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 1,43,000 हैक्टार कृषि भूमि सहित 3,22,000 हैक्टार क्षेत्र में 17,64,000 की आबादी प्रभावित हुई है। 109 लोगों की जानें गईं और 1994 मकानों को नुकसान पहुंचा है।

राज्य सरकार ने 5 9 रक्षा केन्द्र (आउट पोस्ट्स) और 72 राहत शिविर स्थापित किए हैं और 1045 नौकाएं इस काम में जुटी हैं तथा लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

पंजाब में 24 जून से 30 जून तक मालवा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण फरीदकोट जिला प्रभावित हुआ है और भटिंडा और फिरोजपुर जिलों में भी नुकसान हुआ है। 287 गांवों में 41,000 हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है, 712 मकान पूरी तरह से और 6682 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक मनुष्य और 8 मवेशियों की मृत्यु हुई है।

बाढ़ और भारी वर्षा का अन्य राज्यों पर भी भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रभाव हुआ है। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 10 अन्य राज्यों में 27 जिलों के 2662 गांव प्रभावित हुए हैं। यह रिपोर्ट मिली है कि 33·8 लाख आबादी और 2.31 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया है। इन राज्यों में 110 जानें गई हैं। प्रभावित क्षेत्र और आबादी के आंकड़े अब भी प्राप्त हो रहे हैं।

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात ही है, राहत व्यय का वित्त पोषण आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों और उस पर सरकार द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित है। आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1985-86 से राज्यों के पास उपलब्ध वार्षिक सीमांत धनराशि 100.55 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 240.75 करोड़ रुपए सालाना कर दी गई है। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए शीघ्र कार्यवाई करने में राज्यों को मदद मिलती है।

पंजाब राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए एक ज्ञापन भेजा है। केन्द्रीय सहायता की जरूरत का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल पंजाब के दौरे के लिए पदनामित किया गया है। बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग के सम्बन्ध में किसी अन्य राज्य ने कोई ज्ञापन नहीं भेजा है।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार प्रभावित लोगों की विपत्ति को कम करने के राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने में हर संभव कदम उठायेगी।

अध्यक्ष महोदय : डा० चिन्ता मोहन

डा० चिंता मोहन खड़े हुए—

(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ रथ : उड़ीसा के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब यह आपका काम नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन्, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्य सरकार से जो विवरण हमें प्राप्त हुआ है उसे मैंने सभा में रखा है। मैं अभी भी राज्य सरकारों से रिपोर्टें मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर कोई राज्य सरकार अनुरोध करेगी तो, हम निश्चय ही उस पर अमल करेंगे··· **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपको नियमों को अवश्य जानना चाहिए। सभा आपकी मर्जीनुसार नहीं चल सकती। सभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार ही होगी और नियमों के अनुसार केवल श्री चिन्ता मोहन को ही प्रश्न पूछने की अनुमति है। आपको अनुमति नहीं है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। श्री आचार्य, मेरे पास समय नहीं है। आप कुछ बातें समझते क्यों नहीं हैं ? यह एक मूल बात है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने स्थान ग्रहण करें···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु मोदी, अनुमति नहीं है। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ?···

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप मदद करवायें···

अध्यक्ष महोदय : मदद दूसरी बात है।

[अनुवाद]

किंतु हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसकी सबको अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

कृषि मंत्री (डा० जी० एस ढिल्लों) : क्या मैं एक मिनट ले सकता हूं ? अध्यक्ष महोदय, विवरण में हमने आंध्र प्रदेश में मृतकों की संख्या 126 बताई। आज सवेरे रेडियो से यह समाचार आया कि यह संख्या लगभग 160 थी। हमने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से इसकी पुनः पुष्टि कराने का प्रयास किया। अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। यदि इसे बदलने की आवश्यकता हुई, तो मैं इस वाद विवाद के दौरान अवश्य इसे ही बदल दूंगा···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्ता मोहन के अतिरिक्त किसी को अनुमति नहीं है···

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने का कोई फायदा है क्या।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कर देंगे सबके लिए करेंगे।

[अनुवाद]

यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं है···

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. चिन्ता मोहन : महोदय, आज हम देखते हैं कि गंगा से कावेरी तक बाढ़ आई हुई है। आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है केरल में भी हमने बाढ़ देखी, किंतु आंध्र प्रदेश की बाढ़ असाधारण है और आंध्र प्रदेश की जनता संकट में है। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और लोग अर्द्धनग्न होकर आजकल कावेरी नदी में बह रहे हैं। गोदावरी ऐसी नदी है, जो पश्चिमी घाटों से आरम्भ होकर आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटों पर समाप्त होती है। इसमें 3,450 टी.एम.सी. जल क्षमता है जिसका केवल 5 प्रतिशत डोलेस्वरम बांध में प्रयोग होता है किंतु शेष जल समुद्र में चला जाता है। आज बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान और भारी वर्षा के कारण, हमें भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है हम आंध्र प्रदेश की जनता की आंखों में अश्रु देखते हैं। धनी लोगों के पास भी पीने को पानी नहीं वहां यह स्थिति है। न केवल आंध्र प्रदेश की जनता को अपितु पूरे राष्ट्र को आंध्र प्रदेश की जनता के इस संकट में शामिल होना है। इस स्थिति में मैं आंध्र प्रदेश की जनता के प्रति अपनी संवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूं जो इस समय संकट में हैं। हमें गोदावरी से 3,450 टी० एम० सी० जल मिल रहा है किन्तु इसमें से हम केवल 5 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास सुरम सागर परियोजना है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसमें हम इस जल का उपयोग कर सकें। आंध्र प्रदेश सरकार निरन्तर भारत सरकार को कोवलम परियोजना की स्वीकृति देने के लिए जोर डाल रही है। किन्तु सरकार के निष्ठुर और व्यर्थ के व्यवहार के कारण आज हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, "व्यर्थ" शब्द असंसदीय है। इसको वापस लिया जाना चाहिए।

12.00 मध्याह्न

उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए। क्या हम कहते हैं कि आन्ध्र सरकार "व्यर्थ" है ? उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको ऐसा कह सकते हैं।

डा० चिन्ता मोहन : मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पोलावरम परियोजना आरम्भ करे। उनको इसकी ओर ध्यान देना होगा क्योंकि आन्ध्र की जनता संकट में है और 160 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, बहुत से लोग घायल हो गए हैं और 2690 ग्रामीणों से अधिक आज डूब गए हैं ग्रामों तथा देश के शेष भाग के बीच कोई सम्पर्क नहीं है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : प्रधानमन्त्री ने उसी समय 30 करोड़ रुपये दिए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : हमें इसकी बहुत चिन्ता है। प्रधानमन्त्री ने पहले ही वहां का दौरा किया है और पहले ही 30 करोड़ रुपये दिये हैं।

डा० चिन्ता मोहन : लगभग 1,11,000 लोगों के मकानों को पूरी तरह क्षति पहुंची है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, वह उनके प्रधानमन्त्री नहीं हैं। प्रधानमन्त्री तो समस्त देश के हैं। उन्होंने दान तो नहीं दिया। उन्होंने जो दिया वह अपर्याप्त है। इसका राज्य द्वारा जिस संकट का सामना किया जा रहा है उसके मुकाबले यह कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, वह ऐसा क्यों कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह विषय बहुत गम्भीर है·····

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आप क्यों अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री रघुमा रेड्डी जी आप जानते हैं कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाती। मैंने डा० चिन्ता मोहन के इलावा किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह ऐसा क्यों कह रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें चुप करा सकता हूं ? मैं आपसे और उनसे विवेक से काम लेने की अपील करता हूं कि कुछ तो सामान्य बात समझें।

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, पोलावरम परियोजना पर·····

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्ता मोहन जी आपको जनता की कठिनाइयों और बाढ़ के कारण गरीब जनता द्वारा उठाई जा रही हानियों तथा कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बातें तो हम फिर कभी उठा सकते हैं। बांधों और इन परियोजनाओं की बात को आप बाद में भी उठा सकते हैं क्योंकि आपके पास केवल 10 मिनट हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इस बीच उस बाढ़ को नियंत्रित कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियन्त्रण में रखूंगा। उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

डा० चिन्ता मोहन : 15 और 17 को मुख्यमन्त्री ने बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। इस महीने की 19 को, भारत के प्रधान मन्त्री ने बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जाने की कृपा की और उन्होंने बाढ़-पीड़ितों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये दिए। यह सागर में एक बूंद के समान है। इस समय लगभग 900 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। किन्तु वास्तविक आंकड़े 2000 करोड़ से अधिक हैं। इस समय सम्पत्ति की वास्तविक प्रत्यक्ष क्षति लगभग 900 करोड़ रुपये की है। रेलवे, परिवहन, संचार तथा अन्य राजस्व की प्रत्यक्ष हानि अब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है कि बाढ़ को किस प्रकार रोका जा सकता है और मैं इस संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। छोटी और लम्बी अवधि के उपाय हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में संक्रामक रोग तथा हैजा फैल गया है और लोग इन संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं। वहां सुरक्षित पेय जल नहीं है। सहायता शिविर लगाए गए हैं। चिकित्सा तथा पशु रोग संबंधी चिकित्सा दल गोदावरी क्षेत्र की जनता के साथ हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है; बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है। इन परिस्थितियों में, सरकार से निवेदन करता हूं कि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता के लिए पीड़ित जनता की आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग 50 करोड़ रूपये की तत्काल सहायता दे। शीघ्र ही पशुओं के लिए चारा और कृषकों को उर्वरक दिया जाना चाहिए। तत्काल उपाय किए जाने चाहिएं जिससे वह कम से कम दिन में एक बार अपना पेट भर सकें।

लम्बी अवधि के उपाय के संबंध में, इस पोलावरम परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देनी होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि थोड़ी शालीनता बरतें ताकि जनता सुन सके कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। यह जो वर्तमान स्थिति है यह अत्यन्त दुःखद है और उन्हें आपस में बातें नहीं करनी चाहिए और इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। यह उचित नहीं है।

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, भारत सरकार को शीघ्र ही बाढ़ पीडित लोगों को और 50 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि देनी चाहिए। और साथ ही गोदावरी पुल भी उस क्षेत्र के पास पड़ता है। इसे कम से कम शीघ्र ही 5 फुट ऊपर उठाना होगा और यह काम सरकार को आरम्भ करना है। केवल ऐसा करने के बाद ही बाढ़ रुक जाएगी, निकट भविष्य में देश को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। मैं यह सुझाव भी देता हूं कि बाढ़ बीमा योजना होनी चाहिए। किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना है। इसी प्रकार भारत सरकार को बाढ़ बीमा योजना चलानी चाहिए। हर समय आप उन लोगों को पैसा देते हैं जिनकी झोपड़ियां नष्ट होती हैं। किसानों को अधिक संकट हो रहा है। उनके पशुओं और भूमि के संबंध में आपका क्या विचार है? आज भारत की हरी-भरी गोदावरी भूमि एक रेगिस्तान बन गई है। इसमें रेत ही रेत है, और उन्हें सुधारने में बहुत समय लगता है। सरकार को शीघ्र इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि किसानों को कम ब्याज दर पर लम्बी अवधि के लिए ऋण दिए जायें ताकि वह सहजता से अपनी खेती करें।

पूर्वी तट में अत्यधिक प्राकृतिक आपदायें आती हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बार बार प्रभावित होते हैं। नवम्बर के महीने मे, चक्रवात अथवा किसी प्रकार के बाढ़ का भय रहता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पूर्वी-तट बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण की व्यवस्था करने के लिए योजना बनायें जिससे बाढ़ पीड़ित जनता को तत्काल राहत मिल सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों को राहत देने के लिए लोग अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं। एक आपदा संस्था होनी चाहिए जो आंध्र प्रदेश अथवा दक्षिण में किसी स्थान पर हो जिससे वे लोग शीघ्र वहां पहुंचकर जनता के लिए तत्काल राहत सुनिश्चित कर सकें। पोलावरम परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता है। इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। (**व्यवधान**)

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आप केवल पोलावरम के सम्बन्ध में बात करते हैं। इंचमपल्ली के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है? इसको भी आरंभ करना है।

श्री चिन्ता मोहन : हां इसको भी शीघ्र सम्मिलित करना है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अपना नाम सम्मिलित करा लिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसमें सफल हुए हैं।

[**हिन्दी**]

ठीक है, जो श्री जंगा रेड्डी जी ने कहा है, वह भी रिकार्ड पर आ जाना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, आंध्र के बाढ़-पीड़ितों के साथ हम सब की भावना है और मैं समझता हूं कि जो तात्कालिक मदद प्रधान मंत्री जी ने आंध्र के बाढ़-पीड़ितों के लिए दी है, उसके लिए जहां मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा वहां मैं माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आंध्र के अन्दर बाढ़ की विभीषिका भयंकर रूप में विद्यमान है और प्रलय की सी स्थिति को देखते हुए उन्हें और मदद दी जानी चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि तात्कालिक रूप से जो पीड़ित लोग हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो सके, उनको खाने की और दवाइयों की व्यवस्था की जा सके।

महोदय, मुझे माननीय सदस्य, तिरुपति के भाषण को सुनकर बड़ा दुःख हुआ क्योंकि उन्होंने इस मानवीय प्रकरण को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। यह तो सत्य है कि 1983 से आंध्र प्रदेश अकाल से पीड़ित था लेकिन अब वहां पर प्राकृतिक विभीषिकाएं भी आने लगी हैं। लेकिन उनको टैकल करने के बजाय, उन समस्याओं का निदान करने की बजाय, राजनीतिक रंग देने और केन्द्र के खिलाफ बोलने की यदि चेष्टा की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि मान्यवर इनको सफलता मिलने वाली नहीं है।

महोदय, जहां तक आंध्र प्रदेश के लोगों का सवाल है, वहां के लोग जितने तेलुगु-देशम को प्रिय हैं और उनको जितना प्यार है, उससे ज्यादा प्यारे वे हमको हैं, भारत के सब लोगों को हैं। हम चाहते हैं कि अधिकतम मदद उनको दी जानी चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की तात्कालिक मदद आंध्र प्रदेश को दी गई है, उसी प्रकार विदर्भ, केरल के कुट्टानाड जिले और उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, जहां बाढ़ का प्रकोप बड़ा भयंकर हुआ है,

अध्यक्ष महोदय : कोटा में भी हुआ है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, आप प्रधान मंत्री जी से भी कहिए कि उनको भी मदद दी जाये।

राजस्थान के दूसरे जो इलाके हैं, उनमें, पंजाब में, हिमाचल में भी यह मदद दी जानी चाहिए। हरियाणा में भी दी जानी चाहिये।

प्रथम योजना से लेकर आज तक हम 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान बाढ़ से कर चुके हैं। केवल यदि फसल के नुकसान का हम एस्टीमेट करें तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रतिवर्ष, एक आंकलन के अनुसार, 316 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान होता है। यह इस बात से भी जाहिर हो जाता है कि छठी योजना में हमने बाढ़ नियंत्रण के कामों पर 780 करोड़ रुपया खर्च किया और उससे कई गुना अधिक 1200 करोड़ रुपया राहत के रूप में केन्द्र की सरकार ने अपनी तरफ से दिया और राज्य सरकारों ने अलग अपनी तरफ से दिया। जितना हम प्रति वर्ष राहत में रुपया खर्च करते हैं, वह आवश्यकता को इतना बलशाली बनाता है कि जहां-जहां बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित क्षेत्र हैं, जहां लगातार बाढ़ आती है, उस क्षेत्र में लोगों को बाढ़ से बचाने का कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिए।

एक एस्टीमेट के अनुसार हमारे देश की नदियां प्रतिवर्ष 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी ढोती हैं। 1952 से लेकर आज तक केवल 540 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग

हम कर पाये हैं और हमारी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। 130 मिलियन एकड़ फीट है। मैं माननीय जल-संसाधन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राज्य के मंत्रियों के साथ मिलकर जल-स्रोतों का सामुच्य प्रबन्ध करने के लिए इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर योजना बनायें और उसके लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बहुत बार यह बात उठी है कि नदियों के जल को, गंगा के जल को कावेरी में और इसी प्रकार दूसरी नदियों के जल को दूसरी नदियों में मिलाने का एक नेशनल ग्रिड बनाया जाये। इस आवश्यकता पर बल तो बहुत दिया गया, लेकिन इस स्तर तक कोशिश कभी नहीं कर पाये कि ज्यादा बड़ी कैनाल्स बना सकें, जो कि नदियों के पानी को ही नहीं, बल्कि एक कैनाल दूसरी कैनाल को जोड़ सके ताकि अतिरिक्त पानी का उपयोग हम दूसरे माध्यम से कर सकें।

एक तरफ उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में लोगों को पानी के लिए लड़ना पड़ेगा। राजस्थान, जहां का अध्यक्ष महोदय, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पानी के अकाल से पीड़ित लोगों के लिए पानी एक दुर्लभ वस्तु है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना पर विचार होना चाहिए और साथ ही साथ स्टोरिंग कैपेसिटी को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इस के बारे में भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

एक सुझाव बहुत बार आया है कि जो हमारी नदियां हैं, जिनमें बराबर बाढ़ आती रहती है उसके किनारों पर जो गरीब लोग बसते हैं, उनको दूसरी जगह बसा दिया जाये। राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा लैजिस्लेशन पास करे, कोई कानून पास करे ताकि नदी के दोनों तरफ 2,2 और 3,3 किलोमीटर तक जो लोग बसते हैं, जो अचानक बाढ़ आ जाने से हमेशा दुर्घटना के शिकार होते हैं, उनको दूसरी जगह बसाया जाये और उनके लिए आवश्यक धन का उपाय कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि इससे आप जो जन हानि होती है, उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं, चाहे धन की हानि को न रोक सकें।

इस समय जो हमारा फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम है, यह कई राज्यों में प्रभावी है जो कि हमारे कोस्टल एरियाज हैं, मगर जो दूसरे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें यह बहुत प्रभावी नहीं है। इसको और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

लैंड यूज के लिए भी कानून बनाये जाने की जरूरत है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का एक व्यापक सर्वे होना चाहिए। बहुत बार यह बात इस सदन में कही गई है कि जहां-जहां प्राकृतिक विभिषिकाएं आती हैं, चाहे सूखा पड़ता हो या बाढ़ आती हो, उन एरियाज का सर्वे करके, उस आधार परजो फैक्ट्स सामने आते हैं, उनका निदान सोचा जाए और उसके उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के आंकलन के लिए एक स्थायी कमीशन होना चाहिए तो तत्काल रिएक्ट कर सके, नहीं तो आन्ध्र प्रदेश जैसी सरकार को हमेशा शिकायत करने का मौका मिलेगा।

मुझे दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि जो राष्ट्रीय आपदा संस्थान बनाने का प्रावधान है, वह ऐसी जगह बनाना चाहिए जो कि वैल-इक्विप्ड हो ताकि समय पर आवश्यकता की पूर्ति

की जा सके। बाढ़ को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में सायल कंजर्वेशन के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे। इस समय राज्य सरकारें कुछ न कुछ काम इस दिशा में अवश्य कर रही हैं, लेकिन वहां जो कैचमेंट एरियाज हैं, उनमें जितना बड़ा काम होना चाहिए, उतना बड़ा काम नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रही है। प्रो० कुरियन।

श्री हरीश रावत : महोदय मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। बिल्कुल नहीं। आपकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रही है। जब मैं 'नहीं' कहता हूं तो उसका मतलब 'नहीं' ही होता है।

श्री हरीश रावत : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप पांच मिनट के लिए भी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

एक तो कालिंग अटेंशन का वैसे ही मजाक हो गया है। इसको आपने हॉफ-एन-ऑवर डिसकशन में बदल दिया है। इससे अच्छा था कि हम प्रश्न करते और माननीय मंत्री जी उसका जवाब देते। इसके ऊपर आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, क्या आप स्थान ग्रहण करेंगे ? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं। मैं उसी पर अमल कर रहा हूं जो फैसला आपने किया है। आप और कोई फैसला कर लें मैं उस अन्य फैसले के अनुरूप कार्य करूंगा। आप एक कार्य का फैसला करके मुझसे अन्य कार्य करने के लिए न कहें। आपने यह फैसला लिया है। यह फैसला मैंने नहीं किया है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था। जो भी कार्य मुझे सौंपा जाता है, मैं उसे करने का प्रयास करता हूं, और जब मैं उसे करता हूं तो आप मुझे रोकने का प्रयास करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह किसने किया ? क्या मैंने किया ? तो आप इसे बदल दीजिए। मैं ऐसा कर दूंगा। मुझे दोष मत दीजिए। मैं दोषी नहीं हूं। आप दोषी हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आग्यूं नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके माध्य से रिकवैस्ट कर रहा हूं और बिजनस एडवाइजरी कमेटी का ध्यान इस ओर खींच रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मुझे धोखे में रखने की कोशिश मत कीजिए।

प्रो० कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है। इससे जो तबाही तथा नुकसान हुआ है उसका उल्लेख यहां कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 125 मनुष्यों की मृत्यु हुई हैं। केरल में 41 व्यक्ति मरे हैं तथा उत्तर प्रदेश 109 व्यक्ति मरे हैं। इसके साथ-साथ सम्पत्ति, फसल आदि का भी नुकसान हुआ है।

सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि केरल में मरे लोगों की संख्या के बारे में मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी वह सही नहीं है। आपने अल्लपी, पथानामथिला, एरनाकुलम तथा कोट्टयम में हुई मौतों का उल्लेख किया है लेकिन आपने मेरे जनपद इदुक्की, जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आया हूं, की उपेक्षा की है। प्रेस रिपोर्टों तथा अन्य जानकारी के अनुसार जो मुझे जानकारी मिली है, वास्तव में इदुक्की में भी 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसे सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे ठीक कर लेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमन्त्री ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया है तथा आंध्र प्रदेश राज्य को खुले दिल से सहायता दी है।

स्वाभाविक ही वे इसके अधिकारी हैं क्योंकि वहां पर बहुत गम्भीर तबाही हुई थी। लेकिन मुझे नही मालूम कि अन्य राज्यों को सहायता क्यों नहीं दी गई है! आंध्र प्रदेश से आये मेरे मित्र शिकायत कर रहे थे कि यह सरकार बेकार है—वह सरकार जिसने उन्हें 30 करोड़ रुपए तथा अन्य सभी सहायता दी; व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे प्रधान मंत्री ने इस राज्य का दौरा किया तथा उन्हें इतनी सहायता प्रदान की। (व्यवधान) आप उसे बेकार सरकार कैसे कह सकते हैं। दूसरे राज्यों के बारे में क्या हुआ। आपने केरल को दी गयी सहायता का उल्लेख नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश को किसी सहायता के दिये जाने का जिक्र नहीं किया है; आपने पंजाब को दी गयी किसी सहायता का उल्लेख नहीं किया है। कृषि मंत्री पंजाब से हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वास्तव में आप सरकार की निंदा करने के हकदार हैं, वह नहीं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, जितना समय ये व्यवधान डालने में लें उतना अधिक समय मुझे फालतू दिया जाये।

इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर प्रदेश में 109 व्यक्ति मर गये, आपने उत्तर प्रदेश को दी गयी किसी सहायता का उल्लेख नहीं किया है। 41 जमा 13 व्यक्ति केरल में मरे लेकिन केरल को कोई सहायता नहीं दी गई है। अतः हमारी शिकायत है कि आप आंध्र प्रदेश को अधिक सहायता क्यों दे रहे हैं। (व्यवधान) इस संदर्भ में मुझे एक बात कहनी है। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सही और समय पर बाढ़ की भविष्यवाणी करने तथा खतरे की सूचना देने से आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को लोगों को सावधान करने में सहायता मिली। मैं जानना चाहता हूं कि सतर्क रहने की इस चेतावनी के बावजूद जो केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश को दी वहां 126 लोगों की कैसे मृत्यु हुई। क्या इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार सो रही थी? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : गवर्नमेंट को जितना देना चाहिए उतना दिया है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं वक्तव्य से हट कर नहीं कह रहा हूं। मैं वक्तव्य से सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को समय पर खतरे की सूचना दी गई थी। वह सरकार लोगों को काफी समय पूर्व खतरे की सूचना क्यों नहीं दे सकी तथा लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से क्यों नहीं हटा सकी। (व्यवधान)

श्री एम रघुमा रेड्डी : राज्य सरकार ने पूर्ण प्रयास किया था।

प्रो पी०जे० कुरियन : आपको काफी पहले खतरे की सूचना दे दी गयी थी; लेकिन आपने बाढ़ वाले खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को हटाने की सावधानी क्यों नहीं बरती। अतः इसकी जिम्मेदारी आप पर है।

इतना कहने के पश्चात, मैं माननीय मंत्री से केरल के बारे में जानना चाहूंगा। राजस्व मंत्री ने, जो बाढ़ राहत के प्रभारी हैं, प्रेस में घोषणा की थी कि उन्होंने केन्द्र सरकार से बाढ़ राहत सहायता के लिए निवेदन किया था। लेकिन आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि केरल राज्य से आज तक कोई भी निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मैं सही स्थिति जानना चाहूंगा कि क्या केरल सरकार ने आपसे बाढ़ राहत सहायता के लिए आपसे कोई निवेदन किया है, जैसी कि उन्होंने पहले प्रेस में घोषणा की है।

दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास बाढ़ तथा सूखे से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना है। हर वर्ष हमारे यहां बाढ़ें आती हैं और हम करोड़ों रुपए तदर्थ उपायों पर खर्च करते हैं। तदर्थ अनुदानों को देना फजूल है चाहे राज्य सरकार इसका भरपूर इस्तेमाल ही क्यों न करे। इसे हल करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए। श्री रावत गंगा कावेरी नदियों के जोड़ने का सुझाव दे रहे थे। अगर आप कर सकें तो यह एक बहुत अच्छी बात है।

केरल के संबंध में, मुझे एक सकारात्मक सुझाव देना है क्योंकि केरल में सभी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और वे थोड़े थोड़े फासलों पर हैं। आप सभी नदियों को पांच वर्ष का कार्यक्रम बनाकर जोड़ सकते हैं। अगर आप सभी नदियों को नहरों द्वारा जोड़ दें तो बाढ़ की 80 प्रतिशत समस्या हल हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पांच वर्षों में बाढ़ राहत के तदर्थ उपायों के लिए जितनी धनराशि खर्च करते हैं वह इस नहर को बनाने के लिए पर्याप्त होगी! मैं सुझाव दूंगा कि अगर राज्य सरकार भी इस बारे में नहीं लिखती है तब भी आप उनसे कृपया प्रस्ताव रखने के लिए कहें। महोदय, मैं केरल के उत्तर से दक्षिण की सभी नदियों को एक नहर से जोड़ने का सुझाव दे रहा हूं।

मैं जानना चाहता हू कि क्या बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए बीमा करने का कोई कार्यक्रम आपके पास है। जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को आप क्या सहायता दे रहे हैं? मुझे अपने चुनाव क्षेत्र से कल एक पत्र प्राप्त हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र से थोसियम्मा नाम की एक लड़की ने लिखा है कि गत वर्ष उनके पिता जो परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य थे, बाढ़ से मारे गए और घर में कोई दूसरा कमाऊ सदस्य नहीं है। वे अब भूखों मर रहे हैं। उसने एस० एस० एल० सी० प्री-डिग्री तथा टाईप परीक्षा भी पास कर ली है लेकिन बेरोजगार है।

मैं आपसे पूछता हूं - इतने सारे लोग इन सब वर्षों में बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं से मारे गये हैं। क्या आप उन पर निर्भर लोगों को कोई रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं? दूसरे, क्या आप इन आपदाओं को राष्ट्रीय आपदायें समझकर सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन करने पर विचार कर सकते हैं?

हमारे यहां, केरल में, समुद्री कटाव होता है। इसे एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर लेना चाहिए। हमारी अपनी भूमि का समुद्र द्वारा कटाव हो रहा है। समुद्री कटाव रोकने पर होने वाले संपूर्ण खर्च को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। बाढ़ राहत सहायता तथा सूखा राहत सहायता शत प्रतिशत राज्यों को दी जानी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदायें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन प्रस्तावों से सहमत हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, पर्यावरण वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुरूप एक बार फिर हमारी भूमि बाढ़ों के प्रकोप से तबाह हो रही है। हमारे देश के बहुत से विभिन्न क्षेत्र पूर्ण रूप से जलमग्न हो गये हैं तथा वहां के लोग बेघर तथा निराश्रित हो गए हैं।

यद्यपि हाल के मानसून प्रकोप के कारण देश के बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए हैंलेकिन मैं स्वयं को केरल राज्य तक सीमित रखूंगा, जहां का मैं निवासी हूं। केरल राज्य पर इस वर्ष प्राकृतिक शाप का प्रभाव लगता है। मानसून के देर से आने तथा अति सूखे से केरल राज्य में लगभग शत-प्रतिशत बिजली की कटौती से सभी उद्योग बन्द हो गये हैं और पहली फसल पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। इसके बाद राज्य के सभी जनपदों में बहुत ही तेज तथा अधिक वर्षा हुई जिससे वर्ष की दूसरी फसल जो लगभग कटाई के लिए तैयार खड़ी थी, जलमग्न हो गयी है। बाढ़, भू स्खलन, समुद्री कटाव आदि जैसी प्राकृतिक आपदायें, जहां तक केरल का सम्बन्ध है, लगातार आती रहती हैं। हाल ही में जब वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और जब वर्षा हुई तो विनाशकारी बाढ़ आ गयी। शायद ही कोई वर्ष आता है जब दोनों में से कोई न आये। केरल का सबसे बड़ा त्यौहार, 'ओणम आने वाला है। जहां तक केरल की बात है यह ओणम त्यौहार हमारे लोगों के लिए कटाई के समय का त्यौहार होता है। दुर्भाग्य से इस बार किसानों को यह त्यौहार मनाने का अवसर नही मिला है क्योंकि उनकी कोई फसल नहीं हुई है।

12.28 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

समाज का दूसरा हिस्सा जो इस मानसून से बुरी तरह प्रभावित हुआ है मछुओर है। केरल जैसे घनी आबादी वाले राज्य में मछुओर तटीय पट्टी पर किनारे-2 रहते हैं; वे छोटी छोटी छप्परदार झोपड़ियों में रहते है, मानसून के दौरान किनारों पर तेज हवायें चलती हैं और उनकी अधिकांश झोपड़ियां उजाड़ देती है। समुद्र में भी बहुत से लोग अपना जीवन गंवा बैठते हैं। निर्धनता और मुखमरी के कारण मछुआरों को मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद समुद्र में जाना पड़ता है। इस मानसून के दौरान समुद्र तट के 500 कि. मी. की लम्बाई में बुरे प्रकार का समुद्रीय क्षरण देखा गया। अलप्पी, कोट्टायम पठानमथिली, इदुक्की, कनानोट, कासरगोड़ कालीकट इत्यादि जिलों का अधिकांश भाग बाढ़ ग्रस्त रहा है।

नवीनतम समाचारों के अनुसार जो मुझे कल त्रिवेन्द्रम से प्राप्त हुए, मृत्यु संख्या 65 तक पहुंच गई है तथा राहत कार्य 1500 शिविरों में 5 लाख लोगों तक बढ़ा दिया गया है। अकेले फसल का नुकसान 30 करोड़ रुपए आंकलित किया गया है। क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 1 लाख है। सार्वजनिक सम्पति की क्षति, जैसे सड़क, पुल इत्यादि 200 करोड़ रुपए आंकलित की गई

है। यह आंकलन जल्दी में किया गया है। विभिन्न जिलों से अभी भी समाचार आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी केन्द्र से सहायता के लिए कहा है। दुर्भाग्य से मंत्री महोदय के उत्तर में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, और वह बाढ़ की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट देंगे। केरल सरकार ने राहत के लिए प्राथमिक सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपए देने की केन्द्र से अपील की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पुर्नवास कार्यों के लिए केरल राज्य को 100 करोड़ रुपए दें। इसमें सन्देह नहीं है कि बाढ़, भू-स्खलन और समुद्रीय क्षरण वनों के व्यापक स्तर पर काटे जाने के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।

यद्यपि कृषि मंत्रालय का पर्यावरण तथा वनों से बहुत कम सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न है। क्या सरकार वनों के संरक्षण के लिए अत्यधिक कड़े कानून बनाएगी ?

बिना समुचित भूमि विकास के अवैज्ञानिक ढंग से खेती करना भी व्यापक भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार समुचित सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करके भूमि विकास के लिए वैज्ञानिक कृषि कार्य को बढ़ावा देगी ?

ऐसे समय जब देश में बाढ़ आदि की स्थिति हो, सरकार को फायरब्रिगेड रुख नहीं अपनाना चाहिए।

केरल सरकार ने समुद्रतट के किनारे-किनारे 300 किमी की समुद्रीय दीवार बनाई है, परन्तु, अभी 140 किमी अभी और बनाई जानी है। केन्द्र सरकार को समुद्री दीवार के शेष भाग के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

एक बार फिर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बाढ़ राहत कार्यों के लिए केरल सरकार को 200 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करे।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, स्थिति की गम्भीरता का वर्णन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है। देश में वर्षा तथा बाढ़ के शिकार लोगों के प्रति इस सदन द्वारा व्यक्त की गई सहानुभूति में मैं भी अपने को शामिल करता हूं।

इस मानसून में आन्ध्र प्रदेश जैसा कि हर कोई जानता हूं, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। आन्ध्र प्रदेश में फसल तथा सम्पति की क्षति करोड़ों रुपए बैठेगी।

अन्य ब्यौरों में न जाते हुए मैं सरकार से पोलावरम परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए अनुरोध करुंगा। यदि पोलावरम परियोजना पूरी हो गई होती तो गोदावरी नदी का आक्रोश कम किया जा सकता था।

आन्ध्र प्रदेश के बाद केरल को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। यह दूसरा लगातार वर्ष जब हमें व्यापक स्तर पर बाढ़ से हानि हुई है। पिछले एक दशक से लगभग हर साल बाढ़ ने जीवन तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है हालांकि यह उतना व्यापक नहीं रहा है।

इस सम्बन्ध में, मैं केरल सरकार की उपेक्षा के प्रति संकेत करना चाहूंगा कि उसने केरल में बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन उपाय नहीं किए। वह तदर्थ कार्यों पर अधिक धन व्यय कर रही है तथा दीर्घकालीन समाधानों पर कम।

जब हम केरल में बाढ़ की बात करते हैं तो हम वहां व्यापक स्तर पर किए जा रहे वन कटान की ओर से आंखे नहीं मूंद सकते। संसार भर के पारिस्थि तक विदों ने कहा है कि जहां भी वनों की कटाई होती है, वहां बाढ़ तथा सूखा की संभावना हो सकती है। बिना वनों, बाढ़ों तथा सूखों के प्रभाव को कम किए इसके क्रमशः बढ़ते प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार केरल में हो रहा है। इस साल, जब मानसून एक माह पीछे आया था, सूखा की विभीषका पैदा हो गई है। केवल एक हफ्ते की भारी वर्षा के बाद, सभी नदियों में बाढ़ आ गई है। केरल में सत्ता पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण घटकों की मिली भगत से वनों का सुनियोजित विनाश हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : यह सही नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : मैं आपके दल का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : यह आपका दल है, जो मांग कर रहा है कि अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत उत्पन्न करें।

प्रो० पी०जे०कुरियन : वर्तमान सरकार के आने के बाद, भूमि का एक इन्च भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरुप : इस संबंध में मैं, केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केरल में किये जा रहे वन विनाश की मात्रा तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पर्यावरण विदों, तथा वैज्ञानिकों का एक उच्च शक्ति संपन्न केन्द्रीय दल केरल भेजे। केन्द्रीय दल वहां जाये और स्थिति का जायजा ले।

हमेशा की तरह, इस साल भी कुट्टनाड़ में जो केरल का चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है। माननीय मंत्री जी शायद इस बात को जानते हों। लगभग 2000 एकड़ खड़ी फसल, जो पकी थी, पानी में डूब गयी। कुट्टनाड़ क्षेत्र में 12,906 परिवारों को हटा दिया गया है तथा 256 राहत शिविर खोले गये है। कुट्टनाड़ की भौगोलिक स्थिति बड़ी विशिष्ट है। कुट्टनाड़ में कृषि भूमि तीन से आठ फुट समुद्र तल के नीचे डूब गयी है। इस पट्टी में कुल क्षेत्र 1600 वर्ग किमी है जिसमें 760 वर्ग किमी निचले भाग वाली जमीन है।

चार बड़ी नदियां केरल में बहती हैं, वे कुट्टनाड़ से होकर जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार मानसून के दौरान, जब ये नदियां पानी से भर जाती हैं तो निचला बसा हुआ कुट्टनाड़ अचानक बाढ़ की चपेट में आ जाता है। यह हो रहा है। वर्षों से कुट्टनाड़ विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें चलायी गयी। सभी असफल हुईं। दुख की बात यह है कि सभी विकास परियोजनाओं ने, जिनमें कुट्टनाड़ भर में बनायी गयी सड़कें भी शामिल है इस क्षेत्र के पर्यावरण को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है।

न केवल बाढ़ अपितु अन्य समस्यायें केरल के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। इस संबंध में मैं दुहराना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर हमें कुट्टनाड़ की मूल्यवान भूमि को बचाना है जो केरल का ध्यानागार है। गत वर्ष भी मैंने यही बात उठाई थी और अभी भी मैं माननीय मन्त्री

जी से अनुरोध करता हूं कि वह विशेषज्ञों, तथा वैज्ञानिकों का एक केन्द्रीय दल कुट्टनाड़ क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, लोगों तथा किसानों से बातचीत करने के लिये और अपने अध्ययन के आधार पर एक प्रतिवेदन देने के लिए भेजे।

दिये जाने वाले अनुदान का जहां तक संबंध है, मैं सोचता हूं कि केन्द्र सरकार उदारतापूर्वक मदद देगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्थायी अनुदान होना चाहिए। यही बात मैं कहना चाहता हूं। पिछली बार केन्द्र सरकार ने उस समय सहायतापूर्वक 138 करोड़ रूपये दिये थे जब हमारी सरकार भीषण आर्थिक संकट में थी। यह बाढ़ के शिकार लोगों को पुर्नवास देने के लिए प्रदान की गयी थी। लेकिन इसे केरल सरकार द्वारा अपने दैनिक कार्य व्यापार में अन्य उद्देश्यों में खर्च कर दी गई। मेरा सुझाव है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। जांच कराई जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : जब लोग मर रहे हैं वह अनावश्यक मुद्दे उठाना चाहते। जो सत्य नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को फसल बीमा के अन्तर्गत लाया जायेगा··· (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, सदस्यों ने जो आकांक्षा और चिंता व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं तथा यह आपदा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है अपितु इसका प्रभाव व्यापक है और इस पर पूरे देश को चिंता है। लेकिन माननीय सदस्य डा० चिन्ता मोहन द्वारा अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए जो आरोप लगाए गए हैं मैं उनका खण्डन करता हूं।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहायता करने के प्रयासों के बावजूद, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राज्य का दौरा करने के बावजूद और वहां पर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार को सहायताओं के घोषणा करने के बावजूद भी माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत सरकार का रुख कठोर रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य की ओर से यह एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए जबकि भारत सरकार संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार की पूरी सहायता करने को तैयार है।

महोदय, पूरे देश में हमारे 145 बाढ़ पूर्व सूचना केन्द्र है और जिनमें से 13 केन्द्र केंद्रघाटी में ही हैं। इन पूर्व सूचना केन्द्रों द्वारा लगभग 130 बार बाढ़ के बारे में पूर्व सूचनायें दी हैं और यही कारण है कि लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से हटाया गया था। राज्य सरकार ने कुछ लोगों को दूसरी जगह भेजा था लेकिन बाढ़ बहुत भारी होने के कारण 126 लोगों की मृत्यु हो गई।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

महोदय, माननीय सदस्य पोलावरम परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए बहुत इच्छुक थे। जब हमारे दल ने आंध्र प्रदेश का वहां दौरा किया था तब वहां के मुख्य मंत्री ने इसका उल्लेख किया था तथा केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री को बताया था कि यह भारत सरकार के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे बहुत कम लाभ होगा। उन्होंने बताया कि यह कुछ हद तक अनुप्रवाह वाली बाढ़ों को कम कर सकेगी लेकिन यह बांध की धारा के प्रतिकूल के प्रवाह की बाढ़ों में वृद्धि भी कर सकती है जब तक कि सुरक्षा उपाय न किये जायें। अतः ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यदि इस बांध का निर्माण कर दिया जायेगा तो इससे स्थायी रूप से बाढ़ों को रोका जा सकेगा। लेकिन बाढ़ों को रोकना राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। भारत सरकार तो केवल उनकी सहायता कर सकती है। आवश्यक सावधानी राज्य सरकार को ही बर्तनी पड़ेगी। वे कुछ नहीं कर रही हैं। जो भी योजनायें हैं वे उन्हें उचित रूप से लागू नहीं कर रहीं हैं। वे कुछ नहीं कर रही हैं। इसलिए, हर बार, बाढ़ों के कारण नुकसान होता है। महोदय, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कौनसा व्यवस्था का प्रश्न है। आप कौन से नियम के अन्तर्गत तथा किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि केन्द्रीय मंत्री को राज्य सरकार के प्रशासन पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम बताइये। नहीं, नहीं वह नियम कौनसा है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री जी एक आक्षेप कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आक्षेप नहीं है। डा० चिन्ता मोहन ने भी यह कहा है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार की आलोचना की थी। इसमें क्या है ? यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नहीं। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा नम्र निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस पर बातचीत कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री० एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है। बात यह है कि इस सदन में केन्द्रीय सरकार के प्रशासन पर तो चर्चा की जा सकती है, टिप्पणी की जा सकती है, खेद व्यक्त किया सकता है लेकिन राज्य सरकार के प्रशासन का जिक्र नहीं किया सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं वह कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसी खास व्यक्ति पर कोई लांछन नहीं लगाया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने न केवल आक्षेप किया है बल्कि एक आरोप भी लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह किसी खास व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार से क्यों चिल्ला रहे हैं ? इस प्रकार से बोलना आपको शोभा नहीं देता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार से चला रहा हूं । मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं, मैं नियमों का पालन कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को रद्द कर दिया है ।

श्री० एस० जयपाल रेड्डी : आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुना ही नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सारी बात सुनी है । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष पीठ को हमारी बात अवश्य सुननी चाहिए । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सारी बात सुनी है ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी अभी मंत्री जी कह रहे थे कि राज्य सरकार की तरफ से कई त्रुटियां थीं । अतः यह बताना उनका कर्त्तव्य है कि ये त्रुटियां कौनसी हैं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह सिर्फ स्पष्ट कर रहे थे ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यही नहीं, वह अस्पष्ट रूप से इसी प्रकार का भाषण कर रहे थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पोलावरम् परियोजना का निर्माण करने से किसी भी प्रकार बाढ़ों को कम करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी । किसके अधिकार पर यह वक्तव्य दे रहे हैं ? किस विशेषज्ञ की राय पर वह यह वक्तव्य दे रहे हैं ? उन्हें यह बताना चाहिए । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपके व्यवस्था के प्रश्न को रद्द कर दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई असंसदीय टिप्पणी होगी तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा । आप सुनिश्चित रहिए ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ये बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : जब विधान सभाओं में भारत सरकार के कार्य निष्पादन पर उंगली उठाई जा सकती है तथा उसकी आलोचना की जा सकती है तो संसद को भी राज्य सरकार के कार्य निष्पादन पर चर्चा करने का अधिकार है । **(व्यवधान)** ऐसे दृष्टांत मौजूद हैं जब विधान सभाओं में भारत सरकार के कार्य निष्पादन की आलोचना की गई थीं तथा एक

संकल्प पारित किया गया था। तो संसद को राज्य सरकार के किसी कार्य निष्पादन पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए ? (व्यवधान) आप इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : क्या माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ पर आक्षेप कर सकते हैं ? अगर कोई हो तो आप कृपया कार्यवाही वृत्तांत देखकर उसे निकाल दें ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ! केवल नियमों के अनुसार ही नहीं, बल्कि इस सभा की परम्पराओं के अनुसार भी हम यहां केन्द्रीय सरकार के तथा किसी एक मंत्रालय के भी कार्य निष्पादन पर तो चर्चा कर सकते हैं लेकिन राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन पर चर्चा करने पर प्रतिबन्ध है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन सा प्रतिबन्ध है ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रतिबन्ध का अर्थ है निषेध। (व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : आप हमें उड़ीसा के मामले पर—कुकृत्य पर—चर्चा की अनुमति क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उन्होंने केन्द्र सरकार से धन लिया और उसे खर्च नहीं कर रहे हैं वे वहां लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे है।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : मधु दण्डवते जी हर मामले में ऐसे बोलने लगते हैं जैसे वह हर मामले में एक्सपर्ट हों। यह कोई फिजीक्स या कैमिस्ट्री का विषय नहीं है, हमें भी मालूम है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : इस सांसद को पता नहीं है कि, जहां तक व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का प्रश्न है, संविधान सभा में, श्री एच०वी० कामत ने 250 व्यवस्था के प्रश्न उठाए थे और उसके लिए डा० अम्बेडकर ने उन्हें बधाई दी थी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : कर्णाटक के चीफ मिनिस्टर हेगड़े हर रोज एक-एक किताब भेजते हैं, वह फर्जी किताबें हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ सदस्य फिजिक्स और कैमिस्ट्री को बीच में ले आते हैं। अतः मुझे उन्हें बताना पड़ता है··· (व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? मैं आपकी बात सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका एक व्यवस्था का प्रश्न है । कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने से नहीं रोक सकते । संसद में यह मेरा मूल अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताइए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह विनिर्णय दे रहे हैं । (व्यवधान)

पहले मुझे, आपसे पूछना है : क्या इस सभा में उपाध्यक्ष के रूप में आपकी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो गया है ? (व्यवधान)

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । (व्यवधान)

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह बता रहे हैं ।

प्रो० पी०जे० कुरियन : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए आपको बताना चाहिए किस नियम के अन्तर्गत ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस सभा में कितने उपाध्यक्ष हैं ?

प्रो० पी०जे० कुरियन : आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैं उनसे पूछूंगा "किस नियम के अन्तर्गत" ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरी बात सुनिए । नियम 376 के अधीन मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सभा में प्रथम लोक सभा से लेकर वर्तमान लोक सभा तक श्री मावलंकर और श्री ढिल्लों तथा उपाध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष श्री जाखड़ ने भी कई बार यह विनिर्णय दिया है कि यह सदन केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय मंत्रियों की कार्यनिष्पति पर चर्चा कर सकता है किन्तु राज्यों के मंत्रालयों की कार्यनिष्पति पर नहीं । इस तरह का विनिर्णय दिया गया है और इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि यहां तक मंत्री भी यहां इसी विनिर्णय का पालन करता है । (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्या मैं इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां आप कर सकते हैं । वह बोलने वाले हैं । वह बताएंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान विनिर्णय उनके द्वारा नहीं दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह विनिर्णय दे रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे आपसे संसदीय प्रक्रिया के बारे में पहले जानना चाहिए था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं किसी राज्य सरकार की कार्यनिष्पत्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। किन्तु इसके साथ-साथ माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिए था कि "केन्द्रीय सरकार का कठोर रवैया", मैं तो साधारणतया यह कहना चाहता था···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान, मंत्री को भी इस विनिर्णय को लागू करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करने की तरह का रुख नहीं अपनाया है। उन्होंने कहा है कि उनका मतलब यह नहीं था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : चूंकि माननीय सदस्य ने केन्द्र सरकार की आलोचना की है, इसलिए वह राज्य सरकार की आलोचना कर सकते हैं।

यह अजीब तर्क है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया मंत्री महोदय को सुनें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमान मैं पूरे जोर से कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिए है किन्तु, इसके साथ-साथ यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह कुछ योजनाओं को लागू करें और इन प्राकृतिक विपदाओं को कम करे। कई योजनाएं हैं जैसे सामाजिक वानिकी योजना, भूमि संरक्षण योजना, बांध योजना और कई दूसरी योजनाएं। अगर इन सभी योजनाओं को ठीक ढंग से लाग किया जाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि इस समय जो क्षति हुई है हम उसे कम कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और मार्च 980 तक इस पर 976 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यदि वर्ष 1985 को लें तो भारत सरकार ने मार्च, 1985 तक 1743 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और 14,162 किलोमीटर लम्बे बांध का निर्माण किया जा चुका है। 26,119 किलोमीटर लम्बी निकासी नालियों का निर्माण किया गया है, 375 कस्बों को बचाया गया है और 4696 गांवों को बसाया गया है। यह एक योजना है जिससे बाढ़ों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। इस देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ से ग्रस्त होने वाली है और इसमें से 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर भूमि को हम छठी योजना के अन्त तक बचा सकते हैं। और सातवीं योजना के दौरान भारत सरकार इस कार्यक्रम के अधीन 10 लाख हेक्टेयर भूमि को और लाना चाहती है।

जैसा कि मैंने कहा कि कई योजनाएं हैं और यदि इनको ठीक ढंग से लागू किया जाए तो हम ऐसी विपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

माननीय सदस्य चाहते हैं कि राज्य सरकार को तुरंत 50 करोड़ रुपये दिए जाएं किन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि 30 करोड़ रुपये पहले ही दिए गए हैं और राज्य सरकार को खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि जैसी अन्य सहायता भी दी जा रही है। इस प्रकार 30 करोड़ रुपये की पेशगी अर्थोपाय के रूप में दी गई है। इसके अतिरिक्त हम राज्य सरकार को 50,000 टन चावल, 5000 टन खाद्य तेल, 10,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल, 2000 टन अल्प

अवधि का धान का बीज और कीटनाशी दवायें भी आवंटित करने जा रहे हैं ताकि बाढ़ से क्षति-ग्रस्त हुई फसल को किसान पुनः लगा सके।

माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है कि यहां पर एक पूर्वी तट बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण होना चाहिए। बाढ़ नियन्त्रण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अभी बताया है। इसलिए एक पूर्वी तट बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से सिर्फ यह अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दिये गये कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कहें। इन सभी कार्यक्रमों के अधीन राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता दी गयी है।

राज्य सरकारों की मदद के लिए क्रिया विधि है। यह सब वित्तीय आयोग के कार्य क्षेत्र में है। आठवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन दिया है। जहां तक आन्ध्रप्रदेश का सम्बन्ध है उसके पास 24.5 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन के रूप में है और ये 30 करोड़ रुपये भी राज्य सरकार की मदद करेंगे। जहां हम अग्रिम धनराशि दे रहे हैं वहां हम राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की जांच करते हैं और अगर राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन है तो हम राज्य सरकार के ज्ञापन पर अन्तिम निर्णय लेते समय उस पर विचार करते हैं। यदि वे 1.00 म० प०
कठिनाई में हैं तो हम अतिरिक्त धन के अलावा शीघ्र अग्रिम धनराशि देते हैं। जिससे वे स्थिति का सामना कर सकें। आन्ध्र प्रदेश के मामले में अतिरिक्त धन पर्याप्त है। हम 30 करोड़ रुपये दे चुके हैं। मैं स्थिति का मुकाबला करने में कोई कठिनाई नहीं देखता। राज्य के पास अपने भी संसाधन हैं।

महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री हरीश रावत ने उल्लेख किया है कि गरीब लोगों को दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाना चाहिए जिससे वे बाढ़ के दौरान कष्ट न उठा सकें। वह चाहते हैं कि एक विधेयक तैयार किया जाना चाहिए तथा एक अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिससे यह कार्य किया जा सके। हमने एक आदर्श विधेयक राज्य सरकारों को भेजा है। केन्द्र ने एक आदर्श विधेयक, तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्र विधेयक तैयार किया है और राज्य सरकारों को समुचित विधान बनाने के लिए भेजा है। अब तक एक राज्य सरकार मनिपुर के सिवाय मैं समझता हूं कि सभी राज्य सरकारों ने कानून नहीं बनाया है। आदर्श विधेयक उनके पास बहुत पहले भेजा गया था। यह राज्य सरकार का काम है कि वह इसे बनाए और देखे कि कोई भी बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अपना घर न बना सके।

दूसरा सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया है वह नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में है। उन्होंने कहा कि सभी नदियों को जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे बाढ़ का खतरा कम किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। और इसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाना है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जल संसाधन मंत्रालय का काम है कि वह इस सुझाव पर विचार करे। मैं केवल एक कार्य कर सकता हूं और वह यह है कि मैं आपके सुझाव को जल संसाधन मंत्रालय तक पहुंचा सकता हूं। मैं इसे करूंगा। माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया था कि हम कुछ योजनाएं तैयार करें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं बाढ़ नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

प्रो० कुरियन ने दो या तीन सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि, सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है ? दीर्घकालिक योजना के लिए सिर्फ यही कार्यक्रम नहीं है किन्तु यहां पर और कार्यक्रम भी हैं जैसे —भूमि संरक्षण कार्यक्रम, बांध, तटबंध, जल निकास, नालियां इत्यादि के निर्माण के कार्यक्रम। किन्तु राज्य सरकारों को भी इस कार्यक्रम के लिए कुछ धन राशि नियत करनी चाहिए। किन्तु राज्य सरकारें इस धन को दूसरे काम के लिए नियत कर देती हैं और दूसरे उद्देश्यों के लिए इस धन का उपयोग करती है तथा इसकी तरफ कम ध्यान देती हैं। जब विपदा आती है तो वे सदन में चिल्लाते हैं। किन्तु इसके साथ-साथ उन्हें अपनी राज्य सरकारों को इन सभी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए कहना चाहिए। नदियों के जोड़ने के बारे में मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

फिर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को .00 प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिए। फिलहाल, यह संभव नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि सहायता का प्रतिमान का फैसला वित्त आयोग द्वारा लिया जाता है और सातवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार फिलहाज हम अतिरिक्त धन के अलावा राज्य सरकारों को बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, इत्यादि के लिए अनुदान के रूप में 75 प्रतिशत दे रहे हैं। माननीय मित्र प्रो० कुरियन ने मेरे वक्तव्य के बारे में कहा है कि राज्य सरकार ने किसी भी सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है। जब मैंने इस तरह कहा तो मेरा मतलब यह था कि राज्य सरकार का ज्ञापन हमें नहीं मिला था। हालांकि केरल राज्य सरकार ने तदर्थ सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये के लिए अनुरोध किया है और यह वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। धनराशि की स्वीकृति वित्त मंत्रालय ही देता है। इस प्रकार अनुरोध वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम उस धन राशि के दिए जाने की कब तक आशा कर सकते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं नहीं कह सकता। यह मेरे हाथ में नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय वित्त मंत्री भी यहीं हैं। वह इस धनराशि को मंजूरी दे सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जैसे ही मेरे पास फाईल थी मैंने इसे मंजूर कर दिया था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अब माननीय सदस्य को आश्वासन भी मिल गया है। मैंने यही बात कही थी।

फिर माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रन ने कहा कि केरल को 100 करोड़ दिए जाने चाहिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए, वह उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन, होने वाली क्षति राज्य का दौरा करने वाले दल की सिफारिश और राहत से सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति के विचार पर निर्भर करता है जिसमें सभी सचिव—योजना सचिव, वित्त सचिव और कृषि सचिव बैठते हैं और ये राज्य सरकार के अनुरोध, क्षति की मात्रा इत्यादि को देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं तथा सिफारिश करते हैं।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : आपने आन्ध्र प्रदेश में तो एक दल भेज दिया है किन्तु आप केरल में कोई भी दल नहीं भेज रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे राज्य सरकार से ज्ञापन मिलते ही मैं वहां एक दल भेजूंगा। यह सब राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ज्ञापन पर निर्भर करता है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यू० पी० गवर्नमैंट ने मैमोरेंडम सबमिट भी कर दिया है, पैसा भी खर्च कर दिया है, बड़ा अच्छा काम किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनको यह प्राप्त नहीं हुआ है। वह ऐसा बता रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब तक मुझे मंत्रालय में ज्ञापन नहीं मिलता है तब तक हम एक केन्द्रीय दल नहीं भेज सकते, क्योंकि केन्द्रीय दल किस आधार पर जायेगा ? केन्द्रीय दल वहां जाता है और नुकसान की जांच करता है और यह केन्द्र सरकार को दिये गये ज्ञापन पर निर्भर करता है। जब तक यह नहीं मिल जाता है, यह संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : ऐसा लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री हल्ले-गुल्ले से डरती है। आन्ध्र प्रदेश में आपने टीम को भेज दिया और दूसरी जगह नहीं भेजा।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने एक दल आन्ध्र प्रदेश सिर्फ इसलिए भेजा, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत खराब थी। आन्ध्र प्रदेश में यह अभूतपूर्व बाढ़ थी और हम राज्य सरकार की सहायता इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस प्रकार लोगों की मदद करनी होती है। यह ध्यान किये बगैर कि कौन-सा दल सत्ता में है, हमें लोगों की चिन्ता है और इसलिए हमने तुरंत कार्यवाही की। किन्तु दूसरे राज्यों के संबंध में पंजाब को छोड़कर हमें किसी अन्य राज्य से ज्ञापन नहीं मिला है और पंजाब के लिए दल एक दो दिन में जा रहा है।

वनरोपण के बारे में दूसरा बहुत अच्छा सुझाव माननीय श्री कुरूप ने दिया है। वनोरोपण बहुत जरूरी है। भारत सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारे देश की सम्पूर्ण भूमि के 33 प्रतिशत भाग में वन होने चाहिएं। किन्तु वह 18 से 20 प्रतिशत के हिसाब से हैं। इसलिए 1982 में सरकार ने एक कानून बनाया है। 1982 में हमने वन संरक्षण अधिनियम बनाया।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अधिकांश राज्य सरकारें कानून का उल्लंघन करती हैं और वे अपनी सिंचाई परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं के लिए वनों को काटती हैं। वे वृक्षों को काटकर बांधों का निर्माण करती हैं और वनों की कमी हो जाती है। लेकिन वनरोपण के लिए भूमि संरक्षण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जैसे कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्य अपना वन क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। तब उन्होंने एक उच्च शक्ति का दल भेजने की प्रार्थना की है। किसी राज्य में किसी उच्च स्तरीय दल को यह देखने के लिए भेजना कि उन होंने वनों को काटा है या नहीं, आवश्यक नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं के लिए वनों को काट रही हैं। प्रायः यह सिंचाई परियोजनाओं के लिए है। फिर भी, हमने सभी राज्य सनकारों से अनुरोध किया है कि ने अपनी

परियोजनाओं के लिए वनों को कम-से-कम काटें और उन्हें कानून के अनुसार भारत सरकार की अनुमति लेनी चाहिए··· (व्यवधान) वे सामाजिक वानिकी और वनक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

1.07 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुकरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1986

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1986, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

1.08 म० प०

लोकपाल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक से सम्बन्धित संयुक्त समिति में, श्री अमल दत्त, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री अजित कुमार साहा को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने

वाले विधेयक से सम्बंधित संयुक्त समिति में श्री अमल दत्त, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री अजित कुमार साहा को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) पेंशनरों को पेंशन, भविष्य निधि आदि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने और ऐसे भुगतानों में विलम्ब के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, शासकीय सेवकों की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो जाती है, जब वे सेवा-निवृत्त होते हैं क्योंकि सेवा-निवृत्त के तत्काल बाद न उन्हें पेंशन मिल पाती है और न प्राव्हीडेंट फंड की राशि, जो उनकी स्वत: की होती है। इसके लिये उसे वर्षों दौड़-धूप करनी पड़ती है। कभी-कभी तो इस दौड़-धूप में बेचारा काल कलवित हो जाता है। न तो उसे पेंशन और भविष्य निधि प्राप्त हो पाती है और न ही उसके कुटुम्बियों को ही। इसका एक मात्र कारण संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता ही है। जबकि इस बाबत शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि पेंशनरों को, पेंशन पर बैठते ही पेंशन एवं वे सभी सुविधायें जो शासन की ओर से दी जानी चाहियें, वह तत्काल दी जाएं और 6 माह पूर्व हिसाब तैयार कर लिया जाये।

अत: मेरा निवेदन है कि ऐसे उदासीन कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही शासन करे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों में बिल्कुल विलम्ब न हो और इस राष्ट्र व्यापी समस्या का समाधान हो सके।

(दो) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जनपद में नवोदय विद्यालयों की स्थापना एक सराहनीय प्रयास है, परन्तु इन विद्यालयों की स्थापना में जन जाति, सीमान्त पिछड़े व योजना आयोग द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत जनपदों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की एक ऐसी भूल है जिसको तत्काल सुधारा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन जनपदों में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है उन जनपदों में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपद जिन्हें योजना आयोग द्वारा विशेष क्षेत्र माना गया है, उसका नाम सम्मिलित नहीं है। पिथोरागढ़, चमोली, उत्तर काशी, टिहरी के सीमा से लगे जन जाति बाहुल्य जनपद भी इस वर्ष इस योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्तुत नहीं हो पाये हैं।

इस उपेक्षा को तत्काल दूर कर उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा एवं पिथोरागढ़ जनपदों को भी इसी वर्ष नवोदय विद्यालय खोले जाने की योजना में सम्मिलित किया जाये।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : देश के कई राज्यों में वायुदूत सेवा उपलब्ध है। उड़ीसा में इसे नियमित ढंग से शुरू किया जाना है। अगर देश में कोई ऐसा राज्य है जो इस सेवा को तत्काल शुरू कराना चाहता है तो वह उड़ीसा है, क्योंकि यह राज्य अभी तक रेलवे से जुड़ा नहीं है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण उड़ीसा अभी तक वायुसेवा से नहीं जुड़े हैं। मुख्य केन्द्र जैसे राउरकेला भुवनेश्वर, नौसेना केन्द्र चिल्का और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० सुनाबद, समुद्र पर गोपालपुर सीधी रेल सेवा से जुड़े नहीं हैं। इन स्थानों पर पहुंचने के लिए लोगों को बहुत से राज्यों से होकर कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जिससे बहुत धन व समय लगता है। पुरी एक तीर्थस्थान है। पुरी, भुवनेश्वर, बहरामपुर, जयापुर, सुनाबदा जगदलपुर (मध्यप्रदेश) को वायुदूत सेवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

इस्पात संयंत्रों को शीघ्र परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई को शीघ्र वायुदूत सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता है। बन्दरगाह दे बन्दरगाह तक वायुदूत सेवा भी आवश्यक है। हल्दिया पारादीप गोपालपुर आनसी और विशाखापत्तनम को भी वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता है।

(चार) रेल टिकटों के रद्द करने के प्रभार सम्बन्धी नवीनतम नियमों को वापस लेने की आवश्यकता

श्री एस. जी. घोलप (थाणे) : यह पता लगा है कि रेलवे बोर्ड ने जनवरी, 1986 से टिकटों को रद्द करने का प्रभार बहुत अधिक बढ़ा दिया है। टिकटों के रद्द करने सम्बन्धी नवीनतम नियमों जिन्हें जनता के रोष के भय से अभी तक अधिसूचित या प्रकाशित नहीं किया गया है के अनुसार दूसरी श्रेणी के यात्री को गाड़ी जाने के दो दिन पूर्व भी टिकट रद्द कराने पर टिकट की कीमत का प्रभार देकर 50 प्रतिशत घाटा उठाना पड़ता है इस अभूतपूर्व और अनावश्यक वृद्धि से पहले से ही उत्पीड़ित यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। कोई व्यक्ति स्थायी आरक्षण को तब तक रद्द नहीं कराना चाहता है जब तक बहुत जरूरी न हो।

इसके अलावा आम जनता का विचार है कि इससे बहुत अधिक भ्रष्टाचार बढ़ा है; टिकटों के रद्द करने का प्रभार अधिक होने के कारण ऐजेन्ट लोगों को स्थायी आरक्षण टिकटों को लगभग उसी कीमत पर बेचने का प्रलोभन देते हैं। ऐसी टिकटों को अन्तिम क्षण तक यात्रियों को आकर्षक लाभांश पर बेचा जाता है।

इसलिए मैं सरकार से इस मामले की जांच करने और टिकटों के रद्द करने सम्बन्धी नवीनतम नियमों को तुरन्त वापिस लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

(पांच) असम और देश के अन्य भागों में चाय बागानों में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं के लिए "समान कार्य के लिए समान मजूरी" सुनिश्चित करने की आवश्यकता

डा. फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : महोदय, आसाम के कुछ चाय बागानों में स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है।

यह प्रथा केवल आसाम में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी हो सकती है।

भारत सरकार को देश के विभिन्न भागों में स्थिति का पता लगाने के लिए जांच करानी चाहिए और शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

1.16 म.प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

(छः) बम्बई जैसे महानगरों में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, खाद्य तेलों, वनस्पति, चीनी मसालों आदि की कीमतों में पिछले कुछ सप्ताहों से विशेष रूप में बम्बई जैसे शहरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। थोक बाजार की अपेक्षा खुदरा कीमतें अधिक बढ़ी हैं। सब्जियों की कीमतें तो इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी उन्हें खरीदने की स्थिति में नहीं है। अतः मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री को दैनिक उपभोग की वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपभोक्ता संस्थाओं को सुदृढ करने और प्रोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। सरकार को व्यापारियों के विरुद्ध अनुचित मुनाफाखोरी के लिए कठोर कार्यवाही भी करनी चाहिए।

1.17 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(सात) उड़ीसा में बूजराज नगर स्थित ओरियन्टल पेपर मिल्स में क्लोरिन गैस का रिसाव रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, उड़ीसा में बूजराज नगर स्थित ओरियन्ट पेपर मिल में 16 अगस्त, 1986 को क्लोरिन गैस के रिसने की एक गम्भीर दुर्घटना हुई है जिससे सामान्य लोगों और मिल में काम करने वालों में तहलका मच गया है। कम से कम 31 श्रमिक प्रभावित हुए हैं और अस्पताल में दाखिल किए गए। इस वर्ष इस कारखाने में ऐसी दो दुर्घटनायें पहले ही हो चुकी हैं जिससे कई श्रमिकों की मृत्यु हुई है और अनेक श्रमिक इससे प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार एक के बाद दूसरी घटनाओं के होने से प्रबन्धकों में विश्वसनीयता नहीं बढ़ी है बल्कि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रबन्धकों को इस तरह की फैक्टरी में अपेक्षित सुरक्षा उपाय करने के लिए कोई चिन्ता नहीं है। कारखाने की मशीनरी बहुत पुरानी और अप्रचलित हो गई है और इसका उचित रख रखाव नहीं होता है। इसलिए मुख्य कारखाना निरीक्षक को इस कारखाने का पूर्ण निरीक्षण करना चाहिए और ऐसे उपचारात्मक कदम सुझाने चाहिएं जिससे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा कारखानों के प्रबन्धक पर्यावरण और पारिस्थितिकी पहलुओं की परवाह नहीं करते हैं। वास्तव में आरम्भ से ही यह फैक्टरी उड़ीसा में जल व वायु प्रदूषण में आगे रही है इससे लोगों में भारी असन्तोष और रोष है।

मुख्य कारखाना निरीक्षक की सिफारिशों और सुझावों के पालन करने तथा कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक प्रदूषण विरोधी उपाय करने के लिए सरकार को आग्रह करना चाहिए।

(आठ) चाय बोर्ड के मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय को कोयम्बतूर से हटाकर कुन्नूर ले जाने के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता

श्री पी. कुलनदईवेलू (गोदिचटीपालयम) : महोदय, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने रेस कोर्स रोड, कोयम्बतूर स्थित चाय बोर्ड के मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी के कार्यालय को यहां से कुनूर, नीलगिरी जिले में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है। पिछले दो वर्षों में इन कार्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की गई है। अन्य सुविधायें भी प्रदान नहीं की गई हैं। विभिन्न मंचों से इस बात को मंत्रालय तक बार-बार पहुंचाया गया है। सभी प्रकार के मंचों या अन्य सामग्री के लिए कोयम्बतूर व्यापारिक केन्द्र है। चाय बागान मालिकों के लिए भी कोयम्बतूर एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है क्योंकि व्यापारी लोग, और विशेषकर निर्यातक इसी स्थान पर आकर इकट्ठा होते हैं। इस कार्यालय के स्थानांतरण के आदेश को तुरन्त रद्द कर दिया जाये क्योंकि मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय कोयम्बतूर में स्थित है जो कि कर्नाटक और केरल दोनों के बीच में है। चाय बोर्ड के सदस्यों तथा छोटे बागान मालिकों के भी यही विचार हैं। अतः वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह कोयम्बतूर से कुनूर में स्थानान्तरण के आदेश को रद्द करें।

(नौ) चालू योजना की अवधि के दौरान केनिंग टाउन और कलकत्ता के बीच एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : केनिंग पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार है जो कि प्राकृतिक छटा, वनस्पति और जीव-जन्तु बाघ परियोजना पर्यटकों के लिए एक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है यद्यपि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से तथा औद्योगिक दृष्टि से ही पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि दूर-संचार के क्षेत्र में भी पिछड़ा है। यह तो भाग्य की विडम्बना है कि देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र ग्रामीण पश्चिम बंगाल है जो कि दूर-संचार साधनों में सबसे पीछे है तथा सच तो यह है कि इस क्षेत्र में इनके संचार साधनों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जो कि आज के जेट युग में देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां तक कि सातवीं योजना में भी केनिंग जो 24-परगना जिले के सुन्दरबन में एक महत्वपूर्ण टाउन है। एस. टी. डी. सुविधाओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है जिसका मुख्यालय कलकत्ता (अलीपुर) में स्थित है। इससे पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को काफी कठिनाई तथा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों को सीधी संचार सुविधा के अभाव में छोटी सी बात के लिए भी कलकत्ता जाना पड़ता है। टेलीफोन प्रणाली बहुत ही पुरानी है तथा ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है। अब समय आ गया है जबकि सरकार केनिंग टाउन तथा कलकत्ता के बीच एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने के लिए पहल करे जिससे उस राज्य में रहने वाले निर्धन लोगों की कठिनाई को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

(दस) दिल्ली में उन किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता जिनकी भूमि सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई है

श्री भरत सिंह (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान दिल्ली में किसानों की जो भूमि सरकार एक्वायर करती है उस ओर दिलाना चाहता हूं। उस जमीन का मुआवजा

इसी ही गांव की रजिस्ट्री को देखकर तथा पड़ोस के गांवों की भी रजिस्ट्री शामिल करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

यही कारण है कि दिल्ली के किसानों को उसकी जमीन का सरकार से बहुत कम मुआवजा मिलता है और प्राइवेट कालोनाइजर खेतों की जमीन को (सौ रुपए प्रति मीटर) खरीद कर मकानों के लिए जमीन को बेच देते हैं और गैर-मंजूरशुदा कालोनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस तरफ कारपोरेशन भी कोई ध्यान नहीं देता व अन-अथराइज्ड कालोनियों पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। किसानों की जो जमीन एक्वायर की जाती है उसका दिल्ली प्रशासन जमीनों का भी अगर प्राइवेट कालोनाइजर की भांति मुआवजा दे तो अन-अथराइज्ड कालोनीज बननी बन्द हो सकती हैं। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने किसान रैली 1983 में बोट क्लब पर दिल्ली में बुलाई थी और किसानों को आश्वासन दिया था कि किसानों को कम मुआवजा मिलता है उसकी जगह उचित मुआवजा दिया जायेगा। आज भी किसानों को उनकी जमीन का कम मुआवजा दिया जा रहा है और जिस किसान की जमीन ली जाती थी उसे400 गज का बदले में प्लाट भी देते थे, उसे अब 200 गज का प्लाट दिया जा रहा है, जिससे किसानों में असंतोष फैल रहा है। उन सब किसानों को पहले की ही तरह जैसे 1983 में प्लाट दिए जाते थे उसी आधार पर दिए जायें। सरकार बिल्ट-अप एरिया को नोटिस न दे और न ही बिल्ट-अप को एक्वायर करे।

शहरीकृत गांवों और पुनर्वास कालोनियों में जो काम, सीवर पानी और बिजली के अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करा दिया जाये।

[अनुवाद]

(ग्यारह) उड़ीसा के कोरापुट जिले में भुखमरी से पीड़ित आदिवासियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न दिये जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा के कोरापुट जिले से ऐसे दुःखद समाचार मिल रहे हैं कि इस जिले के विभिन्न स्थानों के आदिवासियों की भुखमरी से मृत्यु हो रही है। जिन डाक्टरों ने इन स्थानों का दौरा किया है उन्होंने बताया है कि आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्न बिलकुल न मिलने के कारण उनकी भुखमरी से मृत्यु हुई हैं। बोरीगीमा खण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति व्याप्त होने की वजह से वहां पर जनजाति के लोग सिर्फ कंदमूल, बांस की जड़े, आम की गुठली तथा जंगली पत्तियां खाकर भूख मिटाते हैं। यह भी बताया गया है कि उस क्षेत्र के भूख-ग्रस्त गांवों को अभी तक भी खाद्यानों की आपूर्ति नहीं की गई है। विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दर पर मिलने वाला अनाज भी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस जिले में इन कार्यक्रमों पर नजर रखे ताकि इस क्षेत्र में इस भीषण स्थिति को दूर किया जा सके।

[हिन्दी]

(बारह) राजस्थान के कोटा, बूंदी,, केशोराय पाटन और अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा एवं बूंदी राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण तथा गांधी सागर व राणा प्रताप सागर के केचमेंट क्षेत्रों में अभूतपूर्व पानी आ जाने के

कारण चम्बल पर बंधे चारों बांधों —गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज—के निर्माण के बाद पहली बार ओवर फ्लो कर गए और उससे गांधी सागर से लेकर कोटा बैराज तथा कोटा शहर से केशोराय पाटन तक तथा धोलपुर तक जहां तक चम्बल नदी बहती है उन क्षेत्रों में भूमि का जबरदस्त कटाव हुआ है जिससे नदी किनारे-किनारे की लाखों हेक्टेयर भूमि जो अभी तक कृषि के काम में आती थी, खाल-खड्डरों में परिवर्तित हो गई है। जिससे हजारों लघु एवं सीमान्त कृषक भूमिहीन अकृषक बन गए हैं। कोटा शहर में कोटा बैराज से अभूतपूर्व पानी की निकासी के कारण 1500 से अधिक मकानों का नामोनिशान मिट गया है जिससे दो हजार से भी अधिक व्यक्ति बेघरबार हो गए हैं। इससे एक माह पूर्व भी अति-वृष्टि के कारण एक हजार मकान कोटा शहर में गिर गए थे। इस प्रकार कुल पीड़ित व्यक्तियों की संख्या करीब 3000 से ऊपर हो गई है। केशोराय पाटन में भी मकानों का काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के सामने इस समस्या से निपटने के लिए मुख्य बाधा पैसे की है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि ऐसी समस्या से निपटने के लिए एक रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाना चाहिए तथा जिस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव में मकानहीन व्यक्ति को मकान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि दी जाती है उसी प्रकार कोटा-बूंदी जिले के बाढ़-पीड़ितों के लिए मकान बनाने के लिए भूमि तथा अनुदान राशि तथा सस्ती दरों का ऋण अविलम्ब केन्द्रीय सरकार द्वारा दिलवाया जाना चाहिए तथा भू-संरक्षण की समस्या को युद्धस्तर पर कोटा-बूंदी जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराकर शुरू किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(तेरह) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में भसराघाट में सुवर्णरेखा पर प्रस्तावित बांध के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भसराघाट में सुवर्ण रेखा पर बांध बनाने की योजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब के कारण दांतन मोहनपुर, इगरा, बुदा, नारायणगढ़, युरियाणी, पाटनपुर, आदि खण्डों के लाखों कृषकों में चिन्ता व्याप्त हो गई है। मिदनापुर के इस पिछड़े क्षेत्र में सिर्फ 6 से 10 प्रतिशत खेती योग्य भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। इस बांध के बनने से ही यहां के अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकती है। योजना आयोग इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति कोई ना कोई बहाना लगाकर नहीं दे रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को तुरन्त स्वीकृति दे, ताकि इससे संबंधित अन्य कार्यों को तुरन्त चालू किया जा सके।

(चौदह) अलवर जिले में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार को धनराशि देने की आवश्यकता।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय, राजस्थान में अलवर शहर तथा अलवर जिले में छह तहसीलें अर्थात् अलवर, रामगढ़ तिजारा, किशनगढ़बास, मण्डावर तथा बहरोरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं।

अलवर में मस्त्य औद्योगिक क्षेत्र तथा पुराना औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं जिनमें न सिर्फ औद्योगिक उत्पादन ही होता है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

औद्योगिक विकास एवं विस्तार से अलवर शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रों की कालोनियों में अभूतपूर्व रूप से जनसंख्या बढ़ी है। अलवर शहर के निवासियों के लिए पेय जल की आपूर्ति के स्रोत एवं जलाशय वहां की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अलवर शहर के निवासी विशेष रूप से जो लाडिया, नवाबपुरा, अखहपुरा, ब्रह्मचारी, जोहादा, चमेली बाग, दिल्ली गेट तथा नई कालोनियों जैसे कि काला कुआं, डोडपुर, शिकारी-बस, रामानन्द नगर तथा सुनावा डूंगरी मोहल्ला में रहते हैं सन् 1986 में अप्रैल, मई तथा जून के महीनों में पीने के पानी की सप्लाई मात्र एक घण्टा भी नहीं मिली। अलवर जिले में दो नदियां हैं – रूपारेल तथा साहिबी। इसके लिए रूपारेल तथा साहिबी नदियों के बेसिन में पेयजल के लिए नलकूप लगाये जा सकते हैं जिससे अलवर शहर के तथा आस-पास के गांवों में पेयजल की सप्लाई की जा सके।

साहिबी नदी बेसिन से अलवर शहर तथा मंडावर, बहरोड़ा तहसीलों के गांवों एवं किशनगढ़-बास के कुछ हिस्सों को पानी की आपूर्ति की जा सकती है। रूपारेल नदी बेसिन से अलवर शहर के अलावा अलवर, रामगढ़, मालखेड़ा तथा लक्ष्मणगढ़ तहसीलों के गांवों के निवासियों को पानी की आपूर्ति की जा सकती है।

अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राजस्थान राज्य के अलवर जिले के रूपारेल और साहबी नदियों के बेसिनों में लगाए जाने वाले नलकूपों से प्राप्त होने वाले भूमिगत जल के आधार पर बनाई गई पेय जल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर धन उपलब्ध करायें।

[हिन्दी]

(पंद्रह) देश में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम लागू करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में तेजी से बेकारी बढ़ रही है जिसको लेकर देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। बेकारों की संख्या सात करोड़ तक पहुंच गई है। गांव में गरीब एवं दलित लोग काम के लिए बाहर जा रहे हैं। सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम जो बनाया गया उसमें भूमि हदबंदी, एवं न्यूनतम मजदूरी लागू करने के काम मुख्य बिन्दु हैं। लेकिन अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में यह लागू नहीं किया जा रहा है जिससे गांव में तेजी से तनाव पैदा हो गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि युद्ध स्तर पर भूमि हदबंदी कानून लागू किया जाए जिससे भूमिहीन लोगों को जमीन मिलेगी और बेकारी में कमी आयेगी तथा गांव में तनाव में कमी होगी।

(सोलह) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, भूमिगत जल का प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कई प्रांतों में उद्योगीकरण की नीति के अन्तर्गत भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है तथा मुख्यतया उत्तर प्रदेश में निरन्तर भू-जल स्रोत खारे होते जा रहे हैं तथा रिसाव के कारण यह समस्या निजी नलकूपों एवं गहरे नलकूपों को भी असफल कर रही है।

केन्द्रीय भूमि जल परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न धात्विक तत्वों (कैडनियम, मालबिडिरियम, जिंक, क्रोमियम, निकिल, लैड) की सान्द्रता भूमिगत जल में बढ़ती जा रही है तथा यह समस्या कानपुर नगर, भदोंही (वाराणसी), मथुरा लखनऊ में विशेष रूप से व्याप्त है। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों (फास्फेट, नाईट्रोजन, पोटाश, कैलशियम) की मात्रा में भी वृद्धि होती जा रही है और इससे रामपुर, लक्ष्मीपुर, गोण्डा बिजनौर इत्यादि जनपद प्रभावित हैं।

जिस प्रकार अमरीकी पर्यावरण सुरक्षा एजेन्सी ने अमेरिका में वर्ष 1979 में विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त भूमिगत जल प्रदूषण रोकने हेतु वर्ष 80 में कानूनी प्रावधान किया है, उसी तरह अपने देश में भी आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जाना लोकहित में अनिवार्य है। अतः भूमिगत जल प्रदूषण से जनता को मुक्ति दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए।

(सत्रह) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत की आवश्कता

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 377 के अधीन सरकार का ध्यान मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में सम्भावित अकाल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, अतिवृष्टि के कारण धान की बुवाई 50 प्रतिशत हो पाई है। लगातार पिछले दो महीने से पानी गिर रहा है और करीबन पूरे साल भर होने वाली वर्षा का आधे से ज्यादा पानी गिर चुका है।

अत्यधिक वर्षा के कारण 25 प्रतिशत बीज खेत में सड़ गये हैं तथा जो धान बुवाई नहीं कर सके उनके खेत खाली पड़े हैं। अब बुवाई का भी समय निकल चुका है। ऐसे भी छत्तीसगढ़ की 90 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ एक फसली क्षेत्र है तथा वह सिर्फ धान है। धान की फसल की जब बुवाई ही लोग नहीं कर पाये तो उत्पादन की अपेक्षा करना कठिन है।

ऐसे कठिन समय पर पलायन बढ़ेगा और राहत कार्यों की आवश्यता पड़ेगी।

अतः निवेदन है कि सरकार किसानों को उचित सलाह और सुविधा तुरन्त मुहैया करावे ताकि खेतिहर मजदूरों का शहर की ओर पलायन और अकाल की स्थिति से निपटा जा सके।

इसी सन्दर्भ में मैं मांग करता हूं कि सरकार किसानों के खेती सम्बन्धी सभी ऋण माफ करे।

[अनुवाद]

(अठारह) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीनन चौधरी (कटवा) : भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी काफी समय से यह मांग करते चले आ रहे हैं कि उन्हें समयबद्ध वेतनमान दिया जाये जिससे वे पदोन्नति की दृष्टि से अन्य संगठित श्रेणी-एक की सेवाओं के समकक्ष आ सके। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों ने 24 फरवरी 1986 को राजपथ से बोट क्लब तक मौन जुलूस निकालकर प्रधान मंत्रीजी को एक ज्ञापन दिया था। सरकार की निष्क्रियता से खीझकर, संघ ने एक बार फिर 10

जून, 1986 को प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा था और इसके साथ सदस्यों द्वारा उन्हें लिखे गये 200 से भी अधिक पत्रों को भेजा था जिसमें उनकी मांगों को तुरन्त लागू करने की मांग की गयी थी। सरकार ने इस व्यवहार पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 10 जुलाई, 1986 को प्रधानमंत्री को भेजे गये एक-दूसरे पत्र में संघ ने उल्लेख किया था कि अगर उनकी एक मात्र मांग 1 अगस्त, 1986 तक लागू नहीं की गयी तो वे अपने संघर्ष को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे। इसके सदस्यों से प्राप्त 200 से अधिक पत्रों को प्रधानमंत्री के पास इस पत्र के साथ भी भेजा गया था। कई प्रयासों के बावजूद सरकार ने इस सेवा के अधिकारियों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है।

भारतीय आर्थिक सेवा जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि तथा श्री वी०टी० कृष्णामाचारी, तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष, की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाने, समीक्षा करने, नियंत्रण करने तथा योजना बनाने के लिए तथा देश का तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक प्रशासन करने हेतु 1961 में स्थापित किया गया था उसे 25 वर्षों के दौरान सेवा के काडर नियंत्रण अधिकारियों के पूर्ण कुप्रबन्ध, प्रशासनिक उदासीनता तथा पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण निष्क्रिय बना दिया गया है। यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि गत 25 वर्षों में जब से यह सेवा बनी है तब से एक भी काडर रिव्यू नहीं हुआ है जबकि यह प्रति तीन वर्ष में एक बार होना चाहिए। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों में व्याप्त असंतोष तथा उनके द्वारा शुरू किए गये आंदोलन को देखते हुए मैं सरकार से मामले में तुरन्त हस्त-क्षेप कर इस सेवा के अधिकारियों की शिकायतों को तुरन्त दूर करने का आग्रह करता हूं।

(उन्नीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख और लेह जिलों में बादलों के फटने और भीषण वर्षा के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजने तथा तत्काल उपचारी उपाय करने की आवश्यकता

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, लद्दाख क्षेत्र के कई गांवों में, जिसमें लेह जनपद के बाजगो, ने शेंग, डेस्किट, लिंगशेड और फोटोक्सर तथा कारगिल जनपद की झंस्कर और कारची घाटी के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, जुलाई के अन्तिम सप्ताह तथा अगस्त, 1986 के प्रथम सप्ताह में बादलों के फटने और भीषण वर्षा के कारण 6 व्यक्तियों के मरने, बहुत से घायल होने तथा सम्पत्ति, रिहायशी मकानों, खेती, पेड़ों को भारी नुकसान होने और सैकड़ों, बकरियों, भेड़ों और दूसरे पशुओं के मरने की खबर है। लिंगशेड, फोटोक्सर तथा लुंगनाक क्षेत्र के प्रभावित गांव जनपदों में बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जो लेह और कारगिल जिला मुख्यालयों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और सरकार द्वारा राहत तथा सहायता तुरन्त नहीं पहुंचायी जा सकती। इस क्षेत्र के बहुत से दूर-दराज के इलाकों में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की हर सम्भावना है जिनकी जानकारी हमें इतने दूर-स्थित स्थानों से अभी तक न पहुंची है।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लद्दाख जनपद के लिंगशेड, फोटोक्सर युलचुंग नेरंक, तेंगयारडिगार तथा कारगिल जनपद के शून शेंदे, लुंगनाक और कारची नुल्लाह जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में वायु सेना के हैलीकाप्टरों द्वारा संभावित राष्ट्रीय आपदाओं के घटित

होने के सम्बन्ध में तथा प्रभावित लोगों को तुरन्त आवश्यक वस्तुयें तथा औषधियां आदि भिजवाने के लिए हवाई सर्वेक्षण कराया जाए। राज्य सरकार को भी शीघ्रातिशीघ्र प्रभावित लोगों को राहत तथा सहायता पहुंचाने के भी निर्देश दिए जायें और, बाढ़ तथा बादलों के फटने से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल को लद्दाख भी भेजा जाए।

(बीस) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और ग्रामीण बैंकों को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बिलासपुर और अन्य जिलों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने की आवश्यकता

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी नई शाखायें खोलने हेतु लाइसेंस देने में भारतीय रिजर्व बैंक असाधारण विलम्ब करता है जिसके परिणामस्वरूप लोगों में तथा जिन स्थानों पर इन बैंकों द्वारा शाखायें खोलने का प्रस्ताव किया जाता है भारी असंतोष फैल जाता है। हालांकि 'न्यू ब्रांच लाइसेंसिंग पालिसी' की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985 में, जबसे सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरु हुई है, की थी। फिर भी बहुत से प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं। यहां तक कि जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक को जिला सलाहकार समितियों तथा राज्य सरकारों द्वारा उचित सर्वेक्षण तथा स्वीकृति के पश्चात भेजे गये थे उनको फिर से जांच के लिए कहा गया है जिससे इन शाखाओं को खोलने में भारी विलम्ब हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी क्षेत्र इस सम्बन्ध में बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसी प्रकार से हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं हैं तथा कांगड़ा जनपद में जहां के लिए हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा नई शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए बहुत से प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं।

अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने 20 अगस्त, 1986 को नये बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर दी है ऐसे में बैंकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं की भूमिका गरीबी हटाओ तथा विभिन्न अन्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें तथा उन विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के लिए, जिनको विशेष रूप से इन चार जनपदों में तथा सामान्य तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश में खोलने का प्रस्ताव है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र लाइसेंस प्रदान करना सुनिश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक को उचित समय सीमा निश्चित करनी चाहिए, मान लो तीन माह। जिसके अन्तर्गत प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रस्ताव भेजने की तारीख के बाद इस अवधि में लाइसेंस प्रदान किए जायें।

[हिन्दी]

(इक्कीस) महाराष्ट्र के गोसीखुर्द-चन्द्रपुर, गरचीरोली और भंडारा विदर्भ क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान में बाढ़ और सिंचाई विषय राज्य सरकार पर छोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय नेता जो निर्णय लेते हैं उनके चलते अनेकों योजनायें अधूरी रह जाती हैं। स्वयं सी० डब्ल्यू० सी० कोई निर्णय नहीं ले पाती और वह राज्य सरकार का मुंह ताकती रहती है। इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। बाढ़ और

सिंचाई के लिए अधिकांश धन केन्द्रीय सरकार ही उपलब्ध करती है। इसलिए स्वयं केन्द्रीय सरकार बाढ़ और सिंचाई की सारी जिम्मेदारी उठाए तो इससे एक तो राज्यों में पैदा हो रही विषमता दूर हो सकती है और दूसरे जो योजनाएं आए दिन स्थानीय नेताओं के दबाव में राज्य सरकार बनाती और बदलती है उस स्थिति में सुधार आ सकता है। इससे राष्ट्र के पैसे का भी सदुपयोग होगा और देश को उसका पूरा लाभ मिल सकेगा।

विदर्भ में चन्द्रपुर, भंडारा एवं गढ़चिरोली जिलों की प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रोक दिए जाने के कारण यहां की जनता को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। उक्त जिलों में औसतन 68 प्रतिशत वन हैं। इन जिलों में औसत से ज्यादा वन होना जिलों की जनता का दुर्भाग्य बन गया है। बरसात अधिक होने पर बाढ़ के कारण और कम होने पर अकाल के कारण नुकसान होना यहां किसानों की नियति बन गई है। गोसीखुर्द (इन्दिरा सागर), बावनथड़ी, तुलतुली, हुमन, सतीनाला तथा प्रतापगढ़ योजनाएं पिछले कई साल से केन्द्रीय जल आयोग के पास मान्यता के लिए लटकी हुई है। मान्यता मिलने की आशा से काम शुरू कर दिया गया था और उन पर करोड़ों रुपया खर्च भी कर दिया गया। इस पैसे का भी वहां की जनता को कोई लाभ नही मिल पा रहा है।

चन्द्रपुरा, भडारा तथा गढ़चिरौली में इस बार भी बाढ़ के कारण 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और करोड़ों की फसल नष्ट हो चुकी है। गोदावरी का पानी वैनगंगा तथा उसके नालों में चढ़ रहा है। वहां पर भी बांध बनाया जाना आवश्यक है।

गोसीखुर्द पर प्रारम्भ में 230 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान था जो अब 460 करोड़ रुपए हो गया है और यदि इसी प्रकार की शिथिलता रही तो इसका निर्माण मूल्य 1000 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि चन्द्रपुरा, गढ़चिरौली और भडारा की लम्बित योजनाओं को राष्ट्रीय हित में तत्काल मान्यता दी जाए ताकि उन्हें पूरा किया जा सके।

1.40 म० प०

चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी से संबंधित प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन। क्या आप आधे घन्टे का समय लेंगे या ज्यादा समय लेंगे ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आप कृपया नियम 235 को देखें। इसके लिए हमेशा ही एक दिन या दिन का एक हिस्सा अथवा स्थिति के अनुसार समय दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आधा घन्टा भी तो दिन का एक हिस्सा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप मुझे इतना समय ही देना चाहते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इसे मोशन ही रहने दें न कि 'लूस' मोशन'

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक अच्छा मजाक है। मैं जहां तक हो सके संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड 23 (ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 2242, जो चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी को आय-कर से छूट देने के बारे में है तथा जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 18 जुलाई, 1986 को सभा पटल पर रखी गई थी, को निष्प्रभावी किया जाये। यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भी इस संकल्प से सहमत हो।"

श्रीमन्, वास्तव में यह एक असाधारण अवसर है जब सभा को ऐसे संकल्प पर विचार करने का अवसर मिला है। पिछले कई माह से कई समाचार पत्र पत्रिकाएं जैसे कलकत्ता के आनन्द बाजार समूह की पत्रिका "संडे" इंडियन एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश से प्रकाशित कई समाचार पत्र आदि बी०आई०पी० लाटरी कांड के बारे में समाचार छापते रहे हैं। ऐसी ही एक लाटरी, जिसका अता पता मालूम नहीं है, उसका नाम चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी है। आरम्भ में मैं इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के खोजी पत्रकारों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने सामने आने वाली सारी मुश्किलों के बावजूद पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई का पता लगाया।

बाल कल्याण के नाम पर एक सोसायटी द्वारा जिसके पदाधिकारी बड़े लोग हैं को काफी धोखाधड़ी की गयी है। यही नहीं इन बड़े लोगों की सरकार से भी काफी जान पहचान है।

आरम्भ में, मैं इस निजी लाटरी के संयोजकों द्वारा अपनाये गए चतुर और विलक्षण उपायों से हैरान हो गया। ये लोग इस देश के लाखों लोगों को आकर्षक प्रलोभन देकर उनकी मेहनत की कमाई, छोटे-छोटे निवेश दो रु० से 20 रु० तक हड़प लेते हैं। इसके बाद मद्रास नगर पुलिस के सिपाही श्री महालिंगम जैसे पुरस्कार विजेताओं की व्यथा और भी दुःखदायी है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के कर्मचारी मालदा जिले के उपमंडलीय स्वास्थ्य और पूर्ति नियंत्रक श्री सनत कुमार सेनगुप्त की कथा भी करुणाजनक है।

वह कहां है··· (व्यवधान) उन्हें देखा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के ही मोहम्मद हबीबुद्दीन, बिहार के छपरा जिले के बलदेव नारायण दुबे, मेरे राज्य के कुछ व्यक्तियों समेत अन्य कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सिधी जिले की चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही लाटरियों के पुरस्कार जीते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि यह सोसायटी सिधी जिले की है। मुझे बताया गया है कि वे दो प्रकार के लेटर हैड प्रयोग करते हैं। कभी वे रीवा और कभी सिधी का पता लिखते हैं। उन सबने आम डाक द्वारा नहीं, बल्कि सैन्ट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक तमिलनाडु सहकारी बैंक आदि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने-अपने इनाम वाले टिकट, इनाम पाने के लिए भेजे थे। अन्य सभी बड़े इनाम पाने वालों, चाहें वे पश्चिम बंगाल, केरल, बम्बई या तमिलनाडु के थे, उन सबका यही भाग्य रहा। उन्हें इनाम की राशि नहीं मिली, जबकि वे सोच रहे थे कि उन्होंने इनाम जीता है। लेकिन जब पैसे देने का अवसर आया तो उन्होंने मना कर दिया। इससे भी गम्भीर यह कि विभिन्न राज्यों के बैंकों और एकलों के ये सारे पत्र व्यवहार···

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। एक चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी है और एक ए० ए० इन्टरप्राइसस है जिसने लाटरी का संचालन किया था। क्या आप ए० ए० इन्टरप्राइसस के बारे में कह रहे हैं या चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी के बारे में कुछ कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मंत्री महोदय, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। घबराइये नहीं। मैं आपको पर्याप्त स्पष्टीकरण दूंगा। आपको उत्तर देने के लिए पूरा समय भी मिलेगा··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे स्पष्ट नहीं था, अतः मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हां, मेरे पास ए० ए० इण्टरप्राइसेस, जिसके कार्यालय पर आपके अधिकारियों ने छापे मारे थे, और चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी के बीच हुआ अनुबंध भी है। वित्त मंत्री जी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब आपकी बात स्पष्ट है·····अब वह स्पष्ट हैं। इस मुद्दे पर वह पूरे सदन को उलझा रहे थे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं इसका भी उत्तर दूंगा। मैं ये सारी बातें स्पष्ट करना। (व्यवधान) इससे भी गम्भीर बात यह है कि काफी समय तक इन व्यक्तियों द्वारा या बैंकों द्वारा भेजे गये पत्रों को जोकि चुरहाट बाल कल्याण सोसायटी के चेयरमैन या संयुक्त सचिव के नाम पर सिंधी या रीवा के पते पर भेजे गए थे इस बारे में सही स्थिति वित्तमंत्री को मालूम होगी— उनके विज्ञापन और टिकटों पर छपे पते के अनुसार उन्हें भेजा गया था, स्थानीय डाकघरों द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया कि इनका अता-पता मालूम नहीं है और इस नाम की कोई संस्था भी विद्यमान नहीं है।

वास्तव में यह कल्पना से भी ऊंची उड़ान है। क्या यही सब सभा में चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ये सब सही भी हैं—मैं तो अब तक ये गलत नहीं सिद्ध होता मैं इन्हें सही ही मानूंगा और यह विश्वास करना कठिन होगा कि ये सभी संस्थान पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तमिलनाडू आदि विभिन्न राज्यों के आम व्यक्ति करीब आधा दर्जन राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने में कामयाब हो जायेंगे। इस सबके लिए माननीय वित्त मंत्री जिम्मेदार हैं। इस लाटरी कांड के पीछे विशिष्ट व्यक्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को बदनाम करने में चुरहाट डाकअधिकारी और मंडलीय डाक प्राधिकारियों का भी हाथ है। लेकिन 18-7-1986 की सभा की कार्यसूची देखकर मुझे हैरानी हुई कि जब हम मानसून सत्र के लिए यहां एकत्र हुए तो वित्त मंत्रालय की ओर से मेरे मित्र श्री जनार्दन पुजारी ने क्रमांक संख्या 2242 के तहत 14 जुलाई, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी को तीन कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के लिए आयकर से छूट, देने संबंधी एक अधिसूचना सभा पटल पर रखी। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने उसी समय ही इस बारे में आपत्ति की थी जिसका कि मुझे अधिकार था और बाद में भी मैंने इस बारे में पूछताछ की थी। मेरी मुख्य आपत्ति यह थी कि

सोसाइटी को जो आय हुई थी, उस पर कर नहीं लगाया था और जिस आय पर कर न लगाया गया हो अथवा जो छिपाई गई हो उसे आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। इस तरह का कोई भी पूर्वोदाहरण नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत ऐसे मामलों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। माननीय वित्त मंत्री बार-बार कर अपवंचनों को पकड़ने पर जोर देते रहे हैं चाहें वे कोई भी हों, चाहे कितने ही बड़े पद पर हों या कितने ही ऊंचे लोगों से उनका संबंध हो। मेरा भी ऐसा ही मत था। इस दुखद अनुभव के बाद मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अपने वादों पर पक्के इरादे से— चाहे वह व्यक्ति टाटा, किर्लोस्कर, अजयसिंह या सिंधिया हो, अगर वे कानून का आयकर अधिनियम का या विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन करते हैं या अन्य कोई अपराध करते हैं तो उन पर देश के वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा ही अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें भी कानून के जाल से नहीं बचाया जाना चाहिए। इसके विपरीत खेद की बात यह है कि उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है और सरकारी तंत्र उनकी गलत गतिविधियों को पनाह देता है। यह तो ऐसा हो गया कि राह चलते उठाईगिरों को लूटने के लिए संरक्षण प्रदान करना हुआ।

यह मेरा कर्त्तव्य है कि ऐसे ही लूटों में लगी हुई चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी का पर्दाफाश करूं, जिसे कि शासन ने आयकर से छूट दी है। इसका मैंने अपने संकल्प में भी जिक्र किया है। इस सोसाइटी का गठन बाल कल्याण जैसे अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया था। लेकिन प्रश्न यह है कि किसके बच्चे और किसका कल्याण।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : बार-बार कहने के बावजूद, वह ए. एण्ड ए. इन्टरपाइसस का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह बार-बार इसे क्यों छोड़ रहे हैं? इससे सभा उलझन में है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं इस पर भी चर्चा करूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह एक गम्भीर मामला है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : इस समय मैं इसे नहीं मान रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में मंत्री गुस्सा नहीं कर सकते : वह केवल उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गुस्से का कोई प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : एक गम्भीर चर्चा चल रही है और सभा को कुछ जानकारी दी गई है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी नाम की एक संस्था है जिसने लाटरी जारी करने के लिए ए एण्ड ए इन्टरपाइसस से समझौता किया। इस लाटरी का संचालन ए एण्ड ए इन्टरपाइसस ने किया है। जबकि माननीय सदस्य प्रत्येक दफा चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी का ही नाम ले रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं उस संबंध में भी कहूंगा। मैं आप को चेतावनी दूं कि मैं भविष्य में नहीं झुकूंगा। मैं ए० ए० इंटरप्राइजिज और सोसाइटी तथा विभिन्न अन्य बातों के संबंध में बात करूंगा। (व्यवधान)

महोदय, आप जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री चाहते हैं कि यह निष्कलंक देवदूत हैं, लाटरी के ये प्रायोजक चुर्हाट सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, इन दो अर्थात सोसाइटी और ए० ए० इंटरप्राइजिज के बीच बंध समझौता है। इस संबंध में मैं बाद में बात करूंगा। जो उन्होंने किया है उससे एक नया संबंध स्थापित होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समय का ध्यान रखिए।

श्री के पी उन्नीकृष्णन : हां, अवश्य। महोदय, सोसाइटी को लाटरी से प्राप्त होने वाली आय में छूट दी जाती है, और ए० एण्ड ए० इन्टरप्राइजेज जो लाटरी का संचालन करता है, के साथ समझौता किया गया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपके प्रति आभारी हूं कि उन्होंने यह जानकारी स्वयं दी है।

सोसाइटी स्पष्टतः बहुत अच्छे उद्देश्यों से बनाई जाती है। किंतु इस देश में दुर्भाग्य से शिशु कल्याण माता-पिता के कल्याण से और माता-पिता का कल्याण शिशु कल्याण से मिल जाता है। महोदय, इस सोसाइटी ने, जिसके कार्यालय का अता-पता मालूम नहीं है जैसाकि सरकार ने और डाकघर प्राधिकारियों ने माना है, ऐसी कोई एक भी परियोजना आरम्भ नहीं की है जिसके बारे में किसी को अथवा विभिन्न प्राधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अथवा सिद्धी के. के जिला अधिकारियों को जानकारी है। यह एक पंजीकृत सोसाइटी है जो निस्संदेह मध्य प्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत हुई है, देखिए 19·1·1982 की पंजीकरण संख्या 10917 यदि शिनाख्त के संबंध में कोई संदेह है—इसी लिए मैं यह संख्या दे रहा हूं। फाइल किए गए पंजीकृत दस्तावेजों के अनुसार, सोसाइटी का कार्यालय मध्य प्रदेश के सिद्धी जिले में चुरहाट में होना चाहिए। किंतु न केवल विभिन्न लेटर हेडों और लेखन सामग्री, लाट्री टिकटों में और न केवल विज्ञापनों में कई बार इसका भी उल्लेख किया गया है कि सोसाइटी मध्य प्रदेश के रीवा में है। क्या रीवा और चुरहाट एक ही हैं ?

सोसाइटी का चेयरमेन इस सभा का एक विशिष्ट सदस्य है जिसके लिए मेरे मन में पर्याप्त आदर है और इसका मुख्य सचिव श्री अजय सिंह उर्फ राहुल है—श्री अजय सिंह उर्फ राहुल—मध्य प्रदेश विधान सभा का एक सदस्य है और अन्य पदाधिकारियों में श्री बी० पी० सिंह आदि शामिल हैं।

इस निकाय के गठन के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके सदस्यों और प्रबन्ध समिति अथवा जो भी नाम आप इसको दें का दक्षिण दिल्ली के माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह के साथ संबंध हैं जो मध्य प्रदेश के एक भूतपूर्व मंत्री तथा सत्तारूढ़ दल के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगल (सलेम) : महोदय मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे विचार में वह नाम नहीं बता सकते हैं। वह सभा के एक सदस्य का नाम नहीं बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यदि कोई आरोप है तो रिकार्ड में किसी बात का उल्लेख नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह ठीक है यदि वह नाम नहीं बताएंगे। यदि कुछ आरोप हैं तो मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिए तब मैं इसकी ओर ध्यान दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या यह कहना कोई आरोप है कि अमुक किसी व्यक्ति का संबंधी है ?

श्री के पी उन्नीकृष्णन : क्या यह कहना असंसदीय है कि श्री राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी का पुत्र है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है !

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वे समझ रहे हैं कि निंदात्मक टिप्पणी की गई है। यही तो दुःख की बात है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। **(व्यवधान)**

श्री पी आर कुमारमंगलम : हम यहां बच्चे नहीं हैं। मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं। यह इतना बचकाना नहीं है। **(व्यवधान)** हमें सिखाने का प्रयास मत कीजिए। हम मूर्ख नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह है अधिसूचना।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगल, मैं ने यह कहा है कि सदस्य के संबंध में कोई भी निंदात्मक अभियोगात्मक अथवा आरोप लगाने वाली बात नहीं कही जा सकती है। कोई भी उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

2.00 म० प०

प्रो० मधु दण्डवते : बशर्ते कि यह लिखित रूप में नहीं दिया जाए। ऐसा किया जा सकता है यदि यह लिखित रूप में दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं वह भाग जोड़ना चाहता था। यदि ऐसा करना है, तो एक नियम है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो आरोप लगाना चाहता है मुझे पूर्वसूचना देनी चाहिए तभी मैं इसकी ओर ध्यान दे सकता हूं।

श्री पी आर कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण के लिए आपके प्रति आभारी हूं किंतु आक्षेप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा कि कोई भी आक्षेप नहीं लगाया जाए। श्री उन्नीकृष्णन आप अपने विषय को आगे ले जाइए। मेरे विचार में आप नियम समझते हैं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यदि मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी का पुत्र है, तो क्या यह आरोप बनता है ? किसी के लिए भी यह कहना एक असाधारण है कि यह एक आरोप बन जाता है। यदि यह एक आरोप है तो मैं यह आरोप वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन समय का भी ध्यान रखिए।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : हां मैं करूंगा। महोदय, बाल कल्याण के लिए राशि इकठ्ठी करने हेतु मसीही लगन से प्रेरित, सोसायटी ने ऐसे हर प्रकार के सम्भव तथा नवीन तरीके अपनाये जो उन्हें मालूम है··· (व्यवधान)

महोदय : आपके लिए और पांच मिनट।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : मैं अभी समाप्त करता हूं। कृपया मुझे एक बात कहने दीजिए। महोदय, 3 दिसंबर, 1984 की भोपाल गैस दुर्घटना से पूर्व जिसे दुनियां में बदनामी मिली है और विश्व में अपने प्रकार की सबसे खराब दुर्घटना है, इस सोसायटी को यूनियन कार्बाइड द्वारा अच्छा दान मिला है जो सोसायटी के लेखाओं में 1.5 लाख रुपए स्वीकार किया गया है और दिखाया गया है, जबकि भोपाल में बहुत से लोग कहते हैं कि 15 लाख रुपए दिए गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि यूनियन काब इड द्वारा यह सोसाइटी कृपा तथा तरजीही के लिए चुनी गई ? और ऐसा कैसे हुआ कि भोपाल की राज्य सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी के जहरीले संयंत्र के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करने के पश्चात् ही ऐसी ऐसा हुआ ? और उस समय मुख्यमंत्री कौन था ? यह अपने आप एक ऐसा विषय है जिस की जांच की जानी चाहिए। मैंने सोचा था कि श्री अर्जुन सिंह जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और जिन्होंने यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों को हिरासत में लेने में असाधारण साहस तथा निश्चय दिखाया, अपने रिश्तेदारों को जो चुरहट में बाल कल्याण सोसायटी चला रहे हैं इस कलंकित कोष को लौटाने के लिए कहते। किंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना था। किंतु सोसाइटी का मुख्य कार्य प्रत्यक्ष रूप में बाल कल्याण से सम्बन्धित था जो अब लॉटरी चलाने का काम कर रही हैं। वित्त मंत्री महोदय सुनिये, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार—देखिए संख्या पांच 21011/7/83 दिनांक 26/27.6.84 जो संविधान की सातवीं अनुसूचि राज्य सूची के मद 34 के अन्तर्गत पूर्व प्रपत्रों और मार्ग निर्देशों की पुनरावृत्ति है, कि किस प्रकार लॉटरियां चलाई जाती हैं और किस प्रकार इनको अनुमति दी जानी चाहिए और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के विभिन्न अन्य प्रपत्रों के अनुसार गैर सरकारी सोसाइटियां केवल एक ही बार रैफल निकाल सकते हैं। इसकी पुष्टि आगे 1973 के मध्य प्रदेश लाटरी नियंत्रण तथा कर अधिनियम द्वारा की गई है। इस प्रकार की प्राइवेट लॉटरी अथवा रैफल की अनुमति दिल्ली के ए० एण्ड ए० एंटरप्राइज को नहीं दी गई, अनुमति सोसाइटी को दे दी गई। लाइसेंसधारी और आयोजक अथवा उप एजेंट अथवा एजेंट के बीच जिस प्रकार का भी कानूनी समझौता हुआ हो मैं वित्त मंत्री से यह सुनकर चकित हुआ। अनुमति दी गई थी, और अनुमति केवल किसी भी सोसायटी को दी जा सकती है, उनको नहीं जो सच्ची अथवा नकली लाटरी टिकटें बेचते हैं और कमीशन प्राप्त करते हैं और पैसा कमाते हैं और जनता को लूटते हैं। उनका दर्जा एक एजेण्ट का है। तदनुसार अनुमति किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई थी—वह था यथार्थ उद्देश्य के लिए—जो 3 जनवरी, 1984 को सिद्धो के कलक्टर ने दिया था कि यह केवल एक ड्रा के लिए बैध है क्योंकि जैसा मैंने कहा था इसका संचालन (नियंत्रण) मध्यप्रदेश लाटरी नियंत्रण तथा कर अधिनियम 1973 द्वारा हुआ था। एक कलक्टर को भी कानून और नियमों का पालन करना होता है और वह गैर सरकारी लाटरी को एक ही ड्रा और सम्बद्ध

नियमों और प्रथाओं के अनुसार सीमित क्षेत्र में टिकट बेचने के लिए लाइसेंस दे सकते है। सोसाइटी ने अपना पहला ड्रा 14 जुलाई 1984 को किया किंतु 14.7.1984 से 7.4.1985 तक 12 ड्रा निकाले। अतः क्या आप फिर कहेंगे कि यह आरोप है यदि मैं कहूं कि उसी अवधि के दौरान, जब यह गैर कानूनी ड्रा निकाले गए तब मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री दक्षिण दिल्ली से निर्वाचित सदस्य थे?

जब शिकायतें आने लगी तो मध्य प्रदेश की छोटी बचतों और स्टेट लाट्रीज के निदेशक को इसकी जांच करने के लिए कहा गया, और मध्य प्रदेश के वित्त सचिव, श्री शिवारमन ने अपने विभाग से कहा कि सिद्धी और रीवा के कलक्टर से स्पष्टीकरण मांगे। सिद्धी के कलक्टर द्वारा सचिव चुरहाट शिशु कल्याण सोसाइटी के भेजे एक सूचना में उन्होंने कहा कि सोसाइटी ने 1973 के म०प्र० लाटरी के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, जिसे वह फार्म बी कहते हैं। सूचना में कहा गया कि सोसाइटी को केवल एक रैफल निकालना है और लाइसेंस जारी करने के पश्चात टिकट का नमूना भी दिखाना था—इसके आगे मैं उद्धरण देता हूं :

> "सोसाइटी ने न रेफल के ड्रा की तिथि के सम्बन्ध में कोई सूचना दी और न ही इस कार्यालय को नमूने का टिकट भेजा है, जो पूर्व स्वीकृत शर्तों के विपरीत है।"

कलक्टर की नोटिस से सोसाइटी के पदाधिकारियों को विशेष रूप से याद दिलाया कि यह केवल एक ड्रा के लिए था अतः इस लाइसेंस पर अगला ड्रा तथा सभी अनुवर्ती ड्रा गैर कानूनी थे। उनको अगला ड्रा न निकालने की सलाह दी थी। उनसे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों का ब्यौरा, वितरित राशि अर्जित आय तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं का ब्यौरा देने के लिए निवेदन किया गया था। किन्तु सोसाइटी के शक्तिशाली पदाधिकारियों ने नोटिस की सुनी-अनसुनी कर दी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, सिद्धी के कलक्टर, बचत तथा राज्य लाटरी के एक दर्जन से अधिक ज्ञापनों का नवम्बर 1985 तक उत्तर ही नहीं दिया गया और न ही छः महत्वपूर्ण तारों का उत्तर दिया गया। जब उनसे कहा गया कि वह केवल उस जिले तक ही सीमित रहें जहां लाइसेंस जारी किए गए, विभिन्न स्थानों पर ड्रा निकाले गए कुछ तो खुजराहों में भी निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की बात कहूंगा। मुझे अपना मामला रद्द करने के लिए उठाना है। यह भारत की संचित निधि से सम्बद्ध मामला है और इसकी अभिरक्षा संसद में निहित है जो भारत की संचित निधि से प्राप्त हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ समय न कि सारा समय देना है। आपने पहले ही 22 मिनट लिए हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : लगता है कि मेरे मित्र श्री बूटासिंह को खुजराहो में रुचि है और मेरी भी इसी में रुचि है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि हम में से बहुत से लोगों का खुजराहो में आकर्षण है विशेषकर बाल कल्याण सोसाइटी के प्रायोजकों को। महोदय, किन्तु बात यह है, लाटरी का ड्रा लाइसेंस की परिधि से कहीं बाहर करना गैर-कानूनी था। पहले को छोड़ कर सारे ड्रा अवैध ढंग से ही किए गए। यही बात मैं कह रहा हूं और जैसा मैंने कहा यह

अवैध ड्रा अथवा इनसे प्राप्त रकम किसी भी प्राधिकार द्वारा वैध नहीं बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य था कि पदाधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता के (खंड 294 क) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाए। इसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है :

"जो कोई ऐसी कोई लाटरी जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

देश के कानून के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे गैर-कानूनी ड्रा अथवा गैर-कानूनी लाटरी को पूर्ववर्ती मान्यता दी जा सकती है यह कानून का एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है। मैं इस मुद्दे पर प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनना चाहूंगा।

मध्य प्रदेश सरकार को आयोजकों विशेषकर इस योजना के मुख्य कर्त्ता-धर्ता श्री अजय सिंह से कोई सहयोग न मिलने के कारण केन्द्रीय सरकार ने 25 मई, 1985 को हस्तक्षेप किया जब गृह मंत्रालय के एक उप-सचिव श्री पी० एन० नारायणन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा।

इसमें इण्डियन एक्सप्रेस के मद्रास संस्करण में प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया जो वहां के किसी नगर के एक कांस्टेबल महालिंगम के विचित्र मामले से सम्बद्ध था जिसने पुरस्कार जीत लिया था किन्तु प्रायोजकों ने उसे पुरस्कार देने से इन्कार कर दिया था। फिर मध्य प्रदेश वित्त विभाग फिर सक्रिय हुआ और उसने कल्याण सोसाइटी को लिखा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे पूरा विश्वास है कि आपने माध्यह्न भोजन किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई मध्यह्न भोजन नहीं किया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपने नहीं किया ! और मैंने भी नहीं किया। फिर भी मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। बात यह है कि इन सभी पत्रों का जवाब नहीं दिया गया था। फिर कुरेशी महोदय, जिला अल्प बचत अधिकारी को भेजा गया था तथा अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा, "एजेण्ट द्वारा जान-बूझकर सोसाइटी के मुख्यालय की स्थिति का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है जिसके कारण पुरस्कार विजेताओं को अपने पुरस्कारों से वंचित होना पड़ा है।" अब मैं ए० ए० एण्टरप्राइजेज पर आता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। एक समझौता···

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं जिक्र नहीं करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वे एक समझौते का उल्लेख कर रहे हैं। जब तक यह सभा-पटल पर नहीं रखा जाता···

श्री वी० किशोर एस० चन्द्रदेव (पार्वतीपुरम) : उन्हें समझौता सभा-पटल पर रखने दीजिए। वित्त मंत्री महोदय इस बारे में बहुत उत्सुक थे···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : वे एक ऐसे दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं जिसकी सभा को जानकारी नहीं है। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। इसे अस्वीकृत किया जाता है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : दो बार मन्त्री महोदय हस्तक्षेप कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्नीकृष्णन जी, कृपा करके अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैं आपको काफी समय दे चुका हूं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 23 मिनट का समय दे चुका हूं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मुझे भी अपना मामला प्रस्तुत करना है। उन्हें जवाब देना है फिर मुझे जवाब देना है। यह प्रक्रिया ऐसे जारी रहती है।

अध्यक्ष महोदय : आप अकेले ही वक्ता नहीं हैं। दूसरे लोग भी हैं। मुझे दूसरे लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें एक समझौते का उल्लेख करने की अनुमति दे रहे हैं जिसकी विषय वस्तु की सभा को जानकारी नहीं है तथा माननीय वित्त मन्त्री महोदय उस दस्तावेज के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या आप उन्हें इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं देंगे··· (व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं सब कुछ सभा पटल पर रखना चाहता हूं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं सभा पटल पर और अधिक दस्तावेज रखूंगा। मेरे पास बहुत से दस्तावेज हैं। परन्तु मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

महोदय, दिल्ली के भगतसिंह बाजार के ए. ए. इन्टरप्राईजेज के बारे में बोलने से पहले, मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि (अ) क्या आयकर विभाग द्वारा उनके परिसर पर छापा मारा गया था (ब) यदि हां तो वहां कौन से दस्तावेज पाए गए तथा विशेष तौर पर इस रैफल चुरहाट बाल कल्याण तथा उनके समझौतों एवं संस्था की नकद बकाया राशि के बारे में कौन से दस्तावेज पाए गए। विभिन्न प्राइवेट लाटरियों का नकद शेष कितना था ? हमें अन्य लाटरियों की बात नहीं करनी चाहिए तथा विशेष तौर पर ए. ए. इण्टरप्राईजेज के संदर्भ में, संस्था क्या यह चुरहट बाल कल्याण संस्था के लेखा परीक्षा किए हुए विवरण से मेल खाता है ? मेरे पास चुरहट बाल कल्याण संस्था का 1.6.82 से 31.5.83 तक की अवधि का लेखा परीक्षा किया हुआ हिसाब··· [ग्रन्थालय में रखा गया एल. टी. संख्या 3119/86]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : एक बार फिर मांग करता हूं कि इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : ·····तथा 3 मार्च 1985 को समाप्त होने वाली अवधि का तुलन-पत्र है। [ग्रन्थालय में रखा गया। एल० टी० संख्या-3119/86]

मैं इस दस्तावेज की अपर्याप्ताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं। वे अपर्याप्त हैं। उन्होंने एक अद्भुत पद्धति अपनाई है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

बड़े आश्चर्य की बात है कि 31 मार्च 985 को समाप्त होने वाली अवधि के तुलन-पत्र में इस कल्याणकारी संस्था को होने वाला लाभ तथा पूंजीगत निधि को दिखाया गया है। लाटरियों से ठीक एक करोड़ रूपये की आमदनी हुई है—न ही एक पैसा अधिक तथा न ही एक पैसा कम और न ही 99,99,000 रूपये अपितु ठीक एक करोड़ रूपये। और ए० ए० इन्टरप्राईजेज की बकाया जमा राशि 48, 98, 559.50 रुपये है। मैं इस पहले वाली राशि की बात नहीं कर रहा हूं। महोदय, इससे पहले कि अपना वक्तव्य आगे जारी रखूं, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय छापे का विवरण तथा जब्त किये गये दस्तावेजों इत्यादि का विवरण दें ताकि उनकी घोषणा में हमारा विश्वास बना रह सके, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, कितना ही शक्तिशाली हो, कानून की पहुंच से बाहर कोई भी नहीं है। मैं आपके वक्तव्यों का, सार्वजनिक रूप से तथा यहां सभा में, स्वागत करता हूं। मैं आपका समर्थन करता रहा हूं। सभा के प्रति यह आपका कर्त्तव्य है कि चाहे वह कोई भी है उसका नाम बतायें, वह कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा तथा नहीं हो सकता है। मध्यप्रदेश विधान सभा में यह प्रश्न श्रीवास्तव महोदय, श्री सुरेश सेठ आदि द्वारा उठाया गया था। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि मध्यप्रदेश, की संस्थाओं के नियमानुसार संस्था ने कोई बही-खाते प्रस्तुत नहीं किये थे। संस्था के चार्टर्ड लेखापालों श्री आर०एन० गुप्ता एवं सहयोगियों ने इस बात की घोषणा की है कि 14-7-84 से लेकर 7-4-85 तक की अवधि में सभी निकाली गई 12 लाटरियों में 14,19,20,000 रुपये के टिकट छापे गये थे। और 5,44,49,590 टिकट बिके थे जिनमें संस्था 80,85,045 रुपये का वास्तविक लाभ कमाया। और 8,74,70,401 टिकटें आदि बिना बिक्री बची थीं। यह स्पष्ट है कि चार्टर्ड लेखापालों ए०ए० एन्टरप्राईजेज, तथा चुरहट बाल कल्याण संस्था द्वारा अलग अलग घोषणायें की गई थीं। ये स्पष्ट असंगतियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सी० बी० डी० टी० ने इसका अध्ययन किया है। छूट के विषय में यह एक महत्वपूर्ण एवं सम्बन्धित प्रश्न है। 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले तुलन पत्र के अनुसार खातों में केवल एक करोड़ रूपये का लाभ दिखाया गया है। इसमें 48,98,599.85 रुपये जमा पूंजी भी दिखाई गई है तथा इसे ए० ए० एन्टरप्राइजेज में जमा कराया था। क्या उन्होंने इसकी जांच-पड़ताल की है? क्या उन्होंने बेची गई टिकटों की ठीक संख्या का पता लगा लिया है। इस अस्पष्ट स्थिति तथा आंकड़ों में अन्तर को ध्यान में रखते हुये क्या उन्होने यह पता लगाया है कि जमा राशि ए० ए० एन्टरप्राईजेज के पास रहेगी जिस पर छापा मारा गया था। क्योंकि इस संस्था तथा संगठन में संबंध लगातार बने हुये हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वयं इन संबंधों की बात की है। इस संगठन फर्म ए०ए० एन्टरप्राईजेज तथा इस संस्था के बीच संबंध चला आ रहा है। वित्त मन्त्री महोदय, मेरा आरोप यह है कि अवैध रूप से निकाली गई लाटरी से हुई आय को चाहे इसका उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाये या नहीं किया जाये, आयकर अधिनियम के अन्तगत छूट नहीं दी जा सकती, इस कारण से जिस आय पर कर लगाना चाहिए वह आयकर से बच जाती है, और भारतीय संचित निधि से स्पष्टत: पैसा निकाला जा रहा है जिसके लिए संसद जिम्मेदार है।

चार्टर्ड लेखापालों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र बहुत संक्षिप्त है जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, इसमें विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इस बारे में भी कोई ब्योरा उप-

लब्ध नहीं है कि लाटरी चलाने वाले एजेन्ट से विभिन्न अवसरों पर भुगतान के विभिन्न अवसरों पर भुगतान के विभिन्न तरीकों द्वारा, चैक द्वारा अथवा नकद, वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस राशि को संस्था के अपने खाते में जमा किया गया था। क्योंकि संस्था ने अपने बैंकर भी बदल दिए हैं। उन्होंने, यूनियन बैंक आफ इंडिया को बदल कर अपना बैंक आन्ध्र बैंक कर दिया है। उपयुक्त जानकारी के अभाव में मैं उन सब बातों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा वित्त मन्त्रालय इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पहले, इस खाते की जांच कर चुके थे? क्या उन्होंने जांच की है? क्या वे सन्तुष्ट है? यदि हां तो इन लाटरियों के द्वारा का सही विवरण क्या है? कितनी टिकटें बेची गई थी? कितना खर्च किया गया था? शेष कितनी रकम बची है? क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संस्था को अवैध रूप से निकाली गई लाटरियों से प्राप्त होने वाली आय को कर से मुक्त कर सकता है जो कानून के अन्तर्गत दण्डनीय है, चाहे संस्था अथवा आयोजकों के विरुद्ध मुकदमा दायर न किया गया है, क्योंकि इससे संस्था अथवा लोगों के संगठनों को प्राप्त होने वाली आय का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। मध्य प्रदेश अल्प बचत के निदेशक ने स्वयं यह सुझाव दिया है कि जब तक संस्था अपना पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं करती तब तक कर में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपा करके अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यहां एक विचित्र मामला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक बराबर तरजीह दी जाती है जैसे सत्तारूढ दल के उपाध्यक्ष के पुत्र, दामाद, भाई, बहनोई आदि, आदि।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : महोदय, यह क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 35 मिनट का समय दे चुका हूं। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूं?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यह एक विलक्षण स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : उन्नीकृष्णन्, हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आप इसे मजाक समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे मजाक नहीं समझ रहा हूं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आप वास्तव में इसे मजाक समझ रहे हैं, अन्यथा आप ऐसा नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 35 मिनट दे चुका हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को इतना ही समय दिया जाता है। किसी से पूछ लीजिए। रिकार्ड देख लीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं और पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अच्छी तरह समझता हूं। इसे समझने के लिए मुझ में विवेक है। यही कारण है कि मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपको सबके सामने यह जाहिर नहीं करना चाहिए कि आप हमें रोक रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं; कोई प्रश्न नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मामला इतना महत्वपूर्ण है जो भारतीय संचित निधि तथा इससे निकाली जा रही धनराशि से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने आपको पूर्णस्वतन्त्रता और पूरा समय दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं एक बहुत आवश्यक तथा उचित बात कहने जा रहा हूं जो आपको सुननी होगी!

अध्यक्ष महोदय : फिर कहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अथवा वित्त मंत्रालय को दी गयी शक्तियां हैं जिनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि इसे प्रदत्त शक्तियां दी गई हैं तो संसद ने अपनी शक्तियां छोड़ दी हैं। ऐसे मामलों में संसद को ही हस्तक्षेप करना चाहिए तथा उस एजेन्सी को ही अयोग्य घोषित कर देना चाहिए जो इसने प्रदत्त शक्तियों का अवैध एवं गलत ढंग से प्रयोग करके बनाई है और मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यह मेरे आज के प्रस्ताव का सार है। प्रधान मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्री महोदय, बार बार यह कहते रहे हैं कि वे किसी भी एजेन्सी को बिना दंड दिए छोड़ेंगे; इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्णरूप से जांच करने की आवश्यकता है तथा राजस्व जांच निदेशालय द्वारा संस्था की विभिन्न गति विधियों, इसके द्वारा निकाली गई अवैध लाटरियों, पुरस्कार विजेताओं के साथ की गई धोखा-धड़ी तथा इसके द्वारा कानून का पालन न किए जाने के सम्बन्ध में जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह मामला सरकार तक ही सीमित नहीं है क्योंकि ये रियायतें सबके सामने आ चुकी हैं। सिक्किम के मुख्य मंत्री के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मुकदमा दायर किया है। सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है तथा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। महोदय लोग ऐसा न कहें कि यह एक ऐसा मामला है जिसका आयोजन लोगों एक विशेष दल द्वारा अवसर-वादियों द्वारा किया गया है और वे अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं क्योंकि उनके संबंध बहुत प्रभावशाली लोगों से हैं। इसलिए, मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राजस्व जांच निदेशालय द्वारा जांच की मांग करता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप यह कितनी बार कहेंगे?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ···इस संस्था के मामलों में इस अधिसूचना के रद्द किए जाने के बाद तथा यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि सभा सन्तुष्ट हो सके और सन्देह दूर हो सके।

मैंने 'मारबल हाऊसिज' के बारे में बहुत नहीं कहा है, मैंने कई अन्य बातों के बारे में जिक्र नहीं किया है। मैंने अपने आपको इस प्रस्ताव तक ही सीमित रखा है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, कृपा करके उनसे कहिए कि समझौते को सभा पटल पर रखें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिन दस्तावेजों का जिक्र किया गया है उन्हें सभा पटल रखा जाना चाहिए··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था कोई प्रश्न नहीं है । इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती । दूसरे सदस्य महोदय को बोलने दीजिए । मैंने उन्हें बोलने के लिए कह दिया है ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभी की यह मांग है कि इन दस्तावेजों को सभापटल पर रखा जाना चाहिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वे सही उल्लेख कर रहे थे अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखिये ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण कुछ आरोपों पर आधारित होना चाहिए जिनका आयकर अधिनियम, खण्ड 10, धारा 23सं, उपधारा (iv) के साथ कुछ औचित्य तथा सम्बन्ध हो । **(व्यवधान)** दूसरे शब्दों में, उस खण्ड में विशेषतौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि उस संस्था के उद्देश्य तथा महत्व ही सरकार के लिए निणय लेने का आधार हैं कि क्या उस संस्था को कर से छूट मिलनी चाहिए । खण्ड 10 में उस आय का विवरण दिया गया है जिसे कर से छूट दी जा सकती है—पूरे खण्ड में ही यह विवरण दिया गय है । अब महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्था को पहले भी दर निर्धारण वर्षों के लिए कर से छूट दी गई थी । यह अधिसूचना पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है । ऐसा दूसरी बार हुआ है कि उन्हें आकलन के लिए तीन वर्ष और दिए गए हैं, मैं समझता हूं, कि **(व्यवधान)** हमने ऐसा नहीं किया है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हस्तक्षेप न करें । यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, जब आप हमें डांट लगाते हैं, तो कृपया उन्हें भी डांट लगाइये । वे इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुनें । आपको कहने का पूरा मौका मिला । अब उन्हें सुनें ।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : मैं इस प्रशंसा के लिए आपका आभारी हूं । छोटी सी बात जो इससे उठती है वह यह है कि जब पहली बार छूट दी गई और जब दूसरी बार छूट दी गई तो इस संस्था के उद्देश्यों या महत्व को देखते हुए क्या परिवर्तन आया है क्योंकि श्री उन्नीकृष्णन पहले ही सोसाइटी के महत्व के बारे में बोल चुके हैं तथा उन्होंने सोसाइटी के उद्देश्यों की प्रशंसा की है।

अत: जहां त संस्था के उद्देश्यों तथा महत्व का सम्बन्ध है, यहां उन पर चर्चा नहीं की गई है तथा न ही इन दो बातों के सम्बन्ध में कोई आरोप लगाया गया है ।

मुझे यह समझ नहीं आता है, कि इस प्रकार का संकल्प कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है । छूट सम्बन्धी अधिसूचना को रद्द करने हेतु प्रस्तुत संकल्प की सही-सही व्याख्या की जानी चाहिए । जब मेरे मित्र उन्नीकृष्णनजी उच्चतम न्यायालय के मामलों का जिक्र करते हैं तो वे अन्य

कतिपय तथ्यों का भी जिक्र करते हैं। परन्तु लगता है कि यह भूल गए हैं कि वित्तीय अधिनियमों की पूरी व्यवस्था करने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने एक बार ही नहीं अपितु कई बार कहा है।

यदि आप इनकी पूरी व्याख्या करने की बात करते हैं, तो आपको इसमें प्रयोग किए गए शब्दों का अनुपालन करना चाहिए। आप विषय से बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं सर्व प्रथम यह निवेदन करूंगा कि उनके पास इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए कोई आधार नहीं है। क्योंकि उनके कोई भी आरोप ऐसे नहीं हैं जिससे वे यह दलील दे सकें कि यह छूट समाप्त कर दी जाए, तथा दी गई छूट रद्द करने के लिए संकल्प पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया है, वह मूल रूप से लाटरी से सम्बन्धित है, छूट से नहीं। वह लाटरी के बारे में बोल रहे हैं। जो लाइसेंस चुरहाट सोसाइटी को दिया गया है, वह केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। वह लाइसेंस कलैक्टर द्वारा दिया गया है—जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। ये ऐसे मसले हैं जिन्हें सही ढंग से उठाया जा सकता था, तथ्य ये मध्य प्रदेश विधान सभा में ठीक ही उठाये गये हैं। यह न तो आरोपो के बारे में बोलने का समय है और न ही मंच है। फिर भी यह उठाए गए हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है—मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र इससे वाकिफ हैं या नहीं कि जो लाइसेंस दिया गया है वह ऐसा लाइसेंस नहीं है जिसमें यह दिया गया हो कि फलां तारीख को या फलां समय ही एक लाटरी निकाली जा सकती है। उनका सभा में पेश किया गया सारा मसला एक ही बात पर आधारित है कि एक लाटरी के अलावा सभी अन्य लाटरी अवैध हैं, क्यों कि उनके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

लाटरी लाइसेंस अर्थात नियम 4 के अन्तर्गत फार्म 'घ', जिसकी मेरे पास फोटो कापी है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह लाइसेंस एक वर्ष के अन्दर आयोजित की जाने वाली सभी लाटरियों के लिए है। यहां शब्द "एक वर्ष के अन्दर" का विशेष जिक्र है। इसमें एक लाटरी या एक निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं है : अतः यह सारा मसला श्री उन्नीकृष्णन ने जिस आधार पर उठाया है तथा उनका यह प्रस्ताव है कि सभी अन्य लाटरियां अवैध हैं मूलतः गलत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यही ढंग मैं इसके बारे में कह सकता हूं।

इसके अतिरिक्त उन्होने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं जिन्हें वह विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण समझते हैं। इसमें अधिक खास बात यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्धी को भविष्य में किसी सोसायटी या ट्रस्ट जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी या नहीं दी जायेगी। यदि ऐसा ही दृष्टिकोण रहेगा तो जल्दी ही एक ऐसी स्थिति आयेगी, जब सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति का सम्बन्धी आम आदमी के हित में कार्य करने का इच्छुक न होगा।

मैं समझता हूं कि उन्नीकृष्णन जी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि वे स्वयं हमारी कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी सहित कई अच्छे ट्रस्टों से और उनके अच्छे कार्यों से सम्बन्धित हैं। अतः यदि यह बात आती है तो कई गुना आरोप लगाये जा सकते हैं परन्तु अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आरोपों के बारे में नहीं उठा है। मैंने आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि आप किसी व्यक्ति की बुरा भला कहे बगैर या चार शब्द लिखकर बदनामी कर सकते हैं।

कोई भी एक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से बदनाम नहीं कर सकता है जैसे कि उन्नीकृष्णन जी कर रहे हैं। जब उन्होंने यूनियन कार्बाइड का उल्लेख किया तो उन्होंने निसंदेह यह जिक्र भी किया था कि उस समय के मुख्य मंत्री ने इसके अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की परन्तु साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपने सगे सम्बिन्धियों को चन्दा लेने से मना नहीं किया, नहीं वह पैसा वापस लौटाने को कहा, और ऐसा न करके उन्होंने गलत काम किया है। इस वाक्य या वाक्यों के समूह में सीधा आरोप यह लगाया गया है कि उस समय के मुख्य मंत्री जो कि अब दक्षिण दिल्ली से ससद सदस्य हैं पूरी तरह से खरे नहीं थे। यह एक निन्दनीय भाषा है। आप किसी व्यक्ति की सीधे निन्दा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था, कि उन्हें एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। यदि उनमें इतना साहस होता तो वे ऐसा करते। वह लिखित रूप में यह कह सकते थे कि अर्जुन सिंह जी आपके विरुद्ध मेरे ये आरोप हैं। कृपया उत्तर दें। परन्तु नहीं, वे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं यह और कुछ नहीं परन्तु एक दल पर कीचड़ उछालना है। यह समाचार पत्र के किसी लेख को उछालना है। वे सच्चाई का सहारा नहीं लेते हैं : वह सीधे आरोप नहीं लगा सकते हैं, तथा वह इस मसले का सीधे सामना नहीं कर सकते हैं। यदि उन्नीकृष्णन जी ने जो कुछ कहा है वही कहना चाहते थे तो उन्होंने लिखित रूप में नोटिस दिया होता। उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय था। उन्होंने यह क्यों नहीं किया ? इसके बजाय उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में आरोप लगाए।

दूसरा सवाल यह उठता है कि उन्होंने एक या दो मामलों के बारे में कहा है। उन्होंने विशेष रूप से मेरे राज्य के श्री महालिगम सनत कुमार सेन गुप्ता एवं बलदेव नरायण दुबे के मामले में कहा है। उन्होंने कुछ मामलों का जिक्र किया है परन्तु उन्हें गलत जानकारी दी गई है या कोई उन्हें गलत जानकारी दे रहा है। श्री सनत कुमार सेन गुप्ता को 31 मार्च 1986 को आंध्र बैंक भोपाल द्वारा दिनांक 29-3-86 के ड्राफ्ट संख्या 072297 के तहत भुगतान किया गया।

अब जिन्होंने जांच-पड़ताल की है, या जिनके उन्नीकृष्णन जी के संग दोस्ताना सम्बन्ध हैं— ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी है। मैं इसके विस्तार में जा सकता हूं। यदि उन्होंने यह लिखित रूप में दिया होता तो उन्हें उचित उत्तर मिलता। ऐसी कोई समस्या नहीं थी। परन्तु इस संदर्भ में हमें क्या प्राप्त हुआ, एक ऐसे प्रस्ताव का नोटिस जिसमें यह कहते हुए छूट को खत्म करने की बात कही गई कि संसद के पास पुनरावलोकन करने का अधिकार है। निसंदेह, संसद के पास किसी भी प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन जो कानून बनाया जाता है, उसका पुनरावलोकन करने का अधिकार है। आप एक प्रस्ताव लायें। ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है कि यह प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया तथा कैसे प्रस्तुत किया गया। यदि यह सही ढंग से किया जाता तथा हमें इसकी सूचना दी जाती तो हमने इसका या तो समर्थन किया होता या विरोध किया होता परन्तु अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी शक्तियों का जो इस सभा ने उसे प्रत्यायोजित विधान के आधीन दी हैं उपयोग करती हैं तब इस सभा का इसे रद्द करने का अधिकार है परन्तु इसे यह युक्तिसंगत तर्क के आधार पर करना चाहिए न कि राजनीतिक प्रयोजना से प्रेरित होकर करना चाहिए या बिना बात कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई चाहे

कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, इस देश के किसी कानून का उल्लंघन करता है या सामान्य आचार के विरुद्ध जाता है तो मैं इस सभा में अपने साथियों के साथ यह कहूंगा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु बगैर किसी आधार के अन्धाधुन्ध, केवल राजनीतिक प्रयोजन से कीचड़ उछालने के रवैये से नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस लाटरी—ऐसी 12 लाटरियां आयोजित की गई हैं जिसके बारे में मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है कि कोई भवन नहीं बनाया गया है, न ढांचा खड़ा किया गया है ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जो सोसाइटी के उद्देश्य के अन्तर्गत आता है। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्नीकृष्णन जी ने रविवार के समाचार पत्र में छपे लेख तथा अन्य छपे लेखों को नहीं पढ़ा है, जिनको कि उन्होंने अपनी समस्त कार्यवाही का आधार बनाया है। इन लेखों में विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया गया है, कि हस्पताल बनाया जा रहा है परन्तु उन्होंने कहा है कि 'हस्पताल को छोड़कर जो बन रहा है, वह कई लाख रुपयों का' परन्तु उन्होंने उसे बड़े आराम से छोड़ दिया है, वास्तव में लगभग 11 लाख रुपये पहले ही बच्चों के लिए हस्पताल के भवन पर लगाये जा चुके हैं। यदि यह गलत कार्य है तो ठीक है। अकेले उन्नीकृष्णन जी को बनाई जा रही सोसाइटी का सदस्य बनाया जा सकता है जिसका कि मैं भी निःसंदेह एक सदस्य हूं, परन्तु यह एक अलग सवाल है लेकिन यदि बच्चों के हस्पताल का निर्माण नहीं किया गया तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके बारे में सरकार को सूचित किया जा चुका है। उन्नीकृष्णन जी ने कहा है कि सोसाइटी ने पुरस्कारों आदि के बारे में सरकार को कभी सूचना नहीं दी। उन्हें यह सूचना कहां से मिली? उन्होंने हमें वह स्रोत नहीं बताया है। पुरस्कार विजेताओं को निश्चित रूप से सूचित किया गया होगा। यदि वे मध्य प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही को देखें, और यदि स्वयं श्री उन्नीकृष्णन ने मध्य प्रदेश विधान सभा को एक संसद सदस्य के नाते जानकारी के लिए लिखा हो तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको आवश्यक वैधानिक सूचना मिली है, परन्तु यदि उनसे यह उत्तर मिलता कि यह सूचना नहीं मिली तो मैं इसे समझ पाता, लेकिन यह भी नहीं किया गया। खैर, मैं समझता हूं कि सूचना दी गई थी तथा अध्यक्ष महोदय जितनी जल्दी मैंने व्यक्तिगत रूप से इन लेखों को देखा, मैंने भी थोड़ी जांच पड़ताल की जैसे कि दूसरे संसद सदस्यों ने की थी। मुझे विश्वास है कि केवल मैं ही नहीं अपितु सभा के इस पक्ष के कई सदस्यों ने भी सच्चाई जानने के लिए पूछताछ की है क्योंकि हम भी यह जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई एवं झूठ है। परन्तु छोटा सा सवाल यह है कि हमें जांच किये बगैर आरोप नहीं लगाने चाहिएं। एक संसद सदस्य के नाते हमारे पास जानकारी हासिल करने के लिए कतिपय शक्तियां हैं, अधिकार हैं। हम क्यों नहीं यह जानकारी किसी अन्य साथी संसद सदस्य पर आरोप लगाने से पहले ले लेते हैं? इसमें कतिपय मर्यादायें हैं। क्या यह सभा सामान्य नैतिकता सामान्य आचार व्यवहार और शिष्टताओं को भूल रही है—? क्या हम छानबीन करने का अपना काम आरोप लगाने से पहले उचित ढंग से कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि ऐसे आरोप भी काफी संख्या में हैं, जो वास्तव में किसी एकत्रित किये गये साक्ष्य पर आधारित नहीं है। तथापि ए. ए. इण्टर प्राइजेज और इस सोसाइटी के बीच हुए करार का उल्लेख किया गया है, मैं समझता हूं समझौते

की तारीख 14 जनवरी 1984 है। मैं उन्नीकृष्णन जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस वजह से इस करार का जिक्र किया क्योंकि जब माननीय वित्त मंत्री इसका उल्लेख करना चाह रहे थे तो वह इस विषय को टाल रहे थे और इसी ए. ए. इण्टर प्राइजेज के यहां छापे मारे गये तथा टिकट बरामद किये गये। वास्तव में कई लोगों को, जिनका इन्होंने नाम लिया है; उन टिकटों के एवज में लाटरी पुरस्कार नहीं मिले क्योंकि टिकट जब्त कर लिए गये थे और जब भी वे वापस किये जायेंगे तब पुरस्कार दिए जायेंगे। जो छापा मारा गया था वह सामान्य छापा था। हम सभी तथ्यों से वाकिफ हैं। अनेक लाटरी एजेंसियों तथा उद्यमों पर छापे मारे गये एक दो पर नहीं। यह साफ सी बात है कि ए. ए. एण्टरप्राइजेज पर छापा मारा गया। इससे यह पता चलता है कि चाहे किसी संगठन या संस्था के कितने ही ऊंचे संबंध हों और कोई चाहे कितना उच्च प्रतिष्ठित हो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कम से कम जब तक श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं यह बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री हैं···

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : हां। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं विपक्ष के अपने विद्वान मित्रों का आभारी रहूंगा यदि वे कम से कम इस प्रकार के प्रस्ताव लाते समय अपनी तरफ से मामले की थोड़ी और तहकीकात करें। इससे संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी। राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित आरोप न तो उचित ही है और न ठीक, खासकर उस समय जब यह किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया गया हो और कभी कभी ऐसा विभिन्न तत्वों के कहने पर किया गया हो। महोदय आपका धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं श्री उन्नीकृष्णन को यह प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से इस सभा को तथा इस देश को यह जानकारी हुई है कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। महोदय मैं इस लाटरी के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम यहां इस अधिसूचना को रद्द कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी की गयी है। मैं इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण अधिसूचना और आयकर अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा है जो आय को कर से छूट देता है और जिस पर अन्यथा कर लग सकता है। इसलिए मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा और कतिपय आय को कर से छूट देने के लिए, सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से पूर्व, मामला बनाकर उसके समक्ष रखना पड़ेगा। धारा 10 में दिया गया है।

> "किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करते समय, निम्नलिखित खण्डों के अन्तर्गत आने वाली कोई आय शामिल नहीं की जाएगी।"

तत्पश्चात् धारा 23 ग, खण्ड 4 आता है जिसके अन्तर्गत यह जारी किया गया है कि यह ध्यान देने योग्य है। इसमें यह दिया गया है : "धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए स्थापित कोष या संस्था की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय, सम्पूर्ण भारत या किसी राज्य या राज्यों में संस्था के कोष के उद्देश्यों और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाए।"

इसलिए एक विशेष संस्था, धर्मार्थ कार्यों को देखते हुए जिसे यह संभवतः करेगी, कर से छूट पाने की अधिकारी है। अतएव, केन्द्र सरकार को उस विशेष संस्था के गुणावगुणों पर विचार करना होगा जिसे छूट प्रदान की जा रही है जिसका आवश्यक रूप से तात्पर्य उक्त संस्था के पूर्व वृतान्तों, संस्था की संरचना तथा उक्त संस्था की प्रबन्ध क्षमता का सत्यापन करना है। उन्हें पता लगाना होगा कि क्या उसने अपने कार्यों को ठीक ढंग से किया है या नहीं ? क्या उसने सभी ब्यौरों का अध्ययन किया है ? यह न्यूनतम अपेक्षा है। यह प्रावधान स्वयंमेव लागू नहीं हो जाता है। एक विवेक पूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं श्री कुमार मंगलम के प्रति अगाध स्नेह रखता हूं मुझे आशा थी कि उन्हें बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसमें कोई सन्देह नहीं है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अपने विश्वास से बाध्य होकर ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : रजामन्दी से बाध्य होकर।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की टिप्पणियां सुनना नहीं चाहता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं उसे वापस लेता हूं। वे एक अगुआ वक्ता की तरह बोले हैं वे प्रथम वक्ता के रूप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोले हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह अपने विश्वास से बाध्य थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा थी कि सत्ता दल की तरफ से बोलते हुए वह उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे और उस आधार पर उसे न्याय संगत ठहरायेंगे और जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है 'दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा न करके केवल हमें कल्पित उपदेश ही दिया है। वह युवा सदस्य है, ऐसा सभी स्वीकार करते हैं कि अपना काम करने में तथा सांसदों के साथ उचित व्यवहार करने के मामले में वह एक बुद्धिमान सदस्य हैं।

महोदय, मैं अपनी बात कहने के साथ साथ, सुनने तथा कनिष्ठतम् सदस्य से भी सीखने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आशा है उनका विषय प्रस्तुत किए जाने योग्य है। एक बात जो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, है कि क्या यह सही है या नहीं कि संस्था का गठन वर्ष 1982 के जनवरी में ही किया गया था ? इस संस्था के क्या उद्देश्य हैं ? क्या इस संस्था के खातों का नियमित रूप से प्रतिवर्ष, समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा किया जाता रहा है ? क्या संस्थाओं की आम बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की गई है क्योंकि समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत, वार्षिक बैठकें करनी होती हैं, प्रबन्ध समिति का प्रति वर्ष चुनाव करना होता है, एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष सेवा निवृत होते हैं ? क्या इस संस्था ने लेखाओं का नियमित से हिसाब रखा है ? इस संस्था के आय के क्या साधन हैं ?

अब लाटरी की बात आती है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह किया कि नहीं। क्या उन्होंने अनुमति प्राप्त करने के पूर्व भारत सरकार को सूचित किया है कि उनकी आय में मुख्य रूप से लाटरी की आय शामिल है। यदि ऐसा है, तो लाटरी के एजेन्ट कौन है ? किस समय लाटरी की शुरूआत की गयी है ? महोदय ये न्यूनतम प्रश्न हैं जिनके बारे में तहकीकात की जानी है। महोदय, मुझे यह बताया गया है। यदि हम गलती पर हैं तो हमें सही स्थिति बताई जा सकती है। मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है सिवाय जो मैंने अखबारों तथा पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ा है।

श्री कुमार मंगलम ने कहा है कि मुझे जांच करानी चाहिए। हमारे पास कोई जांच एजेन्सी नहीं है अत: मैं उसके बाहर नहीं जा रहा हूं जो मैंने अखबारों में पढ़ा है। उनको केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जांच एजेन्सी की सुविधा मिल सकती है। मैं नहीं जानता।

उन्होंने एक बड़ी मनोरंजक बात कही है। यह दूसरी अधिसूचना हो सकती है। पहली अधिसूचना कब जारी की गयी ? महोदय, चार साल पुरानी संस्था के लिये 25 मार्च 1986 को दूसरी अधिसूचना जारी की गयी थी। पहली अधिसूचना कब जारी की गयी थी ? इसे 1982 या 1983 के शीघ्र बाद ही जारी किया गया था लेकिन इसे किस कार्य के लिए जारी किया गया था। उसके क्या कार्य हैं ? उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ? उनका कार्य निष्पादन किस प्रकार का रहा है ' उनकी आय का स्रोत क्या है। क्या इसे पैसा यूनियन कारबाइड से मिला है जैसा कि आरोप लगाया गया है या अन्य किसी बड़ी संस्था से मिला है इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या उद्देश्य थे ? क्या यूनियन कार्बाइड ने एक नई संस्था को, जिसका गठन केवल 1982 में हुआ था, को बड़ी मात्रा में धन दिया था वह धर्मार्थ से प्रेरित था इसलिए छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी करने से पूर्व जिसके लिए उस पर विचार करना जरूरी है, आपको इसके आय के साधनों का पता लगाना पड़ेगा। यदि यह लाटरी से प्राप्त धन था मुझे विश्वास है कि हर कोई लाटरी के नाम पर अपनी भौंह टेढी करेगा उन निर्धन राज्य सरकारों को छोड़कर जो इधर उधर से कुछ धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। जहां तक लाटरी की बात है लाटरियों के विरुद्ध सिद्धान्त की बात करते हुए क्या वित्त मंत्रालय यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कानून के किस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्था लाटरी चला रहे हैं ? क्योंकि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किसी संगठन को लाटरी चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये राज्य की एजेन्सिया या राज्य सरकारें हैं जो लाटरियां चला रही हैं। किस व्यवस्था के अन्तर्गत यह संस्था जिसका अभी हाल में गठन किया गया है, लाटरियां चला रही हैं ? किस नियम के अन्तर्गत ऐसा हो रहा है ? यदि यह राज्य के नियम के तहत हो रहा है, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के लाटरी प्राधिकारियों से यह पता लगाने के लिये कहा था कि लाटरियां ठीक प्रकार से चलाई जा रही हैं या नहीं। इस बात को ऐसे ही न टालें। आपके पास अधिकार है, आप अनेक चीजों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये सन्देह है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा था है या उनकी कोई जांच की थी। हमने समाचारों में पढ़ा है कि भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने जांचें की थीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वित्तमत्री ने इस संबंध में कोई जांच की थी। क्या यह सही है कि 25 जून 1986 को एक पत्र···मुझे दुख है, गत वर्ष कभी क्या वित्त मंत्रालय ने भी इस पर एक जांच कराई थी ? यदि नहीं, तो छूट देने के पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया ? ए. ए. इन्टर-प्राइजेज द्वारा की गई अनियमितता या धोखाधड़ी का कब पता लगाया गया। छापा कब मारा गया ? आपके पास प्रथम दृष्टि रिपोर्ट होंगी कि ए. ए. इन्टरप्राइजेज कतिपय गलत कार्यों के लिये अपराधी है। मैं यह बात जानना चाहूंगा।

ए. ए. इन्टर प्राइजेज ने अपनी लाटरी नहीं चलाई थी। यह समिति के एक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा था। यदि एजेन्ट गलत ढंग से या धोखाधड़ी के रूप में कारोबार करता है

तो अपराध के पीछे प्रधान व्यापारी की क्या स्थिति होगी ? जहां तक लाटरी को चलाने में गड़बड़ी का संबंध है यदि यह अवैध है, तो मुख्य व्यक्ति इस बहाने से अपराध मुक्त नहीं हो सकता यह उसकी जिम्मेदारी थी जो इसे कर रहा था । जनता से इकट्ठे किए गए धन का पूरी तरह से लेखा जोखा नहीं रखा गया है; उस समिति की आपको जो इसमें भाग ले रही है या गैर कानूनी लाटरी से आय अर्जित कर रही है, आयकर अधिनियम से मुक्त किया जा रहा है । एक फर्म द्वारा समिति के एजेन्ट के रूप में संदिग्ध रूप से धन इकट्ठा किया जा रहा है । यह हो सकता है कि अन्ततोगत्वा महालिगम को धनराशि अदा करनी पड़ी हो या सेन गुप्ता को धनराशि अदा करनी पड़ी हो । लेकिन सवाल यह है कि उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ी थी । उन्हें वित्त मन्त्रालय को लिखना पड़ा था, उन्हें गृह मंत्रालय को लिखना पड़ा था, राज्य सरकार के लाटरी प्राधिकारी को, कंपनी को, समिति को, अध्यक्ष को, इसके सचिव तथा उपाध्यक्ष को यह कहते हुए लिखना पड़ा था "मुझे रकम दें, मुझे रकम दे । मैंने लाटरी जीती है । अनेक पत्र लिखे जा रहे हैं और उनको भेजे जा रहे हैं (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इसका पं० बंगाल से कोई संबंध नहीं है·····

श्री सोमनाथ चटर्जी : 25 से 31 मई की 'सन्डे' में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है । छपे हुए एक पत्र की फोटोकापी तथा समिति के सचिव को कलेक्टर द्वारा लिखा गया एक पत्र छपा है जिसमें उन्होंने कहा है "आपको लाटरी निकालने की अनुमति दी गई थी । आपने इतने अधिक रैफल अपने कब्जे में क्यों कर रखे हैं ? आपका क्या हिसाब किताब है ?" छपे हुए टिकट कलेक्टर के पास जांच के लिए या रिकार्ड के लिए भेजे जाने थे । उन्हें नहीं भेजा गया है । किसी भी कानून का पालन नहीं किया गया है ।

ऐसी परिस्थितियों में, क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है कि इस संस्था पर असाधारण ढंग से कृपा करने के लिए इसे छांटा गया है और यह कृपा इस संगठन को स्थापित होने के लिए की गई है । हम अन्य कोई कारण नहीं खोज सकते । मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी अन्य समितियां है जिन्होंने इसी प्रकार की छूट के लिए आवेदन कर रखा है और इसके प्रति मंत्रालय का क्या रुख है । मैं जानता हूं जब हम धारा 80 छः के अन्तर्गत अस्पताल के लिए छूट की बात करते हैं तो रिपोर्टों, सूचियों तथा अन्य बहुत सारी चीजों के लिए कहा जाता है । वे लोगों को पता लगाने के लिए भेजते हैं कि उनके क्रियाकलाप क्या हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इस अधिसूचना को जारी करने से पहले इस संस्था के संबंध में क्या इसी प्रकार के कदम उठाए गए हैं ।

इसलिए, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आगे चर्चा हो, इसके पूर्व आप इस विषय पर विचार करें, प्रत्येक बात को इस सभा के समक्ष रखें; और यदि आवश्यक हो तो सांसदों की एक समिति इन विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित की जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : अध्यक्ष महोदय, सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक बदले की भावना से लाये गये इस मोशन का मैं विरोध करता हूं । मध्यप्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश में जितनी भी सोसाइटीज हैं, वह गवर्न होती हैं और मध्यप्रदेश लाटरीज अधिनियम है, जिसके अन्तर्गत जितनी भी लाटरीज मध्यप्रदेश में हैं, वह गवर्न होती हैं।

मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि बैरिस्टर सोमनाथ चटर्जी को यह जानकारी नहीं है, वह यह पूछ रहे हैं कि मध्यप्रदेश में जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, उनके एकाउन्ट दिये गये हैं या नहीं। मुझे लगता है कि मार्कसिस्ट गवर्नमेंट के अन्तर्गत बंगाल में इस तरह की सोसाइटीज पर इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, या आपको इसकी जानकारी नहीं है। अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि वह कुमारी ममता बनर्जी से क्यों हारे हैं। एक मामूली कामनसेंस की बात है कि एक सोसाइटी जो वहां कुछ काम कर रही है, वह मध्यप्रदेश सोसाइटीज एक्ट से गवर्नड है और लाटरीज आर गवर्नड बाई मध्यप्रदेश सोसाइटीज एक्ट। राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों ने यह शिकायत की है। उनकी जांच भी हो रही है, उसके बाद भी आपको एतराज क्या है ?

2.56 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

आप बी० आई० पी० से सम्बन्धित बता रहे हैं इस लाटरी को और इस सोसोइटी को। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि यह बी० आई० पी० से सम्बन्धित है तो फिर वहां रेड क्यों हुई ? वहां इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने रेड की है और उसके अन्तर्गत जो भी टिकिट्स बेचे गये हैं, वह टिकिट उन्होंने पकड़े हैं। जैसे-जैसे टिकिट रिलीज होते जाते हैं, उनमें से वह पैसा दिया जा रहा है।

30 दिसम्बर, 1983 को सीधी के कलैक्टर ने प्राइवेट लायरी की इजाजत दी। इस पर श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री उन्नीकृष्णन, दोनों का प्रमुख मुद्दा यह है कि इसमें एक ही लाटरी की इजाजत थी इससे ज्यादा नहीं। यह बिल्कुल गलत हे। एक साल के लिए परमीशन दी गई थी। यह कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि एक बार निकालेंगे या कई बार निकालेंगे। जब उनका पूरी बहस का मुद्दा जिस पर वह बहस कर रहे हैं वही गलत है तो फिर किस प्रकार यहां पर बहस करेंगे और किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ?

गवर्नमेंट आफ इंडिया की गाइड-लाइन जनवरी, 1984 में इश्यू हुई, जिसकी यह बातें करते हैं और इस लाटरी की जनवरी, 1984 में सारी प्रोसीडिंग्ज पूरी हो गई। इसलिए जिस गाइड-लाइन की ये बातें करते हैं, उससे यह लाटरी गवर्न ही नहीं होती है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इनको इसका भी ज्ञान नहीं है।

लाटरी के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन की इन्फार्मेशन मेरे पास है। राज्य शासन की सारी शर्तों का पालन इस सोसाइटी ने किया है और इस लाटरी में भी किया गया है। सारे ईनाम दिये गये हैं, राज्य शासन को जीतने वालों की सूची भी भेज दी गई है। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेड किया था, उसमें 51 जीते हुए टिकिट अप्त किये, उनमें से 29 रिलीज कर दिये गये हैं। जो टिकिट रिलीज कर दिये गये हैं, उनको पैसा मिल चुका है। यदि किसी ने शिकायत की है कि उनको पैसा नहीं मिला है तो वह इस कारण नहीं मिला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टिकिट सीज किये हैं। ऐसी दशा में कोई ईनाम की राशि उनको देना संभव नहीं था।

यह पूछते हैं कि एकाउन्ट आडिट हुए हैं या नहीं ? इस सोसाइटी और इस लाटरी के एकाउन्ट आडिट हुए हैं और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा। आप मुझसे इन्फार्मेशन ले लीजिये और वह बाकायदा पेश किये गये हैं।

इसके अलावा जो लाटरी स्पॉन्सर करने वालों के बारे में आरोप लगाए गए हैं कि फैमिली मेम्बर्स को प्राइज मिले हैं, तो किसी भी लाटरी स्पॉन्सर करने वाले मेम्बर की फैमिली को इनाम नहीं मिला है।

इस सोसाइटी की एक्टीविटिज चालू हैं और काफी खर्चा इसने बिल्डिंग फंड में किया है चिल्ड्रेन वैलफेयर के लिए। यदि इनको यह शिकायत थी, तो यह फोरम नहीं था शिकायत का। इनकी मार्कसिस्ट पार्टी का तो कोई प्रतिनिधि मध्यप्रदेश असेम्बली में नहीं है, इन लोगों ने अपने साथियों से सवाल उठवाए हैं, उनके बाकायदा गवर्नमेंट ने जवाब दिए हैं।

इस तरह से जब वहां पर श्री अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो ये वहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाए हैं और बहुत स्ट्रिक्ट प्रावीजन किए हैं। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सोसाइटीज काम कर रही थीं, उनके लिए भी ज्यादा दंड की व्यवस्था की गई है और अगर कोई अनियमितता होगी तो उस सोसाइटी को दण्ड मिलेगा। ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस फोरम पर इस सवाल को उठाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

3.00 म० प०

अब वह लोग यह सवाल उठा रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस जनता पार्टी के शासन में चरण सिंह ने मोरारजी देसाई को और मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को भ्रष्ट कहा और बहुगुणा को फारेन एजेंट तक कहा, वही आज गरीबों की बात कर रहे हैं। आपने गरीबों के लिए कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी क्यों नहीं बनायी? यदि कोई बी. आई. पी. गरीब बच्चों की भलाई करने की कोशिश करता है और उसकी भलाई के लिए चेरिटेबल ट्रस्ट बनाता है तो यह विरोधी पार्टी वाले इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी चेरिटेबल ट्रस्ट बनाने में रुचि नहीं लेगा और गरीबों के लिए जितने भी चेरिटेबल ट्रस्ट बने हुए हैं उसमें भी रुचि लेना बन्द हो जायेगा। यह विरोधी पार्टी वाले इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता हासिल करके बहुत अधिक हानि पहुंचायेंगे। इस सोसायटी में दो एम० पीज दो एम० एल० एज० का भी इन्होंने नाम लिया। एक एम० पी० के बारे में उन्होंने यहां तक कहा कि वह उसकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत भी करते हैं। इन सबके बावजूद भी इन्हें यह कैसे लगा कि इसमें गड़बड़ी या अनियमितता हो जायेगी? यदि कुछ गड़बड़ होगी तो उसके लिए प्रापर मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्टर्ड एक्ट है। उसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं। यदि लाटरी में कोई शिकायत है तो लाटरी अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत करिए। यह मामला मध्य प्रदेश में भी निपट सकता है। आपकी पार्टी ने इस बारे में शिकायत भी की थी और उसकी जांच भी हो रही है। कलेक्टर और सेक्रेट्री ने इस सम्बन्ध में लैटर भी लिखे हैं। इस प्रकार एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ही उन्नीकृष्णन् साहब यह मोशन लाए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि विरोधी पार्टियों में फ्रस्टेशन भी आ गया है···(व्यवधान)···

एक मि० महालिंगम हैं, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। जबकि असलियत यह है कि उन्होंने टिकट लेकर 225 दिनों के बाद प्राइज क्लेम किया: जबकि 60 दिन के अन्दर प्राइज क्लेम करना चाहिए था। आप ही बतायें कि उन्हें किस प्रकार से प्राइज मिल सकता है? एक श्री

सन्त कुमार सेन गुप्ता है। उनके बारे में कुमारमंगलम जी ने बताया कि उनको प्राइज मिल चुका है। एक और श्री मोहम्मद अब्बीबुद्दीन हैं। इनका टिकट इनकम टैक्स की रेड में जब्त है। जब इनका टिकट रिलीज हो जायेगा तो लाटरी मिल जायेगी।

मैं ऐसा समझता हूं कि श्री उन्नीकृष्णन् ने जो भी मुद्दे उठाये हैं उनमें कोई भी दम नहीं है। मैं उनकी कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। आपने इसमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस में जो कोई भी ऊंचे पद पर जाता है, उसका चरित्र हनन करने की योजना बनायी जाती है। यह एक अच्छी बात नहीं है। आपको इसके नतीजे अगले चुनावों में देखने को मिलेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, मैं माननीय श्री के० पी० उन्नीकृष्णन द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसका संबंध आयकर अधिनियम की धारा 10 की 23 (ग) के अधीन भारत सरकार द्वारा दी गई छूट से है। इसका जिक्र पहले भी हो चुका है और यह जानने योग्य बात है कि 23 (ग) का संबंध माननीय प्रधान मंत्री के राहत कोष से है। इस संस्था को प्रधान मंत्री राहत कोष के समान समझा गया है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या इस संस्था का रिकार्ड इतना अच्छा रहा है कि यह इस विशेष धारा के तहत छूट के योग्य है।

श्रीमान मध्य प्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन कई उपबंध थे जिनको पूरा किया जाना था और जिनका मैं जिक्र करूंगा। इस अधिनियम के उपबंधों का कई बार गंभीर और गलत तरीके से उल्लंघन हुआ है।

पहले यह सिर्फ एक लाटरी के लिए था। दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि यह एक लाटरी के लिए नहीं था किन्तु एक वर्ष के लिए था। इस बात को न मानते हुए कि उनका कहना ठीक है, वास्तविकता यह है कि लाटरियां एक वर्ष से भी अधिक तक चलायी गयीं। लाईसेंस कलक्टर से लेना था और कलक्टर ने सिर्फ एक वर्ष के लिए लाईसेंस दिया था। इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

फिर से मध्य प्रदेश के कानून के अधीन लेखा-परीक्षण किये गये खातों को वित्त विभाग तथा पंजीकरण अधिकारियों को दिया जाता है। जब कि तथ्य यह है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बार बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी लेखा-परीक्षण किए गए खातों को प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश में पदाधिकारियों के वार्षिक चुनाव अवश्य होने चाहिएं और संबंधित प्राधिकारियों को संपन्न चुनाव का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है। मेरे माननीय साथी श्री उन्नीकृष्णन ने पहले ही गलत डाक पत्ते का जिक्र कर दिया है। इस गलत डाक पत्ते के लिए यही उद्देश्य है। चुरहाट एक छोटा कस्बा हो सकता है परन्तु राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का निजी कस्बा तो है ही और इसकी पहचान के बारे में कोई भी गलती नहीं कर सकता। किंतु लाटरियों के संबंध में जब भी विज्ञापन जारी किए जाते थे तो इसे या तो एक कस्बा या रीवा जिले का एक गाव दिखाया जाता था, न कि सिद्धी जिले का।

दूसरा, महोदय, इन लाटरियों को एक सीमित क्षेत्र में चलाना है। सिद्धी जिले के कलक्टर ने कहा है कि लाटरी का संचालन सिर्फ दो जिलों, रीवा तथा सिद्धी में किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : इसका उच्चारण 'रीवा' है न कि 'रिवा'।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उच्चारण के संबंध में ठीक हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मराठी में इसे रीवा बोला जाता है; यह सब ठीक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किंतु फिर, इसका संचालन समस्त देश में किया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं आपका ध्यान एक दूसरे उल्लंघन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश लाटरी के अधीन यह ड्रा चुरहाट में ही होना चाहिए था। कुल 12 ड्रा निकाले गये किंतु चुरहाट में एक भी नहीं निकाला गया। मद्रास शहर पुलिस के हैड कांस्टेबल के 5 लाख रुपए का भुगतान न करने संबंध में, माननीय सदस्य श्री महालिंगम ने कहा कि "उसका निवेदन 60 दिन के अन्दर मिल जाना चाहिए था"; जानबूझकर दिए गए गलत पते पर यह कैसे 60 दिन में मिल सकता है? उसको अब तक 5 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं।

इस संस्था ने माननीय मदर टेरेसा के नाम पर 23 लाख रुपए की बड़ी राशि इक्कठी कर ली है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने बतायी है, उन्होंने केवल लगभग 5 करोड़ रुपए की टिकटें बेची हैं। मुद्रित टिकटें लगभग 14 करोड़ रुपए की थी। इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि शेष बची 8 करोड़ रुपए की टिकटों का क्या हुआ।

अब मैं आपका ध्यान प्रथम ड्रा की तरफ दिलाता हूं। लेखा परीक्षकों के वक्तव्य के अनुसार प्रथम ड्रा में इक्कठी की गई धनराशि 1.78 करोड़ रुपए थी। किन्तु प्रथम ड्रा के अधीन बांटे गए ईनाम 1.92 करोड़ रुपए के थे। इस तरह सिर्फ 1.78 करोड़ रुपए की आमदनी के के साथ कैसे 1.92 करोड़ रुपए की बड़ी राशि बांटी जा सकती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि प्रथम ड्रा का प्रथम पुरस्कार राशि का भाग्यशाली विजेता कौन था। मै माननीय वित्त मंत्री की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रथम पुरस्कार राशि के विजेता के लिए इनाम 1.2 करोड़ रुपए राशि का था। और द्वितीय विजेता को 77 लाख रुपए मिलने थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको पुरस्कार राशि मिली और भाग्यशाली लोगों के नाम क्या हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आयकर की अदायगी की या उनको भी आयकर से मुक्त कर दिया गया था। क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने पुरस्कार राशि के संबंध में 25 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की थी और क्या यह सच नही है कि इस संस्था ने इस सीमा का मनमाने तथा सरासर ढग से उल्लंघन किया है? मैं माननीय श्री कुमारमंगलम का एक रहस्योद्घाटन करने के लिए आभारी हूं क्योंकि हमें यह पता नहीं था कि इस संस्था को छूट देने के बारे में पहले भी अधिसूचनाऐं जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि अधिसूचनाऐं पहले ही जारी की गई थीं। हमें वास्तव में दुख है कि हमें वे अधिसूचनाएं नहीं मिली हैं। किन्तु देर आमद दुरुस्त आमद। हम इसका पता चल गया है। इस तथ्य के अनुसार इस संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 23 (ग) के अधीन किस प्रकार छूट मिल सकती है जिसका संबध प्रधानमंत्री राहत कोष से है?

समिति की संरचना के सम्बन्ध में, इसका जिक्र किया जा चुका है, किन्तु यह बात पूरी तरह से असंगत नहीं है कि इस संस्था को बहुत शीघ्र तथा कार्यकुशल ढंग से लाटरी निकालने का लाइसेंस मिला। मैं यह जरूर कहूंगा कि उस समय मध्य प्रदेश सरकार वास्तव में योग्य और असाधारण ढंग से दक्ष थी। कलक्टर से लाईसेंस लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संस्था को 16 दिसम्बर 1983 को स्वीकृति दे दी थी। संस्था कलक्टर के पास 29 दिसम्बर 1983 को गई और कलक्टर महोदय भी इतने तेज थे कि उन्होंने 3 जून 1984 को लाईसेंस दे दिया। फाइलों को शीघ्रता से निपटने के माध्यम से दिखाई गई इस तरह की असाधारण क्षमता का श्रेय स्वयं इस संस्था के प्रभावशाली सदस्यों को जाता है। इसलिए, ऐसी छूट देने से पहले यह बहुत आवश्यक है कि सोसाइटी के मामलों की अच्छी तरह छान-बीन होनी चाहिए। और संसद की आवास समिति को ऐसे मामलों की छानबीन करनी चाहिए। और माननीय वित्त मन्त्री को हमें यह बताना चाहिए कि उनके द्वारा और कौनसी अन्य संस्थाओं को इस तरह की असाधारण छूट दी जा रही है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसलिए नहीं कि यह विरोधी दल के एक सदस्य द्वारा लाया गया है। अपितु इसलिए क्योंकि मैं ऐसे मूल मुद्दों की अवधारणाओं का ही विरोध करता हूं। हम भली प्रकार कल्पना कर सकते हैं कि हमारी सरकार पिछले दो वर्षों से आर्थिक अपराधियों से कानून की परिधि के भीतर सख्ती से निपट रही है। मैं अम्बानी, किलोस्कर तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ऐसे अन्य लोगों की नाराजगी को भली प्रकार समझ सकता हूं और स्वाभाविक है कि वे इस मामले में सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ मित्र तलाश करेंगे। जैसा कि विज्ञान का नियम है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जिस प्रकार से वित्त मंत्री देश के आर्थिक अपराधियों का पर्दा-फाश कर रहे हैं, मुझे पिछले छह माह से आशा थी कि वे अपराधी शीघ्र या देर से किसी न किसी तरह से सरकार पर प्रहार करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ऐसा चुरहट कांड के रूप में छूट के आधार पर सामने आया है, चाहे यह सही है या गलत। मैं यह नहीं कहता कि श्री उन्नीकृष्णन् उनकी वकालत कर रहे हैं। हो सकता है कि वे अपना मामला उठाने के लिए किसी भरोसेमंद और जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ रहे हों। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि क्या यह छूट वहां के कानून के अनुसार और आय कर के क्षेत्राधिकार के भीतर हैं और दूसरी बात यह है कि जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि ऐसी छूट प्रदान करते कुछ आवश्यक औपचारिकताओं जैसे कि रिकार्ड, कार्य-निष्पादन आदि की जांच की गई थी। क्या यह जांच वित्त मन्त्रालय द्वारा किए जाने के पश्चात अनुमति दी गई थी ? जैसे कि श्री जयपाल रेड्डी ने कहा है, मध्य-प्रदेश में सत्तारूढ़ दल इस कार्य को शीघ्र करने में रुचि रखता था, यदि यह बात सही होती तो जिस सोसायटी 4 का पंजीकरण 1982 में किया गया था, और यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी, और सोसायटी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, उस आवेदन को उसी सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मामले के ब्यौरे पर गहराई से विचार

करके लाइसेंस देने के लिए 1984 तक लम्बित न रखा जाता। श्री उन्नीकृष्णन तथा श्री जयपाल रेड्डी ने कहा है कि उसमें कोई पता नहीं दिया गया था। महोदय, भारत में अनेक छोटी-छोटी तहसीलें, परिषदें तथा सभायें हैं और कस्बे का नाम तथा पता और डाक पता एक ही हो सकते हैं। लाईसेंस-प्राप्त फर्म द्वारा की गई घोषणा में मैंने देखा है कि उसमें तहसील, जिले और डाक पता का नाम उल्लिखित है। एक सोसायटी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन में और कैसे पते की आवश्यकता होती है ? उसमें चुरहट, सिद्धि, बुवाघगंज स्टेशन, सिद्धि जिला, सिद्ध, डाक पता तथा चुरहट गांव का नाम दिया गया है।

भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां डाक पता तथा गांव का नाम एक ही है। अतः पता बिल्कुल ठीक है। मेरे विचार में श्री उन्नीकृष्णन ही इस पते को समझने में असमर्थ हैं। अत: उन्हें स्पष्ट नहीं है कि यह पता सही हो सकता है और वे सोच रहे हैं कि इसमें कुछ और पता होना चाहिए था। किंतु सरकार का रिकार्ड यह दर्शाता है कि लाईसेंस देने से पूर्व ही पता दिया गया था। अब यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी ग्रुप अथवा सोसायटी का पक्ष लेने में रुचि नहीं रखती थी। यदि ऐसा होता तो जिस दिन सोसायटी बनी थी उससे अगले माह ही लाइसेंस दे दिया जाता और काम शुरू हो जाता। किंतु उन्होंने मामले का अध्ययन करने तथा लाइसेंस देने में काफी समय लगाया।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। श्री उन्नीकृष्णन ने आज संसद की सेवा की है और मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। ये प्रस्ताव लाकर उन्होंने हम सबके लिए भविष्य में ऐसी सोसायटी और ट्रस्ट आदि जिन्हें भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है के कार्य निष्पादन पर चाहे राज्य सरकारें किसी भी दल की हों, चर्चा करने का रास्ता खोल दिया है। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी मुख्यमंत्री का पुत्र, भतीजा अथवा भाई होना अपराध है। यदि यह मध्यप्रदेश की सरकार के लिए अपराध है तो बंगाल सरकार के लिए भी हो सकता है। यह अपराध नहीं हो सकता। सीधी सी बात तो यह है कि ऐसा वहां के कानून के अनुसार तथा जनता के हित में किया जा रहा है या नहीं। महोदय, श्री उन्नीकृष्णन ने इस बाल-कल्याण सोसायटी के कार्य-निष्पादन के बारे में पूछा है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा है कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि संस्था ने किस प्रकार से धन एकत्रित किया है। अब चुरहट बाल कल्याण सोसायटी ने यह कभी नहीं कहा कि लॉटरी उनका धन एकत्रित करने का एक मात्र साधन है। इस सोसायटी ने सोचा कि अन्य तरीकों के साथ साथ यह भी धन एकत्रित करने का एक साधन है। सोसायटी व्यक्तियों तथा कम्पनियों से धन एकत्रित करती थी, ग्रुपों से दान लेती थी और लॉटरी निकालती थी। अत: संसाधन एकत्रित करने के तरीकों में लॉटरी भी एक तरीका थी। शेष तरीके भी थे। मैंने देखा मेरे मित्र बहुत नाराज हो रहे हैं। अनेक मित्रों ने कहा है कि यूनियन कारबाईड ने इस सोसायटी को दान दिया और यह कि ये बात गलत है। मेरे पास ब्यौरा नहीं है। किंतु जहां तक मैं जानता हूं कोई भी राजनीतिक दल, सोसायटी, इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे अपनी पत्रिका अथवा समाचार पत्र के लिए देश की किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी से विज्ञापन कभी नहीं लेते। यदि वे कोई भी ऐसा उदाहरण दें तो मैं अपनी हार मान लूंगा। किंतु कम-से-कम मुझे···

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्या मैं मंत्री महोदय के कथन में शुद्धि कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। कृपया बैठिए।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : यदि यूनियन कारबाइड ने करोड़ों रुपये लूटने के बाद इस सोसायटी को कुछ दान दिया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। किंतु ऐसा कहना गलत है कि उन्होंने यह काम संरक्षण प्राप्त करने के लिए किया है। मुझे नहीं मालूम की राज्य सरकारें इन बहुराष्ट्रीत कम्पनियों को क्या संरक्षण दे सकती हैं ? वे राज्य सरकारों के नहीं बल्कि केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

तीसरी बात यह कही गई थी कि लाटरी की टिकटें पुरानी थीं तथा पूरे देश में वितरित की गई थीं। यह बात सही है कि प्राइवेट लाटरी व्यवस्था में इस सम्बन्ध में कुछ मार्गनिदेश होते हैं कि ड्रा किस स्थान पर किया जाए और टिकटें कहां बेची जायें। आप टिकटों की बिक्री भारत के किसी एक भाग तक सीमित नहीं रख सकते। यदि मैं टिकट खरीद कर केरल में रहने वाले अपने किसी मित्र को दे दूं तो क्या आप इसे रोक सकते हैं ? टिकट सभी को ही दी जा सकती है। आप चाहें तो इसे केरल, मध्य प्रदेश या बंगलौर कहीं भी ले सकते हैं। आप केवल इस सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दे सकते हैं कि ड्रा किस स्थान पर और कैसे किया जाएगा। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। किन्तु यह सही नहीं है कि केवल अमुक स्थानों पर ही छापा मारा गया था। सत्य यह है कि वित्त मंत्रालय ने अपने विवेकानुसार सही काम किया है और पूरे देश में लगभग सभी प्राइवेट लाटरी एजेन्सियों पर एक ही समय छापा मारा गया और यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो कम से कम 50 स्थानों पर छापा मारा गया। अब उसमें चाहे अमुक लाटरी अथवा आंध्र लक्ष्मी या यह या वो लाटरी हो। कुछ ऐसी टिकटें पकड़ी गई थीं जो ईनाम पाने वालों की सूची में थी और क्योंकि आयकर विभाग तथा छापा मारने वाले प्राधिकारी उन्हें मुक्त नहीं कर सके इसलिए वे वह राशि प्राप्त नहीं कर सके। जो टिकट बेची गई थी उसे ईनाम दिया गया। यह कहा गया है कि इसमें धोखा किया गया है। यह बात भी सही नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने कहा है कि लगभग 8 करोड़ रुपये की टिकटें बेची नहीं गई थीं। जब टिकटें बेची ही नहीं गईं स्वाभाविक है कि उनसे आमदनी नहीं हुई। न ही बेचे जाने का मतलब है कि वे जनता को नहीं बेची गईं···

सभापति महोदय : सभी को दस मिनट का समय दिया गया था। कृपया अपनी बात समाप्त करें

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : उनका कहना है कि इसमें उन्होंने लगभग 28 लाख रुपये कमाये हैं। मैंने आंकड़े नहीं देखे। श्री उन्नीकृष्णन ने अपने किसी जांच अभिकरण के माध्यम से यह पता लगाया होगा। और वित्त मंत्रालय को इसका पता लगा होगा। यह सोसायटी पहले ही एक अस्पताल का निर्माण कर चुकी है और इसमें प्रतिदिन आने वाले बाह्य-रोगियों की संख्या 150 से 200 है। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है। वे प्रतिदिन 150 से 200 बाह्यरोगियों, स्त्रियों अथवा बच्चों की जांच कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या वे बच्चों के विरोधी हैं। किन्तु। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा अस्पताल बनाया है, उसमें रोगी आते हैं, उन्होंने तीन बड़े कृत्रिम अंग कैम्प तथा 'आई कैम्प' लगाए हैं। यह काम [illegible] रोज चलता है

महोदय, किसी सोसायटी की छवि धूमिल करना एक बात है तथा किसी दल अथवा सरकार की छवि धूमिल करना इक अन्य बात है। इस प्रस्ताव लाने वाले का इरादा सच्चाई का पता लगाने का और यह देखने का नहीं है कि बच्चों को लाभ हो रहा है या नहीं किन्तु यह देखने का है कि किसी दल अथवा सरकार पर कीचड़ उछालने का अच्छा अवसर है। यदि ऐसा होता तो इस प्रस्ताव को लाने वाले सदस्य 'सन्डे' अथवा 'इण्डियन एक्सप्रेस' पर निर्भर न करके स्वयं अस्पताल जाते और बच्चों के माता-पिता से बात करके यह पता लगाते कि उन्हें इसका कितना लाभ हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी दल अथवा सरकार की छवि किस प्रकार धूमिल की जाए।

अन्त में, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। सभी सदस्यों ने कहा है एक दल-विशेष के संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य इस सोसायटी के सदस्य हैं और यह एक अपराध है और उन्हें अपराध करने वाला विशिष्ट व्यक्ति माना जाए आदि-आदि।

मैं कुछ ऐसी कम्पनियों के नाम जानता हूं जो बिड़ला, टाटा अथवा जैन और अन्य महान क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई हैं और जो अपने लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें छूट का लाभ मिलता है या नहीं। मैं सीधे वित्त मंत्री जी से यह पूछने के लिए प्रश्न करूंगा कि क्या कलकत्ता में एक सोसायटी जिसका नाम 'स्पोर्टस एण्ड स्टेडिया' जिसके सदस्य बिड़ला, जैन, टाटा और गोयनका और वामपंथी नेता हैं, व्यापारी वर्ग से धन लूटकर, सरकार को वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए बिना, लेखाओं को प्रस्तुत किए बिना ही कर में छूट प्राप्त कर रही हैं। यदि हां तो क्या इन छूटों को भी समाप्त किया जाएगा ? मैं यही बात कहना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, इस प्रश्न पर पहले ही काफी चर्चा की जा चुकी है। यहां पर सभी भाषण सुनने तथा पहले जो मैं समाचार पत्रों में पढ़ चुकी हूं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सोसायटी के वित्त के बारे में कुछ न कुछ संदेह अथवा गंभीर बात अवश्य है विभिन्न प्रकार के लेखा-परीक्षित लेखाओं का प्रश्न यहां पर उठाया गया है कि सोसायटी द्वारा क्या काम किया गया है, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। आय में विसंगति की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सब बातों को देखते हुए और जो कुछ यहां कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए दी गई छूट को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करती हूं। समय की कमी को देखते हुए मैं उन सभी तथ्यों को दोहराना नहीं चाहती जो मेरे मित्रों द्वारा यहां पर बताए गए हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं जब वास्तव में अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हों और उन्हें जिम्मेदार न ठहराया जाए तो यह गलत होगा। इसलिए मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा कही गई बात का समर्थन करती हूं कि इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि निष्कलंक के नाम पर कई बातें हो रही हैं। इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए। इसमें संदेह नहीं है। कुछ प्रयत्न करना होगा। यदि आप छूट समाप्त नहीं करते और गंभीरता से जांच नहीं करते तो

यह जनसमर्थन भी समाप्त हो जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं श्री उन्नीकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करती हूं ।

श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, कुछ लोगों के भाग्य में सुनना और चुपचाप कष्ट सहना ही बदा है । मैं बहुतआभारी हूं तथा मैं मानता भी हूं कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने यह मामला उठाया है । मर्यादा पालन के उच्चतम इरादों श्रेष्ठतम प्रेरणाओं से प्रेरित हैं । इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों को भी ऐसा ही मानता हूं । मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रजातन्त्र में सभी शक्तियां सभा में निहित होती हैं और जो मामला इसके समक्ष संवैधानिक ढंग से लाया गया है उसकी इसे जानकारी है । मंत्री महोदय, जो कि इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, इस विषय पर विचार कर रहे हैं । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यह मामला जो सुनियोजित तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए था—उन तथ्यों तथा आंकड़ों पर जो यहां रिकार्ड में हैं, वे तथ्य जो वास्तविक तथ्य हैं—ऐसा प्रतीत होता है कि वह सुनियोजित आरोपों, खबरों तथा नितांत झूठ पर आधारित है ।

3.31 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस सभा का एक सदस्य हूं और इस सभा के सदस्य के रूप में मेरे पास बहुत विशेषाधिकार हैं जो इस सभा के प्रत्येक सदस्य को मिले हुए हैं । उनमें से किसी अधिकार का प्रयोग करने की मेरी मंशा नहीं है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा का एक सदस्य होने के अलावा भी मेरे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि मैं इस महान राष्ट्र का एक नागरिक हूं । क्या इस देश के नागरिकों के रूप में हम पर आरोप लगाए जायें तथा व्यंग्यों एवं निन्दापूर्ण कटाक्षों से हमारा अपमान किया जाए ? अध्यक्ष महोदय यदि ये सब बातें ही प्रमाण की कसौटी हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि चाहे यह मैं स्वयं हूं अथवा इस देश का कोई भी नागरिक है, मेरे विचार में उसकी इज्जत एवं प्रतिष्ठा इस देश में सुरक्षित नहीं है । मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं । जिन माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया है में उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं । जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, मुझे विश्वास है कि वे उच्चतम और बेहतर उद्देश्यों से प्रेरित हैं । परन्तु मैं दृढ़ता से एवं स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि सभी व्यंग्य सभी आरोप जो इस सभा में लगाये गये हैं वे बिल्कुल निराधार हैं, झूठे हैं तथा बेबुनियाद हैं । और जब मैं यहां इस महान सभा में यह कहता हूं तो मैं यह बात पूरे दायित्व की भावना से कहता हूं क्योंकि मैं यहां भाग्यवश नहीं आया हूं और मैं राजनीति को गुण्डों की शरण-स्थली समझकर भी नहीं आया हूं; मैं वचनबद्ध होकर राजनीति में आया हूं तथा मैं यह उस वचनबद्धता से ही रहना चाहता हूं । मुझे गर्व है तथा यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान कांग्रेस दल का सदस्य हूं । मैंने तीन प्रधान मन्त्रियों के साथ काम किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी और आज मैं श्री राजीव गांधी के साथ काम करने में गौरव का अनुभव करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे उनकी भद्रता और दयालुता पर जिनका कि मैं इस देश के तीनों महान नेताओं का पात्र रहा हूं, धब्बा लगे । मैं चाहता हूं कि सदस्य जो चाहें कह सकते हैं और मुझे विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया अपनी गति से चलेगी ।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आपकी अनुमति से मैं प्रधानमंत्री महोदय तथा इस सभा के नेता से यह निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से वे उचित समझें वे अपने आप को संतुष्ट कर लें और यदि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया गया हो कोई अनुचित व्यवहार किया गया हो, यदि यह सही साबित हो जाता है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि तो उन्हें सबसे कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि किसी का भी बचाव करना मेरा विषय और मेरा उद्देश्य नहीं है चाहे वह मेरे परिवार का सदस्य हो चाहे और कोई हो यदि उसने कानून के विरुद्ध काम किया है। तथा मैं विपक्ष के माननीय सदस्य महोदय से, जिन्होंने अपनी लच्छेदार भाषा में वह सब कहा उनके विचार में ठीक था। यह आशा करता हूं, मैं उनसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह समझें कि दूसरे लोगों की सच्चाई मर्यादा, ईमानदारी तथा उद्देश्य भी कुछ महत्व रखते हैं मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि संस्था से मेरा एक सम्बन्ध है, मैं इसे छुपाना नहीं चाहता। हां, संस्था मेरी जानकारी में बनाई गई थी। वास्तव में संस्था को अपना अस्पताल बनाने के लिए मैंने 7 एकड़ भूमि दान में दी थी। इस भूमि पर जीवित साक्षात सन्त आदरणीय मदर टेरेसा से मैंने व्यक्तिगतरूप से आने और उस अस्पताल की आधारशिला रखने के लिए निवेदन किया था। यह उनकी कृपादृष्टि थी कि वे आई और आधार-शिला रखी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसकी पृष्ठिभूमि के बारे में बताना चाहता हूं। 1952 में जब मैं मुश्किल से 22 वर्ष का युवक था, भारत के प्रथम आम चुनावों में प्रचार कर रहा था। उस चुनाव प्रचार के दौरान एक शाम की बात है- दो असहाय बच्चे—एक की उम्र आठ साल थी तथा दूसरे की उम्र बारह साल थी—बिना किसी परिवार की सहायता के, मेरे चुनावी खेमे में आये। पांच दिन तक वे मेरे साथ रहे और इन अनाथ बच्चों के साथ मेरा बहुत नजदीकी संबंध हो गया। ऐसा हुआ कि तीन दिन बाद जब वे एक मेला देखने जा रहे थे, एक बाढ़ ने उन दोनों अनाथ बच्चों को मृत्यु का ग्रास बना लिया।

मैंने परिवार में भी दुःख देखे हैं। मैं जानता हूं कि एक परिवार पर क्या बीतती है जब एक सुकुमार की मौत हो जाती है। यही वह दुःख है जिसने मुझे कुछ करने की प्रेरणा दी और यही कारण है कि एक अस्पताल के निर्माण हेतु मैंने भूमि दान में दी। मैं पुनः कहता हूं मैं याचना नहीं कर रहा हूं, कि भावुकता की आड़ में मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। जैसाकि मैं मैं कह चुका हूं कि यदि कोई बात गलत निकल आये तथा प्रधानमन्त्री महोदय उससे संतुष्ट हों, मैं चाहता हूं कि दोषी लोगों को कठिनतम दण्ड दिया जाये।

परन्तु कृपा करके इस महान सभा के मंचों को, जो कहीं अधिक गंभीर तथा महत्वपूर्ण विषयों के लिए बना है, राजनैतिक बैर निकालने तथा ऐसे षडयन्त्र रचने के लिए जो इस सभा की कार्यवाही को शोभा नहीं देती, प्रयोग में न लायें।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं श्री उन्नीकृष्णन महोदय से, श्री जयपाल रेड्डी से तथा श्री चटर्जी से क्षमा चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है यदि उससे किसी भी ढंग से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, उन्हें ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं उनका आदर करता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि यदि मैंने ऐसा कुछ कहा है जिससे उन्हें ठेस पहुंची हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दें।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस वाद-विवाद में हमें विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट रूप से भेद करना है।

सभा के समक्ष यह मुद्दा है कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी को दी गई कर छूट अधिसूचना उचित थी। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उचित ढंग से जारी नहीं की गई। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यह अधिसूचना उचित ढंग से सोच समझ कर जारी की गई थी, क्या सरकार ने इस पर विचार किया था, और इस पर विचार कर क्या सरकार ने इस प्रकार की अधिसूचना को जारी करना ठीक समझा तथा क्या यह सार्थक है। यही इसकी मूल बात है। इस मूल बात में मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने कई शब्दाडम्बर जोड़े हैं, जिससे बहुत शोर उठा है। इसने पूरे मुद्दे को ढांप लिया है। हो सकता है कि इस तरह इसे छुपाने के पीछे उनका कोई उद्देश्य हो। खैर, राजनीति में यह एक मान्य खेल है। यदि उनका राजनीतिक रूप से यही ध्येय रहा हो, फिर भी यह उस खेल का एक हिस्सा है परन्तु हमें सभा के समक्ष आये उस मुद्दे के मूल्यांकन से नहीं हटना चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी के नवीकरण संबंधी जो अधिसूचना जारी की गई वह सरकार द्वारा सोच समझ कर वैध आधार पर जारी की गयी थी अथवा नहीं। केवल यही मुद्दा सभा के सामने है।

जहां तक लाटरी का सम्बन्ध है इसके दो पहलू हैं और मैं समझता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपनी वाक्पटुता के द्वारा इस विषय पर श्री उन्नीकृष्णन से अधिक अच्छा न्याय किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (इंदौर) : वह हमेशा वाक्पटु हैं। उन्होंने काओ आयल मामले में भी बहुत वाक्पटुता दिखाई थी।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझता हूं कि अधिकांश सवाल जो श्री उन्नीकृष्णन ने उठाये थे उनका हल श्री सोमनाथ चटर्जी के उद्गारों से हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जहां तक लाटरी का संबंध है यह राज्य का विषय है परन्तु जहां तक अधिसूचना जारी करने की बात है यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है तथा यही वास्तविक मुद्दा है।

महोदय, सर्वप्रथम मुख्य मुद्दे की बात करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की छूट पहली बार नहीं दी गई है। दो वर्ष पहले भी ऐसी छूट दी गई थी। ठीक '984 में भी सरकार ने सोच समझकर 10 (23 ग) उप खण्ड (चार) के तहत छूट देना उचित समझा था। इसकी अधिसूचना सभा पटल पर रखी गई थी। इस पर सोसाइटी को संसद की मौन सहमति भी मिली थी जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है। इसके पश्चात सोसाइटी ने मौजूदा छूट के नवीकरण की बात की थी। पुनः यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह सोच-विचार करे कि क्या यह नवीकरण उचित है या नहीं। ताकि ऐसा कहने का मौका न मिले कि सरकार पर प्रभाव और दबाव डाला गया या इसमें अतिविशिष्ठ व्यक्तियों का हाथ था। सोसायटी ने नवीकरण के लिए 1985 में आवेदन दिया था। अधिसूचना 1986 में जारी की गई। इसलिए यह जल्दबाजी का मामला नहीं था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कब, 1985 में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह 1985 के शुरू के महीनों में किया गया। अधिसूचना 1986 में जारी की गई। इसलिए यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सरकार ने सोच-विचार नहीं किया। सरकार ने ऐसा करने से पूर्व सभी पहलुओं पर ध्यान दिया था और जब नवीकरण उचित समझा गया तभी अधिसूचना जारी की गई। सोसाइटी को पहले ही छूट दी जा चुकी थी, लेकिन जहां तक सोसाइटी के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, वे वैसे ही बने रहे। श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक बात और भी उठाई है कि क्या सरकार ने इस बात की छानबीन की है कि सोसाइटी की आय का स्रोत रैफल अथवा लाटरी थी। हमने छानबीन की थी। हमने सोसाइटी को लाटरी द्वारा होने वाली आय के बारे में पूछा था तथा यह भी पूछा था इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। असाधारण रूप में जोकि धर्मार्थ सोसाइटियों के लिए नहीं किया जाता है, सोसाइटी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि उसे होने वाली सभी प्रकार की आय का उनके द्वारा उन्हीं प्रयोजना के लिए प्रयोग किया जाएगा जिसके लिए सोसाइटी पंजीकृत की गई है। हमारी जानकारी के अनुसार भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि धन का कोई दुरुपयोग हुआ हो। साथ ही सोसाइटी के लेखे से स्पष्ट है कि उसने अस्पताल का निर्माण आरम्भ कर दिया है और उस पर लगभग 11,23,107 रुपये का व्यय किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि सोसाइटी के लेखा परीक्षकों ने लाटरी से प्राप्त 98.6 लाख रुपये वापस कर दिए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या है ? यह स्पष्ट नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा। केन्द्र सरकार ने क्या किया ? सरकार ने इस पर सोच विचार किया। यह ऐसा मामला था जहां सोसाइटी को पहले ही छूट मिल गई थी। सभा को यह बता दिया गया था, कानूनी स्वीकृति भी दी गई थी। यह एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसने अपने प्रयोजनों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसके कार्यकलाप आरम्भ हो चुके हैं इसने अस्पताल के निर्माण पर 11 लाख रुपये व्यय किये हैं। जहां तक इस सोसाइटी का सम्बन्ध है इसके कार्यकलाप वैध हैं; और उसने धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। अब सोसाइटी ने नवीकरण की मांग की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह स्वत: हो गया था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, यह स्वत: नहीं हुआ है। हमने इस पर काफी सोच विचार किया। सोसाइटी को पहले छूट मिल चुकी है अत: छूट दुबारा देने का निर्णय किया गया, जहां तक चुरहाट बाल कल्याण सोसायटी का सम्बन्ध हैं, स्थिति यह है।

अब मैं लाटरी तथा रैफल से सम्बद्ध पूरे मसले की बात करूंगा जो कि मुख्य बात है चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी और दिल्ली के ए० ए० एंटरप्राइजेज में हुए करार के अनुसार, लाटरी चलाई जाती है तथा उसकी लाटरी का एक प्रतिशत सोसाइटी को मिलता है। अब लेखा-परीक्षकों ने यह प्रमाणित किया है कि सोसाइटी को 98 लाख रुपये दिए गए। जहां तक सोसाइटी का सम्बन्ध है हमने सोसाइटी द्वारा धन के उपयोग अथवा दुरुपयोग की जांच की है। और यह पता लगा है कि सोसाइटी धन का उचित उपयोग कर रही हैं।

जहां तक लाटरी की बात है ए० ए० एन्टर प्राइजेज क्या कर रहा है ? हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या लाटरी उचित ढंग से चलाई जा रही है तथा पुरुस्कार दिये जाते हैं या नहीं। इसके भी दो पहलू हैं मालिक और ऐजेन्ट के बीच सम्बन्ध।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार की ओर से प्रवर्तकों को दोष मुक्त किया जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने पूरी बात नहीं कही है। मैं केवल यह कह रहा हूं। यही कारण है कि मैंने शुरू में ही श्री उन्नीकृष्णन से यह बात कहने की कोशिश की थी। वह बोलना चाह रहे थे तथा इसे एक बार में ही कहने की कोशिश कर रहे थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें शुरू में ही गिरा देना चाहते थे।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : वह इतने भारी हैं कि आप उन्हें गिरा नहीं सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहे यह एक वैध मामला है या अवैध आप इसे किसी और पर लादने की कोशिश करते हैं। आप इस मुद्दे को उचित ढंग से नहीं ले रहे थे। मैं इसे ठीक प्रकार पेश करना चाहता था। जहां तक लाटरी की बात है हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। क्या इस मामले में कुछ गलत हुआ है या नहीं। हमें इसके सारे पहलुओं को देखना होता है। यह बात है। अतः ये दो पहलू हैं।

जहां तक लाटरी का सम्बन्ध है, यह एक निजी लाटरी है, अतः यह पूरी तरह से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। एक दूसरा पहलू भी है क्योंकि आयकर विभाग ने इस पार्टी पर छापा मारा है, चाहे हम जो भी सामग्री प्राप्त करें यह पूरी तरह से हमारे क्षेत्राधिकार में है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और हम आपको आश्वास्त करते हैं कि हमारी जांच जिन भी तांत्रिक निष्कर्षों पर पहुंचेगी, हम उसी अनुसार कार्यवाही करेंगे। कानून अपने अनुसार कार्य करेगा और जो दोषी माना जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मालिकों तक।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने सरकार के ध्येय को पूरी तरह बता दिया है। इस मुद्दे पर किसी प्रकार के समझौते का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एसदेव : यदि सरकार की मंशा केवल एजेन्टों तक सीमित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने विचार में वह बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप कोई प्रश्न न करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि मैं 'यदि' का उत्तर देने लगूं, तो मैं समझता हूं कि एक सौ एक 'यदि' वाले वाक्य बोले जायेंगे। मैं केवल तथ्यों का उत्तर दे सकता हूं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि श्री उन्नीकृष्णन ने हमारे द्वारा ए. ए. इन्टर प्राइज पर की गयी कार्यवाही के बारे में व्यर्थ ही समय नष्ट किया है। हमी ने यह कार्यवाही की है न कि उस प्रस्ताव ने जो प्रस्तुत किया गया है। अतः हम इन सभी चीजों को गड्डम गड्ड न करे और कौन क्या है इस पर अपने विचार स्पष्ट कर लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या में एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार (वित्त मंत्रालय) को इन लाटरी की उतपत्ति के बारे में पता लगाना है और क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने ऐसे मार्ग निर्देश दिये हैं कि कोई भी निजी लाटरी चलाने वाला 25 लाख से अधिक इनाम नहीं घोषित करेगा और टिकट की कीमत 3/-रुपये से अधिक नहीं होगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अच्छा, मैं जांच करूंगा। इन तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं जांच करूंगा और आपको सही स्थिति की जानकारी दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : लाटरियों को समाप्त करने के बारे में मेरा एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक है ।

एक माननीय सदस्य : हां । इसे लाया जाना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निजी लाटरियों से संबंधित अन्य बातों तथा उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में चलाई जा रही है मैं केवल राज्य सरकार द्वारा इस बारे में दी गयी जानकारी के आधार पर ही कुछ कह सकता हूं । वास्तव में उन्होंने हमें लाइसेंस देने, उनका पंजीकरण करने के संबंध में जानकारी दी है । जहां तक भुगतान का संबंध है सोसायटी ने लाटरी टिकट की सत्यता की जांच के संबंध में कार्यवाही की है । यह महालिंगम के मामले को लेकर की गयी है । राज्य सरकार को टिकट सं० CA 286739 के इनाम के भुगतान के संबंध में केरल के पालघाट जिले में स्थित कनारा बैंक वालानकुझी से एक पत्र प्राप्त हुआ था । समिति के लेखा परीक्षक के एक पत्र के अनुसार समझा जाता है कि इस मामलों को सोसायटी ने सुलझा लिया है । आगे इस पत्र का कहना है कि जहां तक खातों आदि की जांच का संबंध है, राज्य सरकार का इसे प्राप्त सोसायटी के लेखा परीक्षकों के पत्र दिनांक 5-8-1986 के अनुसार कहना है कि संयोजक अभिकर्ता ने 98.92 लाख रुपये की कुल राशि भेजी है जबकि उसके पास 1 करोड़ रुपया देय है ।

'सन्डे' पत्रिका के हवाला के संबंध में गृह मंत्रालय ने अर्धशासकीय पत्र संख्या 351/38/86/ABD/3 में सन्डे पत्रिका के 25 और 31 मई 1986 के संस्करण में छपे लेख "द ग्रेट वी० आई० पी० लाटरी हाक्स" की ओर ध्यान आकर्षित किया था और रिपोर्ट मांगी थी । उपर्युक्त लेख में छपी कुछ बातों पर कार्यवाही की गयी है । लेख में उल्लिखित अन्य बातों सभी संबंध तथ्यों का पता लगाने के बाद भेजी जायेगी । श्रीमान, मैं सबको आश्वासन देता हूं कि छपे हुए मुद्दे पर कार्यवाही की जायेगी । यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार ने इसके पुर्ननवीनीकरन के समय अपने दिमाग का प्रयोग किया । यह दो वर्ष के बाद पुर्ननवीनीकरण का मामला था । यह पाया गया है कि कोष का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है, उद्देश्य वही बना हुआ है । अस्पताल का निर्माण आरम्भ हो गया है और 11 लाख रुपए खर्च किए गये थे । केवल यही नहीं, हमें इसके अलावा यह भी जानकारी है कि वहां और भी गतिविधियां रही हैं । अतएव यह कहना कि कार्य शुरू हो गया है और वर्तमान सुविधाओं का पुर्ननवीनीकरण करना न्याय संगत बात है ।

ए० ए० इन्टर प्राइजेज जो लाटरियां चला रही थी, आयकर छापों की बात पर आते हुए मैं आपको आश्वास्त, करता हूं कि यदि कानून का किसी भी तरह से उल्लंघन किया गया उसके विरुद्ध पूरी कार्यवाही की जायेगी । इस पर कोई रियायत नहीं होगी ।

प्राइवेट लाटरी, जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है की बात करते हुए, मैं आपको वह जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे पास उपलब्ध है। मैं सोचता हूं कि यह बात प्रस्ताव की अपेक्षा बिल्कुल साफ है कि क्या इस अधिसूचना को रद्द कर दिया जाएगा। मेरी राय में इसका समर्थन दिया जाना चाहिए ।

श्री ए० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मैं इनामी रकम के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहला पुरस्कार 1.2 करोड़ रुपए का था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (वडागरा) महोदय मुझे खेद है कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं। यदि वित्त मंत्री न्यायपूर्ण ढंग से उत्तर देते तो मैं मान सकता था। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह केवल वृण निश्चय को प्रदर्शित करता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : दूसरी तरफ के लोगों द्वारा कही गयी विभिन्न बातों का उल्लेख न करके, मेरे मित्र श्री अर्जुन सिंह के विश्वास की भावनात्मक उद्घोषणा की गयी है। मैं अपने मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री जयपाल रेड्डी का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा उठाए गए कतिपय मुद्दों को स्पष्ट किया है और उन पर प्रकाश डाला है।

महोदय, श्री अर्जुन सिंह ने व्यंगयोक्ति के रूप में आरोप लगाया है। उन्होंने षड़यंत्रों के बारे में अस्पष्ट बात कही है। मैं नहीं जानता कि उनका आशय किसके षड़यंत्र की ओर था और यह किस लिए। दक्षिण दिल्ली से चुने गये मेरे माननीय सदस्य ने न तो कुल्यात समिति और न लाटरी में अपनी अन्तग्रस्तता स्वीकार की है। यदि उनके पास तथ्य उपलब्ध थे तो उन्हें समुचित उत्तर देना चाहिए था, बजाय इसके कि हमने जो आरोप लगाये थे उन पर साफ न देकर अपनी बेगुनाही साबित करे। अन्य सदस्यों ने जो उनके बाद बोले हैं कीचड़ उछालने में अपना सहयोग दिया है। मेरे प्रिय मित्र प्रिय रंजन ने षड़यंत्रों तथा मिली भगत की बात की है और छापों को एक बड़े व्यापारिक घराने से जोड़ने की कोशिश की है क्योंकि··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि स्टेडियम का निर्माण हो चुका है।

4.00 म० प०

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जैसा कि मैंने कहा कि मेरे मित्र वित्त मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा को यथा रूप में नहीं लिया गया उन्होंने कहा कि इसे सभी पर लागू किया जायेगा चाहे यह किर्लोस्कर हो या अन्य कोई प्रकार का अपराधी··· **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया नहीं। कोई नाम न ले। पूरी तरह से अनुचित है। पूरी तरह से अनुचित है। कोई नाम नहीं। कोई नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, उन्होंने एक सदस्य का उल्लेख किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर गौर फरमाया है। मैंने इस पर गौर फरमाया है। वह किसी का नाम नहीं ले सकते।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : उनको इसे वापस लेना होगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह मेरा कार्य है। आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे करूंगा।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ? (व्यवधान)*

महोदय, इस सदन में क्या हो रहा है ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सुन नहीं पाया हूं । उन्नीकृष्णन भी किसी का नाम न लें ।

श्री जुल्फिकार अलीखान (रामपुर) : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे वापस ले लूंगा । मैं केवल यह बताने की कोशिश कर रहा था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, उचित रूप नाम को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि उसे भेजा जाना चाहिए । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सूचना जो उन्होंने दी है, कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किसी नाम को निकालना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हो सकते हैं जबकि किसी नाम या पारिवारिक संपत्ति का इस सदन में उल्लेख किया गया हो ।···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री प्रिय रंजनदास मुंशी को सूचना देने के लिये वह एक मुद्दे पर जानकारी चाहते । मैं उन्हें इसका उत्तर नहीं दे सका था । पश्चिम बंगाल में स्टेडियम तथा क्रीड़ा के लिए समिति को, जिसका क्रीड़ा संगठन से सम्बन्ध है धारा 10 (23) के अन्तर्गत दी गई छूट के तहत अधिसूचित किया गया था । अधिसूचना 23 दिसम्बर को जारी की गई थी ।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : नहीं । ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे ईर्ष्यालु हैं क्योंकि स्टेडियम का निर्माण सोसाइटी द्वारा कराया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मैच नहीं, यहां कोई जबानी मैच नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्र से एक भी धेले के बिना··· (व्यवधान)

गृहमन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : यह सही नहीं है कि केन्द्र सरकार से एक भी पैसा नहीं दिया गया । मैं खेल मंत्री था । मैं जानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति-शांति । कार्यवाही को आगे चलने दीजिए । आप एक अवसरवादी सदस्य हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वैयक्तिक रूप से कोई बात नहीं है । व्यक्ति से सम्बन्धित कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वैयक्तिक रूप से कोई बात नहीं होनी चाहिए ।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : वैयक्तिक रूप से कोई बात नहीं कही गई है। जहां तक श्री माधवराव सिंधिया का संबंध है, प्रधान मंत्री मेरी पुष्टि करेंगे। मैंने उनसे बात की थी और उन्हें लिखा था।

मैंने इसे सदन में नहीं उठाया था—और सभा की कार्यवाही से इसकी पुष्टि की जा सकती है, और उन्होंने अपने हाथ से मुझे लिखा। अब, लोग कह रहे हैं कि मामले की छान-बीन की जायेगी और कि उन्होंने जांच के लिए मेरी शिकायत केन्द्रीय वित्त मंत्री के पास भेज दी है। मैंने इसे सदन में नहीं उठाया था।

अब जब भी कोई मुझे असंसदीय और अशोभनीय वाक्य द्वारा पुकारता है तो मेरे पास सिर्फ आपका संरक्षण है। किन्तु मैं स्वयं भी इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी से सुरक्षा की जरूरत नहीं है।

इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है किंतु कुछ मूल प्रश्न हैं, और यह एक बहुत संकीर्ण मामला है। इस मामले का छूट की एक अधिसूचना से संबंध है।

सरदार बूटा सिंह : इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। यही तो मुद्दा है; और छूट का किससे संबंध है ? छूट का एक सोसाइटी से संबंध है। ए० एण्ड ए० इन्टर-प्राइजिज का नाम मत लाये, और ऐसे भ्रमित करने की कोशिश मत करें। स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। वह सोसाइटी को आमदनी के लिए प्राप्ति के लिए छूट तथा लाटरी के संगठन एजेंट और ए० एण्ड ए० इन्टरप्राइजिज के सोसाइटी के साथ समझौते के बीच में उलझन पैदा करने का प्रयास कर रहे थे।

यह मैंने नहीं किया था। उस फोर्म तथा संयोजक एजेंट के विरुद्ध उन्होंने किसी की वजह से कार्यवाही की है तथा वह हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सोसाइटी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मेरे साथियों ने जिनमें श्री प्रियरंजन दास मुंशी भी शामिल हैं ने यह कहा है कि प्रत्येक चीज स्पष्ट है। मध्य प्रदेश सरकार के विशेष वित्त सचिव द्वारा लिखा गया पत्र डी०ओ० नं. 2057/आर. III/4/84 जो कुछ और ही दावा करता है अब है या नहीं ? क्या उसके जवाब में सिधी और रीवा के कलक्टर के कार्यालय ने उत्तर भेजा है ? वे कौन से पत्र हैं ? क्या माननीय वित्त मंत्री उनको मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त करेंगे और सभा पटल पर रखेंगे ? क्या उन्होंने यह कहा था कि यह सिर्फ एक ड्रा के लिए है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में रैफल और लाटरी में अन्तर है। अगर यह एक बार होता है तो यह रैफल है, एक लाटरी नहीं, और अगर यह एक योजना है तो यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जो एक लाटरी है।

मेरे साथी ने केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में पूछा है जिनका मैंने पहले जिक्र किया था; और ये दिशा निर्देश विशेष तौर पर पैरा 2 में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—बम्पर इनाम, ड्रा और प्रथम इनाम की सीमा 25 लाख रु० निर्धारित की जाएगी; (ख) एक टिकट की अधिकतम कीमत 3 रुपए से अधिक नहीं होगी। आप इन दिशा निर्देशों को देखें। ये दिशा निर्देश श्री बूटा सिंह के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए थे क्योंकि संविधान के अन्तर्गत गृह मंत्रालय को ही इन दिशानिर्देशों को जारी करने का अधिकार है। यह इसी तरह है जैसा कि श्री वी०पी०

सिंह को आयकर छूट से निपटने के लिए नियमों के अधीन अधिकार है। संविधान की अनुसूची के अधीन गृह मंत्रालय ही इस विशेष मद का प्रभारी है। इसलिए मेरा सम्पूर्ण मुद्दा यह है कि हम एक बहुत सीमित मामले को ले रहे हैं; इस सोसाइटी को दी गई छूट ठीक थी या नहीं। हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। ए० एण्ड ए० इन्टरप्राइजिज पर किए गए आक्रमण की बात, उसका सोसायटी का एक एजेंट होने की बात या एक समझौते के होने की बात, इसका सोसाइटी के लक्ष्य से कोई संबंध नही है, और जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे कार्यरत हैं जिस श्रेणी के तहत वे एक लाटरी के संचालन के लिए लाइसेंसधारी बन गए हैं—इसका भी कोई संबंध नहीं है—क्योंकि लाइसेंस लाटरी के लिए है न कि ए० एण्ड ए० इंटरप्राईज के लिए और लाइसेंसधारी सिर्फ दक्षिण की चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी है; और उसको आयकर भुगतान की छूट दी गई है। इसलिए, हमें इन मामलों को उलझाना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा मुद्दा यह है कि यह एक मजबूत मामला है कि सोसाइटी को अवैध ड्रा से जो आय हो रही है वह अवैध आय है और जो ड्रा कानूनी नहीं थे और इन गैर-कानूनी ड्राज को प्रथम ड्रा को छोड़कर कोई भी वैधता नहीं दी जा सकती, हां प्रथम ड्रा को पूर्णतया छूट दी जा सकती है किन्तु अवैध ड्राज से हुई आय को यह छूट नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश के कानून के अधीन भी यह स्पष्ट है। इसलिए, जो कुछ भी अवैध है उसे पिछली तिथि वैध नहीं ठहराया जा सकता। आप लाटरी के गैर कानूनी टिकटों से प्राप्त की गई आय को छूट दे रहे हैं, यह मेरा आरोप है; और ऐसा उदाहरण स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यह तथ्य कि क्या अस्पताल का निर्माण जारी है इत्यादि, ये सब असंगत है, हालांकि सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के लिए हम आभारी हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मन्दिरों, तिरूपति और दूसरी जगहों पर दान के स्रोतों का पता लगाकर उस पर कर लगाने की कल्पना कर सकते हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वित्त मंत्री द्वारा सदन में कही गई इस बात को कि इन संस्थाओं या ट्रस्टों के धन के स्रोतों के बारे में हमें जाने की जरूरत नहीं है कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह आप भारतीय संचित नींधि और सरकारी कोष से सम्पूर्ण निकासी के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। यह आपके लिए ऐसा संकेत देना खतरनाक होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : केवल वे ही इसको समझ सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपने कहा है कि आपने एक गलती कर दी।

चर्चा, सोसाइटी को प्राप्त होने वाली आमदनी के स्वरूप के बारे में थी और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गंभीर कारण हैं; इसलिए आज इस प्रस्ताव के माध्यम से इस आपत्ति को लिया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने अपने फार्म भरे थे उनमें से कितने लोगों को आय कर नियमावली के अनुसार उनके संबंधित फार्मों में लाटरी के इनाम जीतने की घोषणा की गई। अगर उनके पास फिलहाल आंकड़े नहीं हैं तो वह इस बार में सभा पटल पर आंकड़े रख सकते हैं।

इसलिए मेरे इस प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकृति की सिफारिश करते हुए, मैं एक बार फिर प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं जिसने इस संक्षिप्त चर्चा में भाग लिया है और मैं माननीय श्री अर्जुन सिंह को विश्वास दिलाता हूं कि यह कदम ईर्ष्या प्रेरित नहीं था बल्कि जनता, सदन और कुछ प्रशासनिक आदर्शों के हित में मैंने ऐसा करना आवश्यक समझा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि आय-कर अधिनियम, 1961 धारा 10 के खंड 23 (ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 2242, जो चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी को आय-कर से छूट देने के बारे में है तथा जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 18 जुलाई 1986 को सभा पटल पर रखी गई थी, को निष्प्रभावी किया जाये। यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत होवे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अगला विषय।

4.12 म० प०

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन(संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि संसद द्वारा पारित स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार विमर्श के लिए संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी है। अब श्रीमती मारग्रेट अल्वा बोलेंगी।

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

श्रीमान, वेश्यवृत्ति के लिए औरतों तथा लड़कियों का शोषण उनके विरुद्ध एक घिनौना अपराध है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जबकि हम इस विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि नियम 116 का पालन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को कोई अमेंडमेंट देना है, वे दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने औपचारिक रूप से सदन की अनुमति लेनी चाहिए थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए। इसलिए यह किया था, क्योंकि यह अच्छा काम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा है तो रुल्स को फॉलो करना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान मुझे तथा आपको इसका समर्थन करना चाहिए। अन्यथा, हम घर नहीं जा सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक सिद्धांत पर हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे एक खराब उदाहरण स्थापित नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह दोनों पक्षों की सहमति से किया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्यथा, प्रत्येक विधेयक इस तरह लाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं किया जायेगा। और भी उपाय हैं। यह दोनों पक्षों की सहमति से किया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिद्धांत रूप में मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य आपसे इस विधेयक को पारित करवाने के लिए एक दूसरे से होड़ करने जा रहे हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : और भी बहुत से मुद्दे हैं। हम तो कागज के शेर पैदा करते जा रहे हैं जो कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : वेश्यावृत्ति के लिए, स्त्रियों तथा लड़कियों का शोषण उनके विरुद्ध एक घिनौना अपराध है। विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी मंचों पर वेश्यावृत्ति की समस्या के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की गई है। यद्यपि वेश्यावृत्ति प्राचीनकाल से है यह एक ऐसी बुराई समझी जाती रही है जो परिवार और समुदाय जो मानव समाज के मूल आधार हैं की जड़ नष्ट कर देती है। एक गरीब देश में अभाव-ग्रस्तता और अवहेलना इस बुराई के साथ नजदीकी से जुड़े हुये हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भोले-भाले युवाओं का सैक्स के लिए शोषण संगठित गिरोहों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने इस काम को गुप्त रूप से करने के लिये नये-नये तरीके खोज लिये हैं। इस घिनौने शोषण का रोकने के लिये सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है, ताकि एक मानव को दूसरों की काम वासना संतुष्ट करने के लिए एक वस्तु की तरह खरीदा और बेचा न जा सके।

भारत में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956-1978 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में) के अधीन जीवन निर्वाह के एक नियमित साधन के रूप में निषिद्ध ठहराया गया है। सदन ने इस अधिनियम को 9 मई 1950 में हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में लागू किया था। अधिनियम में उन लोगों के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही

का प्रावधान है जो वेश्यावृति के लिए स्त्रियों का शोषण करते हैं। इस धन्धे से मुक्त करायी स्त्रियों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का भी इसमें उपबन्ध किया गया है। सार्वजनिक या ऐसे घोषित किसी स्थान पर, वेश्यावृति के निषेध का भी इसमें प्रावधान है। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों के आधारित पर, इसमें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बावजूद आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि इस समस्या के सभी आयामों से निपटने के लिए इसके उपबंध पर्याप्त नहीं हैं। स्त्रियों के लिए काम कर रहे अनेक व्यक्ति, हिमायती समूह, और महिला एवं सैच्छिक संस्थाएं इस अधिनियम के क्षेत्र को विस्तृत करने, दण्डनीय उपबन्धों को और सख्त बनाने, और पीड़ितों की देखभाल तथा पुनर्वास के लिए कुछ न्यूनतम मानकों का प्रावधान करने के लिए सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। इसे देखते हुए तथा अधिनियम में कई कमियों को देखते हुए एवम् विश्व के विभिन्न भागों में बढ़ती हुयी वेश्यावृति को देखते हुए वर्तमान संशोधन पेश किये जा रहे हैं। वेश्यावृति के लिए लड़के तथा लड़कियों का प्रयोग हमारे बहुत से कस्बों तथा महानगरों में अत्याधिक बढ़ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 का, जिसका 1978 में ऐसे सभी लोगों को, चाहे वे स्त्री हों अथवा पुरुष जिनका वाणिज्यिक आधार पर कामवासना की पूर्ति हेतु शोषण किया जाता है, सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया था, कार्य क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह एक बहुत ही शर्म तथा खेद का विषय है कि छोटी उम्र के बच्चों का जिसमें लड़की और लड़के दोनों ही सम्मिलित हैं। अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें इस पेशे में लाया जा रहा है। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य कम उम्र के बच्चों के साथ ऐसे घृणित अपराध करने वालों को कठोर सजा देना है। पहली बार, विधेयक में जुल्म के शिकार लोगों की उम्र के आधार पर अपराधियों को अलग-अलग सजा देने का प्रस्ताव है। पहले अधिनियम में स्त्री की परिभाषा वह स्त्री है जो 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हैं। हालांकि दोनों मामलों में सभी अपराधों के लिए सजा एक ही थी। अब इस संशोधन विधेयक में हमने पीड़ितों को 3 श्रेणियों में रखा है। बालक की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जिसने 16 वर्ष की उम्र पूरी न की हो। नाबालिग की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है परन्तु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बालिग की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। हमने बालकों और अवयस्कों के मामले में सबसे कठोर सजा का प्रावधान किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कह है कि विधेयक में स्त्री और पुरुष दोनों से संबंधित अपराधों में सजा देने का प्रावधान है।

विधेयक में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है जो 'ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी के नाम से जाने जायेंगे और जिन्हें सारे देश में कार्यवाही करने की शक्तियां होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनैतिक व्यापार में सामान्यतया एक से अधिक राज्य और अकसर कई राज्य सम्बन्धित होते हैं। आशा की जाती है कि यह विशेष पुलिस अधिकारी इन अपराधों की जांच शीघ्रकर सकेंगे। हमने होटल जैसे स्थानों के मामले में, जहां अवैध व्यापार के अपराध हुए हैं, कठोर कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया है। बच्चों तथा अवयस्कों के

साथ ऐसे अपराध होटल के परिसर में होने पर होटल के लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाएगा। अन्य पीड़ितों के मामले में लाइसेंसों को रद्द किया जा सकता है।

विधेयक में कतिपय परिकल्पनायें भी सम्मिलित की गई हैं जिससे इन परिकल्पनाओं के आधार पर होने वाले अपराधों में सजा दी जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी समाचार पत्र में किसी के घर पर छापे की खबर प्रकाशित होती है और यह पाया जाता है कि इसे वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि किरायेदार, पट्टेदार, अभिभोगी अथवा प्रभारी व्यक्ति ने जान बूझकर परिसर को वेश्यालय के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी है। विधेयक में एक परिकल्पना यह भी सम्मिलित की गई है कि जब कभी भी किसी वेश्यालय में किसी व्यक्ति के साथ कोई बालक पाया जाएगा तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति ने धारा के अन्तर्गत अपराध किया है।

विधेयक में वेश्यालय से पाए जाने वाले व्यक्तियों की डाक्टरी जांच एक पंजीकृत चिकित्सक से कराने का भी प्रावधान है। यौन क्रिया द्वारा फैलने वाले रोगों की समस्या को जो दिन प्रति दिन नये नए रूप में सामने आ रही है देखते हुए ऐसा करना हम यह आवश्यक समझते हैं।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि छानबीन के दौरान विशेष पुलिस अधिकारियों के साथ महिला पुलिस अधिकारी होंगे। कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न होने पर एक पंजीकृत कल्याण संगठन या संस्था की महिला सदस्य विशेष पुलिस अधिकारियों के साथ महिला पुलिस अधिकारी के स्थान पर साथ जाएगी। निगरानी में रह रहे व्यक्ति का चरित्र भ्रष्ट करने के बारे में सजा बढ़ा दी गई है। घरों से बचाकर लाए गए व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए, मजिस्ट्रेट को छुड़ाये गये व्यक्ति को माता-पिता अथवा संरक्षक को सौंपने के आदेश देने से पूर्व एक पंजीकृत कल्याण संस्था अथवा संगठन द्वारा उस व्यक्ति की देखभाल करने में उस व्यक्ति की क्षमता तथा उसकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच करानी होगी।

इस समय विधेयक में अपराधी व्यक्तियों को, अच्छा आचरण रखने या आवश्यक भर्त्सना के पश्चात् सदाचरण स्वरूप रिहा करने तथा आदतन अपराधियों को अच्छे आचरण के लिए जमानत पर छोड़ने का प्रावधान समाप्त करने का प्रस्ताव है।

महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को सभा में बोलने के लिए कहूं। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि रात्रि भोजन की 8 बजे कमरा संख्या 70 और 73 में संसद भवन, नई दिल्ली में व्यवस्था की जा रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, डिनर खाइए, उसके बाद बैठिए, आम के आम, गुठलियों के दाम। अभी तो एंटी डाउरी अमेंडमेंट बिल भी पास करना है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव की बजाय रात्रिभोज की स्वीकृति दी है।

डा० टी० कल्पना देवी (वारंगल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करके सभी व्यक्तियों को, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, जिनका अनैतिक कार्य के लिए वाणिज्यक आधार पर शोषण किया जाता है, सम्मिलित कर लिया गया है। मजा लूटने अथवा लाभ के लिए कामवासना की पूर्ति हेतु किसी का शोषण करने वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ अधिनियम के कार्यक्षेत्रों का विस्तार करने से समाज के कमजोर वर्गों का शोषण तथा इस अनैतिक कार्य को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। इसे रोकने के लिए विधान के उद्देश्यों के प्रति प्रवर्तन अधिकारियों की प्रतिनद्धता की जरूरत है।

पांच सितारा होटलों में 'काल-गार्ल' मामलों में बढ़ोत्तरी पुलिस की इस बुराई के प्रति अनदेखी से ही सम्भव है। अतः कानून के कार्यक्षेत्र में बढ़ोत्तरी का प्रयास करने का कोई लाभ नहीं होगा तथा अपने को धोखा देना होगा कि हम इस दुष्कर्म को समाप्त कर देंगे। इस समय लोगों में इस सामाजिक कुरीति को महसूस करने और सामाजिक सुधार लाने की जागरूकता नहीं है और इसके लिए प्रचार माध्यमों का कारगर ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।

हमारी यह संस्कृति रही है कि बच्चों और महिलाओं की यौन अपराध के लिए हिंसा का विरोध किया जाए और उसका दमन किया जाए। गांधी जी कहा करते थे कि जब लोग महिला का अनादर तथा बच्चों का शोषण करते हैं तो उनका खून खौल जाता है। लेकिन अब यह नहीं हो रहा है। अधिकांश लोग या तो ऐसे अपराधों के प्रति बेखबर हैं या उल्टे उनको प्रोत्साहन करते हैं। इससे हमारी संस्कृति के पतन होने का पता चलता है। वाणिज्यक अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से महिलाओं के शरीर के प्रदर्शन की प्रवृत्ति हमारी सांस्कृतिक पिछड़ेपन का परिणाम है।

उदाहरण के तौर पर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और हैदराबाद जैसे हमारे कुछ शहरों में महिलाओं को छेड़छाड़ का खतरा रहता है, अतः, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं है कि इस विधेयक में ट्रैफिकिंग पुलिस तथा कानून को अमल में लाने के लिए अलग प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था है लेकिन ये किस हद तक इस अधिनियम को लागू करने में सफल होंगे ?

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन अपराओं से अधिक विस्तार से निपटने में, अपराधी सजा से न बच पाये। यह संभावना है कि न्यायालयों द्वारा संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाने से अपराधियों को तकनीकी बातों पर न छोड़ दिया जाए। अतः यह बेहतर होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों से सलाह प्राप्त की जाये। मैं माननीय मंत्री महोदया को सुझाव देती हूं कि अभी भी विधेयक को जल्दबाजी में पुनरस्थापित करने की बजाय इसका गहराई से अध्ययन करके इसे त्रुटिरहित बनाया जाये।

यह एक अच्छी बात है कि बच्चों और अवयस्कों से संबंधित अपराधों में सख्त सजा होगी। लेकिन कुछ मामलों में बच्चों का शोषण उनके मां बाप की मर्जी से अथवा उनके द्वारा ही करवाया जाता है क्योंकि वे या तो गरीब होते हैं अथवा लालची। वे ऐसे लोग हैं जो नीचे गिर जाते हैं और अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः ऐसे लोगों को भी जो बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं सजा देना आवश्यक है।

मैं धारा 6 में किए गए उस प्रावधान का भी स्वागत करता हूं कि जहां किसी व्यक्ति को वेश्यालय में बच्चे के साथ पाया जायेगा तो जब तक इसके विपरीत न सिद्ध हो जाये यह मान लिया जायेगा कि उसने कानून के अन्तर्गत अपराध किया है। निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अपराधी पर डालने से कानून की एक बड़ी कमी दूर हो जायेगी । इसके बाद वाली धारा भी एक आवश्यक उपाय है। लेकिन इन अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए, चाहे वे एक से अधिक राज्य में किए गए हों। मैं केन्द्र सरकार द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता या औचित्य नहीं समझता। मूल धारा 22 क अन्तर्राज्जीय अपराधों से निपटने के लिए भी पर्याप्त है ।. वास्तव में समस्या अपराधियों को पकड़कर सजा दिलवाने की है । एक से अधिक राज्यों में होने वाले अपराधों से निपटने की बात संबंधित उच्च न्यायालयों पर छोड़ देनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात वेश्यालओं से बाहर लाई गयी महिलाओं तथा उनके बच्चों के पुनर्वास की है। इस कुकृत्य से बचने के लिए उन्हें सम्मान के साथ अपनी जीविका अर्जित करने के लिए रोजगार के अवसर दिये जायें। महिला सदन, उद्धार गृह पुनर्वास केन्द्रों पर प्रभावी तौर से नियंत्रण रखा जाए ताकि स्वस्थ और घरेलू वातावरण पैदा किया जा सके। जिन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत हो उनके लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केन्द्र की भी व्यवस्था की जाए।

इस मानव निर्मित समाज में इस समूची सामाजिक बुराई का मूल कारण गरीबी, निरक्षरता तथा महिलाओं की असुरक्षा है।

एक फ्रेंच लेखक ने कहा है कि अगर आप लोगों की संस्कृति तथा सभ्यता का पता लगाने चाहते हैं तो आप उसका पता उस देश की स्त्रियों के दर्जे और उनकी स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। अगर महिलायें पिछड़ी हुई हैं तो राष्ट्र पिछड़ा हुआ है। अतः भारतीय महिलाओं को स्वयं ही पुरुषों द्वारा बनाये गए रीति-रिवाजों तथा कानूनों से मुक्त करना होगा।

4.27 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यदि भारत सरकार वास्तव में महिलाओं का उत्थान करना चाहती हैं और इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करना चाहती है तो सरकार को 'महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार विधेयक लाना चाहिए।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस देश के सभी नागरिकों को "समान दर्जा और अवसर" प्रदान करने की बात कही गयी है।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने स्त्रियों को पुरुष सदस्यों के समान अधिकार दिलाने वाला कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करके बनाया है ताकि संविधान में कही गयी समानता की भावना को प्राप्त किया जा सके। इसका उद्देश्य कानून के संमक्ष स्त्रियों को समानता का अधिकार प्रदान करना तथा दहेज प्रथा को समाप्त कर समाज में महिलाओं की दशा में सुधार करना है।

इस प्रकार से हम अपने समाज में वेश्यावृत्ति को भी कम कर सकते हैं।

तीन दशको के बाद भारतीय संसद के लिए यह उपयुक्त समय है जबकि वह संपूर्ण भारतीय महिलाओं के लाभ के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबन्ध की समीक्षा करें। अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू न करने के समान होना।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : मैं सच्चे मन से स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेनक 1986 का समर्थन करता हूं।

मैं कहना चाहती हूं कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कानून है। यह विधेयक कम से कम संसद को इस सत्र के अन्तिम दिन नहीं आना चाहिए था और इसके अतिरिक्त हमें यह विधेयक आज सुबह प्राप्त हुआ।

विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महिला आंदोलन हुए हैं। 1956 में संसद द्वारा प्रगतिशील कानून पारित किया गया था। क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि उसका समुचित पालन नहीं हो सकता इसलिए विभिन्न संगठनों ने सरकार से अधिनियमन में संशोधन करने का निवेदन किया और सरकार ने 1978 में संशोधन किया। फिर यह अनुभव किया गया कि संशोधन होने से भी यह सहायक नहीं हुआ। अत: विभिन्न महिला संगठनों ने भी सरकार से और संशोधन करने के लिए निवेदन किया।

वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं तथा लड़कियों का शोषण एक निंदनीय अपराध है, यह महिलाओं पर किया जाने वाला एक घृणित अपराध है। सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ अनैतिक व्यापार की समस्या चोरी-छिपे बढ़ी है। (व्यवधान) मैं आपसे सहमत नहीं हू। मुझे खेद है। कृपया बाधा न डालिए। मैंने इस क्षेत्र में 50 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है : अत: मैं इस समस्या को जानती हूं। एक युवा छात्रा के रूप में मैंने इन अभागी महिलाओं के सम्बन्ध में काम करना शुरू किया था। अत: मैं इनकी समस्या को समझती हूं। मैं समाज की समस्या को भी समझती हूं। मैं इस सम्बन्ध में भी कहने जा रही हूं। कृपया बाधा न डालिए। मैंने आपके भाषण के समय कभी बाधा नहीं डाली। अत: बाधा मत डालिए।

1978 में अधिनियम में संशोधन के बावजूद, यह अनुभव किया गया कि अनैतिक व्यापार की समस्या को निपटाने में यह कारगर नहीं रहा।

यह बड़े शर्म तथा दु:ख की बात है कि छोटी आयु के बच्चों-लड़के और लड़कियों दोनों को इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यदि कुछ अभागी लड़कियां परिवार के सदस्यों दुर्व्यवहार के कारण अथवा किसी अन्य कारण से घर से बाहर निकल जाती है तो उस लड़की को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक मानव-निर्मित समाज है। किंतु जब कोई पुरुष कोई गलती करता है तो उसे सभी स्वीकार करते हैं, किंतु किसी महिला अथवा लड़की को उस प्रकार स्वीकार नहीं किया जाता है। अभी भी हमारे समाज का यही व्यवहार है। मेरी इच्छा है कि इस विधेयक में ये बातें भी आ जाती।

मैं मानता हूं कि इस संशोधन से यह और सुदृढ़ होगा किंतु आप इसको दबा नहीं सकते अथवा आप केवल कानून बनाने से ही बुराई को हटा नहीं सकते, यद्यपि कानून तो होना ही चाहिए।

हम जानते हैं कि न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि अब भी ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में पुरुषों और

महिलाओं का समान दर्जा है। पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत से विधेयक तथा अधिनियम हैं, किंतु व्यवहार में महिलाओं को घरों में और समाज में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। उनका चाहे कोई भी धर्म हो अथवा वे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हों, अधिकांश लोग पुरुषों तथा महिलाओं को उचित अथवा समान दर्जा नहीं देते हैं। पूर्णरूपेण भेदभाव का रवैया अभी भी बना हुआ है। पुरुषों के उग्र रवैये का मुकाबला करना है। इसी रवैये के कारण वेश्यावृत्ति चल रही है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे समाज में दोहरा स्तर है। जब हम अपनी माताओं, बहनों, पुत्रियों अथवा मित्रों के बारे में विचार करते हैं तो हम उन्हें पवित्र समझते हैं, किंतु जब हम अन्य महिलाओं को देखते हैं, तो हम में से अधिकांश लोग उन्हें काम वासना की वस्तुएं मानते हैं। हमारे विचार, हमारे व्यवहार में द्विभाजन है।

चूंकि समय सीमित है इसलिए मैं खण्डों की बात नहीं करूंगी। किंतु मैं यहां खण्ड 8 की संबंध में उल्लेख करना चाहूंगी। मैं हृदय से इस खण्ड का समर्थन करती हूं, किन्तु मैं यह कहना चाहूंगी कि किसी भी स्थिति में अपराधी को केवल जुर्माना देकर छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यदि वे कानून का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें 'ग' वर्ग के अन्तर्गत कारागार में जाना होगा। वह (पुरुष अथवा महिला) उच्च वर्ग अथवा किसी अन्य वर्ग का हो, अथवा समृद्ध परिवार से संबंधित हों, यदि वह कानून का उल्लंघन करें तो उसे "ग" श्रेणी के अन्तर्गत लाया जाए। उन्हें कभी भी "क" अथवा "ख" श्रेणी नहीं दी जानी चाहिए। यह कानून में शामिल किया जाना चाहिए।

सामाजिक सुधार आंदोलन से महिलाओं को आदर मिलना चाहिए और महिलाओं को स्वयं अपना आत्म-सम्मान समझना चाहिए। अज्ञानता तथा पुरुषों पर निर्भर रहने के कारण महिलाओं को प्रायः वस्तु की तरह समझा जाता है। मैं जानती हूं कि वेश्याओं का पुनर्वास बहुत ही कठिन है। मैंने इस क्षेत्र में कार्य किया है और मैं जानती हूं कि यह इतना आसान नहीं है। समाज तो है और इससे काम इतना आसान नहीं हो जाता है। जब तक हमारे समाज के सभी लोग अपना रवैया नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। विशेषकर इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि पुरुषों के प्रति किसी प्रकार का दृष्टिकोण हो और महिलाओं के प्रति दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण हो इसे मिटा दिया जाना चाहिए। समय नहीं है। अन्यथा, मैं सैकड़ों ऐसे मामले सुनाती कि मैंने क्या किया है और मेरा क्या अनुभव है। कुछ वेश्यायें चाहती हैं कि उनकी पुत्रियां वेश्याकर्म से अलग रहें। मैं इस बात की ओर मंत्री का ध्यान दिलाना चाहती हूं और बाद में यदि आवश्यकता पड़े तो मैं उनसे चर्चा करूंगी और उनको ये मामले विस्तारपूर्वक बता दूंगी। हमने वेश्याओं के साथ काम किया है और उनमें से बहुत सी ऐसी स्थिति मे बाहर आना चाहती हैं। किंतु विभिन्न कारणों से प्रायः ऐसा करना बहुत कठिन हो गया था। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं। किंतु मैं उनके बच्चों के संबंध में कह रही हूं। अधिकांश वेश्यायें नहीं चाहती कि उनके बच्चे विशेषकर लड़कियां लड़के भी वेश्याकर्म में न जायें। क्योंकि लड़के बाहर निकल सकते हैं और समाज का अंग बन सकते हैं किंतु लड़कियां ऐसा नहीं कर सकतीं। किंतु कठिनाई यह है कि हमने स्वयं प्रयास किया है, हमने मकान तथा पैसे का प्रबन्ध भी किया

है। किंतु क्या हुआ ? वेश्याओं के बच्चों को सामान्य बाल गृह में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसके लिए न केवल समाज से आपत्ति हुई है परन्तु अन्य लड़कियों तथा उनके रिश्तेदारी द्वारा भी। वे कभी नहीं चाहते कि वेश्याओं के बच्चे सामान्य बालगृहों में आयें। फिर हमने उन्हें अलग गृह देने का निश्चय किया। किंतु स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए है कि यदि आप वेश्यासन्तानों के लिए गृह खोलेंगे तो, वे कभी भी समाज में नहीं आ सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि वह आरम्भ से ही कलंकित किए जायेंगे कि वे वेश्याओं के हैं। अतः उनका तब तक पुनर्वास करना सरल नहीं है जब तक हम अपना रवैया नहीं बदलते हैं। उनका पुनर्वास करना सरल कार्य नहीं हैं, यद्यपि इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि जब तक हमारा समाज दोनों पुरुष तथा महिलायें कम से कम अधिकांश लोग रवैया नहीं बदलते तब तक हमारे देश से वेश्यावृत्ति का उन्मूलन अथवा ऐसी वेश्याओं का जो परिस्थितियों की शिकार हैं। वास्तविक रूप से पुनर्वास करना बहुत सी वेश्यायें उन परिस्थितियों में जीना नहीं चाहती हैं। किंतु उन्होंने एक बार गलती की है इसलिए उनको समाज भी अस्वीकार करता है। महोदय, मुझे अब भी याद है कि मैं आपको वह नहीं बता सकती हूं जो कि इन लड़कियों के आंसुओं से मैंने अपने जीवन में देखा है। मुझे इसका दुख है। किंतु मुझे खेद है कि जीवनभर काम करते हुए मैं अपने समाज के कारण इनकी कोई सहायता नहीं कर सकी। और मैं आशा करती हूं कि इस संशोधन से हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ यह संशोधन लाने के लिए मैं मंत्री तथा सरकार को बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि इस संशोधन के पश्चात् इसका पालन उचित ढंग से आरम्भ किया जाएगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह एक विधेयक है जिसका सबको समर्थन करना चाहिए। ऐसे विधेयक का समर्थन न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि ऐसा कानून इतने लंबे समय से संविधिक पुस्तक में है, मेरे विचार से 1956 में प्रथम बार यह कानून बनाया गया था और 1978 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे फिर भी अब भी उसमें कुछ कमियां और खामियां हैं और वे इतनी व्यापक हैं यह कानून अभी तक लगभग प्रभावहीन रहा है। मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह हमें कुछ विस्तार से बतायेंगी कि यह कानून अभी तक निष्प्रभावी क्यों रहा है क्योंकि हम उससे यह आशा करते हैं कि वर्तमान संशोधन खामियों को दूर करेगा लेकिन क्या वे ऐसा कर रहे हैं, यह हम अभी तक नहीं जानते क्योंकि हमें यह पता नहीं कि यह अधिनियम अभी तक निष्प्रभावी क्यों रहा है ?

अनैतिक व्यापार एक सामाजिक समस्या है। यह सामाजिक समस्या अधिक, गरीबी आर्थिक अभाव-ग्रस्तता की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई है जो हमारे देश में व्याप्त हैं। हमारा समाज न्यूनाधिक सामंतवादी है जिसमें व्यावहारिक रूप से उन लोगों का गांवों और छोटे कस्बों के लोगों जीवन मृत्यु तक पर अधिकार होता है। हम सामंतवाद के केवल अवशेष ही नहीं देखते बल्कि भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अनैतिक व्यापार के शिकार लोग मिलते हैं, इसे पूर्ण शक्ति के साथ हावी देखते हैं इन्हें उन लोगों द्वारा उपलब्ध कराया जाता

है जो अपने-अपने क्षेत्रों में सामन्तवादी, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली लोगों के साथ सांठ-गांठ रखते हैं, उनके खिदमतगार हैं उनके टहलुए हैं। इन लोगों की दलालों के साथ भी सांठगांठ होती है। उनकी सहायता तथा समर्थन से ही लड़कियों व औरतों की दलाली होती है। इसलिए यह एक ऐसी समस्या नहीं है जिसे केवल कानून और प्रशासनिक उपायों द्वारा सुलझाया जा सकता है, इसे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सुलझाना होगा। इस बुराई के विरुद्ध लोगों में चेतना जगाकर निम्नतम स्तर पर हल करना होगा।

सदन में कुछ समय पहले लगभग 3 वर्ष पहले—एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विभिन्न रूपों में प्रचलित देवदासी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। मेरे विचार से इस सदन ने उस विधेयक का समर्थन किया था। लेकिन इस देश में क्या किया जा सकता है जहां अब भी धर्म ऐसे स्तर पर है जहां धर्म की आड़ में युवा लड़कियों को वेश्या बनाया जाता है। सरकार क्या कर सकती है? अब तब तक इन घृणित धार्मिक प्रथाओं को पनपने से रोकने के लिए सरकार क्या कर पाई है? वे पनप रही हैं और लोग वास्तविकता जानते हैं कि कब और कहां बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा लड़कियों को वेश्या बनाया जाता है। वे जानते हैं कि इन तथाकथित पुजारियों को, जो लोगों के जीवन और मृत्यु के भाग्यविधाता हैं, सबसे पहले युवा लड़कियां पेश की जाती हैं और वे इन्हें वेश्याएं बनाते हैं।

इसलिए यह एक सामाजिक बुराई है। यह एक राजनीतिक बुराई है। यह केवल उस समाज की बुराई नहीं है जिसे हमने विरासत में प्राप्त किया है और जिसमें हम रह रहे हैं बल्कि कभी-कभी तो हम सामन्ती सम्बन्धों के पुराने समय को अपनाने की भी बात करते हैं। जहां तक सरकार द्वारा कानूनी तरीकों से इसे सुलझाने का प्रश्न है। उसका स्वागत है। लेकिन मेरी राय में केवल कानूनी उपायों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है। मैं तो नहीं जानता शायद मंत्री जी बताना चाहें कि सरकार कौन कौन से अन्य उपाय करने पर विचार कर रही है। समाज की पूर्णतया काया पलटने के लिए वे कौन से रचनात्मक उपायों पर विचार कर रहे है? सामजिक और आर्थिक कायापलट भी आवश्यक है। कुछ पुलिस अधिकारियों को अखिल भारतीय अधिकार देकर इन प्रशासनिक उपायों को वास्तव में सफल होने से पहले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी आवश्यक है। संभवतः कुछ ही बड़े गिरोह, एक या दो दर्जन ऐसे गिरोह होंगे, जिनकी शाखाएँ पूरे देश में फैली हैं, और इस कार्य में लगे हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। अब अगर दर्जनों गिरोह इस कार्य में लगे हैं तो हो सकता है कि ये गिरोह हजारों लड़कियों का जीवन अनैतिक बनाने के लिए उत्तरदायी हों। यह केवल हजारों की बात नहीं यह लाखों का मामला है। अतः इन लाखों को कैसे रोका जा सकता है। इन मामलों को अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले इन गिरोहों को पुलिस द्वारा काबू करके नहीं सुलझाया जा सकता है न ही विशेष अदालतों द्वारा क्योंकि सुलझाया जा सकता है आपको गवाही देने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों पर आप विश्वास करने जा रहे है वही लोग इन लड़कियों को वेश्या बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः प्रशासनिक उपायों द्वारा यह प्रयास सफल नहीं हो सकता है। और यद्यपि इस प्रयास का मैं विरोध नहीं करना चाहता तब भी मैं यह कहूंगा कि यह प्रयास बेकार सिद्ध होगा। यह प्रयास निश्चय ही तब तक सफल सिद्ध नहीं होगा जब तक इस प्रयास के साथ-साथ लोगों की आर्थिक

दशा को नहीं सुधारा जाता जिससे सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा। परन्तु मुझे डर है हमारी वर्तमान सरकार यहीं आकर अपंग हो जाती है। शायद वह आर्थिक दशा तो सुधार, सकती है किन्तु वे लोगों का सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बदल सकती। तब वे स्वयं शक्तिहीन हो जायेंगे। इसलिए इस सरकार से हमें यह बहुत कम आशा है कि इस प्रकार के प्रयास से अन्ततः कुछ लाभ होगा। थोड़ा सा लाभ हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की सरकार से, जो आज दिखायी देती है, होने वाले थोड़े से लाभों का भी हम स्वागत करते हैं और इसी कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, सच तो यह है कि बिना किसी बहस के इस बिल को पास कर दिया जाए। इस तरह का प्रावीजन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारे दोस्तों ने जो कहा मैं उस बात से बहुत सहमत हूं, खाराकर मिसेज गुहा ने जो कहा। सोशल सर्विसेज के फील्ड में उनका जो अनुभव हुआ, वह बड़ा द्रावक हुआ।

मैंने भी सोशलोजिकल रिसर्च कराया है। मैंने प्रास्टीट्यूट्स के बहुत से टेप सुने हैं। आपकी आंखें भर जायेंगी कि किस तरह से उनको इस बिजनेस में लाया जाता है और किस तरह से उनका शोषण और एक्सप्लायटेशन होता है? एक खास बात जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पाई कि उनका सबसे ज्यादा एक्सप्लायटेशन पुलिस करती है। आपने बिल में पुलिस का प्रावीजन किया है, लेडी पुलिस का भी प्रावीजन किया है। शायद लोगों को पता न हो, इस बिजनेस में पुलिस का हाथ सबसे गन्दा है। वह प्रास्टीट्यूट्स में लड़कियों को धन्धा करने के लिए बाध्य करती है, वह दलाल का काम करती है। पुलिस को पूरा पता है कि कहां-कहां ब्राथल हैं। पहले फ्लश ट्रेड का नाम प्रास्टीयूट्स के लिए लिया जाता था, लेकिन अब एक नया नाम, सौफिस्टीकेट्ड नाम उसे मिल गया है 'काल गर्ल'। एक फेमरा सोशोलाजिस्ट हैं प्रमिला कपूर। आप उसकी किताब "काल गर्ल्स पढ़िए, उसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली में 90 प्रतिशत फाइव स्टार होटल और 95 प्रतिशत गैस्ट हाऊसिज में काल गर्ल्स का धंधा चलता है। अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दलाल लोग काल गर्ल्स को इन जगहों में भेज देते हैं मैंने पहले भी कई बार इस सदन में चर्चा की कि इन गैस्ट हाऊसिज के ओनर्स का पता नहीं कहां-कहां तक लिंक है? सारे नारकोटिक्स का बिजनस वहां से चलता है, सारी काल गर्ल्स का बिजनस वहां से चलता है और कानून का हाथ उन तक नहीं पहुंच जाता है। 2-4 बार यदि उनका नाम अखबारों में आ जाता है, लेकिन बाद में इस मामले को दबा दिया जाता है।

आपने इस बिल में प्रावीजन किया है कि जिस होटल में कॉल गर्ल्स पाई जायेंगी या यह धंधा पाया जायेगा तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जायेगा। इसके क्या मायने हुए? यह तो वही बात हुई कि कोई ब्यूरोक्रेट करोड़ों रुपये कमा ले तो आप उसे सस्पेंड कर देंगे, लेकिन बाद में बैक-डोर से रि-इनस्टेट कर दिया। किसी होटल के, किसी गैस्ट हाऊस के ओनर के लाइसेंस को अगर 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे तो इससे अच्छा था कि इसको लाते ही नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि उस होटल को, चाहे वह फाइव स्टार हो, चाहे थ्री स्टार हो और चाहे कोई

गैस्ट हाऊस हो, ऐसा पाये जाने पर। उसके लाइसेंस को परमानेंट कैंसिल कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद ही ऐसा गलत काम करने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी।

4.52 प. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज देहाती लड़कियों को इकानमिकली एक्सप्लायट किया जाता है। पहले देहात से मासूम लड़कियों को शहर बुलाया जाता है और फिर उनको लालच दिया जाता है कि तुम्हारी शादी करा देंगे, और अच्छी टाइपिस्ट आदि की नौकरी देंगे लेकिन बाद में उन्हें कॉल गर्ल्स के रूप में यूज किया जाता है। कोई भी समझदार आदमी जब इस बात को सुनेगा और इसकी तह में जायेगा तो उसका खून खौल जायेगा। मैं तो कहता हूं कि यह सारा धंधा ब्लैकमनी का है। आप एक नियम यह बना दें कि यदि कोई भी आदमी यह धंधा करता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसका नाम और उसकी तस्वीर अखबार में जरूर छप जायेगी जिससे कि उसके गांव के लोग, उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार यह समझ सकें कि ऊपर से सफेद देखने वाला आदमी अन्दर से कितना काला है।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह समस्या आप जितनी आसान समझते हैं, उतनी आसान नहीं है। आप बहुत ही जल्दी में आकर यू० बिल लाकर पास कर देंगे, लेकिन मेरा आग्रह है कि उसको इफेक्टीवली इम्पलीमेंट करें।

इसी तरह मैट्रोपालिटन सिटिज के कैबरें हाऊसिज में क्या काम होता है? आप जानते ही है। आप इस समस्या के मूल में जाइए, इसके इकानमिक पहलू को देखिए, इसके सोशल पहलू को देखिए। जिस पर स्टीगमा लगा हुआ है आप उसके रिहैबिलटेशन की व्यवस्था कीजिए।

अपने देश में इस ट्रेड ने कोढ़ का रूप धारण कर लिया है। गलत तरीके से लड़कियों से यह काम करवाया जाता है। और उन्हें बरबाद कर दिया जाता है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है, इस समस्या के पीछे जो इकानमिक रीजन्स हैं, जो ब्लैक-मनी है, और जो राक्षस इसके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको बेनकाब कीजिए। और उनको कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाय। कुछ अरब कन्ट्रीज में तो जो भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। अपने देश में भी क्यों नहीं इस तरह का कानून बने? वरना, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यह समस्या जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है।

[अनुवाद]

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा)। उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए कुछ अधिक नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में बोलूंगा।

सर्वप्रथम मुझे इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए। जैसाकि बहुत से सदस्यों ने कहा है कि जो विधेयक पहले से ही विद्यमान था उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता थी? स्पष्टत: ऐसा लगता है कि वह विधेयक पर्याप्त नहीं था। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि जो भी संशोधन हम कर रहे हैं, वे इस घिनौने अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

इन संशोधनों द्वारा हम पुलिस को और कुछ जजों को कुछ और अधिकार दे रहे हैं और जो पहले से ही इसमें थे। अगर आप इसको गहराई से देखें तो आप देखेंगे कि ये पुलिस अधिकारी ही मुख्य अ राधी हैं, इस समय विद्यमान वेश्यावृत्ति के पीछे यही मुख्य व्यक्ति हैं।

मैं आपको एक बात बताता हूं जिसे मेरे माननीय मित्र भी कह रहे थे कि जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है, वेश्या वृत्ति भी आधुनिक मोड़ ले रही है। अगर आप किसी औरत को वेश्या कहते हैं तो वह प्रतिक्रिया करती है और कहती है मुझे वेश्या कहकर न बुलाइए आप मुझे कालगर्ल कहिए जैसे कि कालगर्ल एक सम्मानित नाम है।

यह सब क्यों हो रहा है ? इसे किसी कानून या विधान से कभी भी रोका नहीं जाएगा जब तक कि आप समान रूप से लोगों के शिक्षित नहीं करेंगे और सामाजिक सुधार नहीं करेंगे। दूसरे, केवल अपराधियों को होटलों व निजी विकास स्थानों में पकड़ना ही पर्याप्त नहीं हैं। यह बहुत अजीब बात है। एक ओर आप वेश्यावृत्ति की निन्दा करते हैं और दूसरी ओर आप उन्हें होटलों में कैबरे करने की अनुमति देते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अन्तर है एक औरत अपने नग्न शरीर का प्रदर्शन दूसरों के सामने करती है वह अपराध नहीं है—और उसी हालत में वह किसी व्यक्ति के पास होती है—तो वह एक अपराध है।

इस प्रकार जब तक आप रोकथाम नहीं करते और वेश्यावृत्ति के कारणों का उन्मूलन नहीं करते तब तक आप इसे नहीं रोक सकते। आजकल दिखाई जाने वाली फिल्मों में आपको ऐसा भद्दा अनुभव होगा कि नौजवान व्यक्ति इसे देखते ही तुरन्त उत्तेजित हो जाते हैं और अन्तत बिलकुल उसी तरह से अनुकरण करने लगते हैं।

मैं एक बार फिर आपका और माननीय मंत्री का ध्यान वीडियो में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर लाना चाहता हूं। सबसे अधिक दूर-दराज के गांवों में जहां टी० वी० भी नहीं पहुंचा है वे वीडियो के साथ टी०वी० ले जा रहे हैं और अच्छी फिल्में नहीं अपितु अश्लील फिल्में दिखाते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पुलिस इस बात को नहीं जानती ? क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि बिना पुलिस की जानकारी के यह सब कुछ हो रहा है। पुलिस जानती है। वे उनके लिए सबसे अधिक सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन्हें भी उनसे अपनी मासिक धनराशि मिलती है।

आप उन्हें अधिक शक्ति दे रहे हैं। किस लिए ? मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं जो कि अनोखी है परन्तु वास्तव में यह अनोखी नहीं है। आप लड़के और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के बारे में एक संशोधन ला रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि एक और जाति है जो न लड़के हैं न लड़की, अर्थात् हिजड़े हैं वे समाज के सबसे बड़े परजीवी हैं यदि आप इसके विस्तार में जाएं तो आपको ज्ञात होगा कि मुख्य अपराधी ये हिजड़े हैं जो इन औरतों व निर्दोष लड़कियोंको अनैतिक व्यापार में घसीटते हैं। इसके समाधान के लिए क्या प्रावधान किया गया है ? कोईप्रावधान नहीं है। इसलिए यदि आप उसका समाधान करना चाहते हैं तो आपको इन मामलों की भी जांच करनी होगी। जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन वेश्याओं के पुनर्वास के बारे में स्थिति क्या है ? आप उनका पुनर्वास कहां करते हैं ? आप निराश्रित गृहों का निर्माण करते हैं। इन गृहों का क्या हो रहा है ?

5.00 म० प०

अनाथ आश्रमों में क्या हो रहा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये निराश्रितगृह वेश्यालयों से कुछ कम नहीं हैं ।

डा० फुलरेणु गुहा : मुझे इस पर आपत्ति है । कुछ हो सकते हैं परन्तु सभी नहीं हैं । आप ऐसा नहीं कह सकते ।

श्री शरत देव : एक समाज सुधारक के रूप में मैं आपका पूरी तरह से आदर करता हूं परन्तु एक बुजुर्ग महिला होने के कारण बात आपके ध्यान में नहीं आई होगी । मेरे ध्यान में जो कुछ बातें आई हैं मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी निराश्रितगृह वेश्यालय हैं । परन्तु यदि एक निराश्रितगृह में भी यह बात होती है तो लोग अपना विश्वास खो देंगे ।

आपकी जेलों में क्या हो रहा है ? समाचारपत्रों में एक लेख था कि विचाराधीन अभियुक्तों को भी वेश्याओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि पांच सितारा होटलों व गेस्ट हाऊसों में भी यह सब हो रहा है । यह बहुत शर्म की बात है कि सरकारी स्वामित्व के पी० डब्ल्यू डी० गैस्ट-हाउसों में भी यह प्रचलित है ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि आप एक संशोधन लाए हैं कि यदि समाचार पत्रों में ऐसी बात प्रकाशित होती है तो तुरन्त कार्यवाही की जाएगी । मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि उड़ीसा मामले के बारे में 'इल्लस्ट्रेटिड वीकली' में बहुत कुछ प्रकाशित हुआ था । मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या कदम उठाए हैं ? ऐसे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने की बजाए आप उनका गला घोंट रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : मैं यह बताना चाहता हूं कि मामला विचाराधीन है । माननीय सदस्य को इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री शरत देव : एक ओर हम यह उपबन्ध करते हैं कि यदि समाचार-पत्रों में इसे प्रकाशित किया जाता है तो इसको ध्यान में रखा जाएगा और दूसरी ओर यदि इसे प्रकाशित किया जाता है तो आप समाचार-पत्रों का गला घोंटते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि माननीय मंत्री द्वारा की गई पहल का मैं स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ उन्हें प्रैस के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए । जो अपराधियों का नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सरकार से संरक्षण मिलना चाहिए और उनका गला नहीं घोंटना चाहिए जैसाकि उड़ीसा में किया जा रहा है ।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह एक अच्छा संशोधन है और मैं माननीय मंत्री को तहेदिल से बधाई देता हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । एक अच्छी बात जो उन्होंने की है वह यह है कि सजा देने सम्बन्धी अधिकांश खण्डों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है, किसी न्यायालय को जुर्माना करने की छूट नहीं है और अधिकांश मामलों में कम से कम कैद की सजा है । यह एक अच्छी बात है ।

इस विधेयक की दूसरी विशेषता यह है कि विधेयक का नाम, जो बहुत हास्यास्पद था, बदल दिया गया है। अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, जिसे 'सीता' के नाम से जाना जाता था, बदल दिया गया है। मुझे याद है कि न्यायालयों में सैकड़ों सीताएं खड़ी हुआ करती थीं और हम उनका सीता न० 1, सीता न० 2, सीता न० 3 से उल्लेख करते थे। यह बहुत ही ठीक बात है कि इस नाम को बदल दिया गया है।

एक और बात, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, यह है कि बहुत समय पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हमारी सहयोगी श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली अभिनय कर रही थी। 'साधना' नाम की यह एक अच्छी फिल्म थी जिसकी मुझे एक गजल याद है जिसमें कहा गया है :

[हिन्दी]

"औरत ने जन्म दिया मरदों को,
मर्दों ने उसे बाजार दिया।"

[अनुवाद]

यह वास्तविकता आज भी सच है। मूल रूप से हम पुरुष ही उत्तरदायी हैं। आज हम वे व्यक्ति हैं जो समग्र रूप से समाज के नियन्त्रण में हैं। समाज में जो कुछ भी बुराइयां हैं उनमें हमारी जिम्मेदारी अधिक है उन्हें यह बाजार देने के लिए हम जिम्मेदार हैं। इस अधिनियम के सम्बन्ध में एक पहलू जिसे हमें ध्यान में रखना है, यह है कि यद्यपि इस संशोधन से पहले अधिनियम में सख्त प्रावधान नहीं थे परन्तु फिर भी उसी रूप में यदि इस अधिनियम को गम्भीरता से लागू किया जाता तो बहुत से अपराधी को रोका जा सकता था। पुलिस अधिकारियों के पास अपना 'हफ्ता' लेने के चार या पांच साधन हैं और यह उनमें से एक है। 'मटका' व अन्य जुए की बुराइयों के अलावा वेश्यावृत्ति के अड्डे पुलिस व अन्य अधिकारियों की आय का बड़ा साधन है, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है। इसलिए अधिनियम को उचित ढंग से लागू नहीं किया गया था जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके लिए अधिनियम में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। पुलिस अधिकारियों के पीछे अन्य दस्ता (स्क्वाड) होगा यदि वे घूस या धन लेते पकड़े जाएं तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत उन अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाएगी। यदि उनके पीछे सतर्क दस्ता स्क्वाड हो तो ऐसे अधिकारियों को पकड़ना कठिन नहीं है।

फिर अभियोग चलाने का प्रश्न उठता है। जांच-पड़ताल व अभियोग अधिनियम के दो पहलू हैं। आम तौर पर ऐसे मामलों में गवाह नहीं आते अथवा सहयोग देने की इच्छा नहीं रखते। मैं सुझाव दूंगा कि धन राशि का एक विशेष उपबन्ध बनाया जाए ताकि जो गवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग के मामलों में सामने आते हैं उन्हें विशेष भत्ता दिया जाए। यदि साधारण यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है तो वे आना व सहयोग देना नहीं चाहते। यदि ऐसे अपराधों के लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाए तो वे सहयोगी होंगे और उन मुकदमों की जांच-पड़ताल व अभियोग में अधिक प्रभावशाली होंगे। जब तक उचित जांच-पड़ताल नहीं की जाती व मुकदमा नहीं चलाया जाता तब तक अधिनियम लागू नहीं होगा।

दूसरा पहलू भी है। पुलिस अधिकारियों का रिकार्ड भी रखा जाना चाहिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो उचित रूप से व प्रभावशाली ढंग से जांच करते हैं और उससे दोष सिद्धि

हो जाती है तो उन्हें बदले में पदोन्नति दी जानी चाहिए। जो लोग रिश्वत लेते हैं उनको भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत सजा मिलनी चाहिए। परन्तु जो लोग गम्भीरतापूर्वक जांच करते हैं उन्हें तुरंत पदोन्नति देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

देश के दक्षिण के कुछ भागों में देवदासी प्रणाली धर्म से जुड़ी हुई है। इसकी जांच की जानी चाहिए और लोगों को इस विषय में सचेत करना चाहिए कि इसका धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है और यह प्रथा सभी तरह से बुरी है।

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी इस विधेयक पर वादविवाद में मुझे भाग लेने का एक अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक 1986 प्रस्तुत करने के लिए, मुझे माननीय मंत्री का भी धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। यह केवल तभी लाभकारी होगा जबकि पास होने के बाद विधेयक को गम्भीरतापूर्वक लागू किया जाए। जब समाज में ऐसे मामलों में एक स्त्री या लड़की शामिल होती है तो कानून को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और अधिकारियों को तुरन्त व कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। अन्यथा इस कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा यदि एक निर्दोष महिला या लड़की अनैतिक व्यापार के किसी मामले में शामिल है और कानून मूक-दर्शक बना रहता है।

महिला समाज के लिए बोझ नहीं अपितु एक आवश्यक अंग है। परन्तु कितने आदमी महिला को एक देवी के रूप में समझते हैं? हम महिला के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग अबोध महिलाओं और लड़कियों को इस दयनीय दशा में घसीटने में लगे हैं। ये निरीह महिलायें एवं लड़कियां औद्योगिक क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों एवं जंगलों में कार्य कर रही है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और ठेकेदारों तथा अन्य लोगों सहित कतिपय लोग इन महिलाओं को मनुष्य न समझकर विषय वासना की वस्तु समझते हुए इनसे व्यवहार करते हैं प्रत्येक दिन हम समाचार पत्रों में महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के सम्बन्ध में पढ़ते हैं। हर सुबह हम पढ़ते हैं, कि एक दो या तीन औरतें किसी न किसी अत्याचार के कारण मरती हैं तथा अधिकांश मामले एक ही तरह के महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित होते हैं।

हमारे यहां पुलिस सेना तथा अन्य विभागों जैसी एजेन्सियां विद्यमान हैं। हमारा संविधान हमारी महिलाओं के दर्जे और सम्मान के बारे में बहुत स्पष्ट है। कई कानून कागजों पर दर्ज हैं। परन्तु जब तक इनको उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए। यद्यपि कानून तो विद्यमान है, लेकिन देखना यह होगा कि इन कानूनों के तहत महिलाओं की पूरी-पूरी सुरक्षा की जाए। इन कानूनों के होने का क्या फायदा है, यदि बेचारी महिलाओं को इनसे लाभ नहीं होता है। इसलिए ये कानून कारगर होने चाहिएं तथा इनको समुचित ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं श्रीमती मारग्रेट अल्वा को धन्यवाद देता हूं कि वे ऐसा कम्प्रीहेंसिव बिल लायी हैं। लेकिन इसको आप कैसे काम में लायेंगी, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहला जो बिल 1960 में पास हुआ था

उसमें आप ने स्टेट्स को पावर्स दी थीं रूल्स बनाने की। आपके पास जो स्टेट्स से उत्तर आए हैं उनसे पता चलता है कि 1980 तक सिवाय हरियाणा और हिमाचलप्रदेश राज्यों को छोड़ कर किसी ने रूल्स नहीं बनाये। आप अब फिर यह सुधार का बिल लायीं हैं। आप डावरी के बारे में भी बिल ला रही है। आप जल्दी-जल्दी, बड़ी तेजी से कदम उठा रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए आप भी उनको धन्यवाद दे दें कि महिला सुधार के ये बिल यहां पास हो रहे हैं।

यह इम्मोरल ट्रैफिक क्या है ? मुझे आप कुछ समझायेंगे ? अब चिल्ड्रेन का 'एक्सप्लोयटेशन इस देश में होता है, सेकसुअल एक्सप्लोयटेशन। मैं आपसे कहता हूं कि जेलों में क्या हो रहा है। वहां सामुहिक बलात्कार हो रहे हैं। एक नहीं, दस-दस, बीस-बीस। अब आप बताइये कि इन बलात्कारों के कितने अपराधियों को आपने पिछले तीन सालों में सजा दी ? आपने बिल में जो मिनिमम पनिशमेंट रखा है क्या यह इम्पलीमेंट होगा ? सवाल यह है।

हिन्दुस्तान में हर रोज तीन बलात्कार पुलिस कर्मियों द्वारा किये जाते हैं। यह भी एक धंधा चल रहा है। हमारे यहां एक काल-गर्ल्स का धंधा है। आपने इसमें काल गर्ल्स का जिक्र नहीं किया।

[अनुवाद]

काल गर्ल एक वेश्या के मुकाबले अधिक चिंतित रहती है। वेश्या के विपरीत वह लुक छिप कर वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और समाज में इज्जतदार बने रहने के लिए कठोर प्रयास करती है, जिससे उस पर अधिक भार पड़ता है। तथापि एक वेश्या की तरह एक काल गर्ल का, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाली लड़कियों की अपेक्षा परिवार, मां-बाप, तथा सरकार के प्रति अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है।

[हिन्दी]

अब ये काल-गर्ल के बारे में मैं तो जानता नहीं हूं, इन्होंने इसको जरूर समझा है। पहले इन्होंने कहा कि मैंने 90 होटल देखे हुए हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो आप इनको पुलिस कस्टडी में लीजिए और जांच करिए। आपको एक सोर्स मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि 90 परसेंट होटल्स ऐसे हैं, यह आपके टूरिज्म का सवाल है। (व्यवधान)

यह बात इन्होंने कही है, मैंने नहीं कही। मैं यह कह रहा था कि यह काल-गर्ल का सवाल है। एक बात और बड़ी अच्छी है, हत्यारों द्वारा औरत की हत्या करना एक बात है, लेकिन बलात्कारियों द्वारा किया गया बलात्कार जो होता है, उससे औरत रोज मरती है और रोज भट्टी में सुलगती है, इसलिए यह आपने अच्छा काम किया। उससे तीन नुकसान होते हैं, एक तो उसका सामाजिक बहिष्कार, उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार और वह औरत देश की नजरों से गिर जाती है। इसलिए आप जो कानून लाए हैं, वह बहुत अच्छा है। (व्यवधान)

समय थोड़ा है, चर्चा इस पर लम्बी हो सकती है। अगर आप कुछ कानून में रद्दोबदल करना चाहें तो मैं उसके लिए भी सुझाव दूंगा, अगर आप ठीक समझें, क्योंकि कानून जल्दी में आने की वजह से अभी यह संभव नहीं है। इसमें सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन आफ चिल्ड्रन के बारे में आपने कहा है बिलो सिक्सटीन और एवीडेंस एक्ट के अन्दर जो अण्डरस्टेंडिंग है उसमें छोटे बच्चे के बयान माने जाते हैं। आपने 16 साल तक की उम्र वाले को बच्चा माना है और 16

से 18 अलग एज ग्रुप बना दिया है। इसलिए श्रीमान जो आपने यह किया है, ठीक है, लेकिन सोलह साल की उम्र वाले को बच्चा मान लेना इसमें बड़ा रोल प्ले करता है।

आप अच्छा एक्ट लाए हैं, अच्छा काम किया है, सख्त सजा का प्रावीजन किया है, और उनके लिए कोर्ट का भी प्रावीजन किया है इसलिए मैं आपको मुबारक-बाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं श्रीमती मारगेट अल्वा का इस सत्र में इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। इससे समूचे देश को एक बार फिर पता चला है कि हमारे प्रधान मंत्री एक शासनाध्यक्ष के नाते स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्य को पूरा कर रहे हैं। वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज में उनके संरक्षण के साथ-साथ कानून की नजरों में भी उन्हें उठा रहे हैं, यद्यपि अभी हमें बहुत कुछ और करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि हमें इस मसले में राजनीति नहीं लानी चाहिए। मूल बात यह है कि महिलाओं की रक्षा के लिए हमारे यहां चाहे कोई भी कानून क्यों न हों, कोई भी प्रावधान क्यों न हों, परन्तु इस देश की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि यहां कुछ भी कार्यान्वित करना आसान नहीं है। यह एकदम संभव नहीं है। सरकार के कार्य के अलावा एक प्रकार की सामाजिक जागरूकता भी होनी चाहिए या मुझे कहना चाहिए कि इसके लिए समाज में एक प्रकार की सामाजिक क्रान्ति आनी चाहिए ताकि इस मसले से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

जो महिलायें इस धन्धे में आती हैं उनके साथ वेश्याओं के अनुरूप व्यवहार किया जाता है—और कानून भी उनके साथ वही व्यहार करता है—परन्तु यदि आप उनकी पृष्ठ भूमि पर गौर करें तो यह पता चलेगा कि 90 प्रतिशत से भी अधिक मामलों में आर्थिक शोषण तथा विपन्नता के कारण औरतें इस धन्धे में आती हैं। बंगाल में विभाजन के दिनों में और उसके उपरान्त प्रसिद्ध लेखकों द्वारा कई उपन्यास प्रकाशित किये गये थे। उनकी कहानियां उन परिवारों की ज्वलन्त कहानियां थी जो अपनी लड़कियों को इस धन्धे को अपनाने के लिए मजबूर करते थे क्योंकि उनके पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। परन्तु कानून, देश, एवं समाज इस विषय में चुप्पी साधे रहा तथा उन्हें कोई भी संरक्षण नहीं दिया गया।

मैं पुलिस को दोष नहीं देना चाहता हूं। यह राजनीतिज्ञों का दस्तूर हो गया है प्रशासन और पुलिस को दोषी ठहराओ और स्वयं साफ बच कर निकल जाओ। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस स्थिति का फायदा उठाती है। मेरा विश्वास है कि हमारे यहां पुलिस अधिकारी भी समान रूप से देशभक्त हैं। हम राजनीतिज्ञों के समान वे भी इस स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं परन्तु इस प्रकार के मामलों में उनके हाथ बंधे हैं।

मैं बहुत रुचि से चीन के बारे में जहां वेश्यावृत्ति का चलन था, पढ़ रहा था। इसके लिए उन्होंने क्रांति के बाद क्या किया। शुरू में यह एक नाजुक मुद्दा था। मैं उस कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहा था, जिसे उन्होंने चीन से वेश्यावृत्ति हटाने में अपनाया तथा कैसे उन्होंने इसको चलाया।

हमारे देश में अब औरतों के बारे में कोई सामाजिक क्रांति लाना परमावश्यक है। इसके लिए आवश्यक धन जुटाना होगा तथा हर राज्य के पास यह धन होना चाहिए। सरकार को इस संबंध में दृढ़ता से काम लेना चाहिए। हम आशा कर रहे हैं कि हमारा देश एक बार फिर सीता, द्रोपदी और अन्य महान महिलाओं की भूमि बने। भारत पितृ भूमि नहीं कहलाता है अपितु यह हमारी मातृ भूमि के रूप में जाना जाता है। ऐसा आदर भाव हमारे यहां महिलाओं के लिए है। सरकार को इस संबंध में दृढ़ता से काम लेना चाहिए ताकि भारत में वेश्यावृत्ति जड़ से नष्ट कर दी जाए। इस कार्य में आवश्यकता है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की जिसमें आदमी तथा औरतों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का पूरा-पूरा सहयोग बड़े पैमाने पर लिया जाये और यह सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त हो। यदि हम एक या दो शहरों में ऐसा करते हैं तो हम फिर इसे एक उदाहरण के रूप में अन्य शहरों तथा राज्यों को दिखा सकते हैं।

मैं अब बहुत दुःखी हूं। मैं महिला सदस्यों से बात कर रहा था तथा मैंने कहा कि यद्यपि इतनी अधिक महिला सदस्य इस सभा में हैं, फिर भी वे इस समस्या के बारे में अपनी चिंता जाहिर नहीं कर रही हैं। इसमें पुरुष महिलाओं से अधिक भाग ले रहे हैं।

बच्चों के संबंध में मैं आपको केवल दो उदाहरण दूंगा। मुझे स्वयं इसका अनुभव है कि उनका शोषण कैसे हो रहा है। कानून में केवल यह कहा गया है कि बच्चों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 16 से कम वयस के बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, परन्तु हमारा समाज क्या आर्थिक रूप से यह सुनिश्चित कर सकेगा कि 16 से नीचे की वयस के बच्चों को कार्य न करना पड़े? क्या आप उनका कार्य करना बन्द करा सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, बच्चों को सड़क के किनारे के रेस्टोरेन्टों में कार्य नहीं करना चाहिए। वे कार्य क्यों करते हैं? वे कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें कमा के अपने मां-बाप को देना होता है। जब मैं जिलों का दौरा करता हूं तो मैं अपनी कार सड़क के किनारे रोक लेता हूं तथा जब कभी मैं उन्हें कार्य करते देखता हूं तो हैरान होता हूं कि वे वहां क्यों कार्य कर रहे है। हम जो लोगों के प्रतिनिधि हैं यह बात जानते हैं, आप जानते है कि यह खराब बात है तथा सभी यह जानते हैं कि यह गलत है। परन्तु मूल बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के इस आर्थिक शोषण से कैसे बचा जाए चाहे वह कारखानों का शोषण हो या अन्य शोषण हो। मैं समझता हूं कि भारत में हमारी सरकार को इस समस्या को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बुराई को दूर करने में सरकार स्वैच्छिक संगठन, कल्याणकारी संस्थायें और यह मन्त्रालय आदि काफी योगदान दे सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं परन्तु इस निवेदन के साथ कि विधेयक पारित करने के पश्चात् प्रत्येक राज्य से सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को आदमी और औरतों को बुलाकर क्रमिक रूप से इस कार्य में लगाया जाए। इस मामले में पुलिस भी काफी सहायक सिद्ध हो सकती है—परन्तु पुलिस इसे नहीं कर पाएगी जब तक कि इसके कार्य के लिए अलग तंत्र न हो और यह तंत्र कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले तंत्र से अलग होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बिल जो लाया गया है, इसका अपना एक महत्व है। इसके महत्व को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल

को पहले आना चाहिए था। इतने आनन-फानन में लाया गया है कि इस पर जितने लोगों के विचार आने चाहिए थे, यह सरकार नहीं ले सकती और इसी से पता चलता है कि यह बिल कितना कामयाब होगा। यह एक ऐसी बुराई है जो तमाम जगह पर फैली हुई है। शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक चली गई है। इसमें यह जरूरी था कि माननीय सदस्यों से इसके बारे में भी जान लिया जाता कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। कानून बनाना आसान है, आप बनादन कानून बनाए चले जाते हैं। आपने पिछले सैशन में भी एक संशोधन किया था। छोटे बच्चों से एवं कम उम्र के बच्चों से काम लेने पर कड़ी सजा देने का प्रावधान किया था। लेकिन आप बतायें कि कितना उस पर अमल हुआ है। उस वक्त भी मैंने सदन में कहा था कि कानून बनाने से ही कानून लागू नहीं हो जायेगा और छोटे बच्चों से काम लेना बन्द नहीं होगा। हमारे प्रधान-मंत्री जी, देहातों में जाते होंगे देखते होंगे कि छोटे-छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है और केवल दिखाने के लिए आप कानून बनाते हैं। यह जो आप कानून बनाने जा रहे हैं, क्या सचमुच इसको लागू करेंगे, नहीं करेंगे।

मैं एक साम्यवादी देश में गया तो एक दिन मैंने वहां के न्यायाधीश से पूछताछ की तो वहां पर अधिकारी ने बताया कि एक आदमी ने चोरी की है उसकी हमें चिन्ता नहीं है, चिन्ता तो यह है कि वह व्यक्ति चोर क्यों हुआ। कि हम इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए हम इसके 10 पुस्त तक के खानदान की हरि टिटी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे इसे जड़ से खत्म करें, इसको सजा देना ही काफी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी खामी यह है कि हम इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। आप बड़े बड़े होटलों में जाइए वहां पर रजिस्टर में काल गर्ल के नाम दर्ज होता है, इसलिए कैसे यह सब रुक सकता है। जब तक आप दो नम्बर के पैसे पर काबू नहीं पायेंगे यह चीज रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग दो नम्बर का पैसा कमाते हैं वह पैसा कहां जाएगा, यह चीज देखने की है। वैसे तो आप बहुमत हैं बिल आपका पास होगा ही, लेकिन यह बिल किसी उद्देश्य के लिए है इसलिए हम भी इसका स्वागत करते हैं। अभी माननीय सदस्या गीता मुखर्जी दिल्ली शहर का एक केस लेकर उप-राज्यपाल के पास गई। एक आदमी ने अपनी पत्नी को बेच दिया, उस पत्नी के पिता ने केस कर दिया दो बार रिमांइडर भेजा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि कानून लागू कौन करेगा। अगर वही आदमी इसको लागू करता है जो स्वयं इसमें शामिल है तो यह कैसे लागू होगा। इसको लागू वही करेगा जो आदमी स्वयं ईमानदार है। आप इस सप्ताह का "रविवार" देखें हम नाम नहीं बतायेंगे, डिटेल में निकला है कि एम. पी. और एम. एल. ए. क्या-क्या कर रहे हैं, आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा किस पार्टी के लोगों का कुकर्म है। आप इसे जरूर पढ़ें। इसलिए कानून बना देने भर से ही वह लागू नहीं हो जाता। अगर ईमानदार व्यक्ति है वह इसको लागू करे तो इसका फायदा हो सकता है और समाज से तभी ऐसी कुरीतियां दूर होंगी। इसलिए आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कानून को लागू करने वाला आदमी क्या सचमुच में ईमानदार है और इसको लागू भी कर रहा है या नहीं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वह आर्थिक कमजोरी। आप गांव में जायें तो वहां भट्टों पर महिलाओं को काम करते हुए देखेंगे। वहां पर

कुकर्म पैसे के बल पर होता है, लड़कियों को गुमराह किया जाता है, जिनकी आदत बन गई है उनके विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना, इसलिए गरीबी की विवशता भी इस अपराध को बढ़ावा देती है। इसलिए पहली चीज आपको देखनी है कि गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। इसमें आप कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ने जा रहे हैं जो स्वागत योग्य कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक, 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, मैं इस बिल का स्वागत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसके पास होने के बाद, पिछले एक्ट में जितनी कमियां थीं, जितनी खामियां थीं. वे सब दूर हो जाएंगी। अब यदि किसी नाबालिग बच्चे, लड़के या लड़की के साथ वेश्यावृत्ति जैसी कोई घटना होगी तो इस बिल के अनुसार उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा जिस किसी होटल में ऐसा दुर्व्यापार होता पाया जाएगा उस का लाइसेंस सस्पेंड किए जाने का भी इस विधेयक में प्रावधान है। इनके अतिरिक्त एक और अच्छा प्रावधान इसमें यह है कि इस अनैतिक जुर्म में यदि किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसे पहले जो लाभ मिलते थे, सैक्शन 10 और 12 के अन्तर्गत, वह पैरोल पर या प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता था, अब वे सुविधायें उसको प्राप्त नहीं हो सकेंगी। मैं समझता हूं कि इस प्रावधान से इस बुराई को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। एक प्रावधान इस विधेयक में स्वागत-योग्य यह किया गया है कि ऐसे मामलों में पूछताछ का कार्य,इंटरोगेशन कार्य, केवल महिला अधिकारियों के द्वारा ही किया जाएगा, इसमें महिला अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाएगा ताकि उनका आगे शोषण न हो सके और उनको टौचर आदि से बचाया जा सके। विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान भी प्रशंसनीय है और मैं उसका स्वागत करता हूं।

यहां मैं सरकार के सामने एक सुझाव भी देना चाहता हूं। यदि सरकार सच्चे मन से इस समाज में फैली हुई बुराई को समाप्त करना चाहती है, मैं मानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय बहन मंत्री जी की भावना बहुत अच्छी है और हम यहां से बिल पास कर देंगे, पुराने एक्ट में तरमीम भी कर देंगे, उसके अन्तर्गत सख्त सजा का प्रावधान भी कर देंगे परन्तु इसको लागू करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट पर है। रूल्स बनाने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास निहित हैं। जैसा यहां एक माननीय सदस्य ने भी कहा मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि राज्य सरकारें रूल्स बनाने में बहुत समय लगा देती हैं। फिर इसमें ला एण्ड आर्डर का प्रश्न भी आ जाता है और व स्टेट सब्जैक्ट है। इसलिए यहां से प्रावधान किए जाने के बावजूद, यह राज्य सरकारों पर है कि वे अपने यहां इसे कैसे लागू करती हैं। यदि पुलिस यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले कि हम अपने ज्यूरिस्डिक्शन में ट्रैफिक इन वूमैन, ब्वायज एंड गर्ल्स नहीं होने देंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। परन्तु वैसा संभव ही नहीं है। आज आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा कर देख लीजिए। जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिस्डिक्शन में वेश्यावृत्ति या अनैतिक कार्य होते हैं, वहां से पुलिस को लगी-बंधी इन्कम आती है। ऐसे थानों में किसी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति ही तब होती है, जब

वह काफी पैसा रिश्वत के रूप में दे देता है। इसलिए उनसे ऐसी अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। अभी 5-7 दिन पहले समाचार पत्रों में वेश्याओं के बारे में एक कहानी छपी थी जिसमें किसी वेश्या का बयान भी छपा था। उसमें कहा गया था कि अगर हम किसी से 30 रुपया लेते हैं तो उसमें से 20 रुपया पुलिस के पास चला जाता है, 5 रुपया बीच का दलाल ले जाता है और इस तरह हमारे पास अपना पेट भरने तक पैसे नहीं बचते और बड़ी मुश्किल से वे अपना खाने का इन्तजाम कर पाती हैं। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि इस बात की जिम्मेदारी वहां के पुलिस स्टेशन के अधिकारी या थानेदार पर डाल दी जाए, जहां ऐसे अनैतिक कार्य होते हैं, उसको सख्त हिदायत जारी कर दी जायें कि यदि आपके थाने के अन्तर्गत किसी स्थान पर वेश्यावृत्ति या अनैतिक व्यापार होता पाया जाएगा, इस किस्म की घटना होगी, प्रौस्टीट्यूशन हाउस चलेंगे तो वह उसके लिए व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, तो मैं समझता हूं हमें अधिक लाभ हो सकता है और हम इस बुराई को जड़ से समाप्त करने में सफल हो सकते हैं।

यहां मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस बिल में कुछ संशोधनों के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी होटल में इस प्रकार के कार्यों की शिकायत आती है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यहां पर डा. राजहंस ने कहा, उनके लाइसेंस सस्पेंड ही न किए जायें, मैं उनसे भी आगे बढ़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि होटलों के लाइसेंस तो कैंसिल किए ही जायें, यदि किसी मकान में या होटल में ऐसा वाकया होता है, वेश्यावृत्ति अथवा अनैतिक व्यापार होता है तो उस होटल या बिल्डिंग को ही अटैच कर लिया जाए, उसको कुर्क कर लिया जाए ताकि अन्य किसी आदमी की वैसे काम करने की हिम्मत ही न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर जो बात आई है और वैसे भी सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट्स की रूलिंग हैं कि प्रॉसीक्यूट्रेस की यदि सॉलिटरी स्टेटमेंट है, किसी एक्यूजड के खिलाफ, किसी रेप वगैरह में, तो उसको मान्यता दी जाएगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के अन्दर भी इस किस्म का प्रावधान किया जाए कि अगर कोई वेश्यावृत्ति के फंदे से छुटकारा पाना चाहती है और किसी के साथ कोई जबर्दस्ती बात हुई है, तो उसमें यह होना चाहिए कि उसका अकेला बयान ही काफी है। इसमें दूसरे गवाह की जरूरत न पड़े।

इसमें मैं, इस बात को मानता हूं कि इसका दुरुपयोग और शोषण भी हो सकता है। क्योंकि पुलिस बैरीफिकेशन करती है और पुलिस थाने के अन्दर ऐसी औरतों को रखती है कि अगर वे किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कराना चाहें तो इसी औरत की तरफ से पुलिस एफ०आई० आर० दर्ज कर लेती है और किसी आदमी की इज्जत खराब कर दी जाती है। इस किस्म की घटनाएं भी होती हैं। इन चीजों को बाकायदा चैक किया जाए।

मैं समझता हूं कि अगर हम इस बिल को पास करते हैं और ठीक तरह से लागू करते हैं, तो इस देश के नागरिकों का महत्व और चरित्र उज्ज्वल होगा और जिस देश के नागरिकों का चरित्र उज्वल होता है, वही देश उन्नति करता है। इन्हीं शब्दों के साथ जो संशोधन यहां पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष जी, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक में, "दमन" की जगह पर जो "निवारण" शब्द रखा गया है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है । किसी चीज को "दमन" के द्वारा हटा पाना मुश्किल होता है । निवारण करने में उसमें समाज के लोगों का एक सहयोग मिलता है और उसमें भी गलत काम करने के लिए या उसके निवारण के लिए बाद में भी सहयोग की जरूरत होती है । जहां तक वेश्यावृत्ति की बात है, चाहे वह लड़की या स्त्रियों के द्वारा होता हो, उसमें महिलायें अपने आप स्वयं प्रवृत्त नहीं होती है, बल्कि उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसकी कुछ अपनी ऐसी दिक्कतें होती हैं और आज का समाज, जो पुरुष-प्रधान समाज है, यह स्त्री का शोषण करता है । उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए, अपने पैसे का और दूसरी तरह से, महिलाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हम यहां संशोधन ला रहे हैं इसमें सख्त से सख्त नियम रखे हैं, इनका होना बहुत जरूरी है । क्योंकि जब तक हम इन कानूनों को और नियमों को सख्त से सख्त नहीं बनायेंगे तब तक इस प्रकार दुष्कर्म बन्द नहीं हो सकते हैं । इसमें हमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकती है । लेकिन मेरा इसके साथ निवेदन यह है और मैं इस बात को मानती हूं कि हमें इसके लिए समाज को तैयार करना पड़ेगा । जब तक हम समाज में अपनी लड़कियों और स्त्रियों के लिए इज्जत करना नहीं सिखाते हैं, तब तक इस प्रकार के दुष्कर्म बन्द नहीं हो सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, कुछ समय पहले, मैंने जीरो आवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा था कि कुछ आतंकवादियों द्वारा बहुत बड़ी घटना की गई । एक जमींदार ने एक औरत को डेढ़-दो घंटे तक सिर्फ इसलिए नंगी परेड़ कराई कि उसके घर वाले अनैतिक काम कराने के लिए तैयार नहीं हुए । ऐसे बड़े लोग, जो अपने पैसे के बल पर इस प्रकार के कार्य कराते हैं, जब तक उन्हें डर नहीं होगा, तब तक हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी ।

मान्यवर, हमारे पूर्वज बताते हैं कि गांव की लड़की चाहे वह नीची जाति की हो या ऊंची जाति की, उसे सारा गांव अपनी लड़की मानता था । उसे अपनी बेटी की तरह ही आदर-सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और शायद मेरी बहिन, जो मंत्री हैं, उनसे भी यह बात छिपी नहीं है कि जो गरीब अपनी उदरपूर्ति के लिए मजबूरी में वेश्यावृत्ति करती है, उसे इस काम के लिए समाज मजबूर करता है क्योंकि उसे समाज में जिंदा रहना है, दुनिया में जिंदा रहना है । लेकिन आज तो ऊंचे समाज के लोग, अच्छे परिवारों के लड़के-लड़कियां उनके द्वारा कालगर्ल के रूप में या दूसरे रूप में, इस तरह के जो धंधे चल रहे हैं; कालोनियों के अन्दर, होस्टलों के अन्दर और नर्सिंग होम्स के अन्दर, इनको कैसे मिटाया जाए । इसको कैसे दूर किया जाएगा ? इसके लिए हमें समाज में चेतना और जागरुकता पैदा करनी पड़ेगी । आज जो एड्ज जैसी बीमारियां पैदा हो रही है, इनसे उनको अवगत कराना पड़ेगा कि अगर ऐसा आचरण करेंगी तो उनके परिवार में इस तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा होकर उनके लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है ।

वेश्यावृत्ति में, पुलिस को हम कहना चाहते हैं कि वह बहुत संजीदगी से काम नहीं ले रही है । मैं नहीं कह सकती कि उनकी दलाली होती है, पैसे बंधे होते हैं, लेकिन इतना जरूर है

है कि वह खुद भ्रष्ट आचरण के होते हैं। जिन्हें पकड़ा जाता है, उनके साथ वह खुद अपना मुंह काला करते हैं, गलत आचरण करते हैं। जब तक पुलिस में, समाज के कार्यकर्ताओं में, देश के नौजवानों में नैतिकता नहीं आयेगी, जब तक देश का पूंजीपति, बड़ा आदमी, जो पैसे के बल पर सब कुछ कर सकता है, असमत तक भी खरीद सकता है, जब तक इन लोगों में नैतिकता पैदा नहीं की जाएगी, चाहे वह सख्त कानून के द्वारा हो, चाहे प्रचार-प्रसार के द्वारा हो या अन्य कारणों के द्वारा हो, तब तक वेश्यावृत्ति को रोकना बड़ा मुश्किल होगा।

यह जो बिल मंत्री महोदया लाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस बिल के द्वारा मुझे उम्मीद है कि इस समस्या को रोकने में बहुत कुछ हो सकेगा।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मानवीय मंत्रीजी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

उन्होंने अपने भाषण में बताया कि 1956 और 1960 में समय-समय पर इस कानून में परिवर्तन किये गये, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून में परिवर्तन से हमने अनादिकाल से चली आ रही वेश्यावृत्ति पर काबू पाया, क्या इसमें कोई उपलब्धि हुई, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के कौन से कदम उठाये गये ?

बिल का अध्ययन करने के बाद यह देखा गया कि इसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। जिस तरह 1956 में और 1960 में आपने संशोधन किया, हो सकता है कि भविष्य में भी इस बिल में पुनः संशोधन करना पड़े। कारण यह है कि इस तरह की घटनाओं के लिये जो मुख्य मुजरिम हैं, उन्हें आपने इसमें वंचित रखा है। एक तरफ कहा है कि जो 16,17 साल की एज की लड़की होगी, तो यह एज कौन प्रमाणित करता है ? कोई भी औरत या मासूम लड़की को जब गलत ढंग से बहला-फुसलाकर ले जाते हैं और वह पकड़ी जाती है तो कहा जाता है कि डाक्टर से इसकी एज का सर्टिफिकेट लाओ। डाक्टर उस समय कहता है कि हमें पैसे दो तो हम डाक्टर को भी खरीद लेते हैं और वह डाक्टर जो अंडर-एज लड़की होती है, उसे भी 18 साल की लड़की कह देता है और इस तरह से जो कुकर्मी होता है वह आसानी से छूट जाता है। इस तरह के चिकित्सक के लिए भी सावधान होना चाहिए था जो कि कुकर्मी को बचाने के लिये इस तरह से सर्टिफिकेट देता है। ऐसा रूल होना चाहिये, प्रावधान होना चाहिये कि इस तरह के केसेज को मैडिकल बोर्ड देखे। उसका सर्टिफिकेट तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक मैडिकल बोर्ड न बैठे और वह बोर्ड उसे एग्जामिन न करे।

बिहार सरकार के शिकंजे में जकड़े रहने के बाद मैं 3 साल तक जेल में रहा। मैंने कहां पर देखा है कि क्या होता है। जब हिन्दुतान में आप इस तरह की महिलाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका दायित्व होगा कि हिन्दुस्तान की महिला अगर किसी भी केस में गिरफ्तार होती है तो उसके लिये अलग जेल की व्यवस्था की जाये।

होता क्या है कि जेल का चीफ वार्डन, जेल का जमींदार और जेल के पदाधिकारी जेल में बन्द उन गरीब महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं। आजकल होता यह है कि एक आदमी एक अपराध करता है, लेकिन उसे २-२ सजायें दी जाती हैं। क्या आप इसे भी खत्म करेंगे ? आज हमारे समाज में जो वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, इस पर भी आपको पूरी तरह रोक लगानी चाहिए।

आप सब जानते हैं कि हिन्दू संस्कृति में दशहरे के अवसर पर एक पूजा होती है जिनमें 9 अविवाहिता कन्यायें होती हैं। उनको देवी मानकर इस कारण उनकी पूजा की जाती है ताकि देवी संस्कार हमारी भावनाओं को सुन ले। लेकिन आज उन्हीं देवियों से गलत काम करवाया जा रहा है। किसी ने यह कहा है कि "जननी जन्म भूमि"।

कहने का अर्थ यह है कि हमारे सामने मुख्य समस्या यह कि दोरोटियां कैसे खाई जायें। अगर वक्त पर खाना नहीं मिलेगा, भूख की आग सतायेगी तो उन्हें कोठे पर जाने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। आप जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, आप चाहे हजारों ऐसे बिल ले आयें, यह अनैतिक काम रुकने वाला नहीं।

आज गरीब औरतों के लिये जवान होना भी एक अभिशाप है। इस हिन्दुस्तान में अमीर तो अपनी अमीरी पर नाज करता है, लेकिन गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। गरीब की बहु-बेटियों के ऊपर खुला आसमान ही उनकी छत है और जमीन बिछावन है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप पहले गरीब की परेशानी को देखिए और उसके खाने और रहने की ठीक से व्यवस्था कीजिए।

आप जब तक आवश्यक और कड़ा कानून नहीं बनायेंगे तब तक उन मासूम लड़कियो के साथ बलात्कार होता रहेगा।

अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर हमारे बोलने से कोई बुरी बात हो गई है तो आप बुरा नहीं मानें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों की अभारी हूं। अल्प अवधि सूचना के बावजूद एवं काफी देरी होने बावजूद भी मेरे विचार में उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए बहुत धैर्य दिखाया है और मैं उनकी अभारी हूं।

कई सुझाव दिये गये हैं। अधिनियम में अब तक मौजूद उपबंध के क्रियान्वयन के बारे में कुछ आलोचना की गई है और निस्सन्देह, क्रियान्वयन में सुधार के लिए हम सब मिलकर इकट्ठे कार्य कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस बुराई का और अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सामाना किया जा सके।

इस अधिनियम के शीर्षक को ही बदल दिया गया है और अब दमन (सपरैशं) की बजाए निवारण (प्रिवन्शन) पर जोर दिया गया है। मेरे विचार में यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारा इरादा इस मामले से और अधिक अर्थपूर्ण ढ़ंग से निपटने का है।

अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम (एस० आई० टी० ए०) की बहुत आलोचना होती रही है और काफी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। अब हमने इसको बदल दिया है। अब यह अनैतिक (संशोधन) अधिनियम बन गया है। यह कई समूहों तथा संगठनों की मांग पर किया गया है।

जैसा कि मैंने आरंभ में कहा है यह पहली बार है कि हम बच्चों के विरुः अपराध तथा बड़ों के विरुद्ध अपराध में भेद कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने हाल ही में डाक्टरी प्रमाण-पत्र के प्रश्न इत्यादि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है यह समस्या जो कुछ भी आप करेंगे उसमें होगी। किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर डाक्टर एक जाली प्रमाण पत्र देता है तो मेरे विचार में एक डाक्टर द्वारा जानबूझकर दिये गये जाली प्रमाण पत्र से निपटने के लिए हमारे पास अपराधिक प्रक्रिया संहिता में उपबंध हैं। जहां तक प्रमाण पत्र देने का संबंध है वास्तव में यह एक अपराधिक विश्वास भंग होगा।

अब यह अधिनियम पहली बार स्त्रियों एवं लड़कियों के अलावा पुरुषों पर भी लागू होगा। यह उन लड़कों और पुरुषों पर भी लागू होता है जिनका सैक्स के मामले में शोषण किया जाता है। इस संबंध में मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हम इस फैलती हुई समस्या से अवगत हैं। अनैतिक उद्देश्यों के लिए लड़कियों की तरह छोटे लड़कों का भी शोषण किया जा रहा है।

जब हम अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं तो सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों और किए गए सभी प्रयत्नों के बावजूद भी स्त्रियां जिस सामाजिक आर्थिक स्थिति में और निम्न स्तर में रहने के लिए बाध्य हैं, वह निस्संदेह एक महत्व पूर्ण विचारणीय मुद्दा बन जाता है। प्रायः इन लड़कियों को इस धंधे के लिए बाध्य किया जाता है। प्रायः इन जवान लड़कियों को दलालों द्वारा नौकरी का वायदा देकर गांवों से शहरों में लाया जाता है और अन्ततः वे समस्याओं से घिर जाती हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से मामले हैं मेरे विचार से यह सभी जानते भी हैं कि एक व्यक्ति गांव में जाकर एक लड़की से शादी करता है, उसे शहर में लाता है और फिर उसको वेश्यालय में बेच देता है और फिर अगले वर्ष दूसरे गांव में जाकर एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। यह उसके लिए प्रत्येक वर्ष एक प्रकार की वित्तीय मदद हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी पता है कि यहां पर बहुत शक्तिशाली लाबीयां तथा व्यवसाय संघ हैं जो राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघते हैं, और स्त्रियों को खरीदते तथा बेचते हैं और आजकल इस व्यवसाय में लड़कों के भी सौदे होने लगे हैं। हमें यह मानना होगा कि प्रत्येक नैतिक पुनरुद्धार आन्दोलन और सुधार इत्यादि की बातें कर रहा है। मेरे विचार में, वेश्यावृति मांग और पूर्ति का भी एक प्रश्न है और सभी जानते हैं कि अपराधी लोग कौन हैं तथा असलीपन में यह बुराई कहां से पनपती है। मेरे विचार में इसमें और अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु यह समस्या धर्म, जाति संप्रदाय, भाषा आदि किसी की भी परवाह नहीं करती और मेरे विचार में इसे किसी एक विशेष समुदाय या एक विशेष प्रकार की स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता। किन्तु मैं यह बात जरूर कहूंगी जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि निस्संदेह हमारे देश में कुछ ऐसी धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं जो इस धंधे के लिए स्रोत का सा काम करती हैं।

मैंने कल दूसरे सदन में भी यह जिक्र किया था कि कुछ महीने पहले मैं मध्यप्रदेश के पतारिया नामक गांव में गयी थी। और वहां हमें पता चला कि पिछले 400 या 500 वर्षों से सारे गांव में लड़कियों की शादी करने की प्रथा ही नहीं है और 12 वर्ष की उम्र से इन लड़कियों का धंधा नाच, मनोरंजन और वेश्यावृत्ति होता है और आदमी कभी भी कार्य नहीं करते हैं। इन

समुदायों में ये लोग स्त्रियों की कमाई पर रहते हैं और इस प्रकार इस प्रथा को जारी रखने में एक निहित स्वार्थ है क्योंकि उनको फिर काम नहीं करना पड़ता। वेश्यालयों में ऐसे पूर्ति के स्रोतों इत्यादि को समाप्त करने के लिए हमने अब एक व्यापक आन्दोलन छेड़ा है। मैं वहां पर कुछ महीने पहले गयी थी, हम सिर्फ औरतें ही इन गांवों में गयी हुयी थी और वहां पर हमने 20 लड़कियों की शादी करवायी। निःसंदेह वहां पर कुछ स्वार्थी लोग भी थे जो यह विवाद उत्पन्न करना चाहते थे कि अवयस्कों की भी शादी कर दी गयी। जब अवयस्क वेश्यालय में जाते थे तो ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे और शायद मुझे पता नहीं है, क्योंकि शादी वाले दिन मैंने प्रत्येक लड़की की आयु की जांच नहीं की थी, जिसका प्रबन्ध कलक्टर महोदय ने किया था। किन्तु बात यह है कि यहां पर कुछ ताकतें ; जो इन लड़कियों के पुनर्वास के लिए किए गए किसी भी प्रयास का सामना करने के लिए तैयार है और इनको दूसरे धंधों में लगाने की कोशिश कर रही है जिन युवकों ने इन लड़कियों से शादी की उनको भूमि दी गयी है, इस वातावरण से निकालकर इन लड़कियों से शादी करने और उनके गांवों में वापिस ले जाने को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कुछ को नौकरियां तथा कुछ को ऋण दिए। और अगर हम असलीयत में इस बुराई से लड़ना चाहते हैं तो मेरे विचार में कुछ ठोस उपाय करने होंगे : मुझे यह पता है और इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सिर्फ पुलिस को शक्तियां देने से सामाजिक बुराईयों का समाधान न तो होता है और न ही किया जा सकता है। इसके लिए जनता के व्यापक समर्थन की आवश्यकता है, स्वयं महिलाओं में नई जागृति की आवश्यकता है और उनको एक नया दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की आवश्यकता है कि उनकी बेटियां उनके बेटों के समान है और जीवन का अवसर देना पड़ेगा। और सबसे अधिक मेरे विचार में, आदमियों को यह महसूस करना होगा थोड़ी देर पहले एक टिप्पणी की गयी थी।

[हिन्दी]

आज तो महिलाओं का दिवस है, महिलाओं को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

जब मैंने यह पूछना चाहा कि क्या यह समस्या केवल औरतों की समस्या है। अगर आदमी इसमें संतलिप्त न हों तो यहां कोई भी वेश्यालय नहीं होगा और इसलिए यह कहना कि इस समस्या को देखना और इसका समाधान करना सिर्फ औरतों का काम है, मेरे विचार में ऐसा कहना इस समस्या के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को नजर अन्दाज करना होगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : पुरुषों में भी महिलाएं होती हैं मैडम।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : श्रीमान, यह ठीक ही कहा गया है कि हमारे यहां दोहरे मानदंड हैं। जब हम अपनी पत्नियों, बेटियों और माताओं के बारे में बात करते हैं तो हम पूर्ण शुद्धता की अपेक्षा करते हैं, किन्तु हम कभी यह नहीं सोचते की दूसरी औरतों को भी इसी तरह के बरताव का अधिकार है। मैंने प्रारम्भ में भी कहा है, और मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहती, कि होटलों तथा अतिथि गृहों में इस समस्या का सामना करने के लिए हमने अपने प्रयासों के बारे में

बता दिया है। किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकारी अतिथि-गृह और होटल सबसे बड़े अपराधी हैं। हम इसमें भेद नहीं कर रहे कि वे किससे संबंधित हैं या उनको कौन चलाता है। ये सभी क्षेत्राधिकार के अधीन आयेंगे। जब उनके अहाते में बच्चे पाए जायेंगे तो उनके लाईसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए जायेंगे। जहां पर बच्चा किसी वयस्क के साथ मिलता है तो हमने पूर्ण जांच होने तक उसका लाईसेंस को स्थगित करने का उपबंध किया है। महोदय हमने बढ़ी हुई सजा का भी प्रावधान किया है और अभियोग चलाने वाले प्राधिकारियों की मर्जी पर हमने अधिक नहीं छोड़ा है। हमने न्यूनतम सजा निर्धारित कर दी है और इसको लागू किया जायेगा।

हमने अवैध व्यापार को रोकने वाले पुलिस अधिकारियों के बारे में भी बताया है। यह इसलिए हैं क्योंकि, प्राय: जैसा कि अब है, हम राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर निपटने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए इन अन्तर्राज्यीय गिरोहों से अलग स्तर पर निपटा जाता है। इस लिए इन अधिकारियों को विशेष शक्तियां देने का उपबंध किया जा रहा है।

हम विशेष अदालतें स्थापित नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे यह विचार है कि शायद भविष्य में अगर किसी विशेष जगह पर यह आवश्यक हुआ। तो विशेष क्षेत्रों या स्थिति के लिए विद्यमान अदालत इस उद्देश्य के लिए विशेष अदालत बनाया जा सकता है। या यदि कभी कभार अगर आवश्यक हुआ तो किसी राज्य में विशेष अदालत स्थापित की जा सकती है।

यह एक सच्चाई है और सब जानते हैं कि देव दासी और इसी तरह की दूसरी प्रथाओं को जिनका जिक्र किया गया है धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है। इसलिए धार्मिक नेताओं को भी आगे आना होगा और इन प्रथाओं की निंदा करनी होगी और सिर्फ तब ही शायद जनता यह महसूस करेगी। कि यह प्रथा नहीं चल सकती। परन्तु मुझे कहना चाहिए—मेरे विचार में यह बताया गया था कि इस सभा में पहले एक गैर सरकारी सदस्य के विधेयक को स्वीकार किया गया था— कि केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्डों के जरिए देव दासियों के पुनर्वास, उनकी शिक्षा तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए हमने एक भारी अभियान शुरू किया है क्योंकि मेरे राज्य कर्नाटक में इस प्रथा की शिकार इन स्त्रियों की संख्या अधिक नहीं है और प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी रही है। यहां तक कि अब उनके बच्चे भी आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हैं और अब हम उनके भविष्य हेतु नये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

महोदय, पुनर्वास सम्बन्धी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा लोगों ने इसके बारे में भावपूर्ण वक्तव्य दिये हैं। मैं पुनर्वास की आवश्यकता को कम महत्व नहीं देती। यदि समाज उन्हें इस धन्धे से छुटकारा दिलाना चाहता है तो समाज को उन्हें वापस जीवन की मुख्य धारा में स्वीकार करना होगा, जिन औरतों को इस धन्धे से छुटकारा दिलाया गया है उनके साथ कितने लोग शादी करने को तैयार हैं ? यहां तक कि उनके परिवार ही उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं हैं। गांव वाले उन्हें वापस नहीं लेना चाहते और इस धंधे में स्थाई रूप से बंधुआ लोगों की तरह जीती हैं। इसलिए, उन्हें इस माहौल से बाहर निकाल कर एक नया माहौल प्रदान करना, फिर से उन्हें मनुष्य होने का एहसास दिलाना शायद कुछ ऐसी बात है जिसके लिए बहुत अधिक मनोचकित्सीय एवं भावनात्मक उपचार की आवश्यकता है तथा पूर्ण रूप से समर्पित समाज कल्याण संस्थायें और दल इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए हमने इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता

मांगी है। अब हमने यह प्रावधान किया है कि छापा मारने वाले प्रत्येक दल में एक औरत होनी चाहिए। पूछताछ के दौरान एक औरत का उपस्थित होना आवश्यक होगा तथा न्यायालय द्वारा बचाए गये लोगों को छोड़ने से पहले, न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा कि एक समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित एक पंजीकृत संस्था द्वारा यह जांच करवाये कि बचाये हुए व्यक्ति को लेने आया हुआ व्यक्ति जो उसका पति या माता-पिता अथवा संबंधी होने का दावा करता है वह असली व्यक्ति है, उसकी देख-भाल करने की उसमें क्षमता है तथा वह कोई दलाल अथवा कोई अन्य व्यक्ति न हो जो उसे वापस वैश्यालय में ले जाने के लिए अथवा अपनी हिरासत में लेने के लिए आया हो। यह प्रावधान हमने पहली बार किया है।

संरक्षण गृहों तथा बालगृहों की समस्याओं से मैं परिचित हूं। ये आलोचनाएं हैं। परन्तु उनमें से सभी इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा उन्हें बताया जा रहा है। मैं महसूस करती हूं कि हमारी समस्यायें हैं। विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों या यहां तक कि सामान्य विद्यालयों की भी कुछ समस्यायें हैं, ऐसा हर संस्था के साथ होता है। अब हम आगन्तुकों सहित कुछ प्रावधान कर रहे हैं। कल्याण मन्त्री महोदय किशोर न्याय विधेयक पुनःस्थापित कर रहे हैं तथा संरक्षण गृहों एवं बाल गृहों में स्तर सुधारने के लिए कई अन्य उपाय सरकार के पास विचाराधीन हैं तथा निकट भविष्य में आपके सामने आ जायेंगे विज्ञापनों में फिल्मों में औरतों के अपमान जनक प्रदर्शन के बारे में भी जिक्र किया जाता रहा है जिससे शायद इस अपराध को और दुरुत्साहन मिलता है।

6.00 प० प०

हम औरतों के अभद्र प्रदर्शन, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन, लेख इत्यादि शामिल है; के विरुद्ध पहले ही एक नया विधेयक पुरःस्थापित कर चुके हैं जिस पर अगले सत्र में चर्चा की जाएगी जो वास्तव में इस देश की औरतों को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किये जा रहे शोषण के विरुद्ध यहां तक की विज्ञापनों इत्यादि के बारे में भी संरक्षण प्रदान करेगा।

'एड्स' तथा संचारी यौन रोगों की भयंकर समस्या के कारण हमने बचाई गई सभी औरतों के डाक्टरी परीक्षण का भी प्रावधान रखा है और एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उन सभी औरतों के लिए अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान किया गया है।

मेरे विचार में मैंने व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का सार प्रस्तुत कर दिया है। उनमें से 13 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है तथा विभिन्न सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों तथा सुझावों का मैंने सार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सारांश में मुझे कहने के लिए गांधी जी की पुस्तक 'हरीजन' के इन शब्दों से बेहतर शब्द नहीं मिलते। आपकी अनुमति से मैं केवल एक पैराग्राफ उद्धृत करना चाहती हूं :

"समाज के इन अभागे सदस्यों के अस्तित्व के लिए मुख्यतः पुरुष ही जिम्मेदार हैं। भारतीय पुरुष को उन हजारों बहनों के भाग्य पर विचार करना चाहिए जो उसके गैर कानूनी और अनैतिक कार्यों के कारण एक लज्जा जनक जीवन व्यतीत कर रही है। दुःख की बात तो यह है कि इन घृणित स्थानों पर जाने वाले अधिकांश पुरुष विवाहित होते हैं और वे दोहरा पाप करते है वे अपनी पत्नी के साथ जिनके प्रति उन्होंने निष्ठा की शपथ ली है। पाप करते हैं। ही आखें उन बहनों के प्रति जिनकी पवित्रता उन्हें अपनी बहनों की तरह रखनी है, पाप

करते हैं। यदि भारत के पुरुष अपनी प्रतिष्ठा को महसूस करें तो यह बुराई एक दिन भी नहीं चल सकती। समाज के लिए अपेक्षाकृत अधिक बुरा या अधिक हानिकर क्या है? क्या यह धन की चोरी है या नारी के सम्मान की चोरी है? क्या पुरुष अपने चालाकी पूर्ण और अनैतिक तरीकों से पहले नारी की पवित्रता नष्ट नहीं करता है और बाद में उसके विरुद्ध किए गए अपराध में उसको ही सहभागी नहीं बनाता है? इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के समक्ष रखती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 5—(धारा 2 का संशोधन)

श्री ई० अय्यूप रेड्डी (कुरनूल) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं : 'पृष्ठ 2,—

पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

(च) "वेश्यावृत्ति" से लैंगिक संभोग हेतु अविलम्ब या अन्यथा धन या पैसे के लिए अपना शरीर प्रस्तुत करने का कार्य अभिप्रेत है, और "वेश्या" शब्द का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;—5 इस संशोधन विधेयक में जो परिवर्तन किये गये हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि इससे 'वेश्यावृत्ति' की परिभाषा बदलजाती है। मूलतः वेश्यावृत्ति की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट थी। वास्तव में बहुत अच्छी तरह सोच-विचार करके इस परिभाषा का प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें कहा गया था 'कोई भी व्यक्ति जो पैसे के लिए अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए लैंगिक संभोग हेतु अपना शरीर प्रस्तुत करता है।' वेश्यावृत्ति की यह परिभाषा है। अब इसके स्थान पर "वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण" प्रतिस्थापित कर दिया गया है। "लैंगिक शोषण" का क्या अर्थ है, इस पारिभाषित नहीं किया गया है। खण्ड चार के अधीन 'वेश्यावृत्ति की कमाई पर गुजारा करना दण्डनीय है। "वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण' एक बहुत व्यापक शब्द है। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण से क्या अभिप्राय है? मानलीजिये एक होटल का मालिक कुछ सुन्दर एवं सुघड़ लड़कियों को स्वागत कर्त्ता के पद पर नियुक्त करता है तब भी यह कहा जा सकता है कि वह वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उन लड़कियों का लैंगिक शोषण कर रहा है। क्योंकि आपकी परिभाषा बहुत व्यापक है। मानलीजिये एक चलचित्रदर्शी चित्र को ले लीजिए,

जैसे कि सत्यम् शिवम् सुन्दरम्, यह मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था, जिसमें लड़कियों को विशेषतौर पर नंगा दिखाया गया है। क्या यह वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण नहीं है ? क्या इस अधिनियम के खण्ड 4 के अधीन ऐसे लोगों को दण्डित करने का आपका इरादा है ? यदि हां, तो आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए। लैंगिक संभोग के प्रयोजन से शोषण से आपका क्या अभिप्राय है ? पहले वाली परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट थी। अब परिभाषा में परिवर्तन करते समय आपने कहीं भी पारिभाषित नहीं किया है कि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण का क्या अर्थ है। यह बहुत व्यापक शब्द है तथा तब निश्चय रूप से इस अधिनियम का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाएगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु क्या आपका आशय यह है ? यदि यह आशय है तो आप इसे बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। यहां तक कि औद्योगिक वाणिज्यिक होटलों विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति सहित लड़कियों का चुनाव केवल आयु, रंग-रूप, कद तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर ही किया जाता है। क्या वह वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण के अन्तर्गत नहीं आता है ?

6.06 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इसलिए, मैंने जो सुझाव दिया है उसमें "वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु के स्थान पर लैंगिक सम्भोग के लिए लैंगिक शोषण" शामिल किया गया है। इससे अधिनियम का कार्य क्षेत्र सीमित हो जायेगा। अथवा आप इस अधिनियम का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक बना रहे हैं तथा आपके लिए सरकार के लिए अथवा किसी भी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम को लागू करना बहुत कठिन होगा। इसलिए, कृपा करके इसका पुनः निरीक्षण करें क्योंकि आपने जो परिवर्तन किया है वह एक मूलभूत परिवर्तन है। यह परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपका इरादा यह था कि औरतों तथा लड़कियों की बजाय आप सभी लिंगों के लड़कों, बच्चों का स्थानापन्न करना चाहते थे। अतः वेश्यावृति की मूल परिभाषा में यदि आप "लड़कियों अथवा स्त्रियों" के बजाय "किसी भी व्यक्ति" शब्द रख देते तो इससे उद्देश्य पूरा हो जाता। अतः विकल्प के रूप में मैंने यह सुझाव दिया है कि "वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु" के स्थान पर "लैंगिक सम्भोग के लिए लैंगिक शोषण, रखा जाना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि परिभाषा में हुए इस अति महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विचार करें। परिभाषा में लैंगिक शोषण शब्द नहीं होना चाहिए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इस अधिनियम में 'लैंगिक शोषण' शब्द के अर्थ की यथेष्ट व्याख्या हो चुकी है। सभी विवरणों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस पर पहले ही दृढ़ निर्णय ले चुके हैं। हम कह चुके हैं कि इस अधिनियम के संदर्भ में हमारा आशय लैंगिक शोषण को केवल लैंगिक सम्भोग से थोड़ा व्यापक बनाना है। मेरा अभिप्राय यह है कि आप इसे लैंगिक सम्भोग तक ही सीमित रखना चाहते हैं जबकि हम इसे व्यापक बनाना चाहते हैं। इस अवस्था में यह सिद्ध करना कठिन कार्य है। इसलिए, इसे व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा हम यह चाहते थे कि इस पर न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह

प्रमाणित करना कठिन है कि सम्भोग किया गया है अथवा इसी तरह की कोई बात की गई अथवा नहीं की गई है। इसलिए इसे व्यापक बनाया गया है।

सभापति महोदय : यह ठीक है। अय्यपू रेड्डी जी क्या आप उन संशोधनों को वापस ले रहे हैं अथवा नहीं।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : क्योंकि मैंने संशोधन रखे हैं, अतः मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय पहले ही कह चुके हैं।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि लैंगिक सम्भोग के लिए यह आवश्यक नहीं हैं। फिर इस शोधण का अर्थ होगा.....

सभापति महोदय : आप यह जानते हैं। क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : प्रथमतः मैंने उनसे निवेदन किया था...

सभापति महोदय : कृपा करके मेरी बात सुनिए। माननीय मन्त्री महोदय आपके संशोधन स्वीकार नहीं करते। आपको उन्हें वापस लेना होगा।

श्री ई. अय्यप्पू रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय को अवश्य मना...(व्यवधान) इससे पहले कि मैं अपने संशोधन को आगे बढ़ाऊं, मुझे सभा का सन्देह दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए...

सभापति महोदय : सन्देह दूर करने के लिए आप प्रर्याप्त समय ले चुके हैं। इससे अधिक समय नहीं मिल सकता। अब मैं श्री अय्यपु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6—(धारा 3 का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

[यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता] (3) पृष्ठ 3,—

पंक्ति 20 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ग) ऐसा व्यक्ति 24घन्टे के भीतर अपने परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में उपयोग किए जाने के बारे में जानकारी न होने सम्बन्धी कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है।"4

सभापति महोदय : कृपा करके संक्षेप में कहिए।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रथम वाचन के दौरान ही बोलना चाहता था, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आश्वासन दिलाया था कि विधेयक पर खण्डवार विचार करते समय मुझे पर्याप्त समय दिया जायेगा। यदि आप मुझे अवसर नहीं देते हैं.....

सभापति महोदय : आपको अवसर दिया जा रहा है ।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : मैं आपको कारण बताऊंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है···

सभापति महोदय : केवल आप ही एक माननीय सदस्य हैं जिन्होंने खण्डों के संशोधनों की सूचना दी है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपने सभी संशोधनों पर एक साथ बोल सकते हैं ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : हां, मैं सभी संशोधनों पर एक साथ बोलूंगा ।

सभापति महोदय : आप बोल सकते हैं परन्तु संक्षेप में बोलिए ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : कृपा करके इसे समझिए कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, परन्तु इस पर अन्तिम क्षणों में चर्चा की जा रही है । अतः इसका परिणाम यह हुआ है कि केवल संशोधनों का नोटिस ही दे सका। ऐसा नहीं है कि अन्य सदस्यगण संशोधनों से सम्बन्धित सूचना देने के इच्छुक नहीं थे । समय नहीं था । आप विधेयक के उद्देश्य को ही समाप्त कर रहे हैं···

सभापति महोदय : बिल्कुल नहीं । आपके संशोधनों को स्वीकार करना या न करना मंत्री महोदय पर निर्भर करता है ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : फिर हमें सभा में आने की ही कोई जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय : अपने संशोधन रखने के लिए आप स्वतन्त्र हैं तथा उन्हें स्वीकार करना या न करना मन्त्री महोदय पर निर्भर करता है । मैं कुछ नहीं कह सकता । कृपा करके आगे बोलिए ।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : इस विधेयक के जरिए अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने हैं । मैं बहुत विनम्रता, दुःख तथा खेद के साथ कहता हूं कि इस विधेयक से, जिससे आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा क्योंकि जैसा यह है उसकी अपेक्षा इस अधिनियम को कठोर, सख्त तथा अधिक दण्डनीय बनाने की कोशिश में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । पिछले चालीस वर्षों से मैं आपराधिक पहलू पर वकालत कर रहा हूं ।

अब आपने इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातों में परिवर्तन कर दिया है । आपका उद्देश्य इस अधिनियम को अधिक कठोर बनाने का है । कुछ समय पूर्व दूरदर्शन ने एक कार्यक्रम "सच की परछाईयां" दिखाया था । महोदय, आपने भी वह कार्यक्रम अवश्य देखा होगा उन्होंने बम्बई में वेश्याओं की समस्या को उठाया था; कुछ वेश्याओं से साक्षात्कार दिखाया गया, पुलिस अधिकारियों तथा समाजिक कार्यकर्त्ताओं से भी साक्षात्कार दिखाया था, ये सभी दूरदर्शन पर दिखाया गया था। उनमें से अधिकांश लड़कियों ने यही कहा था कि उनकी आय का एक-तिहाई अथवा एक-चौथाई भाग पुलिस अधिकारियों अथवा दलालों के पास जा रहा है । यह बात सर्वविदित है कि बम्बई कलकत्ता, हैदराबाद तथा अन्य शहरों में लगभग पचास लाख लोग वेश्यावृति के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं । यह एक सामाजिक समस्या है और लागू अधिनियम से वेश्यावृति की समस्या पर काबू न पाये जा सकने का कारण यह नहीं है कि अधियियम में कोई त्रुटि है, अपितु यह है कि लागू करने वाले प्राधिकारियों ने इसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न नहीं किया । अधिनियम में कोई त्रुटि अथवा कमी नहीं थी । अधिनियम बिल्कुल उपयुक्त था । वास्तव में पुलिस अधिकारियों ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि अधिनियम में कोई त्रुटि है । दूरदर्शन के उस

कार्यक्रम में उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि इस अधिनियम में कोई त्रुटि है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको कभी अभियोजन पक्ष की बात सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत-सी लड़कियों को यह भली प्रकार मालूम है कि उन्हें वापस उसी चकला घर में जाना है जहां वह रह रही हैं। अतः उनमें से अधिकांश इस स्थिति में नहीं होंगी कि वे इन चकला घरों को चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध गवाही दे सकें। यह वास्तविकता है। जब वे न्यायालय में जाती हैं, वे इस स्थिति में नहीं होती कि कुछ कह सकें।

वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम ऐसे उपबन्ध हैं कि उन्हें अपराधी (परिवीक्षा) अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है उन्हें लाभदायक उपबन्धों के अधीन छोड़ा जा सकता है और सजा इतनी कड़ी नहीं है। इसलिए अधिकांश पुलिस जांच अभिकरण इन लड़कियों को यह कर राजी कर लेते हैं कि एक या दो माह के समय के बाद इन्हें छोड़ दिया जायेगा इसलिए वे सजा स्वीकार कर लें।

किंतु अब आप यह सजा सात वर्ष की कर रहे हैं। इसकी सुनवाई केवल सहायक सत्र न्यायालय अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। आप इन मामलों की पैरवी के लिए कितने न्यायालय बनायेंगे? आपराधिक दंड संहिता के अन्तर्गत सामान्यतः ऐसे मामलों की सुनवाई द्वितीय श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। इन न्यायालयों में भी पुलिस को साक्षी ढूंढना कठिन हो जाता है। जब आप सजा की यह अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर रहे हैं तो यह निश्चित है कि आपको·····

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : महोदय, मैं सभी संशोधन के सम्बन्ध में एक साथ बोल रहा हूं। मैं तृतीय वाचन के समय भी नहीं बोलूंगा।

जहां तक सजा की अवधि को बढ़ाकर 7 वर्ष करने का संबंध है आप सांविधिक रूप से केवल कागजी कार्यवाही कर रहे हैं। इस कार्यवाही से अभियोजन अभिकरणों तथा पुलिस वालों को अपनी उपरि आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी अपितु लोग न्यायालय में आकर गवाही देने से डर जायेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जानते हैं कि उन्हें कम से कम कम सात वर्ष की सजा भुगतनी होगी वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आरोप पत्र भी दाखिल न हो।

महोदया, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है। आप सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों से रिकार्ड मंगवाकर यह देख सकती है कि अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के कितने मामले लंबित हैं। यदि अब 100 मामले लंबित हैं तो आप पायेंगी कि अगले वर्ष 10 मामले भी दर्ज नहीं वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत 10 मामले भी दर्ज नहीं होंगे।

यह विधेयक अत्यंत आदर्शवादी है, किंतु यथार्थवादी नहीं है। इसे और कड़ा बनाकर आप उन लड़कियों तथा बच्चों का जीना और भी कठिन कर रहे हैं जिनका कामुक-प्रवृत्ति के कारण शोषण किया जा रहा है। जो अपराधी ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं वे इस शोषण के और रास्ते ढूंढने तथा कानून से बचने के और उपाय सोचेंगे।

इसलिए, यदि आप किसी दण्डशास्त्री अथवा अपराध विज्ञानी से या आपराधिक न्याय-शास्त्री से विचार-विमर्श करें तो वे आपको बतायेंगे कि आपराधिक कानून समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिएं। आपराधिक कानून ऐसा होना चाहिए कि 60से70 प्रतिशत व्यक्ति स्वयं ही इसे स्वाविक रूप में मान लें। यदि 80 प्रतिशत लोगों को अपराधी मान लिया जाए और उनमें इसे प्राकृतिक नियम मानने की भावना न हो तो उसका है वही परिणाम होगा जो मद्यनिषेध अधिनियम का हुआ है।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आपने भाषण के अंत में महात्मा जी को उद्धृत किया है। क्या हम अब उनके प्रति ईमानदारी निभा रहे हैं? मद्यनिषेध के आदर्श का क्या हुआ? सभी राज्य सरकारों ने इसे लागू किया था। किंतु आज क्या स्थिति है? सभी राज्य सरकारें इसी पर निर्भर करती हैं क्योंकि ये राजस्व का मुख्य स्रोत है।

अत: आदर्शवादी होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यथार्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे कानून बनाने का प्रयत्न न करें जो जिन्हें आप कार्यान्वित न कर सकें। ये सिखाने की कोशिश न करें।

"सत्यं वद धर्मं चर"

यह सही है। हम यहां कानून बना सकते है, किंतु उसे लागू कैसे किया जाये? कृपया इसके बारे में सोचें।

इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है कि सजा की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होनी चाहिए ताकि एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट भी इसकी सुनवाई कर सके। कृपया सात वर्ष का लक्ष्य न रखें। इससे अपराधी बचकर निकलने के लिए प्रेरित होगा।

अगला सुझाव जुर्म साबित करने के संबंध में है आप कह रहे हैं कि जहां पर छापा मारा जायेगा और उसकी खबर अखबारों में आयेगी वहा जुर्म साबित करने का दायित्व इस वैकल्पिक धारणा के अधार पर होना चाहिए कि वह उस स्थान को चकले के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसके लिए मैंने एक संशोधन दिया है जिसमें कहा है कि किसी परिसर का मालिक 24 घंटे के भीतर अपने आचरण के बारे में युक्ति-संगत स्पष्टीकरण न दे सके तो उसके विरुद्ध यह धारणा बना ली जानी चाहिए। लेकिन यदि यह मान लिया जाये कि उस मालिक की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो न्यायालय इस बात को नहीं मानेगा।

ऐसे मामलों में जहां पर कि किसी पुरुष का इस कार्य हेतु प्रयोग या शोषण किया गया हो तो न्यूनतम सजा 7 दिवस है। ऐसा भेद-भाव क्यों है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। अब यदि अपराध पुरुष द्वारा किया गया है तो सजा की न्यूनतम अवधि 7 दिन है। महिलाओं के मामले में यह अपवाद क्यों है? इसलिए मैं इस खण्ड का भी विरोध करता हूं।

मैं स्वविवेक से न्यायाधिक निर्णय लेने के अधिकार को वापस लिये जाने का भी विरोध करता हूं। एक न्यायाधीश को सभी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उन्हें उस पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना होता है जिसमें अपराध किया गया हो। अपराधी की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा उन परिस्थितियों को भी देखना होता है जिनके कारण अपराधी ने अपराध किया हो। निर्णय देते समय

इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो वे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबन्ध लागू कर सकते हैं। यदि आप कहें कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा तो आप उन लोगों के प्रति घोर अन्याय कर रहे हैं, जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, अर्थात् वे नाबालिग लड़कियां जिन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया है। आप ऐसा करके उनके प्रति घोर अन्याय करेंगे। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी क्योंकि एक न्यायाधीश अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध 7 वर्ष की कड़ी सजा देने पर मजबूर हो जायेगा वह उसे छोड़ देने को अधिक प्राथमिकता देगा।

इसलिए कुछ आवश्यक परिवर्तन करने जरूरी हैं। यह विधेयक आदर्शवादी है किंतु इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरी यह मांग है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती। मैं एक बात कहना चाहती हूं। वे उस उपबन्ध का विरोध कर रहे हैं जो हम पैरोल हटाने तथा अच्छे व्यवहार के लिए राहत देने के लिए हैं। यदि किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है तो सजा दी जानी चाहिये। मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती।

उन्होंने न्यायालयों पर दबाव के बारे में भी कहा है। हमने इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यकता पड़ने पर विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का भी प्रावधान किया है। इसलिए दबाव होने का प्रश्न नहीं उठता। कार्यान्वयन तंत्र राज्य सरकारें हैं। हमें उनके माध्यम से ही काम करना है। मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि तेलगू देशम की सदस्या डॉ० कल्पना देवी, जिन्होंने यह चर्चा शुरू की है, ने कहा कि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं को सम्पत्ति में समान अधिकार देना है जो कि उनकी राज्य सरकार ने दिया है। अतः माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात कि उन्हें समान अधिकार दें तो वेश्यावृत्ति नहीं होगी, पहले ही उनके राज्य में है, देखते हैं कि वह उपाय कैसा काम करता है। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकती।

सभापति महोदय : अब मैं श्री ई० अयप्पु रेड्डी द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 3 और 4 को सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 3 तथा 4 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न है "कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 (धारा 4 का संशोधन)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 25, —

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये।'··· (5)

सभापति महोदय : मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया)

खण्ड 8 (धारा 5 का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 31,'—

(i) "तीन वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(ii) "सात" के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।'···(6)

'पृष्ठ 3, पंक्ति 33 से 35 तक,—

"और यदि इस उपधारा के अधीन अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो सात वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दण्ड चौदह वर्ष की अवधि के लिए कारावास तक होगा," का लोप किया जाये ।'···(7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये ।···(8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये ।'···(9)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा खण्ड 8 के लिए प्रस्तुत सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 6 से 9 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 9 (धारा ७ का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 15,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये ।'···(10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये ।···(11)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 10 और 11 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 (धारा 7 का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ, 4 पंक्ति 42,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये। (13)

'पृष्ठ 5,—

पंक्ति 10 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये,—

"परन्तु यह और कि जहां अनुज्ञप्ति को विचारण तथा दोष सिद्धि से पूर्व यथास्थिति निलम्बित या रद्द करने का प्रस्ताव हो, वहां अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।"(···14)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 10 के सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 12 से 14 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12—(धारा 9 का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 5, पंक्ति 26,—

"सात" के स्थान पर 'दो" प्रतिस्थापित किया जाएगा।' ···(15)

'पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"सात" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाए।' ···(16)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 12 के संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 और 16 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 15—(धारा 13 का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ5, पंक्ति 40,—

"शोषण" के पश्चात् "वाणिज्यिक शोषण" अन्तः स्थापित किया जाए '···(17)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 15 के संशोधन संख्या 17 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 17 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 16 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 19— (नई धारा 17A का संशोधन)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

'पृष्ठ 7, पंक्ति 21 से 23 तक—

"किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा कोई जांच करवाकर" का लोप किया जाये ।'···(18)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत खंड 19 के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 18 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 20 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, का अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्रीमती मारेप्र० अल्वा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । इस विषय में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं । जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब तक इस

विधेयक के क्रियान्वयन के लिए विशेष बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया जाता तब तक यह केवल कागजी शेर ही रहेगा तथा जिस उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उस उद्देश्य को ही विफल कर देगा। जब अपने कर्त्तव्य के प्रति वचनबद्ध एवं सच्चे पुलिस अधिकारी हैं तो वर्तमान कानून ही सफल सिद्ध हुआ है। यहां तक कि वे लोग भी इन प्रावधानों को लागू करने में सफल नहीं हो पायेंगे जब तक कि ठोस बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया जाता तथा अपने कार्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति इसके प्रभारी नियुक्त नहीं किये जाते।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : यह हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है कि अन्ततः उचित क्रियान्वयन ही महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

6.31 अ०प०

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि लोकसभा को दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 1986 राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश मिल गयी है।

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले और भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

दहेज आज भी एक ज्वलंत समस्या है जिसके बारे में समाज के सभी वर्ग अत्यंत चिंतित हैं। दहेज का खतरा बहुत व्यापक स्तर पर है और इससे आसानी से नहीं निपटा जा सकता। दहेज की प्रथा का विभिन्न स्तरों पर विरोध करना पड़ेगा। आजकल प्रचलित इस बुराई के विरुद्ध जनता के अन्दर एक जागृति पैदा करनी होगी। इस बुराई के विरुद्ध एक राष्ट्रीय अभियान चलाना होगा। और यहां पर एक दृढ़ कानूनी संरक्षण होना चाहिए। जिसके तहत दुल्हन और उसके माता-पिता को प्रताड़ना उनको परेशान करने और उनके प्रति दुर्व्यवहार और अन्य अनिष्ट कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर तथा पर्याप्त कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा। आजकल हम देखते हैं कि अपर्याप्त दहेज की वजह से लालच में अंधा होकर दुल्हन की हत्या की जाती है, उसे प्रायः जलाया जाता है।

इस समस्या से अत्यन्त चिन्तित होकर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का 1984 में संशोधन किया गया। महिला स्वयंसेवी संगठनों, कानूनी सहायता ग्रुपों के प्रतिनिधियों, संसद के महिला सदस्यों तथा अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किए कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन संबद्ध संसद की संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियम को लाने के लिए तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और संशोधन किये जाने चाहिएं।

विधेयक माननीय सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है और अल्पसूचना के लिए मुझे खेद है किन्तु हमारे पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं था। मैं संशोधनों की कुछ मुख्य बातें बताना चाहती हूं : परिभाषा विस्तृत कर दी गयी है।

(एक) अधिनियम की धारा 3 के अधीन दहेज लेने अथवा दहेज लेने के लिए प्रेरित करने के लिए न्यूनतम दंड बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है। और इसके लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।

(दो) यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि उसने दहेज लेने की कोई मांग नहीं की, उस व्यक्ति की होगी जो दहेज लेता है या दहेज लेने के लिए किसी को प्रेरित करता है।

(तीन) इस अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान से इस अधिनियम के अधीन उस पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।

(चार) अधिनियम के अन्तर्गत समाचारपत्र में विज्ञापनों के माध्यम से प्रस्तावों को सम्मिलित करके धारा 4में प्रस्तावित संशोधन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। भारत के कुछ भागों में वैवाहिक विज्ञापनों में संपत्ति में "हिस्सा", आदि शब्दों का प्रयोग करके खुले रूप से दहेज की मांग का विज्ञापन करते हैं। इस संशोधन द्वारा ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जाना है।

(पांच) धारा 6 में संशोधनों से महिला को दान दी गई संपत्ति की उस हालत में उसके बच्चों को उस संपति का उत्तराधिकारी बनाकर रक्षा की जा सकेगी यदि वह किन्हीं कृत्रिम कारणों से विवाह के सात वर्ष के अन्दर मर जाती है। यदि उसके कोई बच्चे न हों तो उसके माता-पिता को वह संपति मिलेगी।

(छह) एक और महत्वपूर्ण प्रस्तावित संशोधन सभी अपराधों को गैर-जमानती अपराध बनाने से संबंधित है। यह दण्डाधिकारियों की प्रवृति को प्रभावहीन बनाने के लिए है जो कभी कभी तुच्छ आधार पर दहेज अपराधियों की जमानत दे देते हैं। इस संशोधन के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति का भी एक और महत्वपूर्ण संशोधन है। ये अधिकारी इस अधिनियम के कार्यान्वयन को देखने के लिए जिम्मेदार होंगे और अपराधों को साबित करते हुए मुकदमें में सहायता करेंगे तथा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भी मदद करेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की सहायता के लिए राज्य सरकारों के पास सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं के सलाहकार बोर्ड बनाने के अधिकार हैं।

दहेज के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिन अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता थी वे इस विधेयक में खंड 10, 11 और 12 में प्रस्तावित संशोधन हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम

में आवश्यक संशोधन होंगे। भारतीय दंड संहिता में, एक नई धारा 304 (ख) जोड़ दी जायेगी। पहली बार दहेज-मृत्यु को परिभाषित किया गया है और अगर कोई महिला की, विवाह के सात सालों के भीतर अप्राकृतिक हालातों में मृत्यु हो जाती है तो इसमें उसके पति या किसी सम्बन्धी का हाथ होने की संभावना की जायेगी। और यह भी दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के सम्बन्ध में उसके पति या सम्बन्धी द्वारा उसको तंग किया गया था। दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के लिए जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसे सात वर्ष से कम की सजा नहीं दी जायेगी और यह सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है।

महोदय, ये संशोधन अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने में सहायक होने तथा विभिन्न वर्गों द्वारा की गयी मांगों के अनुरूप होने में सदन में इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करती हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमान, ठोस चर्चा होने से पहले, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करती हूं कि अगर इस तरह के सामाजिक महत्व के विधेयकों को इस ढंग से सत्र के अन्तिम दिन और वह भी दो घंटे शेष रहने पर विधेयक हमारे हाथों में देने लाया जाता है तो आप स्वयं उन हालातों को देख सकते हैं जिनमें हम चर्चा कर रहे हैं। यह मेरे विचार में निस्सन्देह पूर्णतया आपत्तिजनक है। बहन मारग्रेट का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहती हूं कि इस तरह की चल रही व्यवस्था से वास्तव में प्रभाव पड़ा है और यह निस्सन्देह निन्दनीय है, क्योंकि आवश्यक तौर पर दहेज विरोधी अभियान का प्रश्न एक जन आन्दोलन का प्रश्न है, और इस तरह के विधेयकों पर चर्चा करते वक्त सदन को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। मुझे आशा है कि भविष्य में इस बात को ध्यान में रखा जायेगा। हम यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर यह दहेज प्रतिषेध विधेयक न होता तो हम इस पर आपत्ति करते। वास्तव में, इससे मुझे दुःख हुआ है। मेरे विचार में, इस मसले के प्रति गंभीर दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति के लिए यह शोभा नहीं देता है। मैं अपने मित्रों के बारे में यह नहीं कह रही हूं, किन्तु यह मैं सामान्य तौर पर कह रही हूं।

महोदय, पहले इस सम्बन्ध में, मैं यह याद दिलाना चाहती हूं कि जब संशोधन विधेयक, 1984 पारित किया गया था तो उस समय भी यह उस दिन पारित किया गया था जब सम्पूर्ण विरोधी सदस्य सारे दिन के लिए सभा से बहिर्गमन कर गये थे। इस प्रकार वास्तव में हमें कोई भी अवसर नहीं दिया गया। हममें से जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे उनको विधेयक पर ठीक ढंग से चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिला था। आप सोच सकते हैं कि इस माहौल में मेरी दूसरी बहनें कुछ निराश हो गयी होंगी। दहेज विधेयक के सम्बन्ध में ऐसा दूसरी बार हुआ है। निस्सन्देह इससे स्थिति और खराब होती है।

मैं स्थिति में इस प्रकार नहीं जाना चाहती, क्योंकि सभी वर्गों की महिलाओं को परेशान करने वाली एक मात्र बुराई दहेज प्रथा ही है। यह हमारे जीवन को पूर्णतया दयनीय बनाती जा रही है। मैं अब सभी महिलाओं के बारे में बात कर रही हूं। मेरी जिन्दगी तो एक प्रकार से पूरी हो चुकी है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उत्तरोत्तर वे स्वयं से इस प्रश्न को पूछ रही हैं। किन्तु जहां तक इस समाज में दहेज के प्रश्न का सम्बन्ध है यह एक प्रगतिशील बात नहीं है। इसका पूर्णतया अहसास होना चाहिए।

मैं अपने द्वारा देखे गये सैकड़ों मामलों में नहीं जाऊंगी। मैं यह दिखाने के लिए कि अब तक इस सम्पूर्ण दहेज विधान के प्रति लोगों का क्या नजरिया रहा है, एक उदाहरण दूंगी। हाल ही में, टाटा संस्थान ने एक जांच की थी। उनके अनुसार उन्होंने 600 लोगों का साक्षात्कार लिया, और उन सभी 600 लोगों ने स्वीकार किया कि या तो उन्होंने दहेज ली या दी किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने न दहेज ली है और न दी है। सबसे रोचक बात यह है कि ऐसा 1984 के विधेयक के पारित करने के बाद किया गया। संस्थान के निदेशक श्री आर० डी० नायक ने बताया 78 प्रतिशत लोग अर्थात् 600 लोगों को दहेज प्रतिषेध अनियम के बारे में कुछ जानकारी थी, किन्तु 58.8 प्रतिशत लोगों को विशेष जानकारी नहीं थी। हम किसके लिए इन सभी विधेयकों को पारित कर रहे हैं? इसलिए, इसको और अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्थिति में और अधिक न जाते हुए, मैं कहती हूं कि प्रत्येक इस बात से सहमत होगा कि यह तो निस्सन्देह दयनीय स्थिति है।

अब, आज पेश किये जा रहे विधेयक के बारे में, यह कहां तक लाभदायक हो सकता है और इस समस्या के बारे में क्या किया जाना चाहिए ताकि विधेयक अर्थात इस अधिनियम को ठीक ढंग से लागू किया जा सके। सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिकारियों और सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति के लिए इस विधेयक में किए गए उपबन्ध का मैं स्वागत करती हूं क्योंकि ये कार्यान्वयन के क्षेत्र में आते हैं। हमने इसकी मांग पहले भी की थी। इसे पहले शामिल नहीं किया गया था। यह बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसा कर दिया गया है, हालांकि क्रियान्वयन की इस धारा के लिए मेरे पास कुछ और संशोधन हैं।

माननीया मारग्रेट जी, कैसे भी हो, हमने इसकी व्यवस्था कर दी है। गत रात्रि 9 बजे मेरे हाथों में एक राज्य सभा का विधेयक आया। मैंने अपने संशोधन लिखे। कई दूसरे लोग भी शायद ऐसा करना चाहते हो। किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। मैं इस पर बाद में बात करूंगी।

मैं विधेयक की कुछ और बातों का भी स्वागत करती हूं जैसे दहेज लेने या इसके लिए प्रेरित करने के लिए दोषी व्यक्ति पर सबूत की जिम्मेदारी डालना, पीड़ित व्यक्ति को मुकदमे के भय से छुटकारा देने का उपबंध; विज्ञापनों पर रोक लगाने का उपबंध अपराध को गैर जमानती बनाना और दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में उपबंध और न्यायालय द्वारा अनुमान लगाने के प्रश्न के बारे में कि अभियुक्त दोषी है। बाद में उसको, किसी दूसरे ढंग से सिद्ध करना पड़ेगा। ये मेरे विचार में कुछ अच्छी बातें हैं। किन्तु दहेज की संकल्पना के बारे में वास्तव में, मेरा एक बहुत गंभीर मतभेद है। पहले, माननीया बहन मारग्रेट ने एक दावा किया है कि सजा को और कठोर कर दिया गया है। किन्तु सजा की बात बहुत बाद में आती है। पहले तो अपराध तथा इसका सबूत आते हैं। फिलहाल 1984 के संशोधन के पश्चात्, दहेज किसे माना गया है? प्रतिभूति और संपत्ति को? जहां तक उपहारों का संबंध है, यहां पर एक 1984 का संशोधन है। आपने देखा कि 1984 के संशोधनों में उन्होंने क्या कहा है जो अब मुख्य अधिनियम का एक भाग है। दंड के क्षेत्र से बाहर क्या है? बगैर कोई मांग किये विवाह के समय दुल्हन को दिए गए उपहार यह कौन साबित करेगा कि कोई भी मांग नहीं की गयी। यह पूर्णतया एक अर्थहीन बात है। इसका अर्थ है कि सभी उपहार दहेज के घेरे से बाहर होंगे: और सिर्फ

यही नहीं, विवाह के समय दूल्हे को दिए गए उपहार भी। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि: "उसकी तरफ से बगैर कोई मांग किये," यह कौन कहेगा कि मैं एक मांग कर रहा हूं। कौन नहीं जानता कि ऐसा होता है ? उपहारों के रूप में वस्तुएं दी जाती हैं। यहां पर उपहारों की एक सूची है जिसको मैं बताना नहीं चाहती। इसके बाद यह इस प्रकार है :

> "परन्तु यह भी कि जहां वधू द्वारा या उसकी ओर से अथवा वधू के किसी संबंधी द्वारा इस प्रकार के उपहार दिए जाते हैं और ये उपहार रीति रिवाज की वजह से दिए जाते हों और इन उपहारों की कीमत उपहार देने वाले व्यक्ति या जिसकी ओर से ये उपहार दिए जाते हैं उस व्यक्ति की वित्तीय हैसियत से अधिक न हो।"

यह एक असंगत बात है। सबसे पहले प्रथागत क्या है ? प्रति व्यक्ति शुल्क का भुगतान प्रथागत है। एक नौकरी ढूंढना और उसकी कीमत देना प्रथागत है। ये सभी प्रथगत हैं। क्या ऐसा नहीं है इस प्रकार प्रत्येक वस्तु—एक रेफ्रिजरेटर, एक शीतक और एक टेलीविजन, और वह भी एक रंगीन टेलीविजन न कि साधारण, सब प्रथागत हैं। ये सभी वस्तुएं प्रथागत बन गई हैं। और देने वाली की वित्तीय स्थिति के बारे में क्या विचार हैं ? यह वास्तव में बड़ी अनोखी बात है। इसमें कुछ भी नहीं आता।

जहां तक प्रतिभूति का संबंध है, यह आजकल असली दहेज है। प्रतिभूति और कीमती संपत्ति कौन देता है और संपत्ति फायदा क्या है ?

जहां तक दहेज की परिभाषा का संबंध है, अब तक हमने जितने भी कानून पारित किए हैं या प्रस्तावित हैं, उनके कार्य क्षेत्र में पूरी छूट है। तत्पश्चात् दंड पांच वर्ष या 10 वर्ष या आजीवन कारावास होगा। इसका क्या अर्थ है ? इसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि यह एक पेचीदा विषय है। यदि हम वास्तव में दहेज प्रथा के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा करना चाहते हैं तो हमें बहुत गंभीर होना चाहिए और ऐसे उपबंध करने चाहिएं जो वास्तव में दहेज की पूर्णतया तथा स्पष्टतया निन्दा करते हों। अगर कोई अपनी लड़की को कुछ देना चाहता है तो उसे देने दें। लड़की को कुछ देने के और भी कई रास्ते हैं। किन्तु इस प्रकार की त्रुटि केवल त्रुटि नहीं है बल्कि एक पूरी त्रुटि है। इस लिए, इस संशोधन आदि के पश्चात्, यह मेरे लिए सैद्धांतिक बन जायेगा। मुझे यह कहते हुए खेद होता है।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : यह सुझाव दिया जा रहा है कि अगर हम विवाह को ही समाप्त कर दें तो कोई समस्या नहीं होगी।

प्रो० मधुदण्डवते : मैं आशा करता हूं कि ऐसा पूर्वकाल से प्रभावी नहीं किया जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : देखिये अगर विवाह नहीं होंगे तो—मान लीजिए कुछ समय पश्चात् तो मैं नहीं जानती कि स्थिति क्या होगी—बाद में स्थिति अच्छी होगी या बुरी वह एक दूसरी बात है। क्या यह किसी बुराई की ओर नहीं ले जा रहा है। क्योंकि एक समृद्ध वर्ग और कई लोग अपनी जमीन और अन्य वस्तुएं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें दहेज देना पड़ता है—यह दहेज गरीब समाज के लिए गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। दहेज समस्या एक बड़ी समस्या है। मुझे विषय से परे नहीं जाना चाहिए।

मैंने संशोधनों का एक पूरा सेट दे दिया है जिसमें दहेज को मैंने अपने ढंग से परिभाषित किया हैं। मैं चाहती थी कि इन खामियों को वास्तव में दूर किया जाए। सीमित रूप से चाहे वे दूर हो या न हो यह अलग बात है। लेकिन इनको गम्भीरता से दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पूरे संशोधन को बताऊंगी। वह सम्भवत: और आसान होगा।

सभापति महोदय : संक्षेप में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह एक दहेज समस्या है। मेरे विचार से जो होना चाहिए था, उसकी ओर मैंने संकेत कर दिया है—या जो मैं सोचती हूं दहेज के बारे में निश्चय किया जाना चाहिए। इसलिए यहां मैं सम्पूर्ण दहेज की परिभाषा इन विचारों के साथ फिर बताना चाहती हूं··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उसको परिचालित कर दिया गया है। आपका सशोधन भी परिचालित कर दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी मेरा अभिप्राय क्या है, मैं उसी ओर संकेत करूंगी जहां तक उपहार आदि का सम्बन्ध है मूल्यवान उपहारों को स्वीकार करने का प्रश्न है, मेरे विचार से दूल्हा-दुल्हन को रिश्तेदारों या मित्रों या माता-पिता द्वारा जो भी उपहार शादी से पहले या बाद में रोकड़ गहनों कपड़ों या अन्य वस्तुओं में दिया जाए इनकी कीमत विवाह से एक वर्ष पहले की परिवार की आय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए या पांच हजार रुपये जो भी कम हो, होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी दिया जाये वह दहेज माना जायेगा। यह अधिकतम है जो दिया जा सकता है आजकल पांच हजार रुपयों से कुछ नहीं खरीदा जाता इसलिए मैं कहती हूं कि दहेज पर इसका सीधा प्रहार होना चाहिए और ऐसा अवश्य करना चाहिए। हम किसी भी तरह तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल 5000 रुपये के साथ हम पति खरीद सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इन दिनों पति भी नहीं खरीदे जा सकते है ? वह तो मुश्किल है। दहेज पर सीधा प्रहार करने का मेरा यही विचार है।

तब मेरे द्वारा प्रस्तावित बातें विवाह खर्च अर्थात् विवाह पर फालतू व्यय की कुछ सीमा बांधी जानी चाहिए अपने संशोधन में, मैंने सुझाव दिया है कि यह 3000 रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जीरा पानी के बारे में आपका क्या विचार है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जीरा-पानी हो सकता है 1 जीरा-पानी या चाय पानी दिया जा सकता है। नारियल-पानी महंगा पड़ेगा। (**व्यवधान**)

लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूं मेरा अर्थ कार्य से है। जीरा-पानी ठीक रहेगा जब तक विवाहोत्सव के समय सम्पति को दिखावा और दुल्हन के परिवार वालों पर खर्च का दबाव कम नहीं किया जाता तब तक इन बातों से अधिक सुधार नहीं होगा। मैं पुन: कहती हूं कि इस तरह के विधेयकों में सबको गम्भीरता से हिस्सा लेना चाहिए।

क्रियान्वयन के प्रश्न पर आते हुए मैं दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का स्वागत करती हूं। इसके अलावा संयुक्त समिति ने अन्य सिफारिशें की है, जो मेरे विचार से क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा संसद में तथा सम्बंधित राज्य विधान मंडलों के इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के मूल्यांकन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन का क्या हो रहा है जो प्रस्तुत की जानी है और जो बहुत ही आवश्यक है। कृपया मुझे बताइये कि 1984 के संशोधनों के बाद कितने दहेज के मामलों की सुनवाई की गई। दहेज के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में दंडविधि संशोधन अधिनियम 1983, की सहायता से कुछ कार्यवाही की जा सकती है। कुछ किया जा रहा है लेकिन इतनी प्रगति नहीं हुई है। कुछ मामलों को लिया जा रहा है इस पर हमारा अपने अनुभव से आन्दोलन को जोरदार बनाना और उसे समन्वित करना है और विधानसभा में तथा उससे बाहर तब वार्षिक रिपोर्ट बहुत आवश्यक है आगे सुधार के लिए एक बड़ा आन्दोलन बनाया जा सकता है। यद्यपि इसे सांविधिक तरीके से नहीं किया जाता। कोई केन्द्र या राज्य मारग्रेट अल्वा जैसे मित्रों के साथ भी इसका गम्भीरता से मूल्याकन नहीं करेंगे। मेरे विचार से इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इस सम्बध में मैंने एक संशोधन भी दिया है। यहां यह कहा गया है शादी के शीघ्र बाद; मैं चाहता हूं कि 'शीघ्र' शब्द हटाना चाहिए और 'बाद में' रहना चाहिए।

समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि दहेज निषेध अधिनियम में जो कुछ भी किया तथा कहा जा रहा है इसे तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। जब तक कि एक बहुत बड़ा जन आन्दोलन नहीं किया जाता। अब मैं राजनीतिक दलों से जानना चाहता हूं स्वाभाविक रूप से सताधारी दल से जो सबसे बड़ा दल है—इसे राजनीतिक रंग नहीं देना है। यह विपक्ष के लिए भी है आप अपने उम्मीदवार का चयन किस आधार पर कर रहे है? क्या आपने उन व्यक्तियों के दहेज सम्बन्धी मामले भी देखे हैं। क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि जिन लोगों ने दहेज लिया है या उनको इसके लिए उकसाया है। उनको न तो दल के अन्दर किसी पद और न ही केन्द्र व राज्य के लिए टिकट के लिए कोई स्थान दिया जायेगा। और विधान सभाओं में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे विधिवत् रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता लेकिन उस पर दहेज अपराध की शंका है जिसे आप अपने मंत्रिमंडल द्वारा आयोग्य ठहरा सकते हैं।

7.00 अ० प०

जब तक आप ऐसा नहीं करते, जब तक आप उन्हें चुनौती नहीं देते, आप गम्भीर नहीं होते. पूरी राजनीति प्रणाली गम्भीर नहीं होती आप जो भी संशोधन करें ऐसी की ऐसी ही रहेगी। दहेज को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। यहां मैं महसूस करती हूं कि त्रुटि के कारण ऐसी स्थिति है इसलिए इस बारे में कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं परन्तु दृढ़ निश्चय के साथ नहीं कि यह कोई अच्छाई लायेगा। लेकिन मैं आशा करती हूं कि ऐसी बातों से कुछ दबाव पड़ेगा जिससे हम अपनी मनोव्यथा को कुछ कम कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति जी, यह जो डाबरी प्रोहिबिशन अमेंडमैंट बिल सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस बिल के द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसको देखते हुए किसी को भी इस अमेंडमेंट का कोई विरोध नहीं हो सकता।

सन् 1961 में जो कानून पास किया गया था और उसके बाद में 1984 में उसमें संशोधन किया गया था। उस संशोधन के बाद यह समझा गया था कि उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाईयों को देखते हुए और आने वाले समय में इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए इस संशोधन बिल को लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं इसके साथ-साथ मंत्री महोदया को बधाई देना चाहता हूं कि वे इतने महत्वपूर्ण बिल को सदन में लायीं। यह ठीक है कि वे इसको इतना देर करके लायीं और इस पर ज्यादा लोग बोल नहीं सके, फिर भी मंत्री महोदया ने इसकी जरूरत को समझा और उसको समझते हुए वे इस बिल को इस सदन में लायीं। इसे हमें पास करना होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतने बड़े सामाजिक मसले पर बातचीत करने के लिए इस सदन में इस समय कितने लोग हाजिर हैं, कितने लोग इस तरफ के हैं और कितने उस तरफ के हैं। हम लोग इस मसले को बड़ा भारी मसला समझते हैं लेकिन इस पर बहस में भाग लेने के लिए हम सारे लोग मौजूद नहीं हैं।

यह जो डावरी की समस्या है, यह एक सामाजिक बात है। कोई भी सामाजिक बात सिर्फ कानून पास करके, पार्लियामेंट में बहस कर के या बिल में अमेंडमेंट लाकर मिटा नहीं सकते। इसको मिटाने के लिए जनता को प्रयास करना होगा। समाज को इसको मिटाने के लिए आगे आना चाहिए और इसको मिटाने के लिए लोगों को एक आन्दोलन खड़ा करना चाहिए।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसको कार्यक्रम बनाया। भारतवर्ष में एक ही राजनीतिक दल है जिस दल के अन्दर एक इच्छा रही कि इस बुराई को मिटाना है। एक ही दल है जिस दल के प्रोग्राम में इस बात को रखा गया, हमारी युवा कांग्रेस ने डावरी के खिलाफ एक आन्दोलन का रास्ता अपनाया। इससे सारे देश के लोगों के अन्दर एक जागृति पैदा हुई। यह एक सामाजिक बात है और सारे देशवासियों को इस सामाजिक बात को मिटाना है।

आज क्या होता है कि हमारी बहू-बेटियों की शादी के बाद मृत्यु होती है। हमारी बहू-बेटियां शादी के बाद नया जीवन बनाने के लिए, नयी आशा को लेकर आगे जाती हैं। लेकिन शादी के बाद एक हफ्ते में, एक महीने में या छः महीने में जिस तरीके से उनकी भयानक रूप से मृत्यु होती है, उनको मार डाला जाता है, यह हमारे समाज के सब लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है।

सभापति जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसाकि अभी एक माननीय सदस्या ने कहा कि 1961 के कानून में जो कमियां थीं, उनको 1984 में दूर किया गया, इस पाप को रोकने के लिए, मृत्यु को रोकने के लिए, बंगाल में देवज्ञानी की हत्या हुई, अभी हाल ही में बिमला की हत्या हुई, इसी तरह से दिल्ली के अखबारों में हर रोज अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि 1984 में आंध्रप्रदेश में एक काम बहुत अच्छा हुआ कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्वर्ण कुमारी की डाउरी हत्या हुई तो वहां के कोर्ट ने सास और पति को मौत

की सजा दी थी, हाईकोर्ट से उसका कन्फर्मेशन हुआ या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। इस विषय में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो ज्यूडिशल आफिसर्स हैं, इस सामाजिक पाप के मामलों पर उनको मानवीय दृष्टिकोण, अपनाकर जल्दी इनको निपटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समाज का सबसे बड़ा पाप है, इसको हमें रोकना है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डाउरी का पाप है, यह बड़े शहरों में ज्यादा है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे मेट्रोपोलिटन सिटीज में, जहां आडम्बर ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, ऐसी जगहों पर यह पाप ज्यादा छाया हुआ है। अफसोस की बात है कि देहातों में कन्यादान के समय कुछ न कुछ कन्या को दान करने का काम जो माता-पिता का था वह आज समाज की इतनी बड़ी बुराई बन गया है। आज टी वी, रेफ्रीजरेटर, स्कूटर आदि समाज में अच्छी दिखने वाली चीजें, दिखावे और आडम्बर धीरे-धीरे देहातों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यह समस्या वहां भी बढ़ती जा रही है और यह गम्भीर मसला बनता जा रहा है। इस गम्भीर मसले को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप डाउरी प्रोटेक्शन फोर्स में ऐसे लोगों को भरती करें जिनमें सामाजिक चेतना हो, एक लगन हो। उनको भरती न किया जाए जो रक्षक ही भक्षक बन जाएं, इस तरह के लोगों के आने से गरीब लोगों को और अधिक सताया जाएगा और उनसे पैसा मांगा जाएगा। इस तरफ आप अवश्य ध्यान दें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं जिस तरह से आप यह फोर्स बनाने जा रहे हैं, इसी तरह से सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर, बैठकर जैसे नेशनल इंटेग्रिटी काउंसिल बनाते हैं और दूसरी काउंसिलें बनाते हैं, उसी तरह से एक संस्था बनाएं जिसकी बैठक हर तीन महीने में या 6 महीने में हो और उसमें सारा ब्योरा दिया जाए कि इस क्षेत्र में कितना काम किया गया, क्या क्या कदम उठाए गए और आगे किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं, गांवों में जाकर लोगों को इस कार्यक्रम को समझाना चाहिए, इसी के जरिए हम इस काम को कर सकते हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि आज हर जगह शादियों में हजारों लोगों को निमन्त्रण दिया जाता है और अनावश्यक रूप से लाखों रुपया खर्च किया जाता है, इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। मैरिज एक्सपेन्डीचर के ऊपर एक सीलिंग होनी चाहिए ताकि जिनके लोग ज्यादा हैं, वे गरीब लोगों में यह भावना पैदा न करें कि जो ज्यादा रकम दिखायेंगे, उनकी ही सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। माननीय सदस्या जो उधर से बोली हैं उनसे मैं इस बात से सहमत हूं कि जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, हम सबको यह नीति अपनानी चाहिए कि हम इसको बुरा मानते हैं और हम सब लोगों को पब्लिक में ब्यान देना चाहिए और जन-आन्दोलन बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

प्रो० निर्मला शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, डाबरी प्रोहिबिशन बिल-86, जो अभी मंत्री महोदय ने पेश किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं और उसके लिए मैं सरकार को तथा मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी। दहेज प्रथा, आज हमारे देश

की सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है, एक काला धब्बा है, जिसे देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इस काले धब्बे को मिटाने के लिए 1961 में हम कानून लाए और उसके बाद हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने डावरी कमेटी बनाकर के 1984 में इसमें अमेंडमेंट किया। परन्तु उसके इतने लम्बे समय के बाद भी आज ये सारे कानून इस कानून की पुस्तिका के पृष्ठ मात्र बनकर रह गए हैं। आए दिन समाचार पत्रों में और अपनी स्वयं की आंखों के द्वारा जलती हुई बहुओं और यह जलती हुई समस्या हमें बैचेन किए देती है। यह निश्चित तौर पर सही है कि दहेज प्रथा कोई नयी प्रथा नहीं है। वैदिक काल से यह प्रथा चली आ रही है। उस समय जो विवाह हुआ करते थे, उसमें ब्रह्म विवाह होते थे। उस ब्रह्म विवाह में इस प्रकार का एक निर्देश दिया गया है "वस्त्र अलंकरण सुशोभित कन्या का दान", यह वस्त्र दान धीरे-धीरे समय के साथ-साथ दहेज प्रथा में परिवर्तित हो गया है। जो माता-पिता स्नेहवश, प्यार से अपनी कन्या की गृहस्थी संवारने के लिए जो चीजें दिया करते थे, उसकी एक तरह से मांग होने लगी और इस भौतिकवादी समाज में मांग के आधार पर यह व्यापार बन गया, लेन-देन शुरू हो गई और इस लेन-देन को खत्म करने के लिए आप जो यह बिल लाई हैं, वह वास्तव में स्वागत योग्य है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह लड़की को जो देने की प्रथा है वह आप कानून के द्वारा नहीं मिटा सकेंगे जब तक कि आप महिला को प्रोपर्टी में इक्वल राइट नहीं देंगे जब तक किसी भी महिला को समानता का अधिकार नहीं होगा, वह अपने परिवार से, अपने मां-बाप के घर से धक्का देकर किसी दूसरे घर में नहीं भेज सकते, उसे देना ही होता है। इस परिस्थिति में आप जब तक यह संशोधन नहीं लायेंगे कि समाज में हर तरह की सम्पत्ति चल या अचल में जब तक कन्या को बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा, परिवार में तब तक यह कानून फलीभूत नहीं हो सकेगा। इस कानून का दूसरा पक्ष लें तो हम आदिवासी समाज या पिछड़े हुए समाज के बारे में देखें। वहां पर दहेज प्रथा और रूप में विद्यमान है। वहां पर वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को वधू मूल्य के रूप में दिया जाता है। यह वधू मूल्य देने के लिए आदिवासी, जन-जाति के लोग और पिछड़े हुए समाज के लोग बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास जाकर जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको पैसा लाना पड़ता है और वह बंधुआ मजदूर प्रथा इसीकी देन है। राजस्थान में इस प्रकार के मैंने कई उदाहरण देखे हैं। आप जन-जाति क्षेत्रों में चले जाइये उनमें ट्रेडिशनल कस्टम की छूट होती है उसमें यह भी प्रथा है कि उनको वधू को मूल्य देना पड़ेगा...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मंत्री महोदया ने जो भी इसमें सेक्शन जोड़े हैं वह स्वागत योग्य हैं। आपने सेक्शन 3 में जो संशोधन किया है उसके अनुसार 5 वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना रखा है। मेरा सुझाव है कि 5 वर्ष की सजा बहुत कम है इसको 10 वर्ष की सजा कर देना चाहिए। इसके साथ ही आपने जो नये सेक्शन 8(ए) और 8(बी) जोड़ा है उसमें ददेज लेने वाले को साबित करना पड़ेगा कि हमने दहेज नहीं लिया, उसी तरह से जिस तरह से हत्या या चोरी करने वाले को साबित करना पड़ता है कि उसने हत्या या चोरी नहीं की, यह आपका अच्छा पक्ष है। सेक्शन 4(ए) में आपने वैवाहिक विज्ञापनों पर रोक लगाई है वह भी स्वागत योग्य है। आज जो दहेज दिया जाता है कन्या पक्ष का उसमें दिखावा होता है और कई प्रकार

के उसमें आडम्बर होते हैं, कई प्रकार की जो दावतें होती हैं उनके ऊपर भी आपको इस बिल में संशोधन लाना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दें। आपने इसको अजमानती अपराध बना दिया है यह स्वागत योग्य है। परन्तु इसको पुलिस हस्तक्षेप से बिलकुल दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा, जैसे आपने डावरी प्रोहिबिशन आफिसर की नियुक्ति कर दी है, मुझे शक है कि यह अफसर जो हैं इनकी नियुक्ति ठीक प्रकार से नहीं होगी यह भी यदि समाज कल्याण अधिकारियों की तरह केवल अपने दफ्तर में बैठकर काम करते रहे तो इस कानून का जो उद्देश्य है हम उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि एडवाइजरी बोर्ड जो बनया है उसमें जो 5 व्यक्ति भर्ती करने की आपने बात कही है उसमें मनो-वैज्ञानिक और एक एडवोकेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक तरफ से फैमिली कौंसिल क्लिनिक का काम करेगा। क्योंकि बहुत-सी ऐसी बहनें हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वह अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखती रहती हैं कि हमें मारने, जलाने की धमकी दी जा रही है, परन्तु खुले रूप से नहीं कह सकतीं। इसलिए जो डावरी प्रोहिबिशन आफिसर होंगे उनका जो क्लिनिक होगा वहां पर यदि एक मनो-वैज्ञानिक और एडवोकेट होंगे तो उससे उनको काफी राहत मिल सकेगी और उनमें एक आत्म सम्मान की भावना पैदा हो सकेगी। आपने इण्डियन पेनल कोड में जो संशोधन करके पहली बार दहेज मृत्यु शब्द जोड़ा है उसका मैं स्वागत करती हूं। परन्तु दहेज मृत्यु के पीछे कई तरह की और भी घटनायें होती हैं और साथ ही जो सजा दी है आजीवन कारावास की, वह भी स्वागत योग्य है।

यह निश्चित तौर पर सही है कि आपका कानून समाज के लिए एक वरदान है, परन्तु कानून बना देने से कुछ नहीं हो जाता जब तक हम जन-साधारण के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक यह प्रथा बनी रहेगी। इस प्रथा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। शारदा एक्ट आपका कहां है ? इसी तरह से अन्य कानूनों की भी अवहेलना होती रही है। इसलिए जन-साधारण के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा और जो हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनको भी और उनके माध्यम से उनके क्षेत्र की जनता को भी मैं कहना चाहूंगी कि यह दृष्टिकोण आपको बदलना होगा, बेटी और बहू दोनों एक समान हैं। इसी प्रकार से स्त्री के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है···जब तक आपका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति समानता का नहीं बनेगा, तब तक इस सामाजिक बुराई को केवल कानून पास करने से दूर नहीं किया जा सकता। कानून तो इसका स्पर्श-मात्र कर सकता है, उसको जड़ से निकालने का, औपरेट करने का और बाहर फेंकने का कार्य समाज ही कर सकता है। उस समाज का आप भी एक अंग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि डावरी का एक महत्वपूर्ण कारण समाज में अशिक्षा का होना भी है। जब तक समाज में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, समाज में शिक्षा का प्रसार व प्रचार नहीं होगा, तब तक महिलाओं पर इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचार होते रहेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने इस सदन में सप्रेशन आफ इम्मौरल ट्रैफिक इन वूमैन एण्ड गर्ल्स बिल पर चर्चा की है। यदि हम महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उससे इस सामाजिक बुराई का भी अंत हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आपको समाज में महिलाओं की शिक्षा के कार्यक्रम अपनाने चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगी कि डौरी क्राइम्स की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्टस की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जन साधारण को उस से राहत मिल सके। आपने इस कार्य को राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है परन्तु राज्य सरकारें कहां तक इसको सही दिशा में लागू कर पायेंगी, वह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि हम प्राय: देखते हैं कि यहां से तो हम बहुत से कानून बनाकर राज्यों में भेज देते हैं परन्तु राज्यों में उनका इम्पलीमैंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए आपको प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके ऐसे तमाम कानूनों को सही तरीके से इम्पलीमैंट करवाना चाहिए। एक निवेदन मैं यह भी करना चाहूंगी कि दहेज प्रथा की बुराई को केवल मात्र कानून बना देने से ही नहीं समाप्त किया जा सकता। उसको जड़ से मिटाने के लिए हम सबको सहयोग देना होगा। हम सबके सहयोग के बिना इस बुराई को दूर करना सम्भव नहीं है। जिन दिनों हमारे देश में सती प्रथा विद्यमान थी, यह बुराई भी उससे कम नहीं है। इसके लिए हमें समाज में चेतना जागृत करनी होगी। केवल कानून के जरिए इसे हटाना सम्भव नहीं है। यह ठीक है कि इस प्रथा को मिटाने के लिए आप यह बिल इस सदन में लाये हैं, उसे हम वरदान-स्वरूप मानते हैं और हमें विश्वास है कि हम इस बुराई पर काबू पाने में सफल होंगे, सिर्फ सही तौर से इसके इम्पलीमैंटेशन की जरूरत है। जब तक इसके सभी प्रावधानों का सही प्रकार से इम्लीमैंटेशन नहीं होगा, इस कानून का भी वही हाल होगा, जैसा शारदा एक्ट के बाद 1961 में स्थिति रही। इसलिए इंपलीमैंटेशन की तरफ भी आपको पूरा ध्यान देना होगा और खास तौर से डौरी प्रोहिबिशन आफिसर्स के सलैक्शन और उनके कार्यों का आपको समय-समय पर असैसमैंट करना होगा, उनसे बराबर आपको रिपोर्ट लेनी होगी कि इसकी इम्पली-मैंटेशन का कार्य किन राज्यों में सही तरीके से हो रहा है। इन शब्दों के साथ, मैं सरकार का और माननीय मंत्री जी का इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद और बधाई देती हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को होल-हार्टिडली सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूं। इसके साथ ही मुझे अपनी डायनामिक मिनिस्टर, मिसेज अल्वा को भी बधाई देनी है कि उन्होंने समाज में फैली दहेज की कुप्रथा का अन्त करने के उद्देश्य से यह बिल सदन में लाया है। बिल में इस बुराई को समाप्त करने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। मैं समझती हूं कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्यों कि हम सब इक्कीसवीं सदी की ओर जा रहे हैं। परन्तु हम लोगों के लिए यह बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि अभी तक औरतों के साथ इस तरह का अमानुषिक व्यवहार होता है, डौरी के लिए बहू-बेटियों को जलाया जाता है और तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं, टौचर होता है। मैं इस हाउस में सभी पार्टियों से अपील करना चाहूंगी कि हमें समाज में फैली इस बुराई के अन्त के लिए यूनैनिम-सली काम करना चाहिए, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। जब तक समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होगा, यह देश तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है कि भारत को आगे बढ़ाओ लेकिन वह स्लोगन तब तक सफलतापूर्वक फलीभूत नहीं हो सकता जब तक कि लेडीज आगे नहीं बढ़ेंगीं, उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल जाएंगे। तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बिल को हाउस में लाने के लिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर तथा मिनिस्टर साहबा का धन्यवाद करना है, उन्हें

कान्ग्रेचूलेट करना है कि उन्होंने समय रहते इस बुराई की गहनता को समझा और इस सदन मेंयह बिल लाया। इससे न केवल हम लेडीज की सेफ्टी होगी परन्तु हम इस बुराई को भी समाप्त कर सकते हैं।

हमें याद है 1975 में, जब इन्दिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थीं, हमने उस वर्ष इण्टरनेशनल वूमैन ईयर मनाया। श्रीमती गांधी आई. एल. ओ. कन्वैन्शन में भी गई थीं और उन्होंने राइट टू ईक्वल वेज फार वीमैन का नारा दिया था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन हमें आज उनके कार्यों की तारीफ करनी चाहिए और हमें इस बिल को यूनैनिमसली होल-हार्टिडली सपोर्ट करना चाहिए।

[अनुवाद]

सर, मैं एक-दो चीज इसके बारे में बोलना चाहती हूं। मिनिस्टर जो बिल लाई हैं, उसमें कहा गया है कि डावरी मांगने के खिलाफ कड़ा पनिशमेंट होगा। इसको गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फालो करेगी कि जिसकी मैरिज होने के सात वर्ष बाद तक यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसको डावरी-डैथ मानेगी और गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि कट्री में हमको जो ट्रेडीशन चल रही है, उसको बदलना पड़ेगा। यह उचित है अच्छा धन अच्छा कानून अच्छा धन व अच्छा वकील है।

[हिन्दी]

इसके लिए हमें उन्हें फ्री लीगल एड देनी चाहिए। जो लेडीज गांव-गांव में रहती में हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए और उनको इस संकट से निकालने के लिए और इस एन्टी-डावरी मूवमेंट को सफल करने के लिए यह जरूरी है कि उनको लीगल एड गवर्नमेंट फ्री करे।

[अनुवाद]

मुख्य बात लागू करना है। मुख्य बात उचित ढंग से जांच करना है।

[हिन्दी]

गरीब लेडीज को हैल्प करने के लिए फ्री लीगल एड देना चाहिए। क्योंकि जो गरीब लेडी होगी, वह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नहीं जा सकेगी।

यहां पर मैं रोज सुनती हूं बड़े-बड़े बैरिस्टर, एम० पीज० गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जब कोई गरीब औरत उनके पास आती है कि मेरा डावरी के संबंध में एक केस कर दो, तो वे कहते हैं कि हमें पांच हजार दो, दस हजार रुपया दो, तब हम तुम्हारा डावरी केस करेंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। यदि आप उन्हें फ्री लीगल एड देंगे, तो उनकी केस लड़ने की इच्छा होगी, नहीं तो उनको मालूम भी नहीं होगा कि उनके लिए क्या अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहतीं हूं कि इसको अच्छी और ज्यादा पब्लिसिटी देने की भी जरूरत है। महज रेडियो और टी० वी० पर ही इसको पब्लिसिटी नहीं दी जाए, बल्कि आम तौर पर ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस के थ्रू पब्लिसिटी दी जाए क्योंकि गरीब के घर न तो रेडियो है और न ही टी० वी है। यदि आप इसको अच्छी तरह से पब्लिसिटी देंगे, तो

ही गांवों में लेडीज को मालूम होगा कि यदि हमें टार्चर किया जाएगा, तो हमारा केस सरकार लड़ेगी और एक्यूज्ड को पनिशमेंट देगी।

मिस्टर चेयरमैन सर, आज डावरी के लिए लेडीज को टार्चर किया जाता है, क्योंकि आज मैन डामिनेटिंग सोसायटी है। लेकिन इसमें हम लेडीज लोग भी रेस्पांसिबल हैं। आज जो टार्चर होता है, उसके लिए लेडीज रेस्पांसिबल है। इस लिए हम लोगों की टेंडेंसी चेंज होनी चाहिए। इसके साथ ही जो कानून बने, उसका इम्पलीमेंटेशन भी होना चाहिए। आज पोजीशन यह है कि इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है। आज हमें अपने आप को इतना ऊंचा उठाना चाहिए और अपनी कांशियस को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम यह महसूस न करें कि हम आदमियों से दबी हुई हैं। जब आदमी और औरत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, तो यह चीज अपने आप कम होती जाएगी।

[अनुवाद]

आदमी और औरत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। यह मेरी राय है।

[हिन्दी]

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इकनौमिक फ्रीडम भी लेडीज को होनी चाहिए।

[अनुवाद]

हमारे यहां समान वेतन का अधिकार है परन्तु समान रोजगार के अवसरों का अधिकार हमारे देश में नहीं है। क्षमता के अनुसार महिलाओं के लिए समान अवसरों का अधिकार अवश्य होना चाहिए।

[हिन्दी]

जब तक हम कंट्री में से इल्लिटरेसी दूर नहीं करेंगे, तब तक यह काम सफल नहीं होगा। इसलिए इकनौमिक फ्रीडम लेडीज को होनी चाहिए और इकनौमिक डवलपमेंट गांवों में होना चाहिए। हमने लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए ट्वेंटी पाइट प्रोग्राम रखा है, आई० आर० डी० पी० एन० आर० ई० पी०, आर० एल० जी० पी० और आई० सी० डी० पी० कई प्रकार के प्रोग्राम रखे हैं, लेकिन लेडीज को इनका फायदा नहीं मिलता है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने लेडीज के बारे में सोचा है और इस प्रकार का बिल यहां लाया गया है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

जो डाउरी प्रौहीबीशन आफिसर गवर्नमेंट बनायेगी, मेरी मिनिस्टर महोदया से रिक्वेस्ट है कि उसमें लेडीज को प्रायर्टी देकर डाउरी प्रोहीबीशन आफिसर बनाया जाये। जो लेडी सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने किसी के बारे में काम किया है, जो नान-पोलिटिकल लेडीज हैं, वालेन्टियरी आर्गेनाइजेशन में बहुत सक्त काम कर रही हैं।

[अनुवाद]

वे महिलाओं के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और उन्हें यहां प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उनसे यह काम अच्छा होगा।

हमें मालूम है कि एन्टी डाउरी बिल में 1961 में अमैंडमैंट लाये गये थे लेकिन अब जो अमैंडमैंट लाये गये हैं वह बहुत अच्छे हैं। हम सब एक साथ यूनैनीमसली इस बिल को होल-हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। यह बोलकर हम मिनिस्टर महोदया को बधाई देते हैं और अपना वक्तव्य खत्म करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक उन लोगों को सख्त सजा देने के लिए है जो दहेज लेते हैं या उसे प्रोत्साहन देते हैं और इसके साथ ही दहेज की परिभाषा का विस्तार बढ़ाने के लिए दहेज निरोधक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए और दहेज के कारण हुई मौतों के मामले में भारतीय दण्ड संहिता को लागू करने के लिए है। इन सभी बातों का मैं स्वागत करता हूं। विधेयक निश्चित रूप से सरकार की अच्छी अभिलाषा को दर्शाता है। माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि इस विधेयक को जल्दी में लाया गया है हां, इसी बात के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। हम यह देखने के लिए जल्दी में हैं कि इस विधेयक को पास किया जाए व दहेज प्रथा को खत्म किया जाए। इस प्रकार मैं सरकार के रवैये का स्वागत करता हूं। विशेषकर माननीय प्रधानमन्त्री इस मामले में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई है और उसमें नारी उत्थान को प्रमुख महत्व दिया गया है। मुझे आशा है कि मेरे मित्रों ने इसे पढ़ लिया है। मैं नहीं समझता कि वे इसका स्वागत क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय : वे स्वागत कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : धन्यवाद, उसे कह कर मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल एक विधेयक को पास करने से ही काम नहीं चलेगा। कागज पर लिखा एक अधिनियम इस सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं करेगा। जैसा कुछ सदस्यों ने कहा है सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। यदि हम इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन होना चाहिए और यह जन आंदोलन सभी राजनैतिक दलों के समर्थन के साथ होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष भी इस विधेयक का समर्थन कर रहा है। इसलिए, सभी राजनैतिक दलों, स्वयसेवी सगठनों व महिला संगठनों के समर्थन के साथ हमें इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एक अभियान चलाना चाहिए। इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लोगों में एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। फिर महिलाओं की समानता का प्रश्न उठता है। यदि महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है केवल तभी समानता सम्भव है। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नहीं हैं और आगे जिस बात की आवश्यकता है वह शिक्षा है। ये सभी बातें आपस में संबद्ध हैं। महिलाओं की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता, पुरुषों के साथ उनकी समानता ये सभी बातें दहेज-उन्मूलन में सहायक कारक है। इसलिए एक विधेयक के अधिनियम से इस सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर एक जन-आंदोलन चलाना चाहिए और सभी सम्बन्धित लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम होना चाहिए।

इतना अधिक कहने के बाद मैं माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा क्योंकि मुझे विधेयक कुछ घंटे पहले ही मिला है। मैं एक वकील नहीं हूं। केरल राज्य में एक

प्रणाली है जहां शादी के समय पुत्री को कानूनी रूप से माता-पिता की सम्पत्ति का पूर्ण हिस्सा दिया जाता है और इसे दहेज नहीं कहा जाता । मलयालम में इसे **अवकाश धनम** कहा जाता है जिसका अर्थ है सम्पत्ति का हिस्सा ।

प्रो० मधु दण्डवते : उसे नकारात्मक दहेज कहा जाता है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसा हो सकता है । मेरा मुद्दा यह है कि वर्तमान रिवाजों के अनुसार एक लड़की की एक विशेष व्यक्ति के साथ शादी होने पर वह अपने माता-पिता के परिवार का सदस्य नहीं रहती और वह नए परिवार का सदस्य बन जाती है । उसी समय उसके माता-पिता के परिवार के सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं । इसलिए इसे उसी समय वहीं पर देना पड़ता है और इसे उसी समय वहीं पर दिया जाता है । जिसे अवकाश धनम कहा जाता है । इसमें कोई दहेज नहीं है, शादी के महत्व के लिए इसमें कोई धन नहीं है । आपने पारिभाषित किया है कि शादी के महत्व के लिए जो धन दिया जाए वह दहेज है ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : यह "के सम्बन्ध में" है न कि "के विचारार्थ नहीं" ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह 'अवकाश-धनम' भी दहेज के क्षेत्र में आता है ।

सभापति महोदय : रीति-रिवाजों से सम्बधित नियमों के लिए कुछ अपवाद किया गया है । कृपा करके विधेयक को पढ़िए ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था; बात यही है ।

फिर, मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आगे टिप्पणी करना चाहूंगा । मैं दहेज निरोधक अधिकारियों की नियुक्ति का स्वागत करता हूं । परन्तु मुझे एक सुझाव देना है कि इन अधिकारियों को बहुत सावधानीपूर्वक लेना चाहिए । मेरा सुझाव है कि इस कार्य के लिए केवल महिलाओं को ही लगाया जाए परन्तु सावधानीपूर्वक चयन की गई महिलाओं को ही लगाया जाए ।

मैं, यहां एक बात समझ नहीं पाता कि दहेज के संकट के लिए प्रत्येक व्यक्ति पुरुषों को ही दोष क्यों देता है । तथाकथित सास के बारे में क्या बात है·····

एक माननीय सदस्य : तथाकथित सास क्यों ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : ठीक है वास्तविक सास यानि पति की मां-दहेज की बुराई में भाग लेने वाला सबसे अधिक बुरा व्यक्ति है ।

प्रो० मधु दण्डवते : दहेज के बारे में सबसे अधिक अराजकता का नियम सास है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसलिए मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी सास को दहेज निरोधक अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जाए ।

फिर आपने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को परामर्श देने के लिए सलाहकार बोर्ड का उल्लेख किया है । समिति के पांच सदस्यों में दो महिलाएं होंगी । मैं यह सुझाव देता हूं कि दो नहीं तीन महिलाएं होनी चाहियें अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा ।

अब अन्तिम खण्ड के संबंध में दो शब्द कहता हूं । मैं हृदय से इस खंड का स्वागत करता हूं । मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं :

"113 ख. जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ पूर्व उस स्त्री के साथ ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में, क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।"

मैं इस खंड का स्वागत करता हूं। अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने की जिम्मेवारी अपराधी पर डाली गयी है। उसको प्रमाणित करना है कि वह निर्दोष है। न्यायालय को यह मान लेने की अनुमति दी गई है कि वह अपराधी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। किंतु आपको यह भी समझना चाहिए कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके पश्चात् और भी बहुत से मामले आएंगे जिनमें इसका दुरुपयोग हो सकता है। मेरा एकमात्र सुझाव यह है कि आपको इस संबंध में सोच-विचार करना चाहिए। ऐसी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एक परन्तुक होना चाहिए जिनमें इसका दुरुपयोग हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ताहम में इस बात के लिए सरकार की नुकताचीनी कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए दुख का इजहार कर रहा हूं कि तीन बहुत इम्पार्टेंट बिल जो सेशन के आखरी दिन में आखरी वक्त पर आ रहे हैं—सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल, डावरी प्राहिबिशन अमेंडमेंट बिल और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बिल—ये इतनी अहमियत के हैं कि इन पर सारे मुल्क में चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि सरकार को या तो अगले सैशन में इसे लाना चाहिए था या इस सैशन में इतना वक्त मेम्बरान को मिलना चाहिए था कि इस पर पूरा डिस्कशन किया जाय क्योंकि पूरे मुल्क में इस पर बहुत तवज्जह दी जा रही है। यह हमारी सामाजिक जिन्दगी का एक बहुत ही जरूरी अंग है। इस पर अच्छी तरह बहस होना जरूरी था। मुझे लग रहा है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि शायद सरकार इस सेशन के आखिरी वक्त में पूरे मुल्क को यह तास्सुर देना चाहती है कि बच्चों की बहबूदी के लिए बड़ा कारनामा किया जा रहा है या डावरी खत्म करने के लिए वह बड़ा अहम बिल लायी है और इसी तरह बच्चों के सुधार के लिए यह बिल यहां लायी है—यह सब सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने के बराबर है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को इसकी अहमियत को मिटाना नहीं चाहिए।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है जो इस वक्त ऐवान के जेरे बहस है, जो आपने डावरी प्राहिबिशन अमेंडमेंट बिल ऐवान के सामने रखा है इसके बारे में मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लेकिन इतना पूछना चाहूंगा कि जितने कानून अब तक मौजूद थे इस विषय में, उनका क्या हुआ? उनका कहां तक इंप्लीमेंटेशन हुआ? कितने लोगों को अब तक कोर्टस में प्राजीक्यूट किया गया और कितने लोगों को सजा मिली? मैं जाती तौर पर इस बात को जानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में हमने एक बिल पास करा दिया था, मैंने ही उसको मूव किया था, उसमें एक साल की सजा देने का भी फैसला किया गया था। उसके बावजूद जब मैं जम्मू-कश्मीर में एक कत्ल केस में

शाहिद बना, एक डावरी का कत्ल हुआ था जिसमें एक औरत को, कश्मीरी पंडित की लड़की को जिन्दा जलाया गया था—उसमें मैं शाहिद बना था क्योंकि उसने मेरे सामने स्टेटमेन्ट दिया था, लेकिन मैंने देख लिया कि कोर्टस में कितना लम्बा प्रोसीजर है, इतनी तवालत में वह मामला पड़ा कि आज तक फिर मुझे उस कोर्ट में नही बुलाया गया।

मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा कारनामा नहीं है, आप इस बिल को यहां लाए हैं लेकिन जब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कोई भी फायदा नही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो हमारे यहां डावरी का सिलसिला है यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बद-किस्मती है कि औरतों की कोई इज्जत और वकार नहीं है। और यह सब औरत की बेबसी, उसकी मजबूरी और उसकी नातवानी का सबब है कि आज मां-बाप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को तालीम दिलाते हैं, एम० बी० बी० एस० डाक्टर भी बनाते हैं और इंजीनियर भी बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद डावरी उनको देनी पड़ती है क्योंकि समाज में औरत की इज्जत और वकार हमने उतना कायम नहीं किया है और इसकी बिना पर यह सिलसिला दराजतर होता जा रहा है। चालीस साल के स्वराज में इसमें कोई कमी नहीं हुई है बल्कि हमने देखा बढ़ोतरी हो रही है।

जहां तक डावरी डेथ्स का ताल्लुक है, पिछले पांच सालों में इसमें इजाफा हुआ है। सरकार को बतलाना चाहिए कि आज तक डावरी डेथ्स के सिलसिले में जिन लोगों ने कत्ल किए जिन्होंने जिन्दा जलाया अपनी बहुओं को, उनमें से कितने लोगों को फांसी लगी या उम्र कैद की सजा मिली ? आप मुझे एक भी वाकया बता दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि डावरी चोरी छिपे दी जाती है, इसलिए आप कैसे साबित करेंगे ?

डाउरी के सिलसिले में जो हो रहा है, यह सब चोरी से हो रहा है और किसी की नजर में नहीं आता। इसीलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि औरत बेबस है, लड़कियों को ब्याहना है, इसलिए मजबूर होकर उनके घर जाकर तरह-तरह की पेशकश करते हैं, कार, टेलिविजन हजारों किस्म की मुराद लेकर, कन्सैशन देकर लड़का खरीदते हैं, यह मजबूरी है . यह सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। गरीब लोग भी ऐसा करने पर मजबूर हैं, मैं कहता हूं कि आपने जो इन्सपैक्टर्स वगैरह बना लिए हैं और स्टेट को जो अख्त्यारात दे दिए, वे लोग क्या कर पायेंगे ? क्योंकि यह सिलसिला समाज की एक ट्रेजिडी है, जिसको दूर करने के लिए पब्लिक ओपीनियन बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए सरकार ने क्या काम किया ? पब्लिक ओपीनियन जब तक नहीं बनेगी, समाज उसके लिए तैयार नहीं होगा, जब तक आवाम में इसके लिए तहरीक नहीं बनेगी और रिलीजस आर्गेनाइजेशन्स भी मूव नहीं करेंगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहां कोई शादी होती है तो उसमें धूमधाम से बड़े अखराजात होते हैं। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, कि कितने मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया ? यह वाक्या है और जब धूमधाम से शादी होगी तो उसके साथ बड़े-बड़े दहेज भी दिए जाते हैं। मैं आपसे मांग करूंगा कि जहां भी इस किस्म की बड़ी धूमधाम से शादियां होती हैं, उनका बायकाट होना चाहिये, पोलिटीकल स्टेज पर। मैं खासतौर से रूलिंग पार्टी से गुजारिश करूंगा कि जब भी आपके यहां लड़के या

लड़की की शादी होती है, उसमें इतनी शानोशौकत नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में आप क्या करने जा रहे हैं ?

मैं आखिर में यह भी कहना चाहूंगा कि आपको इसके लिए खास तौर से ट्रिब्यूनल बनाने पड़ेंगे, यह मेरी अपनी राय है। आम कोर्ट्स में इसका फैसला नहीं होगा क्योंकि वहां पर पहले से ही हजारों केसेज पड़े हैं। आप एक अच्छा बिल लाए हैं, मैं इसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसकी हिमायत करता हूं, और इसमें मैं बड़ा वजन पाता हूं, लेकिन जब तक इसका सही तरीके से इम्पलीमैंटेशन नहीं होगा, जब तक अमली शक्ल नहीं दी जाती है, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा।

इसलिए मैं चाहूंगा कि ट्रिब्यूनल भी बना दिए जायें और साथ पब्लिक ओपीनियन क्रिएट की जायें और रिलीजियस आर्गेनाइजेशन्स को भी मूव कराना पड़ेगा क्योंकि उनकी मदद के बिना यह काम आप अंजाम नहीं दे पायेंगे।

شری عبدالرشید کابلی (سرینگر): جناب چیئرمین صاحب۔ میں اس وشے پر زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا۔ تاہم میں اس بات کے لئے سرکار کی نکتہ چینی کر رہا ہوں کہ تین بہت امپارٹمنٹ بل جو سیشن کے آخری دن میں آخری وقت پر آ رہا ہے۔ پریزیشن آف امورل ٹریفک امینڈمینٹ بل۔ ڈاوری پراہبیشن امینڈمینٹ بل اور جوڈینائل جسٹس بل۔ یہ اتنی اہمیت کے ہیں کہ ان پر سارے ملک میں چرچہ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو یا تو اگلے سیشن میں اسے لانا چاہیئے تھا یا اس سیشن میں اتنا وقت ممبران کو ملنا چاہیئے تھا کہ اس پر پورا ڈسکشن کیا جائے۔ کیونکہ پورے ملک میں اس پر بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ ہماری سماجک زندگی کا ایک بہت ہی ضروری انگ ہے اس پر اچھی طرح بحث ہونا ضروری تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ کہے بنا نہیں رہ سکتا کہ شاید سرکار اس سیشن کے آخری وقت میں پورے ملک کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ بچوں کی بہبودی کے لئے بڑا کارنامہ کیا جا رہا ہے یا ڈاوری ختم کرنے کے لئے وہ بڑا اہم بل لائی ہے اور اسی طرح بچوں کے سدھار کے لئے یہ بل یہاں لائی ہے۔ یہ سب صرف کاغذی گھوڑے دوڑانے کے برابر ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمینٹ کو اس کی اہمیت کو مٹانا نہیں چاہیئے۔

جہاں تک اس بل کا تعلق ہے جو اس وقت ایوان کے زیر بحث ہے جو آپ نے ڈاوری پراہبیشن امینڈمینٹ بل ایوان کے سامنے رکھا ہے اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا لیکن اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے قانون اب تک موجود تھے۔ اس وشے میں ان کا کیا ہوا۔ ان کا کہاں تک امپلیمینٹیشن ہوا۔ کتنے لوگوں کو اب تک کورٹس میں پراسیکیوٹ کیا گیا۔ اور کتنے لوگوں کو سزا ملی۔ میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کہ جموں و کشمیر میں ہم نے ایک بل پاس کر دیا تھا میں نے ہی اس کو موو کیا تھا۔ اس میں ایک سال کی سزا دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔

اس کے باوجود جب میں جموں و کشمیر میں ایک قتل کیس میں شاہد بنا ایک ڈاوری کا قتل ہوا تھا جس میں ایک عورت کو کشمیری پنڈت کی لڑکی کو زندہ جلایا گیا تھا۔ اس میں میں شاہد بنا تھا کیونکہ اس نے میرے سامنے اسٹیٹمنٹ دیا تھا لیکن میں نے دیکھ لیا کہ کورٹس میں کتنا لمبا پروسیجر ہے۔ اتنی طوالت میں وہ معاملہ پڑا کہ آج تک پھر مجھے اس کورٹ میں نہیں بلایا گیا۔

میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے آپ اس بل کو یہاں لائے ہیں لیکن جب تک اس کا امپلیمینٹیشن نہیں ہوگا تب تک اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے

کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈاوری کا سلسلہ ہے یہ ہمارے سماج کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ عورتوں کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہے اور یہ سب عورت کی بےبسی اس کی مجبوری اور اس کی ناتوانی کا سبب ہے کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بناتے ہیں۔ اور انجینئر بھی بناتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ڈاوری اُن کو دینی پڑتی ہے کیونکہ سماج میں عورت کی عزت اور وقار ہم نے اتنا قائم نہیں کیا ہے اور اس کی بنا پر یہ سلسلہ دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ چالیس سال کے سوراج میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم نے دیکھا بڑھوتری ہو رہی ہے۔

جہاں تک ڈاوری ڈیتھ کا تعلق ہے پچھلے پانچ سالوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے سرکار کو بتلانا چاہیئے۔ کہ آج تک ڈاوری ڈیتھس کے سلسلے میں جو لوگوں نے قتل کیے، جنہوں نے زندہ جلایا اپنی بہوؤں کو ان میں سے کتنے لوگوں کو پھانسی لگی یا عمر قید کی سزا ملی۔ آپ مجھے ایک بھی واقعہ بتا دیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ ڈاوری چوری چھپے دی جاتی ہے اس لیے آپ کیسے ثابت کریں گے۔

"ڈاوری کے سلسلہ میں جو ہو رہا ہے یہ سب چوری سے ہو رہا ہے اور کسی کی نظر میں نہیں آتا۔ اس لئے میں نے آپ سے کہا کیونکہ عورت بےبس ہے لڑکیوں کو بیاہنا ہے۔ اس لئے مجبور ہو کر ان کے گھر جا کر طرح طرح کی پیش کش کرتے ہیں۔ کار ٹیلیویژن ہزاروں قسم کی مراد ے کر کنگ شیخ دے کر لڑکا خریدتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے۔ یہ صرف امیر لوگ ہی نہیں کرتے ہیں۔ غریب لوگ بھی کرتے ہیں۔ غریب لوگ بھی ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو انسپکٹری وغیرہ بنا لئے ہیں اور اسٹیٹ کو جو اختیارات دے دیئے ہیں۔ وہ لوگ کر کیا پائیں گے۔ کیونکہ یہ سلسلہ سماج کی ایک ٹریجڈی ہے جس کو دور کرنے کے لئے پبلک اوپینین جب تک نہیں بنے گی۔ اور ریلیجیس آرگنائزیشنس بھی مدد نہیں کریں گی۔ تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو اس میں دھوم دھام سے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے منسٹرس ایسے ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اور جب دھوم دھام سے شادی ہوگی تو اس کے ساتھ بڑے بڑے جہیز بھی دیئے جاتے ہیں۔ میں آپ سے مانگ کروں گا کہ جہاں بھی اس قسم کی بڑی دھوم دھام سے شادیاں

ہوتی ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہئے۔ پالیٹیکل اسٹیج پر میں خاص طور سے رولنگ پارٹی سے گذارش کروں گا کہ جب بھی آپ کے یہاں لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس میں اتنی شان و شوکت نہیں ہونی چاہئے اس سلسلے میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔

میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اس کے لئے خاص طور سے ٹریبونل بنانے پڑیں گے۔ یہ میری اپنی رائے ہے عام کورٹس میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہاں پر پہلے ہی سے ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں آپ ایک اچھا بل لائے ہیں۔ اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کی حمایت کرتا ہوں اور اس میں بڑا وزن پاتا ہوں۔ لیکن جب تک اس کا صحیح طریقے سے امپلیمینٹیشن نہیں ہوگا۔ جب تک اصلی شکل نہیں دی جاتی ہے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا

اس لئے میں چاہوں گا کہ ٹریبونل بھی بنا دیئے جائیں اور ساتھ پبلک اوپینینس کریٹ کی جائے۔ اور ریلیجیس آرگنائزیشنس کو بھی موو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی مدد کے بنا یہ کام آپ انجام نہیں دے پائیں گے۔ شکریہ

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय,

"भला क्या कर सके इलाज मर्ज नातवानी का,
पकड़ते हैं अगर बाजू यहां शाने उतरते हैं।"

आपने जो कहा है, मैं उससे सौलह आने सहमत हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो पहले कानून बने हुए हैं, क्यों वे काफी नहीं हैं। अगर इम्पलीमेंटेशन होता है, तो ये कानून काफी हैं। लेकिन कानून अमल करने के लिए नहीं बनाते हैं, लोगों को बताने के लिए बनाते हैं। काफी कानून हैं, यदि उन पर अमल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है।

[अनुवाद]

स्वामी विवेकानन्द ने कॉल टुबनेशन में कहा है। "शक्ति का मुख्य स्रोत आध्यात्मिकता में सर्वत्र विद्यमान है। जब आध्यत्मिकता का ह्रास होता है और भौतिकतावाद प्रबल हो जाता है, तो जाति का अन्त आरम्भ हो जाता है।

[हिन्दी]

ये सब पैसे के पुत्र हैं। सबसे ज्यादा हिन्दुओं की लड़कियां मरती हैं और बाकी लोगों को भी तंग करते हैं। शादियां की जाती हैं, तो उसमें बेभाव से पैसा खर्च किया जाता है, बेभाव सामान दिया जाता है। यह पैसा कहां से आता है। यही एक बीमारी समाज है में इसलिए आप जितना कुछ करना चाहें, कुछ नहीं हो सकता है। इम्पलीमेंटेशन अगर पिछले कानूनों का सही ढंग से नहीं हुआ है, तो यह कानून जो पास होने वाला है, इसका भी क्या होना है। इसका भी कुछ नहीं होना है। यह कानून तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए लाया जा रहा है।

[अनुवाद]

बाइबल में लिखा है; कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका कमाओ। और महात्मा गांधी ने कहा है, "बलिदान बहुत प्रकार के हैं। इनमें से एक जीविका श्रम है। यदि हम केवल जीविका के लिए परिश्रम करते हैं तो सबके लिए पर्याप्त खुराक होगी और पर्याप्त आराम होगा।"

[हिन्दी]

यह समाज मरता है, लड़कियां मरती हैं और जलकर मरती हैं। ये बहनें आज कहती हैं कि हमको दे दो।

[अनुवाद]

स्वामी विवेकानन्द का संदेश है "कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार मांगकर प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिकार अनिच्छुक के हाथों से छीने जाते हैं।"

[हिन्दी]

ऐसे मौकों पर बहनों को बाहर आकर इनको पीटना चाहिए। यह क्यों होता है और उनको अपने राइट लेने चाहिएं। बहनों को चाहिए कि वे मूवमेंट चलायें। जो बहुने मर रही हैं, उनके खिलाफ मूवमेंट चलायें। यह बीमारी पैसे की है, पैसे के मिनिस्टर हों या कुछ हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा एक्सप्लायमेंटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।

आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करें, तभी अच्छा काम हो सकता है। जब अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करेगा तो अच्छा काम कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी ने कहा था, "प्रत्येक कर्तव्य पुनीत है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा भगवान की सर्वोच्च उपासना है। यह बद्धों अर्थात् बंधे हुए व्यक्तियों की बहकी हुई तथा अज्ञान से ओत-प्रोत आत्माओं के बोद्ध का उद्धार करने में महान सहायता का साधन हो सकता है। जो हमारा कर्तव्य है उसे ठीक प्रकार से करने से हम अपने आपको शक्तिशाली बना सकते हैं। इस प्रकार मैं यह सिद्ध करता हूं कि धीरे-धीरे हम इस चरण पर पहुंच जाएंगे जहां हमें जीवन और समाज में अत्यन्त लाभकी (?) तथा अत्यन्त आदरपूर्ण कर्तव्य निभाने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। प्रकृति का न्याय समान रूप से कठोर और निष्ठुर है। अत्यन्त व्यवहार्य व्यक्ति जीवन को न अच्छा समझता है और न बुरा। प्रत्येक सफल व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अत्यन्त एकाग्रता वाला और ईमानदार होना चाहिए। वही उसके जीवन की सफलता का रहस्य है। वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं हो सकता है, फिर भी वह ऐसा कर रहा हो। यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ हो तो उसका बलिदान बुद्ध और येसु जैसा महान होता। निस्वार्थ की मात्रा से सभी स्थान पर जीवन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपने लड़ाई लड़नी है। आपको खड़ा होना है आपको ही आगे चलना है।

[अनुवाद]

प्रत्येक महान उद्देश्य के लिए लड़ने वालों कीसंख्या का महत्व नहीं है, महत्व तो इस बात का कि वह किस प्रकार के हैं। विश्व का महान व्यक्ति सदा अकेला ही रहा है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी अकेले खड़े हो गए थे। वह मुल्क को कहां ले गए। यह जो बीमारी है यह तभी जायेगी जब आप लोग इसके लिए तैयार होंगी।

यह पैसे की बीमारी है। पैसे की बीमारी सेल्फीसनेस की बीमारी है। यह किसी एक कोम में नहीं है। बहुत सी कोमों में है। इसके लिए लोगों को तैयार करना होगा। लड़कियों को और औरतों को इसके लिए फाईट करना होगा।

मैं आपको एक बात बताऊं। मैं बंगाली मार्किट में गया था। वहां आठ साल की एक गरीब लड़की ने जो कि नंगे पैर थी किसी का बटुवा चुरा लिया। उसने उस लड़की को पकड़ लिया। मैंने उस लड़की को छुड़ाया और कहा कि इसे क्यों पकड़ा तो वह कहता है कि यह चोर है। मैंने उस लड़की को चार रुपये दिये और उस आदमी से कहा कि चोर वह है जिस आदमी का यह बटुआ है। इसको काहे को तंग करते हो ?

[अनुवाद]

मैं कहता हूं कि हम सब एक प्रकार से चोर हैं। यदि मैं कोई ऐसी चीज लेता हूं, जो हमारे शीघ्र, उपयोग के लिए नहीं है, मैं यह किसी अन्य व्यक्ति के लिये चुराता हूं।

मैं आपको कहता हूं कि इसमें उस लड़की का कुसूर नहीं है, इसमें सोसायटी का कुसूर है। इसको हमें दूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम से राष्ट्र का कोई भी भाग अछूता नहीं रह सकता लाखों विद्यार्थियों को इसके लिए काम करना है। उन्हें सूबे, कस्बे, वर्ग अथवा जाति के आधार पर लड़ना नहीं सीखना है, किंतु महाद्वीप के उन लाखों लोगों के लिए काम करना सीखना है, जिसमें अछूते, गुंडे, शराबी, जुआरी और वेश्याएं भी शामिल हैं। हमारे बीच इनके अस्तित्व के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

यहां हरेक आदमी जिम्मेदार है। जो आदमी यह कहता है कि वह जिम्मेदार नहीं है, वह गलत कहता है। मैं आपको बताऊं यह जितनी बीमारी फैली है यह सेल्फीशनेस की वजह से फैली है। इसको दूर करो। कानून से कुछ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा को दहेज प्रतिषेध संशोधन विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं।

सभापति जी इस संशोधन विधेयक 1986 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? जबकि 1961 के विधेयक का सन् 1984 में संशोधन हुआ था। सन् 1984 के संशोधन के बाद भी यदि इसी तरह संशोधन करने का नियम चलेगा तो संभव है दो वर्ष बाद हमें फिर संशोशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस संशोधन विधेयक को इसलिए लाया गया है कि इसमें जो दंड के प्रावधान है उनको कड़ा करना है तो मेरा निवेदन यह है कि इनको आप चाहे कड़े से कड़ा बना दें लेकिन इसको अमलीजामा पहनाना बहुत आवश्यक है।

सरकार जो यह विधेयक लायी है इससे 12 क्लाजिज हैं और और उनके माध्यम से राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और इसको काफी मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पहले जो सजा दो वर्ष की थी उसको पांच वर्ष कर दिया गया है।

8.00 म० प०

इसी तरह से 5000 रुपए जुर्माने को बढ़ाकर 15000 कर दिया गया है, इसमें डाबरी डैथ को भी डिवाइन किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह दहेज की कुप्रथा, दहेज विभीषिका कोई एक-दो परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण हिन्दुतस्तान में फैली हुई है। मैं इसकी बारीकी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे देश में विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जितने कानून बनते हैं, जितनी योजनाएं हैं, उनके कार्यान्वय के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं, उनको जब इस बात का ध्यान आता है कि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है तो उनका मन हिल जाता है, उनकी ईमानदारी और काम करने की आस्था कायम नहीं रह पाती। जब उसको ध्यान आता है कि उसकी बेटी सयानी हो गई है और उसकी शादी में दहेज देना होगा तो उसकी आस्था हिल

जाती है। इस तरह से दहेज प्रथा कोई एक परिवार को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि संपूर्ण भारत के विकास कार्य को प्रभावित कर रही है, इसलिए इस दानविक प्रवृति पर रोक लगाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए और इसको कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। यह कोई मामूली अधिनियम नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि सबन इस पर एकमत है। मैं इस सत्र की सफलता के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि इस सत्र में काफी ऐसे बिल आए जिन पर विपक्ष और सत्ताधारी दल के लोग सब एक मत रहे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे कुछ सुझाव हैं, जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। शादी से दो महीने पहले वर और वधू पक्ष को कोर्ट में एक एफीडेविड प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें यह होना चाहिए कि न हम दहेज ले रहे हैं और न दहेज दे रहे हैं, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। इससे सरकार की नालेज म यह बात आएगी और उस अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी, जो उस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है कि कोई दहेज लिया या दिया न जाये। अगर उसके क्षेत्र में दहेज दिया-लिया जाता है तो उसको कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे वह अधिकारी जागरूक रहे और नियमों के प्रति सजग रहे।

अभी कुछ विरोधी पक्ष के मित्र कह रहे थे कि इस संशोधन को लाने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकलेगा, श्री काबली जी बोल रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने स्वयं एक केस पकड़ा था और उस पूरे परिवार को कड़ी सजा दी गई, 5 वर्ष तक उनकी जमानत नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिला न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, अगर कुछ सजग लोग इस मसले को गंभीरता से लेंगे, इसको सही रूप से इंप्लीमेंट करेंगे तो जरूर इस क्षेत्र में अच्छा काम होगा। आज पब्लिक ओपीनियन जागरूक करने की जरूरत है। टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बराबर इस चीज का प्रचार होना चाहिए कि यह दण्डनीय अपराध है। शादी-ब्याह के मौके पर जहां शादी हो रही हो वहां सरकार की तरफ से नोटिस जाना चाहिए, वार्निंग जानी चाहिए कि हमारा सी. आई. डी., विजिलेंस डिपार्टमेंट देख रहा है कि दहेज लिया दिया तो नहीं जा रहा। इसके लिए आपको दण्डित किया जायेगा। अगर इस प्रकार का खौफ पैदा किया जाएगा, निगरानी रखी जायेगी, सतर्कता बरती जायेगी तो मैं समझता हूं कि इस पर रोक लग सकती है। मैं अपनी बातों को न दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : सत्ताधारी पक्ष में, केवल दो महिला मंत्री बैठी हैं और कोई भी पुरुष मंत्री नहीं है।

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं तो हूं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : हम झंडे ऊंचे रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगज) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज सैशन

का अन्तिम दिन है, इस अन्तिम दिन पर जैसाकि हमारी गीता बहन ने कहा कि जल्दी में सरकार लाई है इसी जल्दी के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।

8.06 म० प०

[श्री शरद बिघे पीठासीन हुए]

इससे एक बात निश्चित रूप से जाहिर है कि हमारी सरकार किस प्रकार से इन कमजोर तबके की महिलाओं के कल्याण के लिए उत्सुक है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें करीब सात नए प्रावधान किए गए हैं। बिल में जो दण्ड है, वह कठोर बना दिया गया है। दूसरे, दोषी व्यक्ति को यह प्रूफ करना होगा कि वह दोषी नहीं है। तीसरे विज्ञापन करने वाले की बात को दण्ड मिलेगा, इसको नॉन बेलेबल आफेन्स बना दिया है। इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि वह कमेटी बनाए जिसमें बहुमत महिलाओं का हो और डायरी आफिसर भी महिला हो या जो भी सदस्य हों, उनमें महिलाएं ही हों। डायरी मैंय जैसा कानून में परिवर्तन करने की भी बात आई है। इस तरह से जो मुख्य धारायें इसमें हैं, उन सबका स्वागत करते हुए, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां दहेज प्रथा एक अभिशाप है और यह बहुत दिनों हमारी रीतियों और समाज की तमाम प्रथाओं की वजह से चली आ रही है। हमारी बहन प्रो० शक्तावत जी ट्राइबल के बारे में बोल रही थीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्राइबल्स में ऐसे सामाजिक गुण हैं जिससे दूसरे समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। हमने बहनों-माताओं को तो बहुत ऊंचा स्थान दिया है। लड़के वाले को लड़की वाले के पास शादी के लिए जाना पड़ता है। किसी भी ट्राइबल परिवार में निश्चित तौर पर नाबालिग शादी नहीं होती है। जब लड़की बालिग हो जाती है तभी शादी होती है। ये ऐसे गुण हैं जिनसे दूसरे लोगों को सीखने की जरूरत है। हमारी बहन कह रही थीं कि अवगुण हैं। लेकिन हमने बहनों और माताओं को ज्यादा महत्व दिया है। यह जो कमेटी बन रही है, उसके लिए कुरियन साहब कह रहे थे कि दो ही होने चाहिए। इसमें एटलिस्ट-दो दिया है। ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उस बोर्ड में बहुमत महिलाओं का हो ताकि निर्णय लेने में कोई कठिनाई न हो बिल को पास करने के बाद सरकार का उत्तरदायित्व ज्यादा हो जाता है। इस बिल के माध्यम से जो हम बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, उस बोर्ड के माध्यम से समाज को जागृत करें। जगह-जगह पर ब्लाक और जिला स्तर पर दहेज उन्मूलन के लिए बैठकें करें और जन-जागरण लोगों में पैदा करें। जो लोग अपराधी मनोवृत्ति के हैं उनकी भावनाओं को बदलने की बात है। यह बात सही है कि हमने बहुत से कानून बनाए। हमारे पंजाब के साथी बोल रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता। काबुली जी ने कहा कि य ह बिल्कुल कागजी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके पहले भी कानून बने हैं। उनकी नीयत पर मुझे शक होता है कि वह क्या चाहते हैं। सरकार जो भी अच्छा काम करती है, उसमें बुराई देखते हैं। हमारे देश की महिला संगठनों ने भी इस मामले में सुझाव दिए हैं। जब पिछली बार संशोधन किया था तो श्रीमती प्रभिला दण्डवते जी ने भी··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि वह इस सदन की सदस्या नहीं हैं, आप उन्हें उद्धृत नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : आप उनकी ओर से क्यों नहीं बोलते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : ऐसे बहुत से संगठनों ने हमारे माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से मिलकर यह कहा कि यह कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है। जब विधेयक लाते हैं तो वे कह देते हैं कि यह सरकार बिल्कुल कागजी कानून लाई है। इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए और सरकार से कहा जाए कि जल्दी से जल्दी लागू करें और महिलाओं के लिए जो अभिशाप है, उसको दूर किया जाए।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : जब लास्ट बिल होता है तो मैं भी लास्ट स्पीकर होता हूं। मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महिलाओं की शादी के समय दहेज के बारे में जो परम्परा है उसके खिलाफ हम यह बिल ला रहे हैं। आपके ए० आई० सी० सी० के महा-सचिव टी अंजैया ने बताया था कि आन्ध्र प्रदेश में उनकी पार्टी में रिजर्वेशन वगैरह के मामले में झगड़ा चल रहा है, एक तरह से वर्कर पुराण चल रहा है। यूथ और ओल्ड में, दोनों में लड़ाई हो रही है उसके बारे में आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा।

[अनुवाद]

तकनीकी तौर पर हम आरक्षण स्वीकृत करते हैं, इसी प्रकार तकनीकी तौर पर हम इस विधेयक को स्वीकार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इसी प्रकार से बिल पास करने के बाद, कानून बनने के बाद कितने केस मूव हुए हैं, चाहे जनता सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो उदाहरण के लिए शारदा एक्ट को लें, उसमें प्रावधान है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं कर सकते, मगर कर रहे हैं। प्रोहिबिशन है, लेकिन शराब पीने वाले अब भी मिलते हैं इसका क्या कारण है। आज समाज में कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम जितने कानून लाते हैं उससे डरने वाले उतने ही कम होते जा रहे हैं। जितने भी आप कानून बना रहे हैं लोग उतने ही उसके खिलाफ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस के बारे में जो डिसीजन दिया कि अगर औरत खुद आकर पुलिस को या अदालत को बतायें कि उसके साथ रेप हुआ है तो उसको सच माना जायेगा, लेकिन फिर भी रेप की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस स्टेशन में रेप होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें समाज में परिवर्तन लाना चाहिए, हर आदमी को कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम जितनी बात यहां करते हैं बाहर जाकर हम उसको भूल जाते हैं, हम बाहर जाकर दहेज लेते हैं और देते है। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए दामाद देखती हैं तो डाक्टर, वकील, इन्जीनियर आदि देखती हैं और इसीलिए दहेज देते हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपनी लड़की की शादी के लिए आई. ए. एस. आफिसर, डाक्टर या पैसा कमाने वाला होना चाहिए ऐसे दामाद को ढूंढते हैं और मर्दों को विवश करती हैं इसलिए वह दहेज लेता है जो कि बाद में एक बाप नहीं दे सकता। आप शादी करते समय अपनी इस ख्वाहिश को सामने न रखें। आजकल चोरी से दहेज दिया जा रहा है जो ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कड़ाई से निपटना चाहिए। इसके लिए आपकी मशीनरी को सतर्क रहना चाहिए और अधिकारियों में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन के लिए विल

होनी चाहिए कि वह इसे हर रूप में पालन करवायेंगे । 1984 से लेकर 1986 आज तक सिर्फ दो केस इस मामले के बुक हुए हैं, 70 करोड़ की जनता में से । आज इसका महिलायें भी उपयोग कर रही हैं । जैसे एक महिला को उसका पति किसी कारण नहीं पाल सकता, वह महिला तलाक लेना चाहती है लेकिन पुरुष नहीं देता तो वह अदालत में जा कर कहती कि मुझे दहेज लाने के लिए विवश किया जा रहा है इसलिए मुझे इससे तलाक दिलायें । अभी यह केस हमारे सामने आया था । इस प्रकार की घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए । जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए समान अधिकार के लिए, सक्षम न्याय के लिए जो संशोधन लाया है उसी प्रकार से केन्द्र को लाना चाहिए तभी हम महिलाओं को समान अधिकार दे सकते हैं ।

[अनुवाद]

श्री वीर सेन (खुर्जा) : मैं दहेज की कुप्रथा को गहराई से महसूस करता हूं । मैं समझता हूं कि यह विधेयक सत्र के अन्त में लाकर सरकार द्वारा न्याय नहीं किया गया है । इस विधेयक पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है । दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए इस पर और अधिक विचार किया जाना चाहिए था । हमें इस प्रश्न पर दो पहलुओं से विचार करना चाहिए । एक निवारक पहलू तथा दूसरा उपचारात्मक पहलू । जब हम 'दहेज की अवप्रेरणा' कहते हैं तो इस निवारक पहलू का कुछ संकेत मिलता है किन्तु विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो दहेज की मांग को अवप्रेरित करे । जब तक हम दहेज की मांग को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करते, यह कुप्रथा समाप्त नहीं होगी ।

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा : किस प्रकार ?

श्री वीरसेन : यदि किसी पार्टी द्वारा, विशेष रूप से लड़की वालों की तरफ से यह शिकायत की गई हो कि अमुक व्यक्ति दहेज की मांग कर रहा है तो मेरे विचार में उसके विरुद्ध एक मामला दायर किया जाना चाहिए । यदि यह साबित हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने वास्तव में दहेज की मांग की है तो उस पर आजीवन पुनः शादी करने की कानूनी रोक लगा दी जानी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : तब उसके द्वारा और अभिशप्त किए जाने की सम्भावना है ।

श्री वीर सेन : यह कोई तर्क नहीं है । प्रिवी काउंसिल ने एक निर्णय में कहा है कि सत्ता के दुरुपयोग की सम्भावना के कारण सत्ता न देने का कोई औचित्य नहीं है । जिस उपबन्ध का मैं सुझाव दे रहा हूं, उससे अगर और अनिष्ट होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि शक्ति नहीं दी जानी चाहिए । मेरे विचार में दहेज की मांग तब तक समाप्त नही हो सकती जब तक इसे दण्डनीय न बनाया जाये । तब क्या किया जाए ? जब तक आप दहेज मांगने वाले व्यक्ति को अयोग्य करार नही देंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

दूसरी बात यह है कि लड़कियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि यदि कोई दहेज की मांग करे तो उन्हें ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने से इंकार कर देना चाहिए । मेरे विचार में निवारक उपायों के लिए ये दो बातें अत्यन्त आवश्यक हैं । यदि दहेज पहले ही लिया जा चुका होगा तो उस मामले मे कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है । मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं । मैं तो यह महसूस करता हूं कि इतना ही काफी नहीं है । विरोधाभास तो यह है कि यदि कोई लड़की अशिक्षित है तो विवाह-बाजार मे उसका महत्व शत-प्रतिशत है । यदि कोई लड़की शिक्षित

है तो वह जितनी अधिक शिक्षित है उसका महत्व उतना ही कम है और उस कमी की पूर्ति दहेज से करना आवश्यक है। यदि आप बाटा की दुकान पर जायें तो जूतों के साथ उनका मूल्य दर्शाने वाला धागा बंधा होता है। इसी प्रकार विवाह-बाजार में दूल्हों के भी भाव होते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हो तो उसका मूल्य 3 लाख या 4 लाख रुपये हो सकता है। यदि वह व्यक्ति पी० सी० एस० अधिकारी हो तो उसका मूल्य 2 लाख रुपये हो सकता है। और वह डाक्टर है या इंजीनियर है, मूल्य अवश्य होगा।

मेरे विचार में यह अत्यन्त लज्जाजनक है। हमें ऐसे उपाय करने चाहिएं जिनसे दहेज की मांग और दहेज देने की प्रथा को बढ़ावा न मिले। मेरा एक प्रस्ताव यह है कि यदि किसी विवाह में दहेज दिया गया हो और बाद में यह साबित हो जाये कि दहेज दिया गया था तो उस शादी को शुरू से अमान्य माना जाये और दहेज स्वीकार करने वाले तथा देने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति को राज्य द्वारा जब्त कर लिया जाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करते इससे आपको अधिक सहायता नहीं मिलेगी।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि ऐसी शादी से उत्पन्न सन्तान को अवैध माना जाना चाहिए। इससे केवल सही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति ही विवाह करेंगे। ऐसी सन्तान का सम्पत्ति का उत्तराधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा है कि पति-पत्नी के सम्बन्ध अवैध हो सकते हैं किन्तु बच्चे कभी अवैध नहीं होते। बच्चे सदा मासूम होते हैं। अतः उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए।

श्री वीर सेन : मैं आपसे सहमत हूं कि बच्चे अवैध नहीं होते किन्तु यदि आप दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो ऐसा करना होगा ताकि सन्तान को सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त न हो।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वीर सेन : मैं इस विधेयक के खण्डों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। दहेज देने का प्रस्ताव प्रकाशित करवाने वाले को सजा देना तय किया गया है। मेरे विचार में जैसे ही यह विधेयक अधिनियम बनेगा, इस उपबंध की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी इस प्रकार लिख कर दहेज देने का प्रस्ताव नहीं करेगा। ऐसी बातें तथा धन सम्पत्ति के अंतरण के मामले छिपा कर किए जायेंगे। यद्यपि मेरे विचार में यह अच्छा है कि आपने यह उपबन्ध रखा है किन्तु इसका कोई लाभ नहीं होगा।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि हत्या तो हत्या ही है चाहे वह दहेज के लिए की गई हो अथवा किसी अन्य कारण से मेरे विचार में हमें इसमें अन्तर नहीं करना चाहिए। अतः मेरे विचार में यह उपबन्ध सही नहीं है। मेरे विचार में इस मामले में हत्यारे के साथ कुछ सहानुभूति दर्शाई जा रही है क्योंकि आप उसके लिए केवल सात वर्ष या आजीवन कैद की सजा प्रस्तावित कर रहे हैं। अपनी पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए ?

इस विधेयक में अन्य भी कई बातें हैं, जो बहुत अच्छी हैं। मैं ऐसी महिलाओं के लिए कानूनी सहायता के सुझाव का समर्थन करता हूं। मैं दहेज निवारक अधिकारियों के प्रावधान का भी इस सुझाव के साथ समर्थन करता हूं कि इन अधिकारियों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे स्वयं ही भ्रष्ट न हो जायें और दहेज को रोकने की अपेक्षा उसे बढ़ावा न देने लगें।

क्योंकि मैंने सभापति महोदय द्वारा अनेक बार घंटी बजाये जाने की आवाज सुनी है, इस लिए मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रेमलता बाई चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रधान मन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि वह अपनी परम-पूज्या माता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का अधूरा स्वप्न पूरा करने का निश्चय करके यह बिल लाये हैं।

विरोधी पक्ष ने कहा कि इसको बहुत कम समय दिया गया है, इसे देर से लाया गया है। मेरा निवेदन है कि इस सदन में विरोधी पक्ष की तरफ से जितना वक्त बर्बाद हुआ है, उसके बजाये हमारे इस महत्वपूर्ण बिल को टाइम मिलता तो जरूर हमारी सरकार यह बिल जल्दी लाती और इस पर सबकी राय ली जाती।

मुझे पता है कि यह मसला खाली महिलाओं का ही नहीं है, यह मसला सारी दुनिया का है। हर जगह महिलाओं को जो नीचा दिखाया जाता है, उस पर जो आतंकवाद फैलाया जाता है, वह हमारे भारत वर्ष में ही नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सब औरतों का सवाल है। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

हमारे देश में भी, सबको मालूम है कि हमारे यहां बड़े महात्मा लोग हुए हैं जो सती की बुरी रुढ़ि को हटाने में कामयाब हो गये और आजकल सती प्रथा बन्द हो गई है। वैसे ही हमारी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार अच्छा बिल लाई है। लेकिन यह मुश्किल हो गया है कि उसका इम्पलीमैंटेशन नहीं होता है। उसके बहुत प्रकरण हैं, मैं इस वक्त यह कहूंगी कि अभी जो बिल में महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर सभी ने अपने बयान किये हैं, लेकिन मेरी भी राय है कि इम्पलीमैंटेशन होना चाहिए और सजा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मेरे भाई ने कहा कि खून का बदला खून से होना चाहिए, जिसकी जान ली जाती है, उसका बदला जान लिये बगैर नहीं हो सकता। इसकी सख्ती होनी चाहिए। इसके इम्पलीमैंटेशन के लिए सभी ने अपने तौर पर जोर दिया है।

मेरा अनुभव है कि खर्च पर कानूनी तौर पर रोक लगनी चाहिए। जैसा इंदिरा जी के टाइम में एमरजेंसी के वक्त हरेक शादी में रोक लगाई गई थी, और रोक ही नहीं, जिन्होंने खर्चा किया था, उनको सजा भी मिली थी, मेरा यह सुझाव है कि अपने तौर पर इस सब पर रोक लग नीचाहिए क्योंकि ज्यादातर खर्चा करने वाले गरीब लोग होते हैं जो अपनी जमीन और जेवर बेचते हैं और बहुत सी कुछ चीजें उनको करनी पड़ती हैं जो कि सख्ती लगाने से नहीं करनी पड़ेंगी।

हम देखते है कि ज्यादातर जो डाउरी होती है, वह अमीरों में होती है और डाउरी डैथ्स भी अमीरों में ही होती है। मैं समझती हूं कि ज्यादा पढ़े-लिखे लोग, जैसे डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वही ज्यादा डाउरी मांगते हैं। उनके मां-बाप ऐसा बोलते है कि हमारे बच्चे को डाक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए बहुत खर्चा हुआ है। मैं अनुभव से कहती हूं कि जो पढ़ी-लिखी लड़कियां होती हैं, उनकी शादी में बहुत यह होता है। इसलिए खाली सख्ती से काम नहीं चलेगा।

जैसे फारेन में टेलिविजन के जरिये बताया जाता है, उसी प्रकार यहां भी देहात में, ग्रामीण इलाकों में कैसे अत्याचार होते हैं, यह बताने में अपने को सामाजिक सुधार के लिए मौका मिलता है, इसलिए दहेज प्रथा का निषेध टी० वी० पर बताना बहुत जरूरी है।

मैं इस बिल की बहुत ही सराहना करती हूं और आपको बहुत बधाई देती हूं कि इसका ज्यादा से ज्यादा जल्दी इम्पलीमैंटेशन होना चाहिए। इस देश में हरेक नारी और पुरुष को इस प्रथा को मिटाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए।

आपने मुझे इसके लिए टाइम दिया मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री एम० एल० झिकराम (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दहेज प्रतिशेष विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे दहेज प्रथा के सम्बन्ध में पहले पहल 1961 में कानून बना, उसके बाद 84 में उसमें संशोधन हुआ और आज फिर इसकी जरूरत आ पड़ी है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। काश, यदि क्रियान्वयन सही ढंग से होता तो शायद इसकी जरूरत न पड़ती। हो सकता है क्रियान्वयन के अभाव में अगले कुछ वर्षों में ही इसके अन्दर और संशोधन करने की आवश्यकता पड़े।

मैं निवेदन यही करूंगा कि जो नियम बने हैं इनका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। इसमें जितनी बातें आपने संशोधित की हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सिर्फ एक सुझाव जरूर दूंगा—केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक क्रान्ति से ही इसमें कुछ बदलाहट आ सकती है। वर्तमान समय में मुख्य रूप से लड़के और लड़कियों में जब तक दहेज के विरोध में सामाजिक क्रान्ति नहीं लाई जावेगी, कुछ नहीं हो सकेगा। उनके मन में इस घृणित प्रथा के प्रति घृणा होनी चाहिए। दहेज के अन्दर मुख्य भूमिका जो होती है वह सास की होती है। दहेज के प्रति लालच की आग लगाने वाली कुटुम्ब की प्रमुख सदस्या जो होती है वह सास होती है। क्योंकि सास कुटुम्ब की मुखिया कहलाती है। वह इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि वह अच्छे विचारों की है तो उस का कहना ससुर मान सकता है, लड़का मान सकता है और लड़की मान सकती है और यदि सास खराब विचारों की है, अच्छे विचारों की नहीं है तो घर के सभी लोग चाहें कि हम दहेज नहीं लेना चाहते हैं लेकिन वह चाहती है कि दहेज जरूरी है तो वह सबको उस रास्ते पर ला सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि इस तरीके की सास श्रेणी की जो महिलायें है उनमें दहेज के प्रति घृणा उत्पन्न करना सामाजिक संगठनों का काम है। उनमें दहेज के विरोध में प्रचार और प्रसार होना चाहिए तथा इस चीज का अहसास कराया जावे कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक लग सके। इस प्रकार उनमें क्रान्ति लाने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री एस० के० सिदनाल (बेलगांव) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा सरकार एवं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे विचार में लोकसभा में उनका यह प्रथम विधेयक है।

महोदय, कानून सदा एक सा नहीं रह सकता। इसमें समाज की बेहतरी के लिए परिवर्तन होता रहना चाहिए और परिवर्तन किया जा रहा है। किंतु प्रश्न है कि क्या हम ऐसे अपराधों पर कानून बना कर रोक लगा सकते हैं ? अभी तक हमने कितने अपराधों को रोका है ? क्या कानून उन्हें रोक सकता है अथवा इस कुप्रथा को समाप्त कर सकता है ? कोई भी विधान पारित करने से पूर्व इन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, यह एक सामाजिक एवं सुधारात्मक विधेयक है। क्या हम इन उपबंधों के कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों अथवा पुलिस अधिकारियों को सौंप कर ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं ? हमने अभी तक कितने अपराधों को रोका है ? महोदय, मेरे विचार में सामाजिक आलोचना ही इन अपराधों को समाप्त कर सकती है। जब तक हम इस प्रकार के अपराध करने वालों की आलोचना नहीं करते, इन्हें रोका नहीं जा सकता। यदि आप ऐसे अपराधियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दें तो भी ये अपराध समाप्त नहीं होंगे किन्तु सामाजिक आलोचना से समाप्त होंगे। हमें इनकी आलोचना करने के लिए धार्मिक, शिक्षण तथा सामाजिक संस्थाओं को संगठित करना होगा। ऐसे अपराध केवल निर्धन परिवारों में ही नहीं होते। हम सोचते हैं कि शिक्षा सब अपराधों का इलाज है तो ऊंचे समाज में हम जानते हैं कि अधिकांश लोग शिक्षित होते हैं तो भी सबसे अधिक 'उपहार' या दहेज लेते हैं। अत: हम इस बुराई पर किस प्रकार विजय पा सकते हैं। ये आज या कल की समस्या नहीं है, आने वाली पीढ़ी की भी समस्या है। हम इसे कैसे सुलझा सकते है ? ऐसा केवल शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है।

ग्रामीण इलाकों में केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यम से लड़कियों को शिक्षा दिये जाने को प्रधानमंत्री जी ने जो प्रमुख महत्व दिया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आर्थिक रूप से महिला का स्वतंत्र होना सबसे उत्तम बात है। ऐसा होन से वह स्वयं पर ध्यान दे सकती है। तथा अपने पति की सहायता के बिना कहीं पर भी रह सकती है। परन्तु अब हमारे देश में महिला पति की आय पर निर्भर रहती है। इसलिए वह किसी भी चीज के वशीभूत हो जाती है तथा हर तरह के दबाव को सहती है। श्रीमती गीता मुखर्जी समेत अधिकांश बहनों ने यही कहा है कि यह पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन अधिकतर मामलों में सास ही अपनी बहू को मारती है। मैं दोष लगाने के मकसद से दोष नहीं लगा रहा हूं। किन्तु ये कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना है।

मेरा अन्तिम सुझाव है कि सभी अधिकारीगण महिलाएं होनी चाहिएं तथा विशेष मदों की रचना की जानी चाहिए। बहुत सी महिला आई० पी० एस० अधिकारी हैं। उन्हें इस कार्य के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षण देना चाहिए। इस कारण वे किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित होंगे।

मामलों का शीघ्रता से निपटान कराने के लिए विशेष अदालतें या प्राधिकरण नियुक्त किये जाने चाहिएं। अन्यथा अदालतों में ही इन्हीं पर 10 से 15 वर्ष तक लग जायेंगे तथा हमें कानून को बदलना होगा। अतः सभी धार्मिक संस्थाओं और शिक्षा द्वारा हमें इसकी सामाजिक रूप में निन्दा करनी चाहिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम कक्षा से स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में इसे शामिल करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैंने सभी भाषण सुन लिए हैं। मेरे दिमाग में बात आई है कि दहेज प्रथा का असली उन्मूलन प्रेम-विवाह के प्रचार से हो सकता है। इसके सिवाय और कोई इलाज नहीं है। हमारे यहां ज्वायन्ट फैमिली सिस्टम है, मां-बाप बीच में आते हैं, वही गड़बड़ करते हैं। शादी होती है लड़के से, लेकिन बीच में ये लोग गड़बड़ करते हैं। अच्छा होता कि मां शिक्षित होती, उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती, लेकिन मां भी प्रलोभन में आ जाती है क्योंकि जीवन के मूल्य बदल गए हैं। आजकल यह संसार भौतिक जगत भी है। यहां पर बोलने वाले वक्ता बोले और गए, लेकिन कारनामे देखे जायें। हमारे उत्तम राठौड़ जानते हैं कि क्या हालत हो रही है? बोलने वाले सभी बोलते हैं, बोलने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन काम कुछ भी कर लेते हैं। हमारे दोस्त ने कह दिया कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कानून भी जरूरी है ताकि थोड़ा डर रहे। एक बात है कि 57 परसेंट बैकवर्ड लोग गांव में रहते हैं। वे अपनी लड़कियां बेचते हैं, उसका क्या इलाज है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर ऐसा रिवाज है कि लड़के को, पैसा लिए बिना लड़की नहीं देते। साधारण गांव में अनुसूचित जाति के लोग भी अपनी लड़की तभी देते हैं, जब पैसा ले लेते हैं। यह पुरानी बात नहीं है, आज भी हो रहा है। आज भी या तो बदले में लड़की देते हैं या पैसा लेते हैं, यह एक बड़ी समस्या है। आप जो कानून बना रहे हैं उसके लिए आपको बधाई, लेकिन सवाल यह है कि जब तक जीवन मूल्य नहीं बदलेंगे, जब तक हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, तब तक यह गड़बड़ी चलेगी। जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी अपनी जेब में रख सकेंगे, हमारे में ऐसी ताकत है।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदाकोट) : सभापति महोदय, मैं सरकार को इस कानून को लाने के लिए बधाई देता हूं। इस कानून के पास होने से हमारी बेटियों की इज्जत बहुत बढ़ेगी और समाज में जो बुराई है, वह इससे निकल जाएगी। मैं अकाली पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता की हैसियत से इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं। मैं सरकार को एक बार फिर बधाई देता हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मुल्क की नारियों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इतनी देर हो जाने के बावजूद 16 वक्ताओं ने इस वाद-विवाद में भाग लिया। आज शाम इस समय इस चर्चा में भाग लिए जाने के लिए मैं उन सब का धन्यवाद करती हूं। मेरे विचार से सभी सदस्यों ने एक ही मुद्दा उठाया है कि सिर्फ कानून से इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। तथा मैं इस बात को शुरू में ही स्वीकार करती हूं।

यदि आप सचमुच में दहेज जैसी बुराई को दूर करना चाहते हैं तो सामाजिक आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तनों के लिए प्रयासों को कतिपय कानूनी शरण लेनी होगी। दहेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे अलग से निपटा जा सके। यह तो सदियों से चली आ रही परम्परा है। धार्मिक एवं सामाजिक रूप से इसको दूर किए जाने के प्रयास करने होंगे। देश में प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाजों से दहेज का सीधा सम्बन्ध है। आंकड़ों से यह पता चला है कि जितनी भी वधुयें जली हैं वे विशेषतौर पर एक ही समुदाय की हैं। यह बात भी आंकड़ों से स्पष्ट हुई है कि वे सभी वधुयें 30 वर्ष से कम आयु की थीं। आकड़ों से हमें यह भी पता चला है कि मरने वाली वधुओं में से अधिकांश बल्कि मैं कहूंगा कि 99 प्रतिशत अपनी सास के घर में ही मरती हैं कभी भी अपने पति के घर में या फिर अपनी मां के घर में ऐसा हादसा उनके साथ नहीं हुआ। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ कठोर निरोधक उपाय इस दिशा में किए जाने चाहिएं।

शिक्षा की आवश्यकता पर कई सदस्य भाषण दे चुके हैं। किन्तु मैं कहूंगी कि यदि लड़के की शिक्षा ज्यादा है तो उसके लिए पैसे की मांग भी ज्यादा ही होगी। इस लिए मैं पूछती हूं कि शिक्षा से दहेज की बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है। यहां पर भी इस बात का उल्लेख किया गया है तथा हमने इसके विरुद्ध अभियानों के दौरान भी देखा है—हम उस स्तर तक नहीं जायेंगे जैसा कि किसी ने इसे जूते की दुकान कहा है—इस तरह से दुल्हों को खरीदा जाता है। (व्यवधान)

मैं इसे जूते की दूकान नहीं कहूंगी। यह हमारे युवकों के लिए अपमान जनक है परन्तु आपको मालूम है कि वधुओं का चुनाव किस तरह से किया जाता है—लड़के की शिक्षा जितनी ज्यादा होगी और उसकी नौकरी जितनी ऊंची होगी उसी हिसाब से उसके परिवार वाले या वह खुद शादी के समय मांग करेगा।

कुछ और बातें भी कही गयी हैं। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठायी गयी कुछ बातों को जल्दी-जल्दी निपटाओ। उन्होंने यह कहा कि वह कुछ संशोधन देना चाहती हैं। उन्होंने इसकी परिभाषा, रीति-रिवाज संबंधी उपहारों के बारे में कुछ कहा मैं भी संयुक्त प्रवर समिति की सदस्य थी तथा जिन सदस्यों ने आज भाषण दिया वे भी इस समिति के सदस्य थे। मैं सिर्फ यह इस बात को देखते हुए कहूंगी कि जब तक लड़कियों को विरासत में बराबर के अधिकार नहीं दिये जाते तब तक हम माता-पिता द्वारा लड़कियों को इच्छा से दिये जाने वाले उपहारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। यदि उसे कुछ उपहार दिये जाते हैं, तथा शादी के समय कुछ रीति-रिवाज के अनुसार कोई उपहार दिया जाता है उदाहरण के लिए, देश के कुछ भागों में 'थाली' दिए बिना लड़की की शादी नहीं हो सकती, इन बातों का हमें ध्यान रखना है और हमें यह सोचना चाहिये कि लड़की को थोड़ा बहुत जो माता-पिता से मिलता है उसे पहली ही अवस्था पर खत्म नहीं कर देना चाहिए तथा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के अनुसार यह सामान उसकी सम्पत्ति होगी, उसका 'स्त्रीधन' जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है। उस पर लड़की का पूरा नियंत्रण रहेगा। इसके बाद हमने इस संशोधन पर भी ध्यान दिया है कि यदि शादी के 7 वर्ष के भीतर वधू की किन्हीं संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है

तो जो कुछ भी उसे दिया गया था वह उसके बच्चों को मिल जायेगा। यदि उसके बच्चे नहीं हैं तो यह सामान उसके माता-पिता को मिल जाएगा। उस स्थिति में पति विवाह को व्यावसायिक कार्य नहीं समझेगा जिसमें वह अपनी पत्नी को मार कर, उसके पैसे रखकर तीन महीने के अन्दर किसी अन्य महिला से शादी कर ले। इससे लड़के तथा उसकी मां का शादी के मामले में व्यावसायिक रूप में लेने की प्रवृत्ति समाप्त होगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि 'शादी के बाद कभी भी' इस संशोधन को लाकर हमने परिभाषा के क्षेत्र का विस्तार किया है, क्योंकि मूल रूप में परिभाषा इस प्रकार थी "शादी के संबंध में पहले अथवा बाद में, शादी के समय" इसका अर्थ हुआ 7 या 8 या 10 वर्षों के बाद कानून के अनुसार कार्य होना।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि शादी के खर्च की राशि अधिकतम 3000 रुपये होनी चाहिए। हमारे देश में इतनी विभिन्नताओं को देखते हुए कोई भी राशि निश्चित करना मुश्किल है। परन्तु मैं समझती हूं कि राज्य सरकारें कुछ बातों पर प्रतिबन्ध लगा सकती हैं जैसे कि मेहमानों के आने की संख्या पर, परोसे जाने वाले कुछ मदों पर प्रतिबन्ध लगाना। यह राज्य स्तर पर वहां की स्थिति के अनुसार लागू करना होगा। पूरे देश में एक जैसा स्तर निर्धारित करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने राजनैतिक व्यक्तियों के बारे में काफी अच्छा सुझाव दिया है जो कि इस बात की पहल करें कि जिस व्यक्ति ने दहेज लिया हो उसे किसी पद पर न रखा जाए। यदि सभी राजनैतिक दल इस बात पर सहमत हो जायें कि उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा जिसके परिवार में किसी ने भी दहेज लिया अथवा दिया है, तो मेरे विचार से राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कार्यवाही करने का यह पहला प्रयास होगा।

श्री भक्त ने इस बुराई के बारे में जनजागृति लाने के बारे में कहा है। हम इस कार्य में लगे हुए हैं। प्रचार माध्यमों तथा और सभी साधनों को इस बुराई को दूर किये जाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। परन्तु वास्तव में इस दिशा में एक जन आन्दोलन करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझती कि सिर्फ सरकार द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है। लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ने सम्पत्ति में बराबर हिस्सा होने की आवश्यकता के बारे में कहा है। मेरे विचार से महिलाओं एवं अन्य संगठनों की लम्बे समय से यह मांग रही है। राज्य सरकारों ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है तथा मुझे विश्वास है कि जल्दी ही यह विधेयक कानूनी रूप ले लेगा।

इसके लिए हमें धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। धार्मिक रीतियों के नाम पर बहुत से उपहारों चीजों का आदान-प्रदान होता है। यह एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी अभी तक लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। मैं समझती हूं कि इस दिशा में एक बड़ा अभियान छेड़ना होगा

यह सुझाव दिया गया है कि दहेज निषेध अधिकारी महिलाएं होनी चाहियें। मैं भी इस सुझाव का स्वागत करती हूं। अगर पर्याप्त संख्या में महिलाएं मिल जाती हैं तो महिलाओं के

दहेज निषेध अधिकारी होने पर कोई रोक नहीं है और हम यह देख कर बड़े प्रसन्न होंगे कि वे सभी महिलाएं हैं।

मुफ्त कानूनी सहायता का प्रश्न भी उठाया गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने इसे सभी राज्यों में आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को यह जानकारी देने के लिए कि कानून क्या है; वे अपने अधिकारों को कैसे लागू करवा सकती हैं और कैसे मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती हैं, समस्त देश में महिलाओं के लिए महिला विभाग तथा दूसरे संगठनों ने समानांतर कानून प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिये हैं। आजकल जिला स्तर पर महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता केन्द्र हैं जो उनकी आवश्यकतानुसार मदद कर रहे हैं।

मैं इस बात से निश्चित तौर पर सहमत हूं कि सास को परिवार के मुखिया के रूप में उसके कर्त्तव्यों के प्रति अवगत कराना एक विशेष महत्व रखता है जिन अधिकतर मामलों से वह सम्बद्ध रहती है उनके बारे में यह सच्चाई है।

सदस्यों ने विशेष अदालतों की आवश्यकता का जिक्र किया है। मैं यह बात कहना चाहती हूं कि हमने 1984 में ही परिवार अदालत विधेयक पारित कर दिया था। किन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि राजस्थान के सिवाय देश में और किसी भी राज्य ने अब तक परिवार अदालत स्थापित नहीं की है। राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है। मैं मुख्यमंत्रियों को भी इस मामले में लिखती रही हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि परिवार अदालतों को स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि इससे दूसरी अदालतों का काफी काम परिवार अदालतों को चला जाएगा। मेरे विचार में, इन बहुत सी समस्याओं को, खुली अदालतों में वकीलों द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय, एक आदान-प्रदान तथा विचार-विमर्श के माहौल में सुलझाया जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी ने भी मुफ्त कानूनी सहायता और दहेज प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। किन्तु मूल प्रश्न महिलाओं की समानता और आर्थिक स्वतंत्रता का है। मेरे विचार में यह एक बड़ा कार्यक्रम है। जिसे अब हम आरम्भ कर रहे हैं। जैसा कहा जा चुका है, बीस सूत्री कार्यक्रम विशेष तौर पर देश में दहेज की बुराई से लड़ने के लिए नियमों के आवश्यक कार्यान्वयन के बारे में उल्लेख करता है।

माननीय प्रो० कुरियन केरल में विवाह के समय लड़कियों को दिए जाने वाले हिस्से के बारे में चिन्तित हैं। वास्तव में, जिन विज्ञापनों पर हमने अब रोक लगा दी है, उनको हमारे पास बड़ी संख्या में केरल के समाचार पत्रों से लाया गया था। विवाह के समय लड़की को मिलने वाले हिस्से का समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना एक रिवाज सा बन गया था। अब इसको बन्द कर दिया गया है क्योंकि समाचार-पत्रों के माध्यम से यह एक प्रकार का दहेज का प्रस्ताव था। किन्तु मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि जहां तक लड़की के हिस्से का सम्बन्ध है, इसकी सुरक्षा की गई है क्योंकि लड़की के नाम से जो कुछ भी दिया गया है वह कानून के अधीन सुरक्षित है।

एक माननीय सदस्य : विवाह के समय।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : जब तक यह विवाह के सम्बन्ध में नहीं दिया जाता है, आप अपनी लड़की को कुछ भी दे सकते है। किन्तु मैं आपको बताती हूं कि नए संशोधन के अधीन

एक नया उपबंध जोड़ा गया है कि जहां भी विवाह के समय दी गई या प्राप्त की गई वस्तु को दिखाया जाता है, यह जिम्मेदारी प्राप्त करने वाले की होगी कि इसकी मांग नहीं की गयी थी, जिसका अर्थ है कि बाद में अगर यह कहा जाए कि मांग की गई थी और उनको यह देने के लिए मजबूर किया गया था, तब प्राप्त कर्त्ता को यह सिद्ध करना होगा कि इसकी मांग नही की गई थी और यह माता-पिता के द्वारा लड़की को एक उपहार के रूप में दी गई थी। इस प्रकार अब सिद्ध करने की जिम्मेदारी प्राप्तकर्त्ता पर आ गई है. अगर वह विवाह के समय कोई भी वस्तु लेता है।

कुछ और भी सुझाव दिए गए थे···

प्रो० मधु दंडवते : दहेज लेने वालों को टिकट मत दीजिये।

एक माननीय सदस्य : पूर्वगामी प्रभाव से।

प्रो० मधु दंडवते : मेरी सीट नही जाएगी।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : अनेक सदस्यों ने जिस दूसरे प्रश्न पर बहस की थी वह इस संशोधन से सम्बन्धित थी जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता में 'दहेज मृत्यु' की नई परिभाषा दी जा रही है। किसी सदस्य ने कहा है कि यह तो लड़की के विरुद्ध पति या सगे-सम्बन्धियों की सुरक्षा के लिए है। मेरे विचार में यह सत्य नहीं है। अगर आप धारा 304 (ख) पढ़ें जिसे हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संशोधन के साथ लागू किया है यदि आप इन दोनों को एक साथ लें तो यह स्पष्ट है कि अगर किन्ही परिस्थितियो में मृत्यु हो जाती है तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और जब ऐसी मृत्यु होती है तो यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि मृत्यु उनके कारण नही हुई है, दूल्हे तथा उसके सम्बन्धियों पर आ जाती है। दूसरे शब्दों में, जब ये बातें हो जाती हैं तो यह एक दहेज – मृत्यु बन जाती है और तुरन्त यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी दूल्हे पक्ष पर आ जाती है कि वे इसके लिए जिम्मदार नहीं हैं। यह आवश्यक भी था, क्योंकि मुफ्त कानूनी सहायता और इस बुराई स लड़ने के प्रश्न में शामिल हम सभी को यह पता है कि 'हमें कभी भी मौके के गवाह नही मिलते हैं क्योंकि यह एक ऐसा अपराध है जो आमतौर पर ससुराल वालो द्वारा दरवाजे के अन्दर किया जाता है, और कई बार पति भी उपस्थित नहीं होता है। और इसे हमेशा या तो आत्महत्या या दुर्घटना या कोई अन्दर होने वाली घटना के रूप में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार सामान्यत: निन्दनीय हत्या के प्रयास में जिसमें हत्या हो जाती है या नहीं होती है समस्या से निपटना और कुछ भी सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह महसूस किया गया कि नए अपराध को परिभाषित किया जाये —जो हमने पहली बार किया है। इसके साथ इन बातों के उस समय विद्यमान होने पर साबित करने की जिम्मेदारी पति या उसके परिवार पर आ जाती है। मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। श्री पनिका ने उन जन जातीय रिवाजों का जिक्र किया है जो महिलाओं के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करते हैं। मैं मानती हूं कि हमारे जन-जातीय लोगो के कई रीति-रिवाज हैं और यदि हम उनका पालन कर सकें तो शायद इससे महिलाओं का स्तर सुधर जाएगा।

प्रत्येक सदस्य ने कार्यान्यन के बारे में कहा है। मैं उन जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हूं जो हमारे ऊपर यह देखने के लिए हैं कि इस देश में नए उपबंध महिलाओं के स्तर के मुताबिक लागू

हों। किन्तु मैं अनुरोध करती हूं—मैं गृह मंत्री को यहां उपस्थित देखकर प्रसन्न हूं—कि सभी राज्य सरकारें हमें सहयोग दें। अब हम राज्यों में दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। जब तक राज्य सरकारें कुछ मूलभूत ढांचे का निर्माण नहीं करतीं और इन अधिकारियों को सहयोग नहीं देतीं दिल्ली से हमारी आवाज का कोई प्रभाव नहीं होगा।

वास्तव में, जब मैं विस्तृत जानकारी देने के लिए लिखती हूं—आप प्रतिवेदनों और उनके सभा पटल पर रखे जाने के बारे में मांग करते रहते है, श्रीमती गीता मुखर्जी के संशोधन का आशय यही है—मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमें जवाब भी नहीं भेजे जाते हैं। जब हम संसद में आंकड़ों सहित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं, जब हम साधारण सी जानकारी चाहते है, तो हम जब तक मुख्यमंत्री से जाकर मिलते नहीं तब तक आपको कोई जानकारी नहीं प्राप्त होगी। अतः इन रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने से हमारे सामने वास्तविक समस्यायें पैदा होंगी। हो सकता है कि ये अधिकारी जब कार्य शुरू करें और हम भी अनुगमन करें तो बाद में यह सम्भव हो सकता है कि हम पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें और संसद को सूचित करें।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इसके लिए 249 को लागू करना चाहते हैं ?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : अच्छा, यह निश्चित ही एक अच्छा विचार है।

श्री वीरसिंह ने कुछ अत्यन्त क्रांतिकारी सुझाव दिए हैं। मैं नही जानता कि स्वय सदस्य महोदय उनके सम्बन्ध में क्या सोचेंगे। मैं नहीं सोचता कि ये कार्य करना संभव होगा जैसे दहेज से संबधित विवाहों को रद्द करना तथा पैदा हुए बच्चों को जाइज घोषित करना। यह अन्यायपूर्ण होगा कि बच्चों को उनके दादा दादी या मां-बाप के अपराधों के लिए दण्डित किया जाए। मैं सोचती हूं कि इससे अन्य सामाजिक समस्यायें पैदा होंगी।

मैंने सभी मुद्दों को लिया है। शेष औपचारिक हैं, इसमें डागा जी का भी मुद्दा शामिल है जिनका कहना है कि कानून होने के बावजूद प्रथायें जारी हैं। मैं आप सबकी आभारी हूं क्योंकि अंततः आपने इस विधेयक को स्वीकार किया है और उसे समर्थन दिया है। मैं सहमत हूं कि कोई पूर्ण कानून संभव नहीं है। इसे अभी बनाया जाना है। अनुभव के आधार पर हम समस्याओं को देखते हुए कह सकते हैं कि गल्ती कहां हुयी है और कहां परिवर्तन की आवश्यकता है।

मैं वर्तमान संशोधनों के संबंध में कहूंगी। संयुक्त-प्रवर समिति के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों तथा महिला संगठनों और कानूनी सहायता दलों द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में मैं पूर्ण समाधान करूंगी। जब हम इनका अध्ययन करते हैं, तो यदि हम पाते हैं कुछ परिवर्तन की वास्तव में जरूरत है तो हम आपसे बात करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और बताऊंगा कि क्या-क्या काम किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम आपका समर्थन प्राप्त करेंगे। जो हमें आपसे प्राप्त होता रहा है।

हमने इस प्रकार से उपहारों पर प्रतिबंध का विचार नहीं किया क्योंकि हमने यह महसूस किया तर्क यह लड़कियों के प्रति अन्यायपूर्ण होगा। उन्हें पिता की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं प्राप्त होगा। यदि लड़की को घर छोड़ते समय पिता कुछ देना चाहता है तो हम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं और पिता दूल्हा-दुल्हन और सभी को जेल भेज देते हैं। मैं सोचता हू कि इससे शादी करने में अनेक समस्यायें उत्पन्न होगी। किसी ने सुझाव दिया था कि दहेज पर प्रतिबंध

लगाने के स्थान पर शादियों पर प्रतिबंध लगाना अच्छा होगा। संभवतः इसके साथ ही यह समाप्त हो जाएगी।

महोदय, मैं सोचती हूं कि मैंने उन सभी बातों का उत्तर दे दिया है जो कहीं गयी थीं। समय की कमी की वजह से मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पुनः एक बार लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधनों पर दबाव न डालें। मैं सोचता हूं कि वह कतिपय चीजों में परिवर्तन चाहेगी। लेकिन मुझे दुःख है कि आज इन संशोधनों को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप अगले चरण पर बोल सकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैंने सोचा था कि उन्होंने शुरू में ही अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिए थे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने तथा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

खण्ड 2— (पूरे नाम में संशोधन)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"2. इस अधिनियम में "दहेज" से अभिप्रेत है वर या पति या उसके माता-पिता या अन्य संबंधियों द्वारा वधु या पत्नी या उसके माता-पिता या संबंधियों से विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के किसी समय पश्चात् मांगा गया या लिया गया धन या धन द्वारा मूल्यांकन योग्य अन्य ऐसी वस्तुएं, जहां ऐसी मांग वधु या पत्नी के वैधानिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त किसी दावे के रूप से समुचित उल्लेखनीय नहीं है तथा पत्नी के मामले में पत्नी के पति के परिवार में विवाह किए जाने से ही संबंधित है।

स्पष्टीकरण 1. संदेह के निराकरण के लिए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि वधु या पत्नी को लागू होने वाली किसी अन्य विधि या किसी करार के अन्तर्गत उसे मिलने वाली कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति संबंधी अन्य अधिकार या उसे लागू स्वीयविधि के अन्तर्गत "डावर" या "मेहर" पर वधु या पत्नी के अधिकार को धारा 3 के उद्देश्यों के लिए दहेज नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण-2. संदेह के निराकरण के लिए आगे यह भी निर्धारित किया जाता है कि वधु के माता-पिता या संबंधियों, मित्रों आदि द्वारा विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् स्वेच्छा से अर्थात् प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना दबाव या प्रपीड़न के वधु के माता-पिता या वधु

पक्ष की ओर से विवाह-व्यय का वहन करने वाले अन्य व्यक्तियो की विवाह की तारीख से पूर्व उस वर्ष के दौरान आय के पांच प्रतिशत से अनधिक राशि के धन, आभूषणों कपड़ों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए किन्हीं उपहारों या पांच हजार रुपए, जो भी कम हो, को धारा 3 के उद्देश्यों के लिए दहेज नहीं माना जाएगा तथा पति या उसके माता-पिता या संबंधियों द्वारा वधू को स्वेच्छा से दिए गए उपहारों को धारा 3 के उद्देश्यों के लिए दहेज नहीं माना जाएगा," (1)

मैं पहले ही बता चुकी हूं, मंत्रीजी की बात भी सुन चुकी हूं और मैं उससे संतुष्ट नहीं हू अत: मैं अपना संशोधन रखती हूं ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं कह चुकी हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा ।

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3 (धारा 1 में संशोधन)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए—

"(ii) उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा ।" (2)

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3 क

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए —

"3क. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"3क. वधु के माता पिता या वधु पक्ष की ओर से विवाह में भोजन, सजावट तथा अन्य आनुषंगिक मामलों सहित विवाह या सगाई या विवाह से संबंधित अन्य समारोह में विवाह-व्यय का वहन करने वाले अन्य व्यक्तियों के विवाह से पहले वर्ष के दौरान आय के तीन प्रतिशत से अधिक या दो हजार रुपये, जो भी कम हो, से अधिक का व्यय किए जाने पर कारावास से जो तीन महीने तक का हो सकता है तथा दण्ड से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकता है या निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की गई राशि का दो गुना, जो भी अधिक हो दण्डनीय होगा।" (3)

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 4 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 8—(धारा 5 में संशोधन)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"8ग. (1) प्रत्येक स्त्री वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर :

(क) केन्द्रीय सरकार वर्ष के दौरान इस अधिनियम को लागू किए जाने के बारे में संसद के प्रत्येक सदन में एक रिपोर्ट सभा-पटल पर रखवाएगी; और

(ख) राज्य सरकार वर्ष के दौरान उस राज्य में इस अधिनियम को लागू किए जाने के बारे में विधान सभा या यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन में एक रिपोर्ट सभा-पटल पर रखवाएगी।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार विहित प्रक्रिया में राज्य सरकार से कोई आवधिक या अन्य रिपोर्ट मंगा सकती है।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (') के खण्ड (ख) के उद्देश्य के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा, ऐसे मामलों का विचारण करने वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा तथा समाज कल्याण संगठनों द्वारा व्यक्तिगत मामलों में की गई टिप्पणियों के आधार पर इस अधिनियम को लागू किए जाने के बारे में एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी।" (4)

श्रीमान् मैं चाहती हूं कि मंत्री मेरे संशोधन पर विचार करें। मैं पृष्ठ 4, पंक्ति 20 का उल्लेख करना चाहूंगी—

"304 ख (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या विवाह से सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है

और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व···उसके साथ क्रूरता की थी···"

मैं चाहती हूं कि 'कुछ' शब्द हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह मात्रा स्पष्ट न करने वाला शब्द है, यदि यह शब्द रखा रहेगा तो मंत्री महोदय की दलील स्वयं ही निरर्थक हो जाएगी।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे विचार से आप हर बात को दहेज से नहीं जोड़ सकती हैं। मान लीजिए पिछले तीन वर्षों से दहेज की कोई मांग नहीं की गई लेकिन फिर कोई विवाद या गलत फहमी आदि हो जाती है तो आप इसे दहेज मृत्यु नहीं कह सकते हैं। बहुधा हमने देखा है कि ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जिनमें किसी लड़की की मृत्यु होने पर वे लोग उसे दहेज संबंधी मामला कहने लगते हैं।

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 (धारा 7 में संशोधन)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 21,—

"कुछ" का लोप किया जाए।" (5)

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 12 (धारा 9 में संशोधन)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं।

पृष्ठ 5, पंक्ति 4—

"कुछ" का लोप किया जाए। (6)

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती गीतामुखर्जी द्वारा पेश किए गए खंड 12 के संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं प्रस्ताव करती हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9.06 म. प.

सभापटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम—1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री बी. के. गदवी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 1014 (अ), जो 20 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पोतों, नौकाओं तथा अन्य प्लवी संरचनाओं को तोड़कर अभिप्राप्त लोहे अथवा इस्पात के माल और उनकी वस्तुओं को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या संख्या 387/86—के० उ० शु०, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो द्रव आक्सीजन विस्फोटकों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) अधिसूचना संख्या 388/86-के० उ० शु०, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विद्युत प्रचालित ट्राली बसों और बैटरी शक्ति-युक्त सड़क यानों के लिए 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क की रियायती दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) [अधिसूचना संख्या 389/86-के० उ० शु०, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 24 अप्रैल, 1986 की] अधिसूचना संख्या 271/86- के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि लम्बाई-चौड़ाई तथा मात्रा के कतिपय प्रतिबन्धों की व्यवस्था करके क्षतिग्रस्त अथवा घटिया चमड़े के वस्त्रों के लिए उत्पाद-शुल्क के रियायती दर को सीमित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) अधिसूचना संख्या 390/86-के० उ० शु०, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सरकारी कारखानों, के बी आई सी एककों, आदि द्वारा निर्मित भूतपूर्व टैरिफ मद 68 की वस्तुओं को उपलब्ध समस्त छूट 31 अगस्त 1987 तक उपलब्ध की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) अधिसूचना संख्या 391/86-के० उ० शु०, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चीनी मिष्ठान के लिए 10 प्रतिशत की रियायती दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) अधिसूचना संख्या 392/86-के० उ० शु०, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खाद्य वर्ण और खाद्य वर्ण निर्मितियों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) अधिसूचना संख्या 393/86-के० उ० शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा रोधक क्रीमों पर 20 प्रतिशत की रियायती दर निर्धारित की गई है ।

(नौ) अधिसूचना संख्या 395/86-के० उ० शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तांबे से बने कुण्डलन तारों पर शुल्क की दर 15 प्रतिशत रियायती दर निर्धारित की गई है ।

(दस) अधिसूचना संख्या 396/86-के० उ० शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तांबे की उन तार छड़ों पर संदत्त शुल्क पर मॉडवेट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, जिनका उपयोग मध्यवर्ती उत्पादन के लिए छूट प्राप्त तांबे की तारों के बजाय तांबे से बने कुंडलन तारों के विनिर्माण में किया जाता है ।

[पटल पर रखे गये संख्या देखिए एल. टी. 3113/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पन्द्रहवां) (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 394/86-के० उ० शु० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[पटल पर रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 3114/86]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) अधिसूचना संख्या 413/86-सीमा-शुल्क तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 232/83-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि माइक्रोमीटरों पर दी गई रियायती छूट वापस ली जा सके।

(दो) अधिसूचना संख्या 414/86-सी० शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा प्रति माइक्रोमीटर पर 13 रुपये की मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित की गई है, और ऐसे माइक्रोमीटरों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 415/86-सी० शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सज्जीदार जल की शक्ल में कास्टिक सोडे पर उपसंगी सीमा-शुल्क से दी गई सम्पूर्ण छूट वापस ली गई है।

(चार) अधिसूचना संख्या 416/86-सी० शु० जो 22 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जि के द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110/68 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि सीमा-शुल्क टैरिफ के शीर्ष संख्या 98.01 के अधीन "परियोजनाओं" को उपलब्ध 55 प्रतिशत (मूल+उपसंगी) शुल्कों की रियायती दर विश्व बैंक ऋण अनुबंध के अधीन "रेलवे विद्युतीकरण परियोजना" के आयातित समस्त माल को भी उपलब्ध की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल . टी. 3115/86]

9.07 अ० प०

किशोर न्याय विधेयक

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय की राज्यमंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से संबंधित विषयों के न्यायनिर्णयन का और उनके आवाक्षादेश का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देखरेख, संरक्षण उपचार, विकास और पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से संबंधित विषयों के न्याय निर्णयन का और उनके आवाक्षा देश का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

9.08 म० प०

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा श्री ए० के० पांजा द्वारा 20 अगस्त, 1896 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री डेनिस बोलेंगे।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमारी राय है कि विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हां, महोदय, यह इतना आवश्यक है कि इसे बिना किसी चर्चा के पारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री डेनिस को बोलने दीजिए। वह इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री डेनिस।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम को कारगर और तेजी से क्रियान्वयन करने में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना है। ये अधिकांशतः प्रक्रिया संबंधी हैं और इनके बारे में कोई विवाद नहीं है और इन पर किसी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। ये संशोधन उन खामियों को पूरा करेंगे जो इस कानून को तेजी से क्रियान्वित करने में बाधा डालते हैं।

चार मुद्दों पर तीन धाराओं में संशोधन है। प्रस्तावित प्रथम संशोधन के बारे में यह धारा 630 के स्थान पर एक नई धारा का प्रतिस्थापन है। यह धारा कई मामलों में न्यायालयों को क्षेत्राधिकार से वंचित करती है जैसे किसी वाहन के बारे में जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहा है, जब उसको पकड़ा जाता है और इसकी जब्ती लम्बित हो, तो न्यायालय उस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। साक्ष्य का पता लगाने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के इरादे से यह संशोधन किया गया है। जब कलक्टर या पुलिस अधिकारियों या नागरिक पूर्ति अधिकारियों के पास जब्ती कार्यवाही लम्बित हो, अगर न्यायालय सामान या आवश्यक वस्तुओं के ले जाने वाले वाहन को छोड़ देता है तो जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनायों का सामना करना पड़ेगा। केवल जब्ती कार्यवाही के लम्बित होने के दौरान ही यह रोक है। इससे अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने में आने वाली कठिनाईयां दूर होंगी।

34 खंड (क) और (ख) में धारा 7 क में दो संशोधन प्रस्तावित हैं। जब कभी सामान पकड़ा जाता है, तब चूककर्ता को एक वर्ष में प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इस संशोधन में 15% का प्रस्ताव है। बैंकों द्वारा ली जाने वाली वर्तमान ब्याज की दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। इससे अधिकारी स्थिति को अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटा सकेंगे। इस संशोधन के सम्बन्ध में भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगला संशोधन बकाया राशि की वसूली से संबंधित है। यह संशोधन धारा 7 क, 34 खंड (ख) में है। यह केवल एक प्रक्रियात्मक और औपचारिक संशोधन है जिससे सरकार जनता की मांग पर बकाया राशि की वसूली कर सकेगी। कुछ राज्यों में जनता की मांग पर भी धन की वसूली होती है। यह संशोधन कुछ राज्यों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को दूर करने में बहुत सहायक है। यहां इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि मूल प्रक्रिया को भी बनाये रखा गया है।

धारा 12 क में एक संशोधन है। अभी तक केवल पुलिस को ही न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। किन्तु अब प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केन्द्र और राज्यों दोनों के सरकारी अधिकारी न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अत: पिछली प्रक्रिया में कार्यवाही करने में जो बहुत देर लगती है इस संशोधन से ऐसा नहीं होता। केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को विशेष न्यायालयों में रिपोर्ट करने का अधिकार है और न्यायालय अपराध की जांच करेगा।

प्राधिकृत अधिकारियों को ही विशेष रूप से इस काम पर लगाया जाना चाहिए तथा वे उच्च श्रेणी के अधिकारी होने चाहियें। उनकी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार भी नही होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के नामों के निर्धारण के विषय में तथा उनकी श्रेणी निर्धारण के विषय में कड़ी छान-बीन की जानी चाहिए। उनके कार्य तथा कार्यवाही पर भी ध्यान पूर्वक निगरानी की जानी चाहिए।

दूसरा पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि कार्य तथा शक्तियों की आवृति नहीं होनी चाहिए जिससे व्यवस्था में भ्रम एवं निष्क्रियता पैदा न हो। प्रत्येक अधिकारी—पुलिस अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी दोनों—को सतर्क रहना होगा तथा उन्हें पहल करनी चाहिए और शीघ्र ही शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उन्हें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा पक्ष यह पहल करेगा तथा इस कार्य को पूरा करेगा और जिसके कारण वे मूक एवं निष्क्रिय बने रहें। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा पक्ष पहल करेगा।

एक या दो बातें और हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक आम व्यक्ति को सस्ती तथा उचित दर पर नियमित रूप से आवश्यक वस्तुयें प्रदान करना सरकार का मूल दायित्व है। अत: आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उनकी सप्लाई तथा वितरण को सरल एवं कारगर बनाना तथा नियन्त्रित करना होगा और आम व्यक्ति की भलाई के लिए इस काम पर प्रभावशाली एवं कुशलता पूर्वक नियन्त्रण रखना होगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्य-भण्डार में भी वृद्धि हुई है, परन्तु आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी नहीं हो रही है अपितु वे बढ़ रही हैं। हम देखते हैं कि एक ओर तो धनवान एवं समृद्ध वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की कीमतो को नियन्त्रित किया जा रहा है परन्तु दूसरी ओर हम देखते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रही हैं। बात यह है कि इस अधिनियम

के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना बहुत आवश्यक है । है । केवल तब ही इस अधिनियम की कुछ सार्थकता होगी केवल तब ही इन संशोधनों की भी सार्थकता होगी । केवल तम ही अधिनियम एवं विधेयक उस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे जिसकी समाज को आवश्यकता है । मैं एक या दो बातें कहना चाहता हूं ।

प्रो० मधुदण्डवते : आप इसे सभापटल पर रखिये ।

श्री एन० डेनिस : इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तथा काला बाजारियों, जमाखोरों तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी होगी । तस्करों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए । कारों तथा अन्य वाहनों के जरिये तस्करी की जा रही है । उचित दर की दुकानों में मिट्टी का तेल और चीनी दुलभ वस्तुयें हो गई हैं तथा उनकी जमाखोरी और कालाबाजारी चल रही है । उचित दर की दुकानों में खराब किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई की जा रही है । वे ठीक से नाप-तोल भी नहीं कर रहे हैं । अत: आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और किस्मों की जांच करने तथा यह भी देखने के लिए कि क्या उचित दर की दुकानों में खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई हो रही या नहीं, सरकारी संस्थाओं को निरन्तर जांच करनी होगी तथा छापे मारने होंगे ।

आम व्यक्ति के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने का एक मात्र तरीका सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है । यद्यपि दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है तथा बिक्री भी बढ़ गई है, परन्तु कई समस्यायें है, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं । वितरण व्यवस्था की प्रभावपूर्ण ढंग से निगरानी की जानी चाहिए तथा यह बहुत आवश्यक है । इस देश के प्रत्येक भाग में गरीबों तथा दलित लोगों एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सरकार को सभी उपाय करने होंगे । इस अधिनियम को सख्ती से लागू करके सरकार को अपने इरादों को कार्यरूप देना होगा ।

9.17 म० प०

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : केवल एक बात कही गई है जो अधिकृत अधिकारियों—उच्च वर्ग के अधिकारियों के बारे में है-ताकि उचित कार्यवाही की जा सके । महोदय इस सरकार की अवधि के दौरान तथा वर्ष 1984 के दौरान, जहां तक 30 जून 1986 तक की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मारे गये छापों की संख्या 588,819 थी । कुल 19,705 लोगों को गिरफ्तार किया गया था । पकड़ी गई वस्तुओं का कुल मूल्य 27 करोड़, 30 लाख 87 हजार रुपये है हमने एक विशेष उद्देश्य से हमने एक प्रवर्तन निदेशालय भी बनाया है···

(व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते : आप इसे भी सभा पटल पर रखिये ।

श्री ए० के० पांजा : और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि विधेयक को पारित कर दिया जाये और इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये तथा इसे पारित किया जाये ।

एक माननीय सदस्य : सर्वसम्मति से ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपने केसेज तो बहुत से फाइल किये हैं लेकिन कोर्ट में कितने केसेज में जीते हैं ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : कोई भी मुकद्मा जीतने का प्रश्न ही नहीं है। ये अन्धे-अपराधी मुकद्मे हैं। 10,440 लोगों पर मुकद्मे चलाये गये। आज तक 27,47 लोगों के मुकद्मों का फैसला सुनाया गया तथा उन्हें दोषी ठहराया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2. (धारा 6 ङ० के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। **खण्ड2**—श्री अय्यपु रेड्डी यहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—(धारा 7 क में संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० बी पाटिल यहां नहीं हैं। प्रश्न यह है :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ? **विधेयक में जोड़ दिया गया।**

खण्ड 4—(धारा 12 ज—क का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड '1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय।

श्री ए० के० पांजा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० (भगत) : इस अवसर पर, जब हम संसद के इस सत्र का अवसान करने जा रहे हैं, महोदय पथ प्रदर्शन तथा सभा की कार्यवाही का योग्यता पूर्वक संचालन करने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। मैं विपक्ष के माननीय नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। विपक्षी दल हमारा सहयोग कर रहे थे तथा सभा को बहुत उपयोगी योगदान दे रहे थे। मैंने यह बात बाहर कही है तथा मैं अब इसे पुनः दोहराता हूं कि यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं है पर अपनी बात रखने में वे बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है। मैं वही बात कहना चाहता हूं जो मैं महसूस करता हूं।

चर्चा में उनके प्रभावी सहयोग के लिए मैं सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नये सदस्यों तथा अन्य सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह निभा रहे हैं।

मैं लोक सभा के महा-सचिव तथा समस्त कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस कठिन कार्य में सहयोग दिया।

मैं अपनी सहयोगी संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं संसदीय कार्य विभाग के सचिव, श्री ईश्वरी प्रसाद तथा उनके साथियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी कर्मचारियों, का जो संसद में विभिन्न कार्यों में लिप्त हैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं संसद की कार्यवाही के बारे में अच्छा विवरण प्रकाशित करने के लिए प्रेस का भी शुक्रिया करता हूं।

महोदय, आपके विद्वतापूर्ण, परिपक्व तथा योग्य नेतृत्व, जो आपने हमें दिया है, के लिये हम सब आपके आभारी हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण : क्योंकि आठवीं लोक सभा के छठे सत्र का आज अवसान हो रहा है, अतः मैं अपनी ओर से, उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका के सभी सदस्यों की ओर से सभा के कार्य संचालन और हमारे समक्ष रखे गये सभी मामलों को सुलझाने में उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए सभी वर्गों को धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

इस अल्पकालीन सत्र में हमारी कुल 24 बैठकें हुई हैं। जिनमें लगभग 158 घंटों का समय लगा।

सभा ने दो संविधान संशोधन विधेयकों अर्थात 53वां तथा 54वां संशोधन विधेयक, सहित 19 विधेयकों पर विचार किया तथा उन्हें पारित किया। सभा ने इन विधेयकों को पारित करने

में असाधारण सर्वसम्मति का प्रदर्शन किया है। मिजोरम राज्य विधेयक को पारित करने के साथ ही, मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बन गया है तथा इस घटना का पूरी सभा ने स्वागत किया है सत्र के दौरान, 420 तारांकित प्रश्नों तथा एक अल्पसूचना प्रश्न का जवाब सभा में दिया गया। इसके अतिरिक्त हमने 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा की, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चार अल्पकालीन चर्चायें तथा चार आधे घण्टे की चर्चायें की हैं।

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा 4 दिन तक चली और 12 घंटे का समय लिया। यह चर्चा मनोव्यथा के साथ आत्म-सयंम की भावना और शान्ति के लिए उल्लेखनीय थी। मुझे विश्वास है कि हमारे देश तथा समाज में बढ़ती हुई इस बुराई से मुकाबला करने में, सभा द्वारा किया गया नेतृत्व, देश के संकल्प को मजबूत बनाने में काफी सहायक होगा।

सभा को नई वित्तीय नीतियों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986—कार्यवाही कार्यक्रम, के संदर्भ में देश में आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा करने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति चर्चा का एक अन्य विषय थी जिसके अन्त में सभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन द्वारा अपनाई जा रही अमानवीय रंगभेदी नीतियों की भी भर्त्सना की गई।

मुझे व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्नेह तथा सहयोग के लिए मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों का शुक्र गुजार हूं; और उनके द्वारा दिखाई गई हाजिरजवाबी तथा हास्य बहुत अर्थपूर्ण रहा है तथा उसके कारण ही हमारे सामने आई सभी समस्याओं का समाधान करने में हम सभा में यह अनुकूल वातावरण बनाए रख सके।

मेरे विचार में अगले सत्र में हम एक अच्छी भावना तथा बेहतर दृष्टिकोण के साथ मिलेंगे। मैं गृहमन्त्री महोदय को देख कर यह समझ सकता हूं कि वे इस बारे में यदि आवश्यक हुआ तो भरसक कोशिश करेंगे। मैं अपने सभी कर्मचारियों, सचिवालय तथा उन सभी लोगों, का जिन्होंने यहां हमारे साथ सहयोग किया है धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया है।

मेरे यह कहने से पहले कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं तथा यह कामना करता हूं कि यह सत्रावकाश का समय आपके लिए सुखद हो। आपसे पुनः मिलने की आशा करता हूं। सैफुद्दीन चौधरी जी इस बार आप अधिक हृष्ट-पुष्ट होकर आयें। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

9.27 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।